पंचम माला, खंड 38, अंक 31 शुक्रवार, 5 अप्रैल, 1974/15 चैत्र, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXVIII, No. 31 Friday, April 5, 1974/Chaitra 15, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 28-8-92
Parliament Library

[खंड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 31, शुक्रवार, 5 अप्रैल, 1974/15 चैत्र, 1896 (शक)

No. 31—*Friday, April* 5, 1974/*Chaitra* 15, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
566	प्राकृतिक रबड़ का निर्यात	Export of Natural Rubber	1–4
567	आयकर की अदायगी से छूट	Exemptions from Payment of Income Tax	4
568	प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of Natural Rubber	5–6
569	केरल से डिब्बा बंद मैंढक की टांगों का निर्यात	Export of Canned Frog Legs from Kerala	6–7
571	कोलम्बो योजना से भारत को हुए लाभ	Benefits Derived by India from Colombo Plan	7–8
575	देना बैंक द्वारा लिपिक संवर्ग में भर्ती के लिये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का चयन	Selection of Scheduled Caste Candidates for Recruitment to Clerical Grade by Dena Bank	8–11
576	बैंकों के लिए सप्ताह में पांच दिन काम करने के बारे में बैंक आयोग की सिफारिश	Recommendation of Banking Commission Regarding Five Day Week for Banks	11–12
578	प्रमुख भारतीय फर्मों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना	Relaxing of Restrictions on Leading Indian Firms	12
580	इलैक्ट्रोनिक्स सामान के निर्यात के लिये नई नीति	New Strategy for Export of Electronic Goods	12–14
584	मोटर गाड़ियों का आयात	Import of Motor Vehicles	14–15
586	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोर्टब्लेयर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Port Blair as a Tourist Centre during Fifth Plan	15
	अल्प सुचना प्रश्न	**SHORT NOTICE QUESTION**	
5	विश्व कप हाकी प्रतियोगिता का स्थान	Venue of World Cup Hockey Tournament	16–22

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—11 LSS/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
570	पांचवीं योजना में उड़ीसा में पर्यटन विकास कार्यक्रम	Tourism Development Programme in Orissa during Fifth Plan	22
572	कर्नाटक के विद्युत चालित करघा उद्योग की समस्यायें	Problem of Powerloom Industry of Karnataka . . .	22–23
573	कलकत्ता के एक व्यक्ति के पास दो नम्बरों वाला दस रुपये का नोट पाया जाना	Ten Rupee Note bearing two Numbers found in possession of a Person in Calcutta .	23
574	बंद हुये चाय बागानों की सम्पत्ति का बेचा जाना	Selling of properties of Closed Tea Gardens . . .	23
577	कर अपवंचन	Tax Evasion . .	24
579	फर्मों द्वारा अधिक मूल्य और कम मूल्य के बीजक बनाना	Over Invoicing and Under Invoicing by Firms . .	24–25
581	बोनस शेयर जारी करने पर प्रतिबंधों के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत	Guidelines regarding Curbs on Issue of Bonus Shares . .	25
582	बंगला देश को निर्यात की जा रही वस्तुयें	Items Exported to Bangladesh .	25–27
585	मूल्यों में वृद्धि होने के कारण जीवन बीमा निगम द्वारा अपने एजेंटों, विकास अधिकारियों, सहायक शाखा मैनेजरों तथा शाखा मैनेजरों को राहत देना	Grant of Relief by LIC to its Agents, Development Officers, Assistant Branch Managers and Branch Managers as a Result of Rise in Prices .	27
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
5664	1 अक्तूबर, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक विभिन्न हवाई अड्डो पर विमानों के देर से पहुँचने के कारण यात्रियों के किराये वापिस न लौटाये जाने से प्राप्त हुआ कुल धन	Total Amount Recovered on account of forefeiture of Fares of Passengers due to Late Arrival of Flights at various Airports from 1-10-73 to 31-3-74 . . .	27–28
5665	पार्ले बोट्लिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस जारी करना	Issue of A.U. Licence to Parle Bottling Co. Pvt. Ltd. .	28

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5666	प्राथमिकता वाले क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा दिया गया ऋण	Credit Advanced by Nationalised Banks to Priority Sector	28–29
5667	ग्वालियर को पर्यटक केन्द्र के रुप में विकसित करने के लिए कार्यवाही	Steps to develop Gwalior as a Tourist Centre	29
5668	दिल्ली-बम्बई विमान सेवा के विमानों को ग्वालियर में रोकने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव	Proposal to provide a stop over at Gwalior for Delhi Bombay Air Service	29–30
5669	ससनगिर (गुजरात) में पर्यटकों के लिये सुविधायें जुटाने के कार्य में हुई प्रगति	Progress made for providing Tourist Facilities at Sasangir (Gujarat)	30
5670	साधारण बीमा, पश्चिमी जोन, बम्बई के कर्मचारियों द्वारा 'एक घंटे का आन्दोलन' (वन आवर स्टर)	One Hour Stir by Employees of General Insurance, Western Zone, Bombay	30
5671	भारतीय रुई निगम की विक्रय नीति में परिवर्तन	Change in Selling Policy of CCI	30
5672	आंध्र प्रदेश से तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco from Andhra Pradesh	31
5673	उत्तर प्रदेश में बरामद काला धन	Black Money Unearthen in U.P.	31
5674	बंगला देश को निर्यात	Export to Bangladesh	31–32
5675	वित्त मंत्रालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Employees Working in the Ministry of Finance	32
5676	जापान से आयातित वस्तुयें	Articles Imported from Japan	32–33
5677	आंध्र प्रदेश में बरामद काला धन	Black Money Unearthed in Andhra Pradesh	33
5678	सिंडीकेट बैंक में 58 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् कार्य कर रहे अधिकारी	Officers Working in Syndicate Bank after Completion of age of 58 Years	33
5679	तटवर्ती कर्नाटक में पर्यटकों के आकर्षण के स्थान	Places of Tourist Attraction in Coastal Karnataka	33
5680	मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों पर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Industrialists in Madhya Pradesh	34
5681	बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) में खूनी भंडारा नामक स्थान का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Khuni Bhandara in Burhanpur (Madhya Pradesh) as a Tourist Centre	35

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5682	मध्य प्रदेश में कृषि विकास बैंकों की शाखायें	Branches of Agricultural Development Banks in Madhya Pradesh	35–36
5683	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Madhya Pradesh	36
5684	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का सरकार के सीधे नियंत्रण के अंतर्गत न होने वाले संगटनों पर लागू होना	Applicability of Recommendations of Third Pay Commission to Organisations not Directly under Government's Control	36–37
5685	राजस्थान की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists who visited Rajasthan	37
5686	काजू की वसूली तथा वितरण के लिये एजेंसी	Agency for Procurement and Distribution of Cashew Nuts	37–38
5687	आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करने के लिए गिरफ्तारी	Arrests for Creating Artificial Scarcity of Essential Commodities	38
5688	पेंशनरों को आवास के संबंध में तथा पेंशन की अदायगी में विलंब के कारण होने वाली कठिनाइयां	Difficulties Faced by Pensioners in Respect of Housing and delay in payment of Pension .	38
5689	गुजरात राज्य को भवनों तथा सहायक निर्माण कार्यों के लिए धनराशि/सामग्री का आबंटन	Allotment of Funds Material to Gujarat for Building and Allied Reconstruction Work	38–39
5690	अपने स्वामित्व का अंतरण करने वाली विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies found Changing Hands. . . .	39
5691	ऋण नियंत्रण से उदयोगों को मुक्त रखने के संबंध में कर्नाटक का अनुरोध	Request from Karnataka for Exemption of Industries from Credit Restrictions . .	39
5692	विदेशी कम्पनियों के प्राइवेट एजेंटों की भूमिका	Role of Private Agents of Foreign Companies . . .	40
5693	भूतपूर्व महालेखापरीक्षकों तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों में नौकरी करना	Joining of Private Sector Firms by Former Auditor Generals and other Direct Tax Officials.	40–41
5694	विदेशी मशीनरी के आयात के लिये तकनीशनों को रियायत	Concession to Technicians for import of Foreign Machinery	41
5695	उदीपि होटल	Udipi Hotel . . .	41
5697	निर्यात के लिए अभ्रक की दरों में वृद्धि	Enhancement in rates of Mica for Export . . .	41–42

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5698	पांचवीं योजना के दौरान गुजरात में सपूतारा पहाड़ियों का पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to Develop Saputara Hills as a Hill resort in Gujrat during Fifth Plan . .	42
5699	भारत में वायदे का व्यापार करने वाले केन्द्र	Forward Trading Centres in India	42–43
5700	सिंचाई पम्पों के निर्माण के लिए ओमान के साथ सहयोग	Collaboration with Oman for Manufacture of Irrigation Pumps	44
5701	अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया ज्ञापन	Submission of Memorandum to P.M. by All India General Insurance Employees .	44
5702	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ईरान को सीमेंट का निर्यात	Export of Cement to Iran through STC. . . .	44
5703	केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई के अधिकारियों के घरों पर छापा मारा जाना	Raids by CBI on the Houses of Officials of RBI Bombay .	44–45
5704	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम संबंधी ब्यूरो	Bureau of Public Enterprises	45
5705	बम्बई में तस्करी को वस्तुओं की बिक्री	Sale of Smuggled Goods in Bombay	45–46
5706	उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सहकारी क्षेत्र का विकास	Development of Co-operative Sector to benefit the Consumers	46
5707	आयकर विभाग, दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारी	Employees working in Income Tax Department, Delhi. .	46
5708	रबड़ के बागान लगाने के लिए पुनः बागान लगाने संबंधी आर्थिक सहायता की दर	Rates of Replanting subsidy for Rubber Plantation .	46–47
5709	बागानों की फसलों पर विकास उपकर की वसूली	Collection of Development cess on Plantation Crops .	47
5710	अलाभकर तथा कम उत्पादन देने वाले रबड़ बागानों का क्षेत्र	Area of Uneconomic and Low Yielding Rubber Plantations.	47–48
5711	वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात	Imports through STC during 1972 and 1973 . . .	48
5712	विदेशी कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasions by Foreign Concerns	48

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5713	भारत और बंगलादेश के बीच सीमित भुगतान करार	Limited Payment Agreement between India and Bangladesh	49–50
5714	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम द्वारा श्री दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड और जयश्री कैमिकल्स लिमिटेड को दिया गया ऋण	Loan Advanced by IDBI and IFC to Shri Digvijay Cement Company Ltd. and Jaysree Chemicals Ltd.	50–51
5715	वर्ष 1973 में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का निलंबन अथवा बरखास्तगी	Suspension and Dismissal of Employees of LIC during 1973	52
5716	हवाई अड्डों पर पर्यटक यातायात का बन्दोबस्त केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा करने का प्रस्ताव	Proposal to handle Tourist Traffic at Airports by Central Tourism Department	52
5717	भारत के व्यापार पर फ्रैंक के अवमूल्यन का प्रभाव	Impact of Devaluation of Franc on India's Trade.	52–53
5718	आंध्र प्रदेश में काफी बागानों का विकास	Development of Coffee Plantations in Andhra Pradesh	53
5719	सफदरजंग हवाई अड्डे का स्थान बदलने का निर्णय	Decision of Shifting of Safdarjang Airport	53
5720	हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर विमान ईंधन सप्लाई करने का निर्णय	Decision on supply of Aviation Fuel at Airports on Foreign Exchange	53–54
5721	चाय के विपणन के लिये उत्पादक देशों द्वारा समान नीति	Common Strategy by Producer Countries for marketing of Tea	54
5722	भारत और अमरीका के बीच कपड़ा संबंधी करार	Textile Pact between India and USA.	54–55
5723	भारतीय व्यापार के प्रति यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रवैये में परिवर्तन	Change in Attitude of EEC to Indian Trade	55
5724	विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग	Utilisation of Credit from World Bank	55
5725	गोमांस और पशुओं का निर्यात	Export of Beef and Live Stock.	56
5726	स्टेपल कपड़े के मूल्य निर्धारित करने के संबंध में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Submission of Teriff Commission report on fixation of prices of Staple Cloth	56
5727	भारत से रियायती दरों पर चार्टर्ड उड़ानों की सुविधा के लिये एयर इंडिया द्वारा व्यक्तियों का वर्गीकरण	Categorisation of Persons by Air India to avail of Chartered Flights from India on Concessional Basis.	56–57

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5728	जाली नोटों का पकड़ा जाना	Seizure of Forged Currency ·	57
5729	अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध में ढील देने का प्रस्ताव	Proposal to relax Restrictions on entry of Tourists to Andaman Nicobar Islands. ·	57
5730	देश में विमान-टैक्सी सेवा	Air Taxi Service in the country · · · · · ·	58
5731	उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएँ खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Orissa ·	58
5732	पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा में पर्यटक होटलों की स्थापना	Setting up of Tourist Hotels in Orissa during Fifth Plan ·	59
5733	हमारे आयात निर्यात में व्यापारिक असंतुलन	Trade Deficit in our Imports-Exports · · · ·	59–60
5734	चांगदेव शूगर मिल्स	Changedeo Sugar Mills ·	60–61
5735	सूती धागे के निर्यात की नई नीति की घोषणा	Announcement of a New Policy for Export of Cotton Yarn	61–62
5736	निर्यात को बढ़ावा देने के लिये आद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र द्वारा कच्चे माल का आयात	Import of Raw Material by IRMAC to Strengthen Exports · · · ·	62
5737	समान प्रकृति की नौकरियों के लिये एक समान राष्ट्रीय वेतन-मान	Uniform National Salary scales for Simlar Jobs · ·	62–63
5738	पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के लिये भारतीय पर्यटन विकास निगम का प्रस्ताव	Proposal of ITDC to Imporve Facilities for Tourists ·	63
5739	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जनता को उपभोक्ता ऋण दिया जाना	Advancing of Consumer Loans to Public by Nationlised Banks · · · ·	64
5740	रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने हेतु श्रम-प्रधान उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देना	Fiscal Incentives to Labour Oriented Industries for Stimulating Additional Employment · · · ·	64
5741	चाय के उत्पादन में कमी	Fall in Tea Production · ·	64
5742	हस्तनिर्मित ऊनी गलीचों के निर्यात के लिये लाइसेंस	Export Licences for Hand made Woollen Corpets · ·	65
5743	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋणों में कटौती लागू करने के फलस्वरूप छोटे पैमाने के एककों को हो रही कठिनाइयां	Difficulties experienced by small Scale Units as a result of Credit Squeeze Imposed by RBI. · · · ·	65–66

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5744	लघु उद्योगों के कारखानों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Small Scale Units	66
5745	विश्व व्यापार मेला, 1974 की दृष्टि से व्यापार नीति को उदार बनाना	Liberalisation of Trade policy in view of World Trade Fair, 1974	66–67
5746	जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी होल्डरों के लिये घोषित बोनस	Bonus Declared by LIC for Policy Holders	67–68
5747	पत्रकारों और छोटे समाचार-पत्रों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयां	Financial Difficulties Faced by Journalists and Small News-papers	68
5748	ऋण नियंत्रण नीति के परिणामस्वरूप छोटे व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर करना	Solving Difficulties of Small Traders as a result of Credit Squeeze Policy	68
5749	गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में कपड़ा मिलों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Textile Mills in Private and Public Sectors	69
5750	अधिक भूमि में अलाभप्रद चाय बागानों का लगाया जाना	Increase in Area under Economic Tea Plantations	69–70
5751	पी० एल० 480 निधि से वित्त पोषित होने वाली परियोजनाएं	Projects to be Financed from PL 480 Funds	70–71
5752	महाराष्ट्र में पांचवीं योजना के दौरान होटल बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Construct Hotels in Maharashtra during Fifth Plan	71
5753	पटसन के व्यापार में बिचौलियों को हटाने का प्रस्ताव	Proposal to Eliminate Middle-men from Jute Trade	71
5754	निर्यात के लिए बढ़ीया चाय का नित्य अभाव	Scarcity of Quality Tea for Exports	72
5755	'कन्ट्रोल क्लाथ' तथा बिना कन्ट्रोल के क्लाथ का उत्पादन	Production of controlled and non-controlled cloth	72–73
5756	मेंढक की टांगों का निर्यात	Export of frog legs	73
5757	इंडियन एयरलाइंस में कर्मचारियों की कर मुक्त परिलब्धियां	Tax free emoluments of Staff in Indian Airlines	73
5758	कारकास (वैनेज्युएला) में व्यापार मेला आयोजित करने का प्रस्ताव	Proposal to Stage trade fair at Caracas (Venezuela)	74
5759	इंडियन एयरलाइंस के वायुयान बेड़े का भारतीय करण करने का चरण-बद्ध कार्यक्रम	Phased Programme to Indian-ise Indian Airlines Fleet	74

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5760	'एड इंडिया कंसोर्टियम' (भारत सहायता सार्थ संघ) से सहायता	Assistance from Aid India Consortium . . .	74
5761	चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के लिये लक्ष्य	Target for Export of Leather Goods	75
5762	राज्य व्यापार निगम द्वारा एक नयी उत्पाद निर्यात संवर्धन संस्था स्थापित किये जाने का प्रस्ताव	Proposal to set up a new products Export Promotion Organisation by STC .	75
5763	देश में 'सिक्योरिटी पेपर' की कमी	Shortage of Security Paper in the country . . .	75
5764	कनाड़ा के साथ प्रतिकूल व्यापार-संतुलन	Adverse Balance of Trade with Canada	76
5765	असिस्टेंट फ्लाइट पर्सर के पदों के लिए जनवरी, 1974 में हुई परीक्षा एवं साक्षात्कार	Test and Interview Held in January 1974 for posts of Assistant Flight Purser .	76–77
5766	तमिलनाडु से वस्तुओं के निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earning by Export of Commodities from Tamil Nadu . . .	77
5767	अंडमान रबड़ बागान निगम की स्थापना	Setting up of a Rubber Plantation Corporation of Andamans . . .	77–78
5768	सूती कपड़ों के निर्यात को बढ़ाने के लिये निर्यातकों को रियायतें	Concession to Exporters to Increase Exports of Cotton Textiles	78
5769	पेय पदार्थों के कन्सेंट्रेटों और मूल तत्वों का निर्यात	Export of Concentrate and Beverage Bases . .	78
5770	पर्यटन संस्थान द्वारा पांचवीं योजना के दौरान पर्यटन, यात्रा प्रबंध और होटल प्रबंध में प्रशिक्षण	Training in Tourism, Travel Management and Management of Hotels by the Institute of Tourism during Fifth Plan	79
5771	पूर्वोत्तर भारत के चाय बागानों में खाद-बीज आदि की कमी	Shortage of Inputs in North East India a Tea Gardens .	79
5772	भारतीय रुई निगम के क्रय कार्यक्रमों की गति बढ़ाना	Accelerating Facilities to CCI Purchase Programmes .	79–80
5773	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सवारी भत्ता देना	Granting of Conveyance Allowance to Central Government Employees . . .	80
5774	प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और खपत	Production and Consumption of Natural Rubber . .	80–81
5775	प्राकृतिक रबड़ की मूल्य नीति	Pricing Policy of Natural Rubber	81
5776	रुपये में भुगतान से व्यापार	Rupee Payment Trade . .	81–82

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5777	एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल द्वारा पेरिस का दौरा	Visit of a Trade Delegation to Paris	82
5778	अलाभप्रद निर्यात	Unprofitable Exports .	82
5779	केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान को अमरीकी सहायता	U.S. Assistance to Central Fuel Research Institute .	83
5780	जमशेदपुर और टाटानगर (बिहार) का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Jamshedpur and Tata Nagar, Bihar .	83
5781	सेन्ट्रल एक्साइज एंड कस्टम मिनिस्टोरियल आफिसर्ज़ यूनियन, पटना की मांग	Demand of Central Excise and Customs Ministerial Officers Union, Patna . . .	83–84
5782	रुस से आयातित रुई की गांठों पर मंत्रालयों का परस्पर झगड़ा	Inter Ministerial Wrangle over Imported Bales of Russian Cotton	84
5783	अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई का आयात	Import of Extra long Staple cotton	84
5784	दम दम हवाई अड्डे पर अन्र्देशीय उड़ान के लिये अड्डे के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on Renovation and Modernisation of Domestic Terminal at Dum Dum Airport . .	85
5785	विभिन्न जूट उत्पादों के मूल्य	Prices of various Jute Products	85–86
5786	दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर प्रवेश टिकटों से आय	Income from entry tickets at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras Airport . . .	86
5787	जीवन बीमा निगम द्वारा अपने पालिसी धारियों को दिया गया बोनस	Bonus paid by LIC to its Policy Holders	86–87
5788	जीवन बीमा निगम के कारोबार की वृद्धि	Rate of growth of Life Insuraance business . . .	87
5789	बिल पुनः कटौती के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कपड़ा उंद्योग को दी गई सहायता के स्तर में वृद्धि	Increase in the level of assistance given by Industrial Development Bank of India to textile machinery under bill rediscounting scheme .	88–89
5790	भारतीय वस्तुओं में रुस की रुचि	Soviet Interest in Indian Commodities	89
5792	गुजरात को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat	89–90
5793	मूंगफली का निर्यात	Export of Groundnuts . .	90
5794	भारत और अमरीका के बीच कपड़ा करार का संशोधन	Modification of Textile Agreement between India and USA.	90

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5795	भारतीय निर्यात संगठनों का पुनर्गठन	Reorganisation of Indian Export Organisations . .	91
5796	वर्ष 1973 में भारत का दौरा करने आये विदेशी पर्यटकों की राष्ट्रीयता-वार संख्या	Nationality-wise break up of Foreign Tourists who visited India during 1973 . .	91
5797	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण द्वारा संकटग्रस्त मिलों को सहायता	Help to Sick Mills by Industrial Reconstruction Corporation of India . . .	91–92
5798	आयकर अदा न करने वाले व्यक्ति	Defaulters of Payments of Income Tax . . .	93
5799	अन्य देशों को मांस का निर्यात	Export of Meat to other Countries	93
5800	नारियल जटा उत्पादों के निर्यात में कमी	Decline in the Export of Coir Products	94
5801	भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के अनुचित कार्यों की जांच करना	Inquiry into unfair practice by Foreign Banks Operating in India	94
5802	कमर्शियल बैंकों से राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट लेना	Overdrafts by States from Commercial Banks . .	94–95
5803	ट्रेड एंड टैरिफ कौंसिल आफ इंडिया द्वारा व्यापार प्रक्रियाएं प्रारंभ करने में विलंब	Delay in commencement of Trading Operations by TTCI	95
5804	अफीम की खेती संबंधी नियम	Rules for Opium Cultivation	95
5806	विदेश स्थित संयुक्त उपक्रमों में पूंजी लगाना	Capital invested in Joint Ventures Abroad . . .	95–96
5807	विमानन टरबाइन इंधन में उत्पादन शुल्क तथा कर सम्बन्धी रियायतें देने के लिए इंडियन एयरलाइन्स का अभ्यावेदन	Representation from Indian Airlines for Excise and Tax Concessions in Aviation Turbine Fuel . . .	96
5808	बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Bihar .	96–97
5809	निर्यात के लिये मार्गदर्शक सैल	Guidance Cell for Exports .	97
5810	सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली कुल बकाया राशि का भुगतान	Payment of total arrears accruable to Government Employees	97
5811	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में द्वीपो का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास	Development of Islands as Tourist Centres during Fifth Plan . . .	97–98
5812	डेजर्ट सैंक्चुएरी, मेरिन सैंक्चुएरी तथा माउन्टेन सैंक्चुएरी संबंधी प्रस्ताव	Proposal for Desert Sanctuary, Marine Sanctuary and Mountain Sanctuary . . .	98

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5813	पश्चिम बंगाल में होजरी उद्योग को धागे का आबंटन	Allotment of Yarn to Hosiery Industry in West Bengal	98
5814	19 मार्च, 1974 को मानट्रेक्स (स्विटजरलैंड) में विमान कम्पनियों के प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of Airlines Representatives at Montreux (Switzerland) on 19-3-1974	98–100
5815	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के नियम	Recruitment Rules in Nationlised Banks	100–101
5816	काजू तथा मसालों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign exchange earning by Export of Cashew nuts and spices	101
5817	हस्तशिल्प की वस्तुओं से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign exchange earning of Handicrafts	102
5818	तेल उत्पादक देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाना	Expanding trade and Economic Co-operation with oil producing countries	102–103
5819	नागर विमानन महानिदेशालय की संचारशाखाओं में समयोपरि कार्य	Overtime in communication Branches of Directorate General of Civil Aviation	103
5820	कंसोर्शियम भारत को दीर्घावधि सहायता देने के बारे में पैरिस में बैठक	Meeting in Paris for long term aid to India	103
5821	रुस के साथ आमों के व्यापार में कमी	Decline in Mango trade with USSR.	103–104
5822	वर्ष 1971-74 के दौरान केरल से निर्यात	Export from Kerala during 1971 to 1974	104
5823	नारियल जटा का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात व्यापार	Utilisation of export trade of Coir through STC	105
5824	इंडिया एशोरेंस कम्पनी के विभिन्न कार्यालय का इस कम्पनी के बंगलौर यूनिट के साथ विलय	Merger of various offices of New India Assurance Company with Bangalore unit of that Company	105
5825	लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के निदेशको द्वारा विदेश भेजा गया धन	Remittances by Directors of Larsen and Toubro Ltd.	106
5826	आय-कर अधिकारी	Income Tax Officers	106
5827	विभिन्न क्षेत्रों के लिये ऋण प्रतिबंधों में ढ़ील	Relaxation of credit squeeze for different sector	107
5828	चाय बोर्ड का बिना चैयरमैन के कार्य करना	Functioning of Tea Board Without a Chairman	107
5829	पटसन उत्पादकों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee set up to look after the interests of Jute Growers	107

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5830	सेंचुरी रेयन द्वारा स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन	Production of century Rayon beyond the Sanctioned Capacity . . .	108
5831	रिजर्व बैंक की ऋण नीति का जूट के सामान के निर्यात व्यापार का प्रभाव	Affect on export trade in Jute Goods due to Reserve Bank's Credit Policy . . .	108
5832	पश्चिम बंगाल से पटसन और चाय निर्यात करने से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned by Export ing Jute and Tea from West Bengal . . .	108–109
5833	नारियल का आयात . .	Import of Coconuts . .	109
5834	इंडियन एयरलाइंस में ठेके पर दिये जाने वाले कार्य	Functionings performed on contractual basis in Indian Airlines	109
5835	मशीनों के आयात के अधिकारो का वापिस लिया जाना	Withdrawal of Import entitlements of Machinery . .	109–110
5836	पक्षियों और पशुओं का निर्यात	Export of Birds and Animals .	110
5837	पंजीनिवेश गारंटी योजना बनाने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार मंडल द्वारा किया गया अनुरोध	Request made by Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry to constitute Investment Guarantee Scheme	110
5838	इंडियन एयरलाइंस को मद्रास तथा त्रिवेन्द्रम के बीच सेवा से प्रतिदिन हानि	Daily loss to Indian Airlines between Madras and Trivandrum . . .	111
5839	जमशेदपुर-कलकत्ता-रांची-दिल्ली - रांची और रांची-कलकत्ता-रांची के बीच विमान सेवाओं का बंद किया जाना	Discontinuation of Air Service between Jamshedpur Calcutta, Ranchi, Delhi-Ranchi and Ranchi-Calcutta-Ranchi .	111
5840	नेशनल एंड ग्रिन्डलेज बैंक के प्रबंधकों द्वारा फर्स्ट नेशनल सिटी बैंकों को बहुत अधिक धनराशि हस्तांतरित करना	Transfer of Huge Funds by Management of National and Grindlays Bank to First National City Bank .	111–112
5841	कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद बने बनाये वस्त्रों का निर्यात	Export of Ready made Garments inspite of Stiff Competition	112–113
5842	भारतीय हथकरघा साड़ियों की विदेशों में लोकप्रियता	Popularity of Indian Handloom Sarees Abroad . .	113
5843	रेशमकीट अंडे पर आयात शुल्क में छूट	Exemption of Duty on Import of Silkworm Seed . .	113
5844	चमड़े के निर्यात में वृद्धि	Increase in Leather Export .	113

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5845	वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों को इक्विटी शेयरों में बदलना	Conversion of Loans given by Financial Institutions into Equity Shares	114
5846	रुपया भुगतान क्षेत्रों में आयात/निर्यात व्यापार करना	Shifting of Import/Export Trade to Rupee Payment Areas	114
5847	दिल्ली के कर अपवंचकों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Income Tax evaders in Delhi	115
5848	आयकर विभाग, दिल्ली को कर अपवंचकों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतें	Complaints against Tax Evaders received by Income Tax Department, Delhi	115
5849	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बचत की दर	Rate of Savings in Fifth Five Year Plan	115-116
5850	कोचीन को निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाना	Conversion of Cochin into a Free Trade Zone	116
5851	इंडियन एयरलाइंस द्वारा अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल डिविजन को अदा किया गया कमीशन	Commission paid by Indian Airlines to American Express Travel Division	116-117
5852	केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा एक दिन की प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल	Proposed one day token strike by Central and State Government Employees	117
5853	भारतीय रुई निगम का असंतोषजनक कार्यकरण	Unsatisfactory Functioning of CCI.	117-118
5854	अमरीकी डालरों की सरकारी दरों से कम मूल्य पर बिक्री	Sale of US Dollar below the official rate of Exchange	118
5855	निर्यात नीति संबंधी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	Submission of Export Strategy Committee Report	118
5856	विदेश पूंजी निवेश	Foreign Investment	118-119
5857	स्टेपल रुई के पुराने स्टाक को निर्यात करने की अनुमति	Permission to Export old stock of staple Cotton	119
5858	भारत में विदेशी स्वामित्व वाले बागान	Foreign Owned Plantation in India	119-120
5859	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के निदेशक के विरुद्ध जांच	Inquiry against Foreign Directors of Larsen and Tubro Ltd.	120
5860	नई दिल्ली में निर्यात संबंधी सम्मेलन	Convention on Exports held in New Delhi	120
5861	फायर स्टोन टायर एंड रबड़ कम्पनी आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि	Increase in the Paid up Capital of Firestone Tyre and Rubber Co. of India Pvt. Limited	121

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5862	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लेखा-परीक्षकों (आडिटरों) के लिए सिलेक्शन ग्रेड	Selection Grade for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Auditors . . .	121
5863	मध्य प्रदेश द्वारा जमाखातों से निकाली गई अधिक राशि	Over Draft by Madhya Pradesh	122
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance—	
	राज्य व्यापार निगम द्वारा बम्बई पत्तनसे 40 लाख रुपये के मूल्य के अखबारी कागज को उठाने में विलंब का समाचार	Reported delay in the lifting of Rs. 40 Lakhs worth of newsprint by the STC from the Bombay Port—	
	श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandle	122 व 123
	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyay	122–123, 123–124 व 125
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	125–126
	विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills . . .	127
	प्राक्कलन समितियां—	Estimates Committees—	
	47वां और 49 वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किये गए	Forty Seventh and Forty ninth Reports—presented.	127
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
	99वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Ninety ninth Report—presented	127
	विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
	7वां प्रतिवेदन	Seventh Report—presented .	127
	नियम 377 के अन्तर्गत मामले—	Matters under Rule 377—	
	(एक) अल्पसंख्यक छात्रों पर असमिया भाषा को लागू करने का कथित निर्णय	Reported Decision to impose Assamese Language on students belonging to Linguistic Minorities . .	128
	(दो) पश्चिम बंगाल में अनाज की भारी कमी का कथित समाचार	Reported Acute Shortage of foodgrains in West Bengal	128
	अनुदानों की मांगे, 1974-75—	Demands for Grants, 1974-75—	
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय—	Ministry of Law, Justice and Company Affairs—	
	श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad .	129
	प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate .	129–130
	श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi .	131
	श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh .	131–132
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	132
	श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale .	132–137
	वाणिज्य मंत्रालय—	Ministry of Commerce—	
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Joytirmoy Bosu .	138–140

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	
(1) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 101-क का अंतःस्थापन), श्री मुरासोली मारन का	Representation of the People (Amendment) Bill (Insertion of new section 101A) by Shri Murasoli Maru. . .	140–141
(2) संविधान संशोधन विधेयक, (अष्टम अनुसूची का संशोधन) श्री एन० टोम्बी सिंह का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Eighth Schedule) by Shri N. Tombi Singh	141
(3) संसदीय सन्निष्ठा आयोग विधेयक —श्री बी० के० दास चौधरी का	Parliamentary Integrity Commission Bill by Shri B. K. Daschowdhury . .	141
(4) बीड़ी और सीगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक (धारा 1, 2 आदि का संशोधन) श्री ए० के० गोपालन का	Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Amendment Bill (Amendment of Sections 1, 2 etc.) by Shri A. K. Gopalan. .	141–142
(5) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124, 125 आदि का संशोधन) श्री मधु लिमये का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 124, 125 etc.) by Shri Madhu Limaye	142
प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक (नई धारा 20 क का अन्तःस्थापन) श्री आर० पी० उलगनम्बी द्वारा विचार किये जाने का प्रस्ताव—	Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill (Insertion of new selection 20A) by Shri R. P. Ulaganambi— Motion to consider—	
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi. .	142–144
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . .	145
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	145–146
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	146
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	147
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh. .	147–148
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	148
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	148–149
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	149
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	149–150
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi . .	150
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	150
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	150–151
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. Nurul Hassan	151–152
मातृवंश परम्परा विधेयक—	Mother's Lineage Bill—	
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	152–153
आधे-घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	
भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची को मशीनों की सप्लाई—	Supply of Machinery to Heavy Engineering Corporation Ranchi—	
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi	153–154
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai. . .	155–156

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 5 अप्रैल, 1974/15 चैत्र, 1896 (शक)
Friday, April 5, 1974/Chaitra 15, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]
[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

† प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

*566. **श्री के० मालन्ना :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ उत्पादकों ने अनुरोध किया है कि प्रति वर्ष कम से कम 20,000 टन प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया जाना चाहिए;

(ख) क्या लघु रबड़ उत्पादकों को वर्ष 1970 में निर्धारित किये गये 520 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम मूल्य से भी काफी कम मूल्यों पर अपना रबड़ बेचना पड़ा था ; और

(ग) क्या रबड़ उत्पादकों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि वह प्राकृतिक रबड़ के निर्यात को रोकने के लिये उद्योगपतियों के दबाव में न जाए, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) रबड़ उत्पादकों ने सरकार को यह अभ्यावेदन दिया है कि प्राकृतिक रबड़ के देशी उत्पादन का निर्यात कर दिया जाना चाहिए ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 5000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने का पहले ही विनिश्चय किया हुआ है तथा समग्र उत्पादन व घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् निर्यात योग्य बेशी मात्रा के आधार पर और भी निर्यात किये जायेंगे ।

श्री के० मालन्ना : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि रबड़ के छोटे उत्पादकों को अपनी रबड़ वर्ष 1970 में निर्धारित किये गये न्यूनतम मूल्य 520 रुपये प्रति क्विंटल से काफी कम मूल्य पर क्यों बेचनी पड़ती है ? छोटे उत्पादकों की सहायतार्थ रबड़ के मूल्य बनाये रखन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

2—11 LSS/74

श्री ए० सी० जार्ज : सांविधिक मूल्य वर्ष 1970 में निर्धारित किया गया था जब बाजार में मन्दी आयी हुई थी। मन्दी इस अर्थ में कि उत्पादन लक्ष्य से अधिक था और खपत आशानुकूल नहीं हो रही थी। अतः स्वाभाविक था कि बाजार में माल की बहुतायत होती और मूल्य गिरते। छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये और उन्हें अच्छा मूल्य दिलाने के लिये सांविधिक मूल्य निर्धारित किया गया। हमने राज्य व्यापार निगम से भी रबड़ खरीदने के लिये कहा। अधिक उपलब्धता के कारण छोटे उत्पादक ऊंचे मूल्य प्राप्त नहीं कर सके। परन्तु अब स्थिति भिन्न है।

श्री के० मालन्ना : अब तक वास्तव में कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है और स्वदेशी उद्योग के लिये प्राकृतिक रबड़ की कितनी मात्रा आवश्यक है ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस समय सरकार ने 5000 मीटरी टन रबड़ निर्यात करने का निर्णय किया है। इसका ठेका हो गया है परन्तु लदान की तथा अन्य कठिनाइयों के कारण हम केवल 2600 मीटरी टन निर्यात कर सके हैं। प्राकृतिक रबड़ की स्वदेशी मांग की वर्ष 1973–74 की अनुमान 1,12,000 मीटरी टन है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : रबड़ के निर्यात के लिये कभी भी परिस्थितियां अच्छी नहीं रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ गये हैं। हमें विदेशी मुद्रा की अत्यधिक आवश्यकता है। पेट्रोलियम तथा रसायन उद्योगों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों के कारण स्वदेशी खपत के लिये कृत्रिम रबड़ का प्रश्न पैदा ही नहीं होना चाहिये। फिर भी मुझे आश्चर्य है कि यह सरकार . . .

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण क्यों दे रहे हैं ? प्रश्न पूछिये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सदन के ध्यान में लाया जाना चाहिये हम अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक संघों के दबाव के अन्तर्गत पिस रहे हैं। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुये राज्य व्यापार निगम ने रबड़ निर्यात के लिये क्या कार्यक्रम बनाया है ? नौवहन सम्बन्धी कठिनाइयां बताकर इस बात को टाला नहीं जा सकता। सरकार ने कितनी रबड़ प्राप्त की है ? उनका उत्तर पूर्णतया अपर्याप्त है। क्या राज्य व्यापार निगम ने कोई स्पष्ट कार्यक्रम बनाया है—वित्त मंत्री यहां बैठें हुये हैं और उन्हें भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और यदि ऐसा है तो किसके दबाव में कार्य किया जा रहा है ?

श्री ए० सी० जार्ज : दबाव में कार्य करने का प्रश्न ही नहीं है। वास्तव में गत सत्र में सदन में यह बात स्पष्ट की गई थी। जब कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या सरकार ने निर्यात करके बुद्धिमानी का परिचय दिया है, तो भारत सरकार की ओर से स्पष्ट रूप में यह घोषित किया गया कि हमारी नीति फालतू रबड़ को निर्यात करने की है। सर्व प्रथम हमने इसी संदर्भ में 5000 मीटरी टन निर्यात का निर्णय किया किसी दबाव में आकर कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्वदेशी आवश्यकता पूरी करने के पश्चात जो फालतू बचेगा, हम उसे निश्चिन्त इस से निर्यात करेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह राज्य व्यापार निगम की नीति थी। परन्तु कार्यक्रम तथा दृष्टिकोन क्या है ?

श्री ए० सी० जार्ज : दृष्टिकोण तथा कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट हैं, स्वदेशी मांग तथा उत्पादन में सामंजस्य है। गतवर्ष 1,12,000 मीटरी टन उत्पादन हुआ। इस वर्ष 1,25,000 मीटरी टन उत्पादन की आशा है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, स्वदेशी मांग 1,15,000 मीटरी टन होने की आशा है। अतः यह स्पष्ट है कि थोड़ी सी मात्रा फालतू होगी जिसका निर्यात किया जायेगा, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की आम होगी।

श्री आर० बी० पिल्लै : क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि इस वर्ष रबड़ के मूल्य 700 रुपये प्रति क्विटल तक पहुंच गये और अब मूल्य कम हो रहे है क्योंकि रबड़ के टायर बनाने वाले संघ बन रहे हैं और मूल्य कम कराने का प्रयास कर रहे हैं ? क्या सरकार 700 रुपये प्रति क्विटल न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी जोकि सरकार कर सकती है ? मैं रबड़ का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भी जानना चाहता हूं ।

श्री ए० सी० जार्ज : फिर से यह बात स्मरण की जा सकती है कि अब तक यह प्रयास किया गया कि सांविधिक मूल्य उपलब्ध हो सके । मैं वास्तव में माननीय सदस्य को यह बात बताना चाहता हूं कि 5000 मीटरी टन फालतू रबड़ निर्यात करने का निर्णय उस समय लिया गया जब मूल्य कम थे और निर्णय यह किया गया था कि निर्यात किया जाय, चाहे इससे हानी ही हो । अब स्थिति यह है कि मूल्य कुछ अच्छे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य जनवरी में तो एकबार 9000 रुपये प्रति टन तक पहूंच गया और लंदन में सी० आई० एफ० मूल्य लगभग 6,300 रुपये प्रति मीटरी टन है ।

श्री आर० बी० पिल्लै : मैंने न्यूनतम मूल्य के पुनरीक्षत के बारे में कहा है । क्या इस मूल्य में वृद्धि की जायेगी ।

श्री ए० सी० जार्ज : न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्तावन नहीं है ।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने बताया है कि न्यूनतम मूल्य किसानों के हितों की सुरक्षा के लिये निर्धारित किया गया । उन्हें याद होगा कि इस सदन में हमने एक बार मामला उठाया था, क्यों कि कालाधन अर्जित किया गया और न्यूनतम मूल्य निर्धारित किय जाने पर भी हमें मूल्य उपलब्ध नहीं हो सका तब सरकारने निर्यात करने का निर्णय किया और तब ये सभी एकाधिकारवादी ग्रुप आरम्भ हुए और निर्यात करने पर बल दिया गया । अब भी वे दबाव डाल रहेहैं । मैं एक बात जानना चाहता हूं । वे कहते हैं कि 1,14,000 मीटरी टन का अनुमान है । परन्तु वास्तविक खपत 1,13,000 मीटरी टन की है । यदि ऐसा है, तो क्या सरकार छोटे उत्पादकों के जो 80 प्रतिशत हैं, हितों की रक्षा के लिये 20,000 मीटरी टन का निर्यात करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त रूप से प्रश्न पूछिये; सूचना देकर अन्त में छोटासा प्रश्न मत पूछिये ।

श्री ए० सी० जार्ज : उत्पादन के उपभोक्ताओं के रूप में कुछ उद्योगपतियों की यह इच्छा रहती है कि माल फालतू रहे तभी स्थिति उनके लिये लाभकारी रहती है । वे निर्यात में रूचि नहीं रखते । परन्तु जैसा कि मैंने आरम्भ में बताया है, न्यायोचित स्वदेशी मांगें पूरी करने के बाद जो फालतू बचता है उसे निर्यात किया जायेगा और सरकार किसी भी उद्योगपति के दबाव में कदापि नहीं आयेगी ।

श्री वरके जार्ज : रबड़ बोर्ड के अनुसार देश में 1,7000 मीटरी टन उत्पादन फालतू रहता है । क्या 5,000 मीटरी टन निर्यात के स्थान पर सरकार 1,7000 मीटरी टन निर्यात करने का निर्णय करेगी जो हमारा फालतू उत्पादन है और जो देश के लिये बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा ।

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने जो कुछ पहले कहा है, माननीय सदस्य मेरी उस बात से पूर्णतया सहमत हैं । उत्पादन 1,25,000 मीटरी टन होने की आशा है और मांग 1,12,000 मीटरी टन को होगी । अत: 1,500 तथा 17,000 मीटरी टन के बीच फालतू मात्रा उपलब्ध रहेगी । हमारा निर्यात वर्ष 1973 में अगस्त मास में आरम्भ हुआ । आरम्भ में घाटा हुआ । धीरे-धीरे हम अधिक मात्रा में निर्यात करने का प्रयास करेंगे ।

श्री धामनकर : क्या कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में प्रतिवर्ष 20,000 मीटर टन की कमी आई है और क्या इसका कारण कच्चे रबड़ का मूल्य 520 रुपये से बढकर 625 रुपये हो गया है और क्या कच्चा रबड़ तथा कृत्रिम रबड़ का कुल उत्पादन देश में रबड़ की वस्तुयें बनाने के लिये पर्याप्त है ?

श्री ए० सी० जार्ज : कृत्रिम रबड़ के उत्पादन की स्वदेशी क्षमता 35,000 मीटरी टन की है। केवल एक कारखाना है और गतवर्ष वहां श्रमिक संकट उत्पन्न हो गया था। उनका उपादन 22,000 मीटरी टन रह गया। हमें आशा है कि कृत्रिम रबड़ का अधिकतम उत्पादन होगा, हम केवल स्वदेशी आवश्यकता ही पूरी नहीं कर सकेंगे अपितु हमारे पास कुछ मात्रा फालतू भी होगी।

आयकर की अदायगी से छूट

***567. श्री झारखंडे राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि कर्मचारियों को प्राप्य उपदान भविष्य निधि और पेंशन निधि सहित सेवा-निवृत्ति के सभी श्रेणियों के लाभ, जिनकी अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है, कर मुक्त होने चाहियें ;

(ख) क्या सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि कर्मचारियों द्वारा अर्जित नकद चिकित्सा लाभ, मकान किराया भत्ता, बोनस और यात्रा भत्ता भी कर मुक्त होने चाहियें ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Shri Jharkhande Rai: This year, an annual income of Rs. 6,000 has been kept as Tax-free, last year this figure was Rs. 5,000. The Government has not given tax exemption on the income of Rs. 7,200 even in the present price rocketting situation. May I know whether the Government is considering to raise the tax exemption limit to Rs. 10,000?

Shri Yeshwantrao Chavan: There is no such proposal at present.

Shri Jharkhande Rai: Sir, May I know whether the delegation of Employees' Unions, State Unions and Other Unions had a meeting on this subject with the Hon. Finance Minister and the Prime Minister and whether they brought it to the notice of the government that if all their facilities and the present circumstances do not get proper consideration from the Government, then the employees would be compelled to join Bharat Bandh along with the railway strikers?

Shri Yeshwantrao Chavan: I think this would not be the correct way.

Shri S. M. Banerjee: I think the government at present, do not think it proper to raise the exemption limit from 6,000 to 10,000. May I know whether it has been brought to his notice that now, with the implementation of Pay Commissions report, the employees are not getting those reliefs at the exemption limit of Rs. 6,000 which they were getting at the limit of Rs. 5,000 prior to the implementation of Pay Commission's report? May I know whether the Government will look into this matter in the light of above facts?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यक्रम देने हेतु एक सुझाव है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या कोई प्रस्ताव है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं।

प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि

***568. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के ऊंचे मूल्य तथा संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन के लिये कच्चे माल की कमी को देखते हुए, देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिय कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 5वीं पंचवर्षीय योजना में रबड़ बागान उद्योग के विकास कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसमें उच्च उपज देने वाली रोपण सामग्री से पुनर्रोपण तथा नया रोपण और साथ ही त्रिपुरा, आसाम, मिजोराम आदि में रबड़ बागान के लिये उपर्युक्त नये क्षेत्रों को रबड़ की कास्त के अन्तर्गत लाना भी शामिल है। 4 हेक्टेयर तक तथा 4 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली जोतों के संबंध में पुनर्रोपण उपदान की मात्रा बढ़ाने की भी एक प्रस्थापना है। 5वीं योजना अवधि में नई रोपण सामग्री विकसित करने, वर्तमान प्लांटों की उत्पादकता में सुधार करने, कास्त के तरीको में सुधार करने, साधित करने के काम में सुधार करने आदि के लिये गवेषणा कार्य भी तीव्र किया जायेगा तथा उत्पादकता तथा दक्षता बढ़ाने के लिये गवेषणा के परिणामों की जानकारी बागान मालिकों को दी जाएगी।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : मंत्री महोदय ने बताया है कि 4 हेक्टेयर तथा इससे अधिक वाली जोतों पर पुनर्रोपण राजसहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। क्या नये बागान लगाने के लिये छोटे उत्पादकों को भी राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ए० सी० जार्ज : पांचवीं योजना अवधि में 4 हैक्टेयरवाली जोतों पर पुनर्रोपण राजसहायता में 7,000 रुपये प्रति हैक्टेयर तक तथा 4 हैक्टयर से अधिक जोतों पर 5,000 रुपये प्रति हैक्टेयर तक वृद्धि करने का विचार है। नये रोपण के लिये एक ऋण योजना जो राजसहायता से भिन्न है, आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

श्रीमती भार्गवी तनकापन : क्या देश में तथा देश से बाहर प्राकृतिक रबड़ तथा रबड़ उत्पादों की मांग बढ़ रही है ? यदि हां, तो सरकार ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह ठीक है कि नयी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के संदर्भ में प्राकृतिक रबड़ की मांग बढ़ने की आशा है। बड़े उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो चुके हैं। ठीक इसी कारण हम उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास कर रहे हैं और हमने चौथी योजना में पुनर्रोपण राजसहायता के लिये 2 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि आबंटित की और पांचवी योजना में, द्रुतकार्यक्रम के अन्तर्गत, इसे बढ़ा कर 10 करोड़ कर दिया गया है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : पांचवी योजना के दौरान, जब प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ेगा, कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी होगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि होने से कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में कमी होने की कोई आशा नहीं है। यह कई पहलुओं पर आधारित है।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे : दिये गये अत्यधिक तकनीकी और जटिल उत्तर का समझना बहुत कठिन है। साधारण सा प्रश्न यह है कि रबड़ की वस्तुएं, जैसे टायर, ट्यूब आदि कब तक उपलब्ध हो जायेंगी जोकि अत्याधिक मूल्य पर काले बाज़ार में नहीं बची जायेंगी। टायर तथा अन्य वस्तुओं पर हजारो रुपये प्रीमियम

देना पड़ता है । उत्पादन की काल्पनिक बातों से कोई लाभ नहीं है । उत्पादन इस अर्थ में वास्तविक होना चाहिये कि लोगों को उसका दुगुना, तिगुना, चौगुना अनधिकृत मूल्य न देना पड़े । यह स्थिति कब तक आयेगी ? जहां तक व्यय का प्रश्न है यह स्थिति बहुत प्रभावी है ।

श्री ए० सी० जार्ज : इस प्रश्न के सीमित क्षेत्र में, मैं बता रहा था कि हमें देश में उत्पादन के लिये प्राकृतिक रबड़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । टायरों का उत्पादन कई और पहलुओं से सम्बन्धित है ।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे : मैं उनकी कठिनाई समझता हूं । मैं अग्रेतर कोई उत्तर नहीं चाहता ।

केरल से डिब्बा बन्द मेंढ़क की टांगों का निर्यात

†

*569. **श्री राजदेव सिंह** :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बा बन्द मैंढक की टांगो की मांग में वृध्दि होने के कारण केरल राज्य में एकदम हजारों छोटे छोटे निर्यातक क्षेत्र में आ गये हैं और इस वर्ष भूरे टिड्डों का खतरा दस गुना बढ़ गया है, क्योंकि धान के खेतों में मैंढकों के न रहने के कारण जो भूरे टिड्डों आदि को खाकर पलत हैं परिस्थिति संबंधी असन्तुलन उपस्थित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार के संकट को पैदा न होने देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी०जार्ज) : (क) मेंढ़कों की जमी हुई टांगों के निर्यात को केरल से लगभग 29 थे । मेंढ़क भूरे टिड्डों को नहीं खाते हैं बल्कि वे मच्छरों के लार्वा और मक्खियों को खाते हैं । ऐसे कोई संकेत नहीं है कि निर्यात के लिये मेंढ़कों को पकड़ने से परिस्थिति संबंधी असंतुलन पैदा होने से धान की खेती को भूरे टिड्डों का खतरा पैदा हो गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

श्री राजदेव सिंह : उत्तर संतोषजनक नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भूरे टिड्डों का खतरा बढ गया है और केरल के कुछ जिलों में धान की फसल नष्ट हो गई है ।

श्री ए० सी० जार्ज : यह सच है कि इस वर्ष केरल में धान की खेती पर भूरे टिड्डों के खतरे का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है । परन्तु मैंढक की टांगों का निर्यात गत 6 या 7 वर्षों से किया जा रहा है और हमें इस प्रकार की स्थिति का कभी सामना नहीं करना पड़ा । वैज्ञानिक दृष्टि से यह बात सिद्ध नहीं हुई कि भूरे टिड्डों का मेंढकों के साथ कोई संबंध है ।

श्री राजदेव सिंह : क्या सरकार को शत-प्रतिशत विश्वास है कि मेंढक भूरे टिड्डे नहीं खाते और यदि हां, तो इस विश्वास का अधार क्या है ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं इसके लिये कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता । मैं केवल इतना कह रहा था कि यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध नहीं हुई ।

डा० कर्णी सिंह : मैं मंत्री महोदय के साथ इस बात पर सहमत नहीं हो सकता कि मेंढक भूरे टिड्डों को नहीं खाते । मेरे पास श्री फतह अली का जो सुप्रसिद्ध परिस्थिति विज्ञानी हैं, बहुत ही अधिकृत लेख है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेंढक भूरे टिड्डे खाते हैं और इससे परिस्थिति संतुलन बिगड़ रहा है । इन मेंढकों को जानबूझ कर नष्ट करने से कृषि क्रांति का कार्यक्रम अस्तव्यस्त हो रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मेंढकों को पकड़ने पर नियंत्रण करने और उन्हें जीवित ही कड़ाहों में फेंक देने की बजाय, बिना कष्ट दिये मारने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? क्या

सरकार को पता है कि लगभग एक करोड़ रुपये के मूल्य की मेंढक की टांगें अमेरिकन फेड्रल ड्रग एडमिनि-स्ट्रेशन ने रद्द कर दी है और क्या चार करोड़ रुपये के मूल्य की मेंढक की टांग रद्द किये जाने की संभावना है और क्या दो करोड़ रुपये के मूल्य की मेंढक की टांगें पहले ही जहाजों में जा रही हैं जिन्हें अमरीका रद्द कर देगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए हम इस मामले पर पुनर्विचार करने को तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि अब भी हम मेंढकों को अन्धाधुन्ध पकड़ने या मारने की अनुमति नहीं देते। प्रजनन ऋतु में अर्थात् जून से अगस्त तक, मेंढक पकड़ना निषिद्ध है। यह भी व्यवस्था की गई है एक विशिष्ट आकार से कम मेंढक नहीं पकड़े जा सकते, ताकि वे पूरी तरह बढ़ सकें। किस्म नियंत्रण की भी व्यवस्था है। माननीय सदस्य ने इनके रद्द किये जाने का जो उल्लेख किया है उसका कारण यह नहीं है; उसका कारण सल्फोनामाइड से संक्रमण की आशंका है।

Shri Lalji Bhai: As a result of export of frog legs, the insects which are harmful for the crops are increasing. In view of this, I would like to know whether any medicine or any machines would be devised to annihilate this insect menace?

श्री ए० सी० जार्ज : यह एक सुझाव है जिसे मैं कृषि मंत्रालय को भेज दूंगा।

श्री वरके जार्ज : मेंढक की टांगों के निर्यात से होने वाली विदेशीमुद्रा की भारी आय को ध्यान रखते हुए, मैं पूछ सकता हूं कि क्या केरल में प्रजनन फारम स्थापित करने के बारे में कोई योजनाएं सरकार के विचाराधीन है ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के एक भाग से सहमत हूँ कि मेंढक की टांगों की निर्यात की सम्भावनाएं काफी अधिक हैं और उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इस वर्ष यह निर्यात लगभग 3.6 करोड़ रुपये का होगा। जहां तक प्रजनन फारम फार्म के सुझाव का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। कोई ऐसा प्रस्ताव केरल सरकार के विचाराधीन है या नही इसका मुझे पूरा पता नहीं है।

श्री वरके जार्ज : सरकार एक फारम आरम्भ क्यों नहीं करती ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह कार्यवाही करने हेतु सुझाव है।

श्री बी० वी० नायक : क्या यह सच नहीं है कि मेंढक पकड़ने से असंतुलन पैदा हो रहा है ? यह आवश्यक नहीं है कि कोई परिस्थिति विज्ञानी ही इस प्रश्न का उत्तर दे। यदि वह किसी भी ऐसे किसान से पूछे जिसके पश्चिमी तट पर धान के खेत हों, तो वह बता देगा कि मेंढकों को पकड़ने का फसलों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। इसलिये क्या वह मेंढकों के निर्यात पर कुछ कठोर प्रतिबन्ध लगायेंगे जिनका खेती पर अच्छा प्रभाव रहा है ?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्यद्वारा प्रस्तुत ब्यौरे को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने को तैयार हैं।

Benefits derived by India from Colombo Plan

*571. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the contributions of Colombo Plan towards the development of Asian countries; and

(b) to what extent, in which spheres and in what manner India has been benefited therefrom?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) कोलम्बो योजना एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसमें सदस्य देश को स्वेच्छापूर्वक दूसरे सदस्य देश से परस्पर आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना के अन्तर्गत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र आते हैं। कोलम्बो योजना परिषद की हाल की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार धनराशि के रूप में, 1972 के अन्त तक सदस्य सरकारों द्वारा कुल मिलाकर 185.50 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता दी गयी।

(ख) भारत सरकार द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर भारत को जो लाभ हुआ वह खास तौर से विशेषज्ञों और सलाहकारों की सेवाओं के रूप में और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग तथा वाणिज्य, निर्माण और संचार, लोक प्रशासन आदि जैसे विभिन्न प्रकार के विकास सम्बन्धी क्षेत्रों में भारतीयों को विदेशों में प्रशिक्षण की सुविधाओं के रूप में हुआ है।

दिसम्बर 1972 के अन्त तक भारत को 462 व्यक्तियों को विदेशों में प्रशिक्षण की सुविधाएं और विभिन्न क्षेत्रों में 1609 विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, भारत को सहायक उपकरणों और वस्तुओं के रूप में भी सहायता मिली है।

Shri M. C. Daga: It has been provided in the Constitution of the Report of Colombo Plan that:

"The overall rate of growth in the developing countries of the Colombo Plan witnessed a certain declaration over the year 1970-71. The combined growth rate for the ten countries for which data are available, namely India, Indonesia. . . Malaysia and Singapore declined from 5.5 per cent and in 1970 to less than 5 per cent in 1971."

I want to know the benefit accrued to us from Colombo Plan after 1950? Has it declined; if so, the reasons therefor?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रगति दर को तकनीकी सहायता या अन्य बातों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये, क्योंकि जब प्रगति के कारणों का विश्लेषण किया जाता है तब हमें पूरे आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करना होता है। अब हम केवल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमें कोलम्बो योजना से कितनी सहायता प्राप्त हुई है। मैं ने उसकी जानकारी माननीय सदस्य को दे दी है। कोलम्बो योजना से हमें विदेशों में रहने वाले भारतीय कर्मचारियों के लिये विशिष्ट और परामर्शदात्री सेवाओं तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में सहायता मिलती है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी के लिये फिर दोहरा देता हूं कि दिसम्बर, 1972 के अन्त तक हमें 1,11,462 व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त हुई थी और विभिन्न क्षेत्रों में 1609 विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुई थीं।

Shri M. C. Daga: On the one hand he is saying the scientists and experts of India are going abroad and on the other hand it is claimed that we shall be benefited by them. May I know the reasons for this contradiction?

Shri Yeshwantrao Chavan: I am telling the fact. Both the things can be correct. इसके अतिरिक्त, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत हम अपने तकनीकी विशेषज्ञों को अन्य देशों में भी भेजते हैं। अतः ये तीनों काम एक साथ चलते हैं। यह जीवन का तथ्य है।

देना बैंक द्वारा लिपिक संवर्ग में भर्ती के लिये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का चयन

*575. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर देना बैंक ने लिपिक-संवर्ग में भर्ती के लिये अनुसूचित जाति के बहुत से उम्मीदवारों का चयन किया था ;

(ख) क्या चुने गये उम्मीदारों की डाक्टरी जांच करा ली गई है ;

(ग) क्या उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देना बैंक ने सूचना दी है कि क्लर्कों के पदों के लिये प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिये 10 रोजगार कार्यालयों को भेजे गये मांगपत्रों पर, 610 प्रत्याशियों का समर्थन किया गया था और सभी प्रत्याशियों से लिखित परीक्षा में बैठने के लिये कहा था। 224 प्रत्याशियों में से, जो लिखित परीक्षा मे बैठे थे, बैंक ने 1972 में ली गयी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर क्लर्क के रुप में नियुक्त करने के लिये 63 प्रत्याशियों का चुनाव किया था। इन प्रत्याशियों में से 22 अनुसूचित जातियों के और 6 अनुसूचित जनजातियों के हैं। चिकित्सा परीक्षा का काम पूरा करने के बाद 41 प्रत्याशियों को औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे जिनमें 12 अनुसूचित जातियों के और 6 अनुसूचित जन जातियों के प्रत्याशी शामिल थे।

चुनाव की सूचना देने के लिये 22 प्रत्याशियों के दूसरे दल को भी पत्र डाले गये थे जिनमें अनुसूचित जातियों के 10 प्रत्याशी सम्मिलित थे। इनमें से कुछ प्रत्याशियों ने अपनी चिकित्सा परीक्षा का काम पूरा कर लिया है। चूंकि, इस स्थान पर, बैंक कर्मचारी संघ ने कथित अनियमितताओं के आधार पर इस भर्ती के संबंध में कुछ आपत्तियां उठा दी थीं इसलिये बैंक ने इस मामले में आगे की जाने वाली कार्रवाई स्थगित कर दी है। बैंक प्रबन्ध इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा है और उसे जल्दी ही किसी निर्णय पर पहुंचने की आशा है।

Shri Chandra Shailani: I would like to know through you, Sir, that Sarvashri Krishan Gopal, Dev Nagar, New Delhi, H. C. Jajoria, Karol bagh, New Delhi, K. L. Shami, Hauz Khas, New Delhi and others are some of the candidates who had received appointment letters from Personnel Manager, Dena Bank, and he had given instructions that these candidates should be posted in the branches of Dena Bank situated in Delhi Region. But it is understood from a reliable source that there was some dispute between the management and Employees' Union and they referred it back, as a result of which none of candidates of Scheduled Castes has been appointed so far. May I know as to what action has been taken in this matter so far and whether any representation from the candidates has been received; if so what reply has been sent to them?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे संसद सदस्यों तथा कुछ अन्य लोगों से भी शिकायतें मिली हैं। यह सच है कि देना बैंक ने दो किश्तों में भर्ती करने का प्रयत्न किया है। कुल संख्या 63 थी। पहली किस्त में 41 व्यक्ति थे जिनका चयन अगस्त में किया गया था, उनको नियुक्ति पत्र भेजे गये थे और अपने पदों पर आ गये हैं, उसमें 10 से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं। शेष 22 व्यक्तियों के बारे में आदेशों की क्रियान्विती के सम्बन्ध में कर्मचारी संघ और प्रबन्धको में विवाद पैदा हुआ था, उसकी जांच की गई है। अब मामला इस स्थिति तक पहुँच गया है कि कर्मचारी संघ के आरोपों में कुछ सच्चाई प्रतीत होती है। इस लिये, प्रश्न यह था कि क्या इन 22 व्यक्तियों की नियुक्तियों को पूर्णतया रद्द किये जाये। परन्तु अब हमें पता चला है कि उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्तियों की सूचना दे दी गई है। अतः हम अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों के बारे में कर्मचारी संघ के साथ बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे है कि क्या वे अपनी आपत्ति को वापस लेने के लिये सहमत है।

Shri Chandra Shailani: I would like to draw the attention of the hon. House to the fact that Government formulates so many plans for the Scheduled Castes but I would like to submit figures to prove as to what is being done in actual practice. On 29th October, 1972, 610 candidates were called for written test in Dena Bank and thereafter 126 candidates were called for *viva-voce*. As a result of this, 41 candidates were placed in the first batch and they were appointed. There were 22 candidates in the second batch and 10 Scheduled Caste candidates were also among them but none of the 10 candidates has been appointed. All the remaining candidates were appointed. Now, these 10 candidates who had qualified the written test, passed in the interview as well as the medical test and submitted copies of the original certificates, but they have not got their appointment letters. If the hon'ble Minister has soft corner for the oppressed classes, then what steps are being taken in respect of these 10 candidates?

Shri Yeshwantrao Chavan: I shall try to see that all the selected candidates are appointed. I shall intimate the result of my efforts to the hon'ble Members.

श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या यह सच है कि देना बैंक के प्रबन्धकों ने कर्मचारी संघ के साथ समझौता किया था कि बैंक में पदों पर बाहर के लोगों को भर्ती नहीं किया जायेगा, क्योंकि इससे वहां काम करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की सम्भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है और अब कर्मचारी संघ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के विरूद्ध है, जोकि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निदेश के आधार पर आरक्षित कोटे को भरने के लिये की जा रही थी और इसीलिये प्रबन्धकों ने चुने गये उम्मीदवारों की सूची को भी समाप्त कर दिया है और यदि यह बात ठीक है तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि मैंने पहले कहा है, 22 व्यक्तियों की जिनमें कुछ अनुसूचित जाति के भी हैं, नियुक्ति के बारे में प्रश्न उठा। संघ ने सभी 22 व्यक्तियों के बारे में प्रश्न उठाया। अब हमें पता लगा है कि शिकायत की कुछ बातें ठीक हैं। अतः अब प्रश्न यह है कि क्या 22 व्यक्तियों की नियुक्ति के प्रश्न पर पुर्नविचार किया जाये ? बैंक और यूनियन के बीच बातचीत चल रही है कि कम से कम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति पर पुर्नविचार किया जाये और जो नियुक्तियां की जा चुकी हैं, उन्हें रहने दिया जाये।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : कुछ प्रतिशत नियुक्तियां करने के बारे में राष्ट्रपति का निदेश है। परन्तु यूनिय इस प्रस्ताव के विरुद्ध है। क्या आप राष्ट्रपति के निदेश को लागू करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह नहीं मानता कि श्रमिक संघ सरकार द्वारा किये गये निदेशोंके विरुद्ध है। यदि वह विरुद्ध है तो भी सरकार उन निदेशों को क्रियान्वित करेगी।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : गृह मंत्रालय ने देना बैंक सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंको के कुछ प्रतिशत लागू करने के लिए कहा है। क्या आप राष्ट्रपति का निदेश लागू करेंगे या यूनियन का प्रस्ताव।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नवम्बर, 1970 में राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में विशिष्ट निदेश जारी किये गये थे और उनका पालन भी किया जा रहा है। परन्तु कुछ बैंको में प्रबधकों और श्रमिक संघों के बीच यह समझौता हुआ है कि अधिकारी-पदों पर नियुक्ति केबल पदोन्नति के माध्यम से की जाये। ऐसे मामलों में सीधी भरती न होने के कारण शिकायत की गुंजाइश है। जहां तक सीधी भर्ती का सम्बन्ध है, आरक्षण का पालन किया जा रहा है।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में बैंक अधिकारी और बैंक कर्मचारी यूनियनें अनुच्छेद 335 में उल्लिखित संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन

कर रही है। क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति को पृथक-पृथक लिया जायेगा और क्या उन बैंक अधिकारियों और कर्मचारी यूनियनों के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी जो संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन करते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसा करना तो यूनियन आन्दोलन के अपने हित में ही नहीं होगा। वैसे भी किसी भी यूनियन ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का विरोध नहीं किया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : कर्मचारी संगठन तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उन्होंने आरक्षण का तो विरोध नही किया है। हां, उन्होंने चयन प्रक्रिया के कुछ तरीकों का विरोध अवश्य किया है। उनकी शिकायत थी कि जो व्यक्ति लिखित परीक्षा के लिए चुने गये, वे सभी रोजगार दफ्तरों से न होकर केवल कुछ से ही थे। फिर भी हम उनके साथ ऐसा समझौता करने जा रहे है कि वे इन जातियों के लोगों के सम्बन्ध में विरोध न करें और हमें आशा है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी।

बैंकों के लिए सप्ताह में पांच दिन काम करने के बारे में बैंक आयोग की सिफारिश

†
*576. **श्री एम० सुदर्शनम् :**
श्री राम प्रकाश :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आयोग ने बैंकों में सप्ताह में पांच दिन काम करने के बारे में सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बैंकिग आयोग ने सिफारिश की थी की "शुरू में और प्रयोगात्मक आधार पर बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों को शनिवार को पूर्ण रुप से बंद रखा जा सकता है और काम के घंटों में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सप्ताह के अन्य दिनों के कार्य घंटों को उपयुक्त रुप से बढ़ाया जा सकता है। जनता के साथ कार्य करने वाले बैंक के कार्यालयों में इसी प्रकार के परिवर्तन करने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जा सकता है।"

(ख) आयोग की सिफारिश के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री एम० सुदर्शनम् : ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद बैंकिंग आयोग ने देश की अर्थ व्यवस्था के हित में सप्ताह में पांच दिन काम किये जाने की सिफारिश की है। क्या मंत्री महोदय इस सफारिश को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल बैंकिंग उद्योग से ही नहीं है, इसका सम्बन्ध सम्पूर्ण राष्ट्र से है, इसलिए इस समय इसका उत्तर कर्मचारियों और उनकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में अलग से नहीं दिया जा सकता। जब तक इस मामले पर सामान्य रुप से विचार नहीं किया जाता, तब तक मैं यह आश्वासन नहीं देता कि इस प्रश्न को प्राथमिकता दी जायेगी।

Shri Ramavatar Shastri: May I know the arguments advanced by the Banking Commission for a five day week and the extent to which Government agree with them?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप मुझ से आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण चाहते हैं। आप यदि प्रतिवेदन पढ़ लें तो आपको उन सभी तर्कों का ज्ञान हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सीधा सा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध सप्ताह में पांच दिन काम किये जाने के बारे में हैं। बैंकिंग आयोग का प्रतिवेदन एक प्रकाशित दस्तावेज है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं एक संगत बात पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या बात संगत है इसका निर्णय करना मेरा काम है आपका नहीं।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या बैंकों में कार्य प्रातः 10 बजे के बजाय 9 बजे से शुरु करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो कब से ऐसा किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल असंगत प्रश्न है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० जी० मावलंकर अनुपस्थित। श्री धामनकर।

प्रमुख भारतीय फर्मों पर लगे प्रतिबंध में ढील देना

*578. **श्री धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार संस्थान ने सरकार को कुछ नियंत्रण प्रक्रियाओं में फेर–बदल करके कुछ प्रमुख भारतीय फर्मों पर लगे वर्तमान प्रतिबंधों में ढीले देने का सुझाव दिया है जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय आधार पर कार्य कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री धामनकर : क्या विदेश व्यापार संस्थान ने सरकार के कुछ प्रमुख सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों के अन्तर्राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया है, जिससे खाडी के तेल उत्पादक देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग में वृद्धि हो सके ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हां।

श्री धामनकर : इस 'हां' का मतलब क्या है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : कुछ शर्तों के साथ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुख्तियार सिंह मलिक–अनुपस्थित। श्री आर० वी० स्वामीनाथन।

इलैक्ट्रानिक्स सामान के निर्यात के लिये नई नीति

*580. **श्री आर० के० स्वामिनाथन** †:

श्री इसहाक सम्भली :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलैक्ट्रोनिक्स सामान के निर्यात के लिये एक नई नीति पर विचार कर कर रही है;

(ख) क्या इस मामले पर चर्चा करने के लिये हाल ही में 11 मार्च, 1974 को एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त चर्चा के क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है

विवरण

(क) सरकार एक सतत आधार पर इलैक्ट्रोनिक माल के निर्यातों की समीक्षा करती रही है और उनके निर्यातों के संवर्धन के लिए समुचित उपाय अपनाती रही है।

(ख) तथा (ग) इलैक्ट्रोनिक्स संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 11 मार्च, 1974 को बैठक की ओर इलैक्ट्रोनिक निर्यातों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया।

विचार विमर्श के परिणामस्वरुप जो मुख्य बातें उभर कर सामने आई उनके अन्तर्गत निर्यातों हेतु हमारी नीति के निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष बल दिया गया था :–

(क) इलैक्ट्रोनिक उद्योग में जो अप्रयुक्त क्षमता विद्यमान है उसका प्रयोग निर्यात उत्पादन के लिए करके लाभ उठाया जा सकता है।

(ख) निर्यात उत्पादन को कच्चे माल की कमियों के कारण हानि नहीं होनी चाहिए।

(ग) अनुज्ञेय आयातों की शापिंग सूची में निर्यातों पर पढ़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में उचित विचार करके परिवर्तन किये जाने चाहिए।

(घ) विभिन्न आयात शुल्कों के परिणामस्वरुप निर्यात उत्पादन के दौरान विधियों के संबंध में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और इस स्थिति को आयात शुल्कों को घटाकर सुधारा जाना चाहिए।

(ङ) निर्यातकों को समुचित कर संबंधी प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए।

(च) निर्यात संबंर्धन हेतु विदेशी यात्रा को उदार बनाया जाना चाहिए।

(छ) एक दीर्घकालिक नीति के रुप में यह आवश्यक है कि उत्पादन के क्षेत्रों, इसकी क्षमताओं, विश्व बाजार में भावी क्षेत्र, उत्पादन के संदर्भ में भारतीय उद्योग के स्तर, प्रौद्योगिकी तथा प्रतियोगितात्मकता का पता लगाया जाए और उद्योग का विस्तार करने के संबंध में विशिष्ट सिफारिशे की जाए।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने केवल यह बताया है कि राष्ट्रीय यंत्रणा समिति में कुछ बातों पर विचार किया गया। समिति में किन मुख्य बातों पर विचार किया गया है और उनमें से कितनी बाते निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा अमल में लाई जा रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : विवरण में हमने छः सात मुख्य बातें बताई हैं, जो इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में मानी जायेंगी। इसके अतिरिक्त इस सभा में भी यह उल्लेख किया जा चुका है कि सान्ताक्रुज में एक इलैक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट एवं प्रोसैसिंग ज़ोन पर कार्य शुरू हो चुका है और 27 से अधिक एकक चालू हो गये है और उनमें उत्पादन शीघ्र ही होने लगेगा।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस माल के किन देशों को निर्यात की सम्भावना है और मूल्य तथा मात्रा की किस्म की दृष्टि से इस क्षेत्र में स्पर्धा करने वाले कौन हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : मिश्र, अस्ट्रेलिया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश, न्यूजीलैंड, फिलिपीन्स सिंघापुर, टनजानिया, डुबाई आदि देशों को निर्यात किया जाता है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मूल्य और किस्म की दृष्टि से स्पर्धा करने वाले कौन देश हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ये सारे प्रश्न आपको एक साथ ही पूछ लेने चाहिए थे।

श्री ए० सी० जार्ज : जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान इस क्षेत्र में मुख्य रुप से स्पर्धा करने वाले देश है। जहां तक किस्म का सम्बन्ध है, हमारे उत्पादों की किस्म बहुत अच्छी है। साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मूल्य भी दूसरों के मुकाबले लायक हों, क्योंकि अपेक्षित कच्चे माल का हमें शुरू से ही आयात करना होगा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हम एककों को कच्चा माल लाने की अनुमति देंगे और वे यह कच्चा माल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर खरीदेंगे, चुंकि वे केवल निर्यात के लिए हैं।

श्री वसन्त साठे : मंत्री महोदय ने कहा है कि निर्यात की सम्भावना बहुत अधिक है। क्या इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में आप लघु क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन देने जा रहे हैं, जिससे निर्यात की दृष्टि उन्हें पुर्जों के आयात की सुविधा मिल जाये क्योंकि इससे लघु क्षेत्र और अधिक अच्छी तरह से स्पर्धा कर सकेगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : इलैक्ट्रानिक्स उद्योग का एक बड़ा फायदा यह है कि इसे छोटी-छोटी यूनिटों में विकेन्द्रित किया जा सकता है और इसे लघु क्षेत्र में रखा जा सकता है। हजार से अधिक एकक इस समय ऐसे विभिन्न पुर्जे बनाने में लगे हैं, जो इलैक्ट्रानिक निर्माण में काम आते हैं। सान्ताक्रुज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भी सभी एकक बड़े नहीं है, बल्कि वे मध्यम दर्जे के हैं।

Import of Motor Vehicles

*584. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the names of the Ministries and Departments of Government of India which imported motor vehicles during 1972-73 and 1973-74?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

Shri Lalji Bhai: Mr. Speaker, Sir, although notice has been given twenty one days in advance, yet the hon. Minister could not place the information on the Table of the House. What is the reason and what is the secret behind it? Will the hon. Minister be pleased to state the definite date by which the information would be laid on the Table of the House?

श्री ए० सी० जार्ज : सरकार के सभी मंत्रालयों। विभागों से आयातित मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई है। दो वर्षों की अवधि के बारे में पूछा गया है। यह एक लम्बा काम है। सही उत्तर देने में थोड़ा समय और लगेगा। मैं आश्वासन देता हूं कि मैं जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यने विस्तृत जानकारी मांगी है। ऐसे मामलों में मंत्री द्वारा अध्यक्ष को यह सूचना दी जानी चाहिए कि वह और समय चाहते हैं।

Shri Lalji Bhai: Mr. Speaker, Sir, thrice I had given a notice about nitrogen fertilizer but my question was put in the Unstarred List. It is not proper to give such a reply to the question, notice of which had been given twenty days in advance.

Mr. Speaker: In case the hon. Minister wants more time to collect information, he should ask for extension of time before the question is taken up.

Shri Nawal Kishore Sinha: I would like to know the policy of the Government in regard to the import of motor vehicles for various Ministries and Departments. I have not asked for the data. Actions of the Government are based on certain policy.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि भारत सरकार के उन मंत्रालयों और विभागों के नाम क्या है जिन्होंने मोटर गाडियों का आयात किया । मेरे विचार में यह जानकारी आसानी से एकत्र की जा सकती थी क्योंकि केवल नामों के बारे में मंत्री महोदय से जानकारी मांगी गई है ।

श्री ए० सी० जार्ज : उन मंत्रालयों और सरकारी विभागों के बारे में जानकारी मांगी गई है जिन्होंने वर्ष 1972–73 तथा वर्ष 1973–74 में मोटरगाडियों का आयात किया है। स्वभावत: इसमें अधिक समय लगेगा। आमतौर पर कोई भी विभागीय मंत्रालय कारों का आयात नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हे राज्य व्यापार निगम से वे कारे प्राप्त हो जाती हैं जो विभिन्न राजनयिकों आदि द्वारा वापिस की जाती हैं। आयात इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन तथा लन्दन तथा महानिदेशक, आपूर्ति तथा निपटान के माध्यम से किया जाता है। अन्यथा आयात की अनुमति नही दी जाती ।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोर्टब्लेयर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

*586. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में पोर्टब्लेयर का पर्यटक केन्द्र के रुप में विकास करने के लिये कोई उपबन्ध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) केन्द्र शासित प्रदेश अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह की पांचवी पंचवर्षीय योजना में इन द्वीपों में देशीय पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने के लिए 9 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । पोर्ट ब्लेयर तथा द्वीप समूह के अन्य भागों की यात्रा करने के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए आवास तथा परिवहन की अतिरिक्त सुविधाओं के विकास के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब इन द्वीपों में विदेशीयों के प्रवेश पर लगे समस्त प्रतिबंधों को हटाना सम्भव होवे । मामले का निरंतर पुनरालीकन किया जाता रहेगा ।

श्री डी० पी० जडेजा : पोर्टब्लेयर तक इण्डियन एयरलाइन्स की सेवा को बन्द करना ही इस बात का संकेत देता है कि छोटी परियोजना का मामला खट्टाई में डाला जा रहा है ।

डा० सरोजिनी महिषी : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION
विश्व कप हाकी प्रतियोगिता का स्थान

अ० सू० प्र० 5. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व कप हाकी प्रतियोगिता का स्थान अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ द्वारा बम्बई से बदल कर मलयेशिया कर दिया गया है ;

(ख) क्या भारतीय हाकी संघ में अशोभनीय मतभेदों के कारण ऐसा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ ने म्यूनिख में अगस्त, 1972 में हुई अपनी बैठक में तीसरा विश्व कप भारत के लिए निर्धारित किया था और 1975 में बम्बई में उसको आयोजित करने का प्रस्ताव किया तथा बम्बई हाकी संघ के तत्कालिक अध्यक्ष श्री जे० डी० नागरवाला को इसके संयोजक-निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। अन्तर्राष्ट्रीय संघने केन्नस में 21 से 24 मार्च, 1974 तक हुई अपनी बैठक में स्थितिका का पुनरीक्षण किया और स्थान को भारत से बदल कर मलेशिया (कुआलाम्पुर) करने का निर्णय किया लेकिन ऐसा करते समय, अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने कोई संयोजक-निदेशक नामजद नहीं किया है। जैसा कि 27 मार्च, 1974 के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ द्वारा स्थान बदलने का यह कारण दिया गया था कि भारतीय हाकी संघ इस बाबत की ग्यारन्ठी नही दे सका कि पाकिस्तान की टीम भारत में खेल सकेगी तथा राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण उक्त निर्णय लेना जरूरी ही हो गया था। सरकार द्वारा 27 मार्च, 1974 के उक्त आरोप का तुरन्त खण्डन किये जाने के बाद, समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ के अध्यक्ष ने इस दृष्टिकोण को बदल दिया और यह दावा किया कि स्थान को बदलने का मुख्य कारण यह था कि जब अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने सन 1972 में भारत के लिए यह प्रतियोगिता निर्धारित की थी तब अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लगाई गई शर्तों को, भारतीय हाकी संघ पूरा नहीं कर सका। यह बाद का विचार मालूम पड़ता है।

हमारी सूचना के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ के अध्यक्ष मार्च, 1974 के प्रथम सप्ताह में पाकिस्तान के प्राधिकारियों से मिले और यह पाकिस्तान की तथा कथित इस अनिच्छा से प्रकाशित हुए कि जब तक दोनों देशों के बीच फिर से राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हो जाते उस समय तक यदि भारत में प्रतियोगिता आयोजित हुई तो पाकिस्तान उसमें भाग नहीं लेगा।

सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ के राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित इस निर्णय को दुर्भाग्य पूर्ण समझती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एच० एन० मुकर्जी : हाकी और हाकी के महान खिलाडियों के देश के मुंह पर यह एक तमाचा है। मंत्री महोदय की बात को सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा है। भारतीय हाकी संघ के दो सदस्यों सिपाही अश्विनी कुमार और नागरवाला द्वारा भारत के नाम पर कीच उछालने की एक लम्बी कथा है। हमें पता चला है कि भारतीय हाकी संघ का चयन और कार्यकरण का रिकार्ड बहुत दूषित है। भारतीय की संघ में आपस में लड़ाई

झगड़ा होता है। हमें याद है कि संघ ने किस प्रकार पृथीपाल सिंह को हाकी संघ में शामिल न करने का प्रयत्न किया था। भारतीय हाकी संघ ने यह कहकर कि वह पाकिस्तान का अतिथि-सत्कार नहीं कर सकता, नियम विरुद्ध कार्य किया है और यही एक कारण था कि संघ द्वारा स्थान बदलने की बात की गई। मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री तथा अखिल भरतीय खेल कूद परिषद् जिसका पुनर्गठन बड़ी धूमधाम से किया गया था, इस मामले में चुप होकर क्यों बैठे हैं और कोई कार्यवाही क्यों नही कर रहे हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं इसको अस्वीकार करता हूं और सरकार ने वक्तव्य जारी करके पहले ही इस बात को अस्वीकार कर दिया है। भारत में ऐसा कोई सरकारी अथवा खेलकूद प्राधिकरण नहीं है जिसने इस प्रकार का कोई संकेत दिया हो कि पाकिस्तान की टीम भारत में आकर नहीं खेल सकेगी अथवा उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं और यह तथ्य है कि यह मामला मार्च के आखिरी दिनों में हुई बैठक में जिसमें दोनों गुटों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, नहीं उठाया गया था। श्री नागरवाला और श्री अश्विनी कुमार स्वयं वहां उपस्थित थे। अन्तर्राष्ट्रीय संघ को इस प्रकार की धारणा उत्पन्न होने देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जिससे उनके मतभेदों के परिणाम स्वरुप प्रतियोगिता पर बुरा प्रभाव पड़े। अतः मैं नहीं चाहता कि दोनों मामलों को एक साथ मिला दिया जाए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रह सकते कि अन्तराष्ट्रीय संघ का निर्णय राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित तथा खेलकूद की भावना से इतर है।

भारतीय हाकी संघ के बीच तथा अन्य संघों में भी चल रही अप्रत्यक्ष लड़ाई-झगड़े से मैं बहुत चिंतित हूं। जहां तक हाकी संघ का सम्बन्ध है, इस समय वस्तुतः गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। प्रत्येक पार्टी ने दूसरी पार्टी के विरूद्ध न्यायालय से रोकादेश लिए हुए हैं। सीमित अधिकार होते हुए भी, हमने दो या तीन अच्छे से अच्छे उपाय किए हैं।

सबसे पहले हमने खिलाडियों की खेलकुशलता पर निगरानी रखने तथा ऐसे खिलाडियों का चयन करने के लिए जिन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जा सकता है, पटियाला के राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान के प्रशिक्षक नियुक्त किए गए ताकि संघ में आपसी लड़ाई के होते हुए भी खिलाडियों के वास्तविक प्रशिक्षण और शिक्षण पर प्रभाव न पड़े।

दूसरे कानूनी कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी गुट को तब तक अनुदान नहीं दे सकते जब तक मामला तय नहीं हो जाता। लेकिन हम अपने प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं और हमें आशा है कि अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् अपनी निकट भविष्य में होने वाली बेठक में इस गतिरोध का हल निकालने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करेगी।

जहां तक सामान्यतः संघों का सम्बन्ध है हम संघों के आन्तरिक कार्यकरण क कारण खेल-कूद संवर्धन में आने वाली कठिनाई के प्रति पूरी तरह सजग है और खेल-कूद गतिविधियों के लिए लोगों तथा संघ द्वारा अपने दायित्व निभाने में सहायता देने के उद्देश्य से हम कुछ विनियमन कारी उपाय करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इन उपायों से संघों की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा बल्कि ये उपाय मार्ग निर्देशक सिद्धांतों के रुप

में होंगे जिन्हें संघों को सरकार द्वारा अनुदान देने से पूर्व स्वीकार करना पड़ेगा। ये निम्न-लिखित हैं :—

(1) संघ/एसोशिएशन का कोई भी पदाधिकारी एक निरन्तर अवधि से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक संघ का पदाधिकारी नहीं होगा।

(3) संघ का लेखा भली भांति रखा जाएगा और नियत अवधि में लेखा-परीक्षण होगा।

(4) प्रत्येक संघ आखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् की पूर्वानुमति से राष्ट्रीय शिक्षक नियुक्त करेगा।

(5) सभी संघ वर्ष में कम से कम दो बार कनिष्ट तथा वरिष्ट स्तर पर विशिष्ट आयु वर्गों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे; ये आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में अन्त: खंड तथा अन्त: जिला. प्रतियोगिताओं के माध्यम से किए जाएंगे और सदस्यता राज्यों तथा अन्य विशिष्ट सहायता प्राप्त संघों तक सीमित रखी जाएगी।

हमारा विचार उपरोक्त मार्ग निर्देशक सिद्धांत जारी करने का है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मेरे विचार से मंत्री महोदय तथा सरकार कानूनी अथवा किन्हीं अन्य कठिनाईयों के कारण कम से कम फिलहाल उन पुलिस कर्मचारियों को जिनका मैंने नाम लिया हैं अनुशासन में नही ला सकती जिन्होंने सारी बात बिगाड़ दी है।

मुझे इस पर बहुत खेद है, मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उससे पता चलता है कि पाकिस्तानी नीतिज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय संघटनों में, खेल-कूद के क्षेत्र में भी प्राधिकारियों के कानों में जहर उगल सकते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी देश हमारे खिलाफ हैं और खेल-कूद के क्षेत्र में भी वे हावी हैं, क्या मैं यह समझूं कि भारतीय कूट-नीति खेल-कूद के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बनाये रखने में एकदम असफल हो गई है अथवा क्या हमें बताया जा सकता है कि इस मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों की किन सद्भावनाओं का उपयोग किया जा रहा है ताकि भारत की प्रतिष्ठा की कोई आंच न आये? क्या हम इस निर्णय के बाद झुक गये हैं और हमने मलयेशिया या अन्य किसी स्थान पर अपना दल भेजना स्वीकार कर लिया है अथवा हम अपना गर्व जितलाने के विचार से, कम से कम हाको के सम्बन्ध में कोई कदम उठाना चाहते हैं?

प्रो० एस० नुरूल हसन : जहां तक माननीय सदस्य के इस सुझाव-विशेष का सम्बन्ध है, हम पहले ही उस पर विचार कर रहे हैं, और हम विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इन दो अधिकारियों ने जो वहां गये थे बहुत ही निन्द-नीय और बेहूदा ढंग से काम किया है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हू कि इन दो अधिकारियों के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार है? इस बात को ध्यान में रखत हुए कि फ्रांसीसी अधिकारी ने पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, यदि और कुछ नहीं तो हमें कम से कम अपने आत्मसम्मान को धक्का पहुंचाने वाली इस घटना के विरुद्ध रोष प्रकट करना चाहिये और घोषणा करनी चाहिये कि हमारा दल वहां नहीं जायेगा और इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। क्या वह हमें इस आशय का स्पष्ट आश्वासन देंगे?

श्री एच० एम० पटेल : नि:संदेह हमें भाग नहीं लेना चाहिए।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं ने पहले ही बता दिया हैं कि मामला विचाराधीन है और इसलिये मैं अभी कोई घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूं। जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, मेरे विचार में कुछ लोगों के बारे में जिस प्रकार कुछ विशेषणों का उपयोग किया गया है, जो सभा में उपस्थित नही है : अनुचित बात हैं। परन्तु मैं इतना निवेदन करना चा गा कि जहां तक इंटरनेशनल फेडरेशन का सम्बन्ध है, इन दोनों अधिकारियों ने एक ही प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया था और जो रिपोर्ट हमें एक अधिकारी ने दी है दूसरे ने उसका पूरी तरह समर्थन किया है। इंटरनेशनल फेड़रेशन के निर्णय के साथ उनके आंतरिक विवाद का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एच० एम० पटेल : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है इन्टरनेशनल फेडरेशन का निर्णय राजनीति प्रेरित था और क्योंकि पाकिस्तान ने उनको सूचित किया कि उनके भारत के साथ संतोषजनक सम्बन्ध नहीं है अत: वे भारत में नहीं खेल सकेंगे स्थान बदलने का यह कारण होने पर क्या वह घोषणा नहीं करेंगे--यह विचार करने का प्रश्न नहीं है--कि हम उल्लिखित कारण से खेलों में भाग नहीं लेंगे ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : सरकार जो भी निर्णय करेगी मैं उसे सभा को बता दूंगा। सभा को यह जानने का पूरा हक है। परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिसमें हमें निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। हमें सभी प्रकार के लाभ-हानि पर विचार करके ही निर्णय लेना चाहिय । हमें आवेश में आकर कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ।

श्री वसंत साठे : जब यह निर्णय किया गया था तब हमारे पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध कुछ अच्छे नहीं थे, परन्तु पाकिस्तान के साथ शेष मामलों के समाधान के बारे में हाल ही में किये गये समझौते और वतमान अच्छे सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए क्या हम इंटरनेशनल हाकी फेडरेशन से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ विचार विमर्श करके खेलों के लिये भारत को ही फिर चून लिया जाये क्योंकि वे खेल अभी वर्ष 1975 में ही होंगे ।

एक माननीय सदस्य : यह सम्भव है ।

श्री वसंत साठे : यदि यह सम्भव है तो हाकी फेडरेशन इस मामले में कार्यवाही कर सकती है। परन्तु हमें किसी भी हालत में प्रतियोगिता में भाग न लेने की बात नहीं सोंचनी चाहिये क्योंकि यदि इस मामले में राजनीति लाई गई तो स्थिति अधिक खराब हो जायगी। हमें खेलकूद के मामल में राजनीति नहीं लानी चाहिये। इसमें हमारी प्रतिष्ठा भी अन्तर्ग्रस्त है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या वह इस बारे में इंटर नेशनल फडरेशन के साथ पत्र-व्यवहार करेंगे और क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने से पीछे न हटें?

प्रो० एस० नुरुल हसन : इन सब बातों पर विचार किया जायेगा ।

डा० कर्णी सिंह : जब मैं ओलिम्पिक खेलों के सम्बन्ध मे म्यूनिख मे था तब म ने एक बात सूनी थी कि म्यूनिख मे इजरायली दल के साथ जो घटना घटी थी उसके बाद आयोजन समितियां शत्रु देशों के बीच सम्बन्धों के बारे में चिन्तित हैं और यह सम्भव है कि इस मामले में भी वही बात प्रेरणात्मक हो ।

भारत हर खेल में पीछे हट गया है । हमने 'शूटिंग' और 'गोल्फ' में भाग लेना बन्द कर दिया है और अब हम हाकी में भी पीछे हट रहे हैं। इस प्रकार खेलकूद के क्षेत्र में भारत की क्या प्रतिष्ठा रह जायेगी ? अत: मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस

बारे में कोई पक्का निर्णय करेगी कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भविष्य में इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी तो हमारे प्रतिनिधि वहीं पर उसका विरोध करेंगे क्योंकि बहुत से फेडरेशन विदेशी मुद्रा के निर्बन्धनों के कारण अपने प्रतिनिधि नहीं भेज पाते ? 'शूटिंग' में हमारे प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कभी नहीं जाते और इसी लिये हम दक्षिण अफ्रिका को इन से बाहर नहीं रख सकें। अतः इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में हमारे दो प्रतिनिधि उपस्थित थे। जहां तक भविष्य में नीति का सम्बन्ध है वह परिस्थितियों के अनुसार बनाई जायेगी।

श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी : मंत्री महोदय ने बताया है कि उनके विचार में भी हाकी फेडरेशन में कुछ आंतरिक विवाद हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि जब अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ निर्णय लेने वाला था तब मंत्री महोदय को हमारे हाकी संघ में व्याप्त अनुशासनहीनता के बारे में अवगत नहीं कराया गया था और यदि हां, तो इसका पहले से ही अनुमान लगाते हुए क्या मंत्रालय ने हाकी संघ को समझाने-बुझाने और अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ को इस सम्बन्ध में निर्णय न बदलने को कहने के बारे में कोई निर्णय लिया है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : भारतीय हाकी संघ के दो प्रतिनिधियों ने, जो अन्तर्राष्ट्रीय संघ की बैठक में गए थे, वहां जाने से पूर्व मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया था और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि उनके आन्तरिक झगड़ों का अन्तर्राष्ट्रिय बैठक में उनके सदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुझे मिली सूचना के अनुसार उन्होंने अपने वचन का पालन किया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—कम से कम वे हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि जहां तक खेलों का प्रश्न है, पाकिस्तान सरकार और भारत में हाकी एसोसिएशन मेहमान-नवाजी में कोई कमी नहीं छोडेंगे, क्योंकि जब चीन के साथ हमारे सम्बन्ध तनावपूर्ण थे तो हमने यह भलीभांति जानते हुए वहां टेबल टेनिस का दल भेजा था कि उनके मन में खेलों के प्रति आदर की भावना है—क्या उनका मंत्रालय हाकी प्रतियोगिता मलेशिया के बजाय भारत में कराने के लिए एक बार फिर प्रयास करेगा ? मेरे विचार में एसोसिएशन के प्रदाय यह प्रतियोगिता भारत से बाहर कराने में अधिक उत्सुक हैं ताकि वे भारत से बाहर मौज मजा कर सकें, यह एक कारण हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है — जब केन्द्रीय सरकार हर रोज विधान सभा को भंग करने की ताकत रखती है तब वे इस हाकी संघ को समाप्त करके नया संघ क्यों नहीं बनाती है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैंने उस वक्तव्य का उल्लेख किया था जिसमें भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था, मैं इसके कुछ शब्दों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिसमें भारत सरकार की स्थिति बहुत साफ हो जाए।

> "जहां तक इस प्रतियोगिता में पाकिस्तानी दल के भाग लेने का प्रश्न है, सरकार द्वारा निश्चित रूप में अपेक्षित अनुमति प्रदान कर दी जाती और उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी जाती, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब 1971 में पाकिस्तान में विश्व कप हाकी प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था तो सरकार ने इस प्रतियोगिता के लिए भारत हाकी संघ को एक दल भेजने की अनुमति दी थी, जब बाद में वहां प्रतियोगिता नहीं हो सकी थी, तब इसे भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव था और सरकार ने भारतीय हाकी संघ को एक पाकिस्तानी हाकी टीम भारत में आमंत्रित करने की अनुमति दी थी और यह वचन दिया था कि उनकी सुरक्षा के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था की जायेगी।"

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वे हाकी संघ को भंग नहीं कर सकते हैं ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : सौभाग्यवश हमारा संविधान अपने नागरिकों को संघ बनाने की स्वतन्त्रता की गारंटी देता है। सरकार इस प्रकार किसी संघ को कैसे भंग कर सकती है ? . . . **(व्यवधान)** ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इसकी उपेक्षा की जा सकती है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय का कहना है कि भारतीय हाकी संघ के आन्तरिक झगड़ों का अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ के निर्माण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु तथ्य यह है कि आन्तरिक झगड़ों के कारण हमारे प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ में कोई निश्चित रुख नहीं अपना सके और इसी कारण ऐसा निर्णय लेना पड़ा। ऐसा पहले भी हुआ था। ओलिंपिक में हार ने के बाद हाकी संघ के क्रियाकलापों की जांच की मांग की गई थी। मैं जान सकता हूं कि क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

दूसरे, इस बात को देखते हुए कि न केवल हाकी में बल्कि हर एक खेल में राजनीति घुस आई है, क्या सरकार विभिन्न खेल संघों के कार्यकरण की जांच करायेगी ? तीसरे क्या सरकार उन्हें अनुदान देने से पूर्व उन पर नियंत्रण रखेगी अथवा उनकी वरीयता समाप्त करेगी ? क्या इन निकायों में प्रतिनिधि नियुक्त करने अथवा उन्हें यह कहने का कि सरकार द्वारा चुने गए दो खेल कूद जानकार ऐसी समितियों में नियुक्त किए जाएंगे, प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि यह समितियां ठीक ढंग से और प्रभावी रुप से कार्य कर सकें ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहां तक तीसरी बात का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही बताया है, कि इस महीने की 10 और 11 तारीख के अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद की बैठक होने वाली है और इस बेठक में संघों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। मुझे आशा है कि परिषद् सरकार को कुछ ठोस सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। किसी भी संघ के विरुद्ध कोई जांच नहीं की गई है ।

श्री पीलू मोदी : दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय ने 'राजनीति से प्रेरित' शब्दों का प्रयोग करके इस विषय में राजनीति को घसीटा है, मेरे विचार में यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि यह कहना आवश्यक था कि यह राजनीति से प्रेरित था तो यह भी आवश्यक था कि विश्व संघ ने स्थान परिवर्तन करते समय जो कुछ कहा था उसे शब्दशः सामने रखते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो कुछ विश्व संघ ने कहा है उसे शब्दशः बताया जाए ताकि हम यह निर्णय कर सकें कि यह राजनीति से प्रेरित था अथवा उत्तर राजनीति से प्रेरित था।

प्रो० एस० नुरुल हसन : समाचारपत्रों के अनुसार—जिसने श्री एटनी ग्लिशचित, इसका उच्चारण कठिन है, के वक्तव्य का हवाला दिया है — 1975 में होने वाली विश्व कप हाकी प्रतियोगिता बम्बई के स्थान पर कुआलालम्पुर में होगी क्योंकि भारत यह गारंटी नहीं दे सका कि पाकिस्तानी दल बम्बई में मैच खेल सकेगा, अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ के महासचिव ने आज ऐसा कहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि विश्व कप हाकी प्रतियोगिता बम्बई में आयोजित की जाएगी परन्तु "राजनीतिक बातों के उठने से, खेल-कूद मारना के इतर बातों के उठने से" संघ को दुबारा सोचना पड़ा और कुआलालुम्पर . . . . .

श्री पीलू मोदी : इस वक्तव्य के बाद अब इस पर चर्चा करना संभव हो गया है, यह आरम्भ में ही हो जाना चाहिए था। यदि आप मेरी बात पहले ही सुन लेते तो यह पहले ही हो जाता। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह वक्तव्य दिया गया था तब क्या विश्व कप प्रतियोगिता आयोजित करने वालों को हमारा आश्वासन मिला था जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में दिया ? प्रश्न केवल समय का है, क्या आपका वक्तव्य उनके वक्तव्य से पहले आया था अथवा बाद में आया था ?

प्रो०एस० नुरुल हसन : भारतीय हाकी संघ अथवा भारत सरकार से कोई आश्वासन नहीं मांगा गया था और जब हमें उसके बारे में मालूम हुआ, हमने शीघ्र ही उस रिपोर्ट के आधार पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया था जो कि मेरे पास है और जिसकी ओर मैंने इशारा किया है कि इस मामले पर मार्च में चर्चा की जा चुकी है, जब अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ के अध्यक्ष ने पाकिस्तान का दौरा किया था, ऐसा मालूम पड़ता है कि पाकिस्तानी अधिकारियोंने उन्हें यह कहा है कि जब तक कुछ शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, वे भारत में नहीं खेलेंगे और ऐसा लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय संघ यह नहीं चाहता था कि यह प्रतियोगिता भारत में हो और पाकिस्तान भाग न ले ।

श्री एच० एम० पटेल : यह कब हुआ था ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : यह मार्च के आरम्भ में हुआ था ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पांचवीं योजना में उड़ीसा में पर्यटन विकास कार्यक्रम

***570. श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में सरकारी पर्यटन विकास कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या कोणार्क और पूरी के बीच 'मैरीन ड्राइव' तथा बालासौर और म्यूरभंज के विकास को इसमें शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) पुरी में एक युवा होस्टल स्थापित करने तथा कोणार्क और भुवनेश्वर के मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों की सौंदर्य अभिवृद्धि से सम्बन्धित स्कीमें पर्यटन विभाग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित की गई हैं ।

इन के अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम का अपने भुवनेश्वर स्थित यात्रीलॉज का इसके वर्तमान 12 डबल-कमरों में और 25 डबल कमरे जोड़ कर विस्तार करने ; पुरी में रेलवे होटल को हस्तगत करके उसकी 32 कमरों की वर्तमान क्षमता को उसमें 40 डबल-कमरे जोड़ कर और बढाने ; तथा भुवनेश्वर में एक परिवहन यूनिट की स्थापना का भी प्रस्ताव है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक के विद्युत चालित करघा उद्योग की समस्यायें

***572. श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के कृत्रिम रेशम के धागे तथा अन्य मानव निर्मित रेशों के धागे के उपभोक्ताओं के संगठनों तथा संस्थाओं ने सरकार को कर्नाटक विद्युत-चालित करघा उद्योग की जो कि काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है ; कुछ समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन पेश किया है ;

(ख) उसमें क्या मुख्य सुझाव दिए गए हैं और उन में से प्रत्येक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग) सरकार को नकली रेशम धागे की खपत करने वाले पावरलूम उद्योग को समस्याओं के बारे में कर्नाटक राज्य की एसोसिएशनों और समितियों से हाल ही में कोई ज्ञापन नहीं मिला है। किन्तु सरकार को कर्नाटक राज्य में विस्कोस फिलामेंट यार्न के वितरण सम्बन्धी पुरानी क्षेत्रीय समिति द्वारा कदाचार किए जाने के बारे में कर्नाटक राज्य की अनेक एसोसिएशनों, सहकारी समितियों और तालुका शासक कांग्रेस कमिटी से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्य शिकायत यह है कि क्षेत्रिय समिति किसी भी नई एसोसिएशन के परिचय पत्र या उसकी सदस्यता की जांच किए बिना और इस बात का निर्णय किए बिना यार्न का वितरण करती रही है कि वे पावरलूम लगाने के वैध परमिटों के आधार पर स्वैच्छिक समझौते के अधीन यार्न प्राप्त करने के हकदार हैं भी या नहीं। कर्नाटक राज्य में यार्न के वितरण से सम्बन्धित मामले का अध्ययन करने के लिए वस्त्र आयुक्त से कहा गया है। वस्त्र आयुक्त का कोयम्बटूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय इस मामले की छान-बीन कर रहा है।

Ten Rupee Note bearing two numbers found in possession of a person in Calcutta

***573. Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether a person in Calcutta was found having a ten-rupee note bearing two numbers viz. L-263819 and L-263820 in February, 1974;
87 87

(b) if so, the facts of the case, and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) Yes, Sir.

(b) The mismatching of numbers was due to some mechanical defect in the Letter press machine on which the note was printed. The defect has been rectified.

(c) Suitable action will be taken against the person concerned.

बन्द हुये चाय बागानों की सम्पत्ति का बेचा जाना

***574. श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि बन्द पड़े चाय बागानों की सम्पत्तियों को योजनाबद्ध तरीके से बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) जी नहीं। सरकार को ऐसे बन्द पड़े चाय बागानों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जो अपनी सम्पत्तियां बेच रहे हैं।

कर अपवंचन

***577. श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में प्रति वर्ष अनुमानत: कितनी धनराशि का कर अपवंचन हुआ ; और

(ख) सरकार द्वारा कर अपवंचन रोकने की कार्यवाही की जाने के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में क्या ठोस परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने देश में वार्षिक कर-अपवंचन का कोई अनुमान नहीं लगाया है । लेकिन जिस आय पर 1968-69 की अवधि में कर-अपवंचन किया गया उसे प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने 1,400 करोड़ रुपया आंका है ।

(ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में ली गयी तलाशियों के परिणामस्वरूप पकड़ी गई लेखा बाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य निम्नानुसार है :—

	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रु० में)
1971-72	516	243
1972-73	532	454
1973-74 . . . . . (28-2-74 तक)	518	405

उसी अवधि के दौरान कर अपवंचन के क्रमश: 13, 30 और 23 सुस्पष्ट मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही की गई । सर्वेक्षण कार्य को तेज कर दिया गया है और ऐसे सर्वेक्षण के परिणामत: जून 1972 से दिसम्बर 1973 तक 1,27,000 से अधिक मामले शामिल कर दिए गए थे । 1970-71 से 1972-73 की अवधि के दौरान आय को छिपाने के कारण नीचे दिए गए अनुसार दंड लगाया गया :—

वर्ष	जिन मामलों में दंड लगाया गया उनकी संख्या	लगाए गए दंड की राशि (करोड़ रु० में)
1970-71	23,625	14.08
1971-72	18,051	9.58
1972-73	12,544	12.19

फर्मों द्वारा अधिक मूल्य और कम मूल्य के बीजक बनाना

***579. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आत्म निर्भरता समितिने जिसके चेयरमन श्री एम० जी० कौल हैं, कुछ बड़ी फर्मों द्वारा अधिक मूल्य के और कम मूल्य के बीजक बनाए जाने के मामलों का उल्लेख किया है ;

(ख) यदि हां, तो दोषी फर्मों के नाम क्या है ; और

(ग) इन फर्मों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : यह सवाल पैदा ही नहीं होते ।

बोनस शेयर जारी करने पर प्रतिबन्धों के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त

***581. श्री बेकारिया**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोनस शेयर जारी करने पर प्रतिबन्धों के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) 2 मार्च, 1974 को जारी किए गए प्रेस नोट की एक प्रति जिसमें कम्पनियों द्वारा बोनस शेयर जारी करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त का ब्यौरा दिया गया है, सभा पटल पर रख दी गई है जो पहले जारी किए गए मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का स्थान लेगे । [**सभा पटल पर रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6624/74**] नए मार्गदर्शक सिद्धान्तों की मुख्य बातें ये हैं :—

(i) पिछले तीन वर्षों के लिए कम्पनी के कर का पूर्व औसत लाभ के 30 प्रतिशत से, कम्पनी के विस्तारित पूंजी आधार पर लाभांश की दर 8 प्रतिशत की बजाए 9 प्रतिशत अथवा पिछले तीन वर्षों में लाभांश की औसत दर जो भी कम हो होनी चाहिए ।

(ii) बोनस शेयरों को जारी करने के लिए अनुमति देते समय विदेशी शेयर धारिता को कम करने पर जोर नहीं देगा ।

बंगला देश को निर्यात की जा रही वस्तुयें

***582. श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार करार के अन्तर्गत इस समय बंगला देश को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में कुछ गैर सरकारी पार्टियां घटिया किस्म का सामान सप्लाई कर रही हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) बंगला देश के साथ वर्तमान व्यापार करार के अन्तर्गत, जो कि 28 सितम्बर, 1973 से लागू हुआ, दो प्रकार के व्यापार की व्यवस्था है ;

(1) प्रत्येक की ओर से 30.5 करोड़ रुपये तक दोनों देशों के विशेष हित की विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबंध ; और

(2) सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबंध के बाहर व्यापार, जिसका विनियमन सामान्य आयात, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार होता है ।

संतुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबंध के अन्तर्गत बंगलादेश को निर्यातित वस्तुओं के व्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) सरकार को भारत में किसी ऐसी गैर-सरकारी पार्टियों के बारे में जानकारी नहीं है जिन्होंने बंगलादेश को घटिया किस्म का माल सप्लाई किया हो तथापि, हाल ही में बंगला देश के कुछ आयातकों से एक भारतीय फर्म द्वारा सप्लाई की गई लुंगियों की क्वालिटी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । वस्त्र समिति, जो कि सूती वस्त्रों के निर्यात निरीक्षण के लिये सरकार का अभिकरण है, इन आरोपों की जांच कर रही है ।

विवरण

बंगला देश को निर्यात

वस्तुएं/माल	मूल्य (लाख रु०)
1. पूर्व एल० पी० ए० से अनीत शेष समायोजन	200
2. कोयला	600
3. तम्बाकू अनिर्मित	520
4. सीमेंट	300
5. कपास	750
6. सूत	200
7. सूती वस्त्र	100
8. साइकिल तथा उनके पुर्जे	30
9. स्टोन बाउल्डर्स, हार्डवुड (साल तथा टीक सहित) सोफ्ट वुड, बैराइट्स, (सफेद) चूना तथा चूना पत्थर (सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले के अलावा) डोलोमाइट, जिप्सम, बिना बुझा चूना ।	100
10. पुस्तकें, समाचारपत्र, पत्रिकाएं तथा वाद्ययंत्र . . .	22
11. आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाएं (जड़ी बूटियों तथा कच्ची औषधियों सहित) .	20
12. रासायनिक पदार्थ तथा भेषजीय पदार्थ . . .	20
13. मसाले	10
14. फालतू पुर्जे तथा मशीनरी और थोड़े मूल्य वाले उपस्कर (50,000 रु० से अधिक) ।	50
15. टुथ ब्रश, शेविंग ब्रश तथा टुथ पेस्ट . . .	3
16. खेलकूद का सामान और गेम्स तथा स्पोर्ट्स हेतु अपेक्षित सामग्री .	15
17. चलचित्र	10
18. विविध (आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत अनुमत सीमा तक)	
(1) शिलबट्टा	

(2) केन्स् तथा रेटन्स्
(3) शंख
(4) सुपारी तथा पान
(5) खिलौने
(6) फल तथा सब्जियां जिनमें आलू, अदरक तथा संतरे शामिल हैं।
(7) अन्य ऐसी मदें जिनमें संबंध में परस्पर सहमति हो जाए।

मूल्यों में वृद्धि होने के कारण जीवन बीमा निगम द्वारा अपने एजेंटों, विकास अधिकारियों सहायक शाखा मैनेजरों तथा शाखा मैनेजरों को राहत देना

***585. श्री सत पाल कपूर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि तथा बढ़ते हुए जीवन निर्वाह व्यय को देखते हुए अपने एजेंटों, विकास अधिकारियों, सहायक शाखा मैनेजरों तथा शाखा मैनेजरों को कुछ राहत देने का कोई प्रस्ताव भारतीय जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) तथा (ख) एजेंटों को पारिश्रमिक कमीशन के रूप में दिया जाता है जिसका हिसाब उन की मार्फत हुए बीमा-कारोबार पर प्राप्त प्रीमियम के आधार पर लगाया जाता है। एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन की दर की उच्चतम सीमा, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40–ए में निहित है। मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में, एजेंट अधिक बीमा कारोबार करके अपनी कमीशन-आय बढ़ा सकते हैं।

जहां तक विकास अधिकारियों, सहायक शाखा प्रबन्धकों तथा शाखा प्रबन्धकों का संबंध है, उनको देय समायोजन भत्ते की समीक्षा प्रायः तभी की जाती है जब जीवन निर्वाह सूचकांक में 8 अंकों की वृद्धि होती है।

1 अक्तूबर, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक विभिन्न हवाई अड्डों पर विमानों के देर से पहुचने के कारण यात्रियों के किराये वापिस न लौटाये जाने से प्राप्त हुआ कुल धन

5664. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न हवाई अड्डों पर विमानों के देर से पहुंचने के कारण अनेक विमान यात्री नियत विमान से यात्रा नहीं कर पाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि में ऐसे यात्रियों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) उन यात्रियों द्वारा दिये गये किराये की राशि जो नियत विमान से यात्रा नहीं कर पाते, जब्त कर ली जाती है, और यदि हां, तो उक्त अवधि में इस प्रकार सरकार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) जब यात्री उड़ान के निर्धारित प्रस्थान समय से 15 मिनट से कम अवधि से पूर्व रिपोर्ट करते हैं अथवा उड़ान के लिये बिल्कुल ही नहीं आते तो उन्हें "नो शो" घोषित किया जाता है। ऐसे मामलों में सारा किराया जब्त कर लिया जाता है। किन्तु

विशेष अपवादस्वरूप मामलों में प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा किराया पूरा अथवा आंशिक रूप से वापिस किया जाता है। कारपोरेशन द्वारा "नो शो" घोषित किये गये यात्रियों की संख्या, तथा इस आधार पर जब्त की गयी अथवा वापिस की गई राशि का कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

पार्ले बोट्लिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस जारी करना

5665. श्री मूलचन्द डागा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्ले बाटलिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को कच्ची सामग्री के निर्यात के लिये जारी किये गये वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस को वर्ष 1970 में दुगुना कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त लाइसेंसों का निर्यात आय से किसी प्रकार का संबंध है ; और

(घ) यदि नहीं, तो दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में इस कारण कुल कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं। 1968–69 तथा 1970–71 तक की अवधियों के दौरान वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसिंग नीति अर्ध-वार्षिक आधार पर थी। जून 1968 तथा जून 1969 में उन्होंने जो आवेदनपत्र दिये थे उनके आधार पर, जैसा कि तकनिकी विकास के महानिदेशक द्वारा सिफारिश की गई थी, छः छः महिनें की अवधी के लिये वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस जारी किये गये थे जिसमें से प्रत्येक लाइसेंस 84,125 रु० का था। 1968–69 तथा 1969–70 की अवधियों के दौरान दूसरी छमाही के लिये फर्म द्वारा कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया। 1970–71 के दौरान इस पार्टी ने दो आवेदनपत्र दिये जो अप्रैल-सितम्बर, 1970 तथा अक्तूबर 1970-मार्च, 1971 की अवधियों के लिये थे और उन्हें जैसा कि तकनीकी विकास के महानिदेशक द्वारा सिफारिश की गई थी, वर्ष की पहली छमाही तथा दूसरी छमाही की आवश्यकताओं के लिये दो लाइसेंस दिये गये थे जिनमें से प्रत्येक लाइसेंस 84,125 रु० का था। इस प्रकार लाइसेंसों को दुगुना नहीं किया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान दिसम्बर, 1973 तक मैसर्स पार्ले बोटलिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को जारी किये गये वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों का कुल मूल्य 1,68,250 रु० है।

प्राथमिकता वाल क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

5666. श्री मार्तन्ड सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (पिछड़े क्षेत्रों) को राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कितना ऋण दिया ; और

(ख) मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1973 में खाद्यान्न व्यापारियों को दिये गये ऋण के आंकडे क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योगों को कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संबंध में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, में जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों भी शामिल हैं, जून 1971, 1972 और 1973 के अन्त में खातों की संख्या और ऋणों की बकाया रकमों के राज्यवार आंकड़े अनुबंध में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6627/74]**

(ख) पिछले तीन वर्षों में (अनाज प्राप्ति अभिकरणों को दिये गये ऋणों को छोड़कर) अनूसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अनाज पर दिये गये ऋणों की बकाया रकम इस प्रकार है :—

(करोड़ रु० में)

जून, 1971 .	86.3
जून, 1972 .	98.0
जून, 1973 . .	42.1

इन आंकड़ों में केवल अनाज के व्यापारियों को दिये गये ऋण ही शामिल नहीं हैं बल्कि खाद्य परिष्करण एककों और चावल मिलों, आटा मिलों आदि जैसे कारखानों, सहकारी संस्थाओं और किसानों को दिये गये ऋण भी शामिल हैं।

ऐसे ऋणों के अलग अलग राज्यवार आंकड़े संकलित नहीं किये गये हैं।

मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया रकम सितम्बर 1971, सितम्बर 1972 और सितम्बर 1973 के अन्त में इस प्रकार थी :—

	सितम्बर 1971	सितम्बर 1972*	सितम्बर 1973*
एककों की संख्या	3371	4317	6426
बकाया रकम (लाख रुपयों में) . .	1289	1469	1684

Steps to develop Gwalior as a tourist Centre

5667. Shrimati V. R. Scindia : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the steps being taken by Government to develop Gwalior as an attractive tourist centre?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : In the immediate future there is no proposal to provide tourist facilities at Gwalior in the Central Sector due to constraint on resources and other priorities.

The Government of Madhya Pradesh, however, have constructed a 14-room tourist bungalow at Gwalior, and a provision of Rs. 75,000 has been made in the State Fifth Plan for providing a day-shelter, cafeteria and toilet facilities at the Gwalior Fort.

Proposal to provide a Stop-over at Gwalior for Delhi-Bombay Air Service

5668. Shrimati V. R. Scindia : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide a stop-over at Gwalior for Delhi-Bombay air service soon; and

(b) the time by which the said arrangement is expected to be made?

*अनन्तिम

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) and (b) Due to steep rise in the price of aviation fuel, Indian Airlines do not propose to include Gwalior, in their Delhi/Bombay air service. However, Gwalior is air-linked with Delhi and Bhopal by IC-459/460 (daily) services.

ससनगिर (गुजरात) में पर्यटकों के लिये सुविधायें जुटाने के कार्य में हुई प्रगति

5669. **श्री बेकरिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ससनगिर (गुजरात) में पर्यटकों की आवास, परिवहन तथा शराब एवं फोटोग्राफी के सामान के विक्रय और शेरों तथा चीतों के लिए प्राकृतिक भोजन उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में क्या कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां ।

(ख) पर्यटन विभाग ने 13.11 लाख रुपये की अनुमानित लागत से ससनगिर में एक विश्राम गृह का निर्माण-कार्य प्रारंभ किया है । पर्यटन विभाग ने 0.80 लाख रुपये की लागत से दो मिनि बसों की भी व्यवस्था की है जिनमें सार्वजनिक भाषण प्रणाली (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) फिट की गयी है तथा पशु शरणस्थल के अन्दर वन्य जीवों को देखने और उनके चित्र लेने के लिये उनमें विशेष आयोजन किये गये हैं । इस शरणस्थल के विकास के लिये गुजरात सरकार की भी लगभग 4.50 लाख रुपये की एक योजना है ।

साधारण बीमा, पश्चिमी जोन, बम्बई के कर्मचारियों द्वारा "एक घंटे का आन्दोलन" (वन आवर स्टर)

5670. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा, पश्चिमी जोन, बम्बई के कर्मचारियों ने 5 मार्च, 1974 से प्रतिदिन एक घंटे का आंदोलन (वन आवर स्टर) आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) विविध बीमा के पश्चिमी क्षेत्र के कर्मचारियों ने मार्च 1974 में कुछ दिन तक 'एक घंटे की सांकेतिक हड़ताल' रखी थी ।

(ख) उनकी मांग थी कि विविध-बीमा निगम और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते के निष्कर्षों को विविध बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अन्तर्गत योजना के रूप में प्रकाशित किया जाय । सेवा शर्तों का युक्तियुक्त बनाने और वेतनों में सुधार संबंधी विवाद को निपटाने के लिये विविध बीमा निगम सम्बन्धित यूनियनों के साथ बातचीत कर रहा है ।

भारतीय रुई निगम की विक्रय नीति में परिवर्तन

5671. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम ने अपनी विक्रय नीति में परिवर्तन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश से तम्बाकू का निर्यात

5672. **श्री वाई०ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में आंध्र प्रदेश से तम्बाकू का निर्यात करने से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) कौन कौन से देशों को अधिकतम मात्रा में तम्बाकू का निर्यात किया जाता है ; और

(ग) क्या तम्बाकू का निर्यात गैर-सरकारी फर्मों माध्यम से किया जाता है अथवा सीधे राज्य सरकार द्वारा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तम्बाकू के निर्यात के संबंध में जानकारी राज्यवार संकलित नहीं की जा रही है। देश भर से तम्बाकू के निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य निम्नलिखित प्रकार से है :—

1971-72	42.25 करोड़ रु०
1972-73	61.87 करोड़ रु०
1973-74	58.12 करोड़ रु०

(फरवरी, 1974 के अन्त तक अनन्तिम)

(ख) 1973-74 के दौरान भारतीय तम्बाकू के मुख्य आयातक रहे हैं, ब्रिटेन, सोवियत संघ बंगलादेश, जापान, आयरिश गणराज्य, फ्रांस, हंगेरी तथा आइवरी कोस्ट।

(ग) तम्बाकू का निर्यात मुख्यत: गैर-सरकारी फर्मों द्वारा किया जाता है।

Black Money Unearthed in U.P.

5673. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of black money recovered in Uttar Pradesh during the last two years;

(b) the number of persons against whom action has been taken in this connection;

(c) the number of persons prosecuted and convicted during this period?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Exports to Bangladesh

5674. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the articles exported to Bangladesh in 1970-71, 1971-72 and 1972-73, separately;

(b) the value in Indian currency of the articles exported;

(c) the future scheme and policy of Government in regard to the export of Indian goods; and

(d) the estimated value in rupees of the articles proposed to be exported during the financial year, 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b) Trade with Bangladesh commenced in December, 1971 only. A statement showing commodity-wise exports to Bangladesh during 1971-72 and 1972-73, together with their values, is attached. [*Placed in the Library. See No. LT*—6628/74.]

(c) and (d) Trade with Bangladesh is regulated in terms of the Indo-Bangladesh Trade Agreement which was concluded on 5th July, 1973. The Trade Agreement, which came into force from 28th September, 1973, provides for two tiers of trade :

(i) Balanced Trade and Payments Arrangement is specified commodities of special interest to the two countries, to the extent of Rs. 30.5 crores each way; and

(ii) trade outside the Balanced Trade and Payments Arrangement, which is regulated in accordance with the normal import, export and foreign exchange regulations.

2. Although the Balanced Trade & Payments Arrangement is to remain in force for a period of 3 years, the two Governments have agreed to draw up Trade Plans for imports and exports for one year at a time. The two Governments have also agreed that every possible effort shall be made by them, and the organisations under their control, to ensure that trade between the two countries balanced itself at the end of each Trade Plan year and scope for imbalance reduced to the minimum.

3. It is difficult to forecast the total estimated value of Indian goods that may be exported to Bangladesh in financial year 1974-75. However, exports to Bangladesh under the Balanced Trade & Payments Arrangement, during the yearly period ending on 27th September, 1975, are expected to be of the order of Rs. 30.5 crores.

Confirmation of Employees working in the Ministry of Finance

5675. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3861 on the 7th December, 1973 regarding employees working in the Ministry of Finance and state :

(a) the number of employees out of 981 temporary employees, who have been working for more than 5 years; and

(b) the action Government propose to take to confirm them?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b) As already indicated in the reply to the Question No. 2906 answered on the 30th November, 1973 the number of such employees was 322. Out of this number 136 employees have since been confirmed. Necessary steps have been initiated already to confirm such of the remaining employees as are eligible for confirmation against available permanent vacancies.

Articles Imported from Japan

5676. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the main articles imported from Japan during the financial years, 1971-72 and 1972-73, separately;

(b) the value in Indian currency of the articles imported; and

(c) the estimated value in Indian currency of the articles proposed to be imported during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) and (b) A statement showing the articles imported from Japan during the financial years 1971-72 and 1972-73, and the value thereof in Indian currency is attached. [*Placed in the Library. See No. LT*-6629/74.]

(c) It is difficult to forecast what the imports during 1974-75 would be, but they are unlikely to be very different to what they were in the previous two years.

Black Money Unearthed in Andhra Pradesh

5677. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of black money unearthed in Andhra Pradesh during the last two years;

(b) the number of persons against whom action was taken in this connection; and

(c) the number of persons prosecuted and the number of those sentenced during this period?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

सिण्डीकेट बैंक में 58 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् कार्य कर रहे अधिकारी

5678. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिण्डीकेट बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वहां 58 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् भी कितने अधिकारी कार्य करते रहे हैं ; और

(ख) 58 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उनकी सेवा शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) आर (ख) सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद केवल एक अधिकारी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होने के बाद ठेके के आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है ।

तटवर्ती कर्नाटक में पर्यटकों के आकर्षण के स्थान

5679. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती कर्नाटक में पर्यटकों के आकर्षण के कोई स्थान हैं ; और

(ख) इन स्थानों के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) कर्नाटक तट के साथ-साथ करवार बेलिकेरी, मंगलौर, मारवांथ तथा मालपे (उदिपी) आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जिनकी देशीय पर्यटक यात्रा करते हैं ।

(ख) साधनों के परिसीमित होने तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में इन स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

4—11 LSS/74

Arrears of Income-tax against Industrialists in Madhya Pradesh

5680. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax outstanding against the industrialists in Madhya Pradesh; and

(b) the reasons for not realising the arrears of Income-tax from these industrialists and the time by which these arrears will be realised?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) and (b) For the purpose of levy of Income-tax, assessees are not classified according to their source of income, profession or vocation. If the Hon'ble Member desires to have information about any particular assessee, the same will be collected and furnished.

2. Information readily available in respect of the charge of Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh shows that as on 31-12-73 there were 11 assessees against whom net arrears exceeded Rs. 5 lakhs in each case. The total net arrears outstanding in these 11 cases as on that date were Rs. 1.11 crores.

3. Some of the major factors which generally impede the reduction/realisation of Income-tax arrears are as follows :—

(i) Amounts are pending settlement of Double Income-tax relief.

(ii) Amounts are due from companies under liquidation.

(iii) Amounts are due from persons who have left India.

(iv) Amounts are disputed in appeals though not covered by stay or instalments.

(v) Assets are attached but there are difficulties in selling them. For example :

(a) Ownership of attached properties is disputed, involving protracted litigation.

(b) There are either no buyers or the bids are too low when attached immovable properties are put to auction.

(c) Sale of shares of private limited companies is difficult because the shares are not freely transferable and there are few buyers when purchase means minority share-holding.

4. All steps provided in law, including the following have been taken and are being taken for realising the arrears, depending upon the facts and circumstances of each case :—

(1) Levy of penalty u/s 221 of the Income-tax Act, 1961, for non-payment of tax.

(2) Attachment of money due to the assessee u/s 226(3).

(3) Attachment of money in courts u/s 226(4).

(4) Distraint and sale of movable property u/s 226(5).

(5) Issue of Recovery Certificates u/s 222.

(6) Attachment/sale of movable/immovable property.

(7) Detention of assessee in Civil Prison.

5. It is not possible to say precisely by what date the arrears against any particular assessee or assessees will be realised.

Development of Khuni Bhandara in Burhanpur (Madhya Pradesh) as a Tourist Centre

5681. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state whether any action has been taken to convert Khuni Bhandara, an underground water current in Burhanpur Tehsil of East Nimad district of Madhya Pradesh into a tourist centre and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi): There is no proposal to construct any tourist facilities at Burhanpur in the Central Sector. The State Government, however, have provided for the construction of a Tourist Bungalow at Burhanpur during their Fifth Five Year Plan to provide facilities to domestic tourists visiting the area.

Branches of Agricultural Development Banks in Madhya Pradesh

5682. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of the branches of Agricultural Development Bank in Madhya Pradesh and their locations; and

(b) whether this bank has branches in East Nimar District and if so, their locations and if not the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) No Agricultural Development Bank as such is functioning in the country. Presumably, the reference is to the Agricultural Development Branches of the State Bank of India Group.

As at the end of December, 1973, 19 Agricultural Development Branches were opened by the State Bank of India Group in Madhya Pradesh. A statement indicating the locations of these Branches is enclosed.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

STATEMENT

The particulars of Agricultural Development Branches opened by State Bank of India Group in Madhya Pradesh as on the 31st December, 1973

Name of the Branch	District
1. Chhindwara	Chhindwara
2. Chhatarpur	Chhatarpur
3. Bilaspur	Bilaspur
4. Pipariya	Hoshangabad
5. Bhatapara	Raipur
6. Rajnandgaon	Rajnandgaon
7. Narsinghpur	Narsinghpur
8. Shahpura	Jabalpur
9. Damoh	Damoh
10. Khachrod	Ujjain

Name of the Branch	District
11. Sawer	Indore
12. Vidisha	Vidisha
13. Thandla	Jhabua
14. Raigarh	Raigarh
15. Mahidpur	Ujjain
16. Jaora	Ratlam
17. Badnawad	Dhar
18. Sanawad	West Nimar
19. Amla	Betul

Opening of Branches of Nationalised Banks in Madhya Pradesh

5683. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of branches so far opened by the Nationalised banks in Madhya Pradesh; and

(b) whether there is any proposal to open more branches of these banks in the backward and adivasi areas during the Fifth Plan period?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) and (b) As at the end of January, 1974, the public sector Banks had 781 offices in Madhya Pradesh. In pursuance of the directives of the Reserve Bank of India, commercial banks formulate three-year rolling plans of branch expansion. Currently the banks are engaged in formulating the plan for three years 1974-76. The Reserve Bank of India has indicated that the public sector banks had on hand 105 licences/allotments for opening offices in Madhya Pradesh. 57 of these licences/allotments relate to backward/tribal districts. The Reserve Bank of India has advised all commercial banks to pay particular attention to backward areas while drawing up their three year rolling plans for branch expansion.

तीसरे वेतन आयोग की शिफारिसों का सरकार के सीधे नियंत्रण के अन्तर्गत न होने वाले संघटनों पर लागू होना

5684. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें ऐसे संगठनों पर लागू होती हैं जो सरकार के सीधे नियंत्रण के अन्तर्गत तो नहीं है परन्तु भारत की संचित निधि से अपना खर्च उठाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें लाभ किस प्रकार पहुंचायें जाते हैं ; और

(ग) उन संगठनों के नाम क्या हैं जहां उक्त आयोग के प्रतिवेदन से मिलने वाली सुविधाओं को लागू कर दिया गया है और वे संगठन कौन कौन से हैं जहां इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है तथा इसके कारण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं । तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें, उसके निर्देश पदों के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में है, स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों के संबंध में नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) लगता है कि माननीय सदस्य की मंशा यह जानने की है कि क्या जिन स्वायत्त संगठनों की पूरी अर्थ व्यवस्था भारत के समेकित कोष से सहायक अनुदान द्वारा होती है, उन्होंने अपने कर्मचारियों को तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के तुल्य लाभ दिये हैं। यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक

5685. **श्री विश्वनाथ झुन्झुनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971, 1972 और 1973 में कितने प्रतिशत विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान की यात्रा की ;

(ख) विदेशी पर्यटकों की यात्रा के लिये सरकार सामान्यतया किन किन स्थानों को प्राथमिकता देती है या उन्हें सूचि में रखती है ;

(ग) क्या इस सूची में और अधिक स्थानों को शामिल करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इस मत से अर्जित आय का कुछ भाग राजस्थान सरकार को देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 1972-73 में भारतीय जनमत संस्थान द्वारा पर्यटन विभाग के लिये किये गये विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण के अनुसार क्रमश: 11.3 तथा 3.3 प्रतिशत विदेशी यात्रियों ने राजस्थान में जयपुर और उदयपुर की यात्रा की ।

(घ) और (ग) पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्रो की कोई नियत सूची नहीं रखी जाती है विभिन्न योजना-गत स्कीमों के अंतर्गत जयपूर, उदयपूर, भरतपूर, माऊंट अबू-चित्तौड गड, सिली, साड एवं सारिस्का में पर्यटन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। पर्यटन की पांचवीं योजना में भरतपूर, डीग, जयपूर और जैसलमेर में और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

(घ) और (ङ) पर्यटन से प्राप्त होने वाली आय पर्यटकों द्वारा उपयोग की जाने वाली आवास तथा परिवहन सुविधाओं का परिचालन करने वाले सरकारी अथवा निजी अभिकरणों को मिलती है। अत: पर्यटन से केन्द्रीय सरकार को प्रत्यक्षत: कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है ।

काजू की वसूली तथा वितरण के लिये एजेंसी

5686. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल काजू विकास निगम ने देश में उत्पादित काजू की वसूली तथा वितरण के लिये स्वतंत्र एजेंसी गठित करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रुपरेखा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) इस संबंध में केरल राज्य काजू विकास निगम, लि० क्वीलोन से हाल में एक व्यापक सुझाव मिला है। निगम ने इस प्रस्थापना को विस्तार से नहीं बताया है और इसलिय सरकार के लिये अभी यह बताना संभव नहीं है कि इस प्रस्थापना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी ।

Arrests for Creating Artificial Scarcity of Essential Commodities

5687. **Shri Chandulal Chandrakar**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have made any arrests of persons responsible for creating artificial scarcity of essential commodities during 1973; and

(b) if so, the number and particulars of important cases detected by Government during the above period?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) and (b) Provision for taking action against hoarders, profiteers and blackmarketeers already exists in the Essential Commodities Act, 1955 and powers under the Act have also been delegated to State Governments/Union Territory Administrations. Further powers are also available under the Defence of India Rules. State Governments/Union Territory Administrations take appropriate action when cases of artificial scarcity come to notice.

Difficulties faced by Pensioners in respect of Housing and delay in payment of pension

5688. **Shri Atal Bihari Vajpayee**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the reaction of Government to the difficulties faced by pensioners in respect of housing and delays in payment of pension and the steps taken in this regard;

(b) the main recommendations of the Law Commission on the Pension Act, 1871; and

(c) Government's reaction to each one of them?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) It is open to the pensioners to avail of the housing schemes available to other members of general public such as low income and middle income housing schemes and L.I.C.'s 'Own Your House' scheme. It is not considered feasible to provide special housing facilities to the pensioners in addition. In order to obviate delay in settlement of pension cases and payment of pensions the relevant rules are reviewed from time to time and suitably modified, when necessary. The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, which were promulgated with effect from 1-6-1972 to provide a self-contained set of rules on the subject was also a further step in that direction.

(b) and (c) In their 53rd Report the Law Commission have recommended amendment of Section 4 of the Pension Act, 1871 to remove the bar on Civil Courts in entertaining suits relating to pensions payable by Union Government to civil servants. The recommendation is under consideration.

गुजरात राज्य को भवनों तथा सहायक निर्माण कार्यों के लिये धनराशि/सामग्री का आवंटन

५६८९. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में अगस्त और सितम्बर, 1973 में आई अभूतपूर्व बाढ़ों के बाद, जिसमें राज्य के बहुत से भाग बह गये थे, भवनों और सहायक निर्माण कार्यों के लिये राज्य को कोई धनराशि और/या सामग्री आवंटित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय दल द्वारा लगाये गये अनुमान के आधार पर केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य से बाढ़ सहायता व्यय के लिये 16.06 करोड़ो-रुपय की अधिकतम सीमा अपनायी गयी थी । इसके अलावा 1973-74 की बाढ़ के परिणामस्वरुप राज्य सरकार को 10,000 मैट्रिक टन जी० सी० आई० चादरें और 20,000 मैट्रिक टन सीमेण्ट भी दिया गया था ।

अपने स्वामित्व का अन्तरण करने वाली विदेशी कम्पनियां

5690. श्री भान सिंह भौरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1971-72, 1972-73, 1973-74 में मार्च, 1974 तक अपने स्वामित्व का अन्तरण किया है ; और

(ख) उस अवधि में उन फर्मों की कुल परिसम्पत्ति कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1971 और 1972 के बारे में सूचना दी गयी है । वर्ष 1973 की और मार्च, 1974 तक की सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 663074]

ऋण नियंत्रण से उद्योगों को मुक्त रखने के सम्बन्ध में कर्नाटक से अनुरोध

5691. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने ऋण नियंत्रण से कुछ उद्योगों को मुक्त रखने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है क्यों कि ऐसा न किए जाने पर बेरोजगारों की समस्या और जटिल होगी;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से स्थिति का पुनर्विलोकन करने तथा इस बात पर ध्यान देने के लिये अनुरोध किया है कि ऋण सीमा से छूट देने के मामले में कृषि के पक्ष में औद्योगिक क्षेत्र के साथ भेदभाव न किया जाए, और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य कर्नाटक लघु उद्योग संघ द्वारा दिसम्बर, 1973 में वित्त मंत्री के नाम भेजे गये पत्र का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि कर्नाटक स्थित लघु उद्योगों को बढाये गये मार्जिनों के उपबन्ध तथा बैंकों द्वारा लगायी गयी सीमा सम्बन्धी पाबन्दियों से छूट दी जाय ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि ऋण नीति को क्रियान्वित करते समय बैंक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए काफी सावधानी बरतें कि लघु उद्योगों सहित, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं पर्याप्त रुप से पूरी हो जायें तथा पहले जो गति प्राप्त की जा चुकी है उसे कायम रखा जाय। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दी गयी रिजर्व बैंकों की 24 दिसम्बर, 1973 की हिदायतों के अनुसार उन लघु औद्योगिक एककों को जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित ऋण गारण्टी योजना के अन्तर्गत आते हैं अधिक काम काज के मोसम के लिए पहले से ही रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बढे मार्जिनों से छूट दे दी गयी है । इस प्रकार कर्नाटक तथा अन्य क्षेत्रों के लघु औद्योगिक एककों पर ऋण संबंधी पाबन्दियों का प्रभाव पडने की कोई सम्भावना नहीं है ।

विदेशी कम्पनियों के प्राइवेट एजेंटों की भूमिका

5692. **श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार निगम ने विदेशी कम्पनियों के प्राइवेट एजेंटों की भूमिका की समीक्षा करने का आदेश दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह अनुभव किया है कि विदेशी कम्पनियों के प्राइवट एजेंटों की भूमिका संतोषजनक नहीं रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम ने विदेशी सप्लायरों के निजी एजेंटों के रोल की समीक्षा की है और यह फैसला किया है कि कुछ बल्क वस्तुओं के लिये निर्माताओं / विश्वसनीय विदेशी सप्लायरों के साथ सीधे दीर्घकालिक संविदाएं करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(ख) तथा (ग) उपक्रम अपनी व्यावसायिक सूझबूझ से ही इस मामले में कार्यवाही करता है।

भूतपूर्व महालेखापरीक्षकों तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिकारियों द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र की फर्मों में नौकरी करना

5693. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व महालेखा परीक्षकों तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिकारियों के नाम, पते तथा ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्ति के पश्चात निदेशक मंडलों के अध्यक्षों अथवा निदेशकों अथवा अन्य प्रवन्धकों के रूप में गैर सरकारी क्षेत्र फर्मों में नौकरी की हैं ;

(ख) उन गैर सरकारी क्षेत्र फर्मों के नाम क्या हैं जहां वे नियुक्त हैं; और

(ग) क्या उन सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्त के पश्चात गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों मे नौकरी करने पर रोक लगाने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जानी है और उसे इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। सूचना उपलब्ध होते ही एक विवरणपत्र सदन पटल पर रख दिया जायगा। फिर भी, तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों में आयकर विभाग के निम्नलिखित दो अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दो वर्षों के भीतर व्यापारिक नौकरी करने की अनुमति दी गयी थी :–

(i) श्री टी० आर० विश्वनाथन, सेवानिवृत्त आयकर आयुक्त, कानपूर को श्रीराम फाइबर्स लि०, मनाली में वित्त लेखा और विधि अनुभाग के मुख्यधिकारी की नियुक्ति लेने की इजाजत दी गई थी।

(ii) श्री वी० मुथुस्वामी, सेवानिवृत्त सहायक आयकर आयुक्त, कलकत्ता को मैसर्स अन्नामलाई बस ट्रांसपोर्ट प्रा० लि० पोल्लाची, कोयम्बतूर जिला, में वित्तीय सलाहकार का पद ग्रहण करने की अनुमति दी गई थी।

(ग) जी, नहीं। सरकार को परामर्श दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के, सेवा निवृत्ति उपरांत व्यापारीक नोकरीयां स्वीकार करने पर, पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी में प्रत्याभूत मूल अधिकारो का उल्लंघन होगा।

विदेशी मशीनरी के आयात के लिये तकनीशनों को रियायत

5694. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन भारतीय तकनीशनों को, जो विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर भारत लौटते है, निषिद्ध विदेशी मशीनरी के आयात की अनुमति जैसी रियायतें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो वे रियायतें कौन सी है; और

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान कितने तकनीशनों ने इन रियायतों का लाभ उठाया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विदेशों से वापस आने वाले में रहने वाले भारतीयों द्वारा मशीनरी तथा कच्चे माल का आयात किये जाने सम्बन्धी नीति अप्रैल, 74 मार्च, 75 की अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बूक – वोल्यूम 1) भाग 1 में कंडिका 163 में दी गई है जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) इस स्कीम के अन्तर्गत, मशीनरी के आयात के लिये 6.23 करोड़ रु० के कुल मूल्य के 191 आयात लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं।

उदीपि होटल

5695. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ऐसा कोई 'उदीपी होटल' है जिसमें स्टार बिलिंग होता है, और

(ख) यदि नही, तो क्या सरकार का विचार भारतीय होटलों का निरामिष तथा आमिष में वर्गीकरण करने के लिए कोई स्वदेशी व्यवस्था अपनाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) उदीपी होटल मुख्यतया रैस्टारेंट है जहां दक्षिण भारतीय ढंग का शाकाहरी भोजन परोसा जाता है। वर्तमान वर्गीकरण मान दंड, जो कि रिहायशी होटलों पर लागू होते है, शाकाहारी अथवा मांसाहारी भोजन परोसने वाले होटलों में कोई भेदभाव नहीं करते। केवल मात्र शाकाहारी भोजन परोसने वाले 18 होटल पहले ही पर्यटन विभाग की वर्गीकृत एवं अनुमोदित होटलों की सूची पर है।

निर्यात के लिये अभ्रक की दरों में वृद्धि

5697. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिये अभ्रक की दरों को बढाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इससे कितना लाभ होगा।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यात के लिये अभ्रक की न्यूनतम कीमतें 22 फरवरी, 1974 से बढायी जा चुकी हैं।

(ख) अभ्रक खनन तथा निर्यात के सम्बन्ध में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों की बढती हुई लागत को पूरा करने के लिये अभ्रक की न्यूनतम कीमतों में वृद्धि की गई है। इससे बेहतर इकाई मूल्य भी मिलेगा और साथ ही साथ अभ्रक उद्योग में पूंजी भी अधिक लगाई जायेगी और उत्पादन भी बढेगा।

पांचवीं योजना के दौरान गुजरात में सपूतरा पहाड़ियों का पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने का प्रस्ताव

5698. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात मे सपूतरा पहाडियो का आगे और तेजी के साथ पर्वतीय पर्यटक स्थल के रुप मे विकास करने के लिए सहायता करने का है, और।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार दवारा क्या ठोस कार्यवाही की जारही है अथवा की जायगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है। इस क्षेत्र का विकास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में वायदे का व्यापार करने वाले केन्द्र

5699. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एसोसिएशनों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत में वायदे का व्यापार करने वाले केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है ; और

(ख) क्या निकट भविष्य में विशेषकर कृषि पदार्था में वायदे के व्यापार पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत भारत में वायदा व्यपार केन्द्रों के रूप में 35 एसोसिएशनों को मान्यता प्राप्त है। उनमें से संलग्न विवरण में उल्लिखित 15 एसोसिएशनों को कृषि-संबंधी 5 वस्तुओं में वायदा व्यापार विनियमित करने की अनुमति है ।

(ख) विभिन्न वस्तुओं में वायदा व्यापार पर रोक लगाने के सम्बन्ध में यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार एक एक करके वस्तु पर रोक लगाने की निति को अपनाए। कृषि सम्बन्धी वस्तुओं सहित किसी भी वस्तु के बारे में ऐसे व्यापार पर रोक लगाने के विनिश्चयों की अग्रिम सूचना सार्वजनिक हित में नहीं दी जाती है ।

विवरण

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों की सूची

क्रमांक	मान्यता प्राप्त एसोसिएशन	वस्तु
1.	दि इस्ट इंडिया काटन एसोसिएशन लि०, काटन एक्सचेज, मारवाडी बाजार, **मुम्बई-2** (महाराष्ट्र)।	रुई
2.	दि अहमदाबाद काटन मर्चेन्टस् एसोसिएशन, मानक चौक, **अहमदाबाद-1** (गुजरात)।	रुई
3.	सैन्ट्रल गुजरात काटन डीलर्स एसोसिएशन, नवा देहरा, **ब्रांच** (गुजरात)।	रुई
4.	साउथर्न गुजरात काटन डीलर्स एसोसिएशन, रेशम भवन, **सूरत** (गुजरात)।	रुई
5.	दि नार्थदन इंडिया काटन ऐसोसिएशन लि०, पो० बाक्स नं० 79 **भटिनडा** (पंजाब)।	रुई
6.	दि सेन्ट्रल इंडिया काटन एसोसिएशन लि०, छोटे सराफा, **उज्जैन** (मध्य प्रदेश।)	रुई
7.	दि सुरेन्द्रनगर काटन आयल एण्ड आयलसीडस एसोसिएशन लि०, महात्मा गांधी रोड, **सुरेन्द्रनगर** (गुजरात)।	रुई
8.	दि ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेंज लि० 43, नेताजी सुभाष रोड, **कलकत्ता-1** (पश्चिम बंगाल।)	कच्ची पटसन (सैकींग)
9.	दि बम्बई आयलसीडस एण्ड आयल्स एक्सचेंज लि०, जीनाबाई बिल्डिंग, मस्जिद बन्दर रोड, **बम्बई-3** (महाराष्ट्र)।	अरंडी के बीज/अलसी
10.	दि अहमदाबाद सीड्स मर्चेन्टस एसोसिएशन लि० नीयर सेन्ट्रल बैंक, गांधी रोड, **अहमदाबाद-1** (गुजरात)।	अरण्डी
11.	दि कानपुर कमोडिटी एक्सचेंज लि०, 51/56 कलक्टरगंज, **कानपूर** (यु० पी०)	अलसी
12	दि सेन्ट्रल इंडिया कामर्शियल एक्सचेंज लि०, मार बजार, लएकर, **ग्वालियर** (मध्य प्रदेश)।	अलसी
13.	इंडिया पेपर एण्ड स्पाइंसिज ट्रेड एसोशिएशन, के 1/118 जोव टाउन, **कोचीन** 2 (केरल)।	काली मिर्च
14.	दि पेपर एण्ड जिंजर मर्चेन्टस एसोसिशन लि०, 332-34, नारसी नाथ स्ट्रीट, बम्बई-9 (महाराष्ट्र)।	काली मिर्च
15.	दि सिडिगज एण्ड आयलसीडस एक्चेंज लि०, पो० बैग नं 105, वाकर बाग, **सांगली** (महाराष्ट्र)।	हल्दी

सिंचाई पम्पों के निर्माण के लिय ओमान के साथ सहयोग

5700. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भारत–ओमान सहयोग के अन्तर्गत ओमान में सिंचाई पम्पों का निर्माण करने का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत-ओमान सहयोग के अन्तर्गत सिंचाई पम्पों के उत्पादन के लिये ओमन में फैक्टरी स्थापित करने की फिलहाल को प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन

5701. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारी एसोसिएशन ने अपने विवाद में हस्तक्षेप करने के बारे में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) सेवा शर्तों के युक्तियुक्त बनाने और वेतनों में सुधार सम्बन्धी विवाद को निपटाने के लिए विविध बीमा निगम, सम्बन्धित यूनियन के साथ बातचीत कर रहा है ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ईरान को सीमेंट का निर्यात

5702. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य व्यापार निगम ने ईरान का 3 लाख टन सीमेंट का निर्यात करने का अनुबन्ध किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : सीमेंट के निर्यात के बारे में राज्य व्यापार निगम ईरानी खरीदारों के साथ बातचीत कर रहा है ।

केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बम्बई के अधिकारियों के घरों पर छापा मारा जाना

5703. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने हाल ही में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग की तलाशी ली थी तथा बाद में एक निर्यातक की शिकायत के आधार पर कुछ अधिकारियों के घरों पर छापा मारा था;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर की अनुमति ली गयी थी;

(ग) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों ने केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा तलाशी लिये जाने का विरोध किया था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(च) इस पर सरकार के क्या निर्णय है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि अफगानिस्तान को किये जाने वाले निर्यात के सम्बन्ध में मुद्रा नियन्त्रण विभाग के अधिकारियों के सामने उनके काम के दौरान कुछ संदहास्पद बातें आई थीं। उचित जांच पडताल के बाद प्रवर्तन निदेशालय के सहयोग से रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 1973 को प्रवर्तन निदेशालय के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई थी और प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर जनवरी, 1974 को एक शिकायत केन्द्रीय जांच कार्यालय में दर्ज करवाई थी। अपनी जांच के दौरान केन्द्रीय जांच कार्यालय ने भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के चार अधिकारियों के कार्यालयों और घरों की तलाशी लेने की जरूरत महसूस की। यह तलाशी अतिरिक्त मुख्य प्रसिडेन्सी मजिस्ट्रेट बम्बई से तलाशी के वॉरण्ट प्राप्त करके और रिजर्व बैंक के प्रबन्ध को अपने विश्वास में लेने के बाद ली गयी थी।

इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि बैंक के कुछ अधिकारियों ने इन तलाशियों के बारे में शिकायत की है और बताया है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को इस मामले की जानकारी है।

केन्द्रीय जांच कार्यालय की जांच पडताल का अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम संबंधी ब्यूरो

5704. **श्री एस० ए० मुरुगनंतम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम संबंधी ब्यूरों का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार सरकारी उद्यम कार्यालय के ढांचे के पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

बम्बई में तस्करी की वस्तुओं की बिक्री

5705. **श्री प्रबोध चन्द्र** :

श्री राम प्रकाश :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई में विदेशी वस्तुओं का बाजार लगने लगा है जहां, तस्करी की विदेशी वस्तुएं खुले आम बिकती है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को बम्बई के कुछ बाजारों में फेरीवालों और दूकानों द्वारा वस्त्रों और घड़ियों जसी तस्कर आयात की वस्तुओं की बिक्री का पता है।

(ख) इस प्रकार की बिक्री को रोकने की दृष्टि से सीमाशुल्क प्राधिकारी ने केवल फेरीवालों, दुकानों और स्टालों पर अपितु गोदामों और ट्रांसपोर्ट डिपुओं पर भी, जहां से इनको माल मिलता है, अनेक बार छापे मारते रहे है। इन उपायों को तेज किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं के लाभ के लिये सहकारी क्षेत्र का विकास

5706. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता को उत्तम किस्म का माल यथासंभव निम्नतम मूल्य पर उपलब्ध करने के उद्देश्य से विकास, धुलाई करने वाला/कताई करने वाला, जुलाहा, मुद्रक तथा विक्रेता के कार्यों का समन्वय करन के लिये सहकारी क्षेत्र का विकास करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयकर विभाग, दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारी

5707. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय कर विभाग दिल्ली में 31 मार्च, 1973 और 31 दिसम्बर, 1973 की प्रत्येक संवर्ग/ग्रेड में अराजपत्रित कर्मचारियों की स्वीकृत तथा कार्य कर रहे कमचारियों की संख्या कितनी कितनी है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने वर्तमान ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है परन्तु जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है, और

(ग) 31 दिसंबर, 1973 को प्रत्येक संवर्ग में कितने स्थायी पद खाली पडे थे तथा उन्हें न भरने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सदन की मेज पर एक विवरण पत्र रखा गया है [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 6631/74]

रबड़ के बागान लगाने के लिये पुनः बागान लगाने सम्बन्धी आर्थिक सहायता की दर

5708. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** :

श्री वयालार रवि :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेयशिया और श्रीलंका में रबड के बागान लगाने के लिये पुन: बागान लगाने सम्बन्धी आर्थिक सहायता की दर भारत में दर के मुकाबले कितनी है;

(ख) क्या रबड बोर्ड ने पुन: बागान लगाने सम्बन्धी आर्थिक सहायता की वर्तमान दर बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत में रबड़ बागानों तथा जोतों दोनों के लिये पुनर्रोपण उपदान की दर 2.471 रुपये प्रति हैक्टार है। इसकी तुलना में मलयेशिया तथा श्रीलंका में पुनर्रोपण उपदान की दर निम्नोक्त प्रकार है :

		जोत का आकार	प्रति हैक्टार पुनर्रोपण उपदान दर
			(रु० में)
मलयेशिया (1962 से)	(1)	5 एकड़ों तक	6,798
	(2)	5 एकड़ों से अधिक तथा 100 एकड़ों तक	6,373
	(3)	100 एकड़ से ऊपर के बागान	3,399
श्रीलंका (1966 से)			
	(1)	100 एकडों तक	4,483
	(2)	100 एकड से ऊपर के बागान	4,184

(ख) जी, हां।

(ग) प्रस्थापना पर विचार करने के लिये रबड पुनर्रोपण की लागत का अध्ययन किया जा रहा है।

बागानों की फसलों पर विकास उपकर की वसूली

5709. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बागानों की फसलों पर उपकर वसूली कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में चाय, काफी, रबड और इलायची पर अलग अलग कितना उपकर वसूल किया गया और उस राशि में स कितनी राशि इन फसलों के विकास पर व्यय की गई; और

(ग) क्या उपकर की यह संचित राशि सरकार के पास है और यदि हां, तो प्रत्येक समूह में कितनी राशि संचित हो गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अलाभकर तथा कम उत्पादन देने वाले रबड़ बागानों का क्षेत्र

5710. **श्रीमती भागवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अलाभकर तथा कम उत्पादन देने वाले रबड़ बागानों का क्षेत्र कितना है;

(ख) इसमें से कितना छोटे बागान वाले क्षेत्र में है; और

(ग) इन अलाभकर तथा कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में रबड़ के अधिक उत्पादन वाली किस्मों को पुनः लगाने के लिये सरकार और रबड़ बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 70,000 हैक्टार।

(ख) 55,000 हैक्टार।

(ग) 1957 से प्रयोग में लाये जा रहे कम उपज वाले तथा अलाभकारी क्षेत्रों में रबड़ के पुनर्रोपण के लिये उपदान देने की स्कीम का आधार और अधिक व्यापक बनाया जा रहा है जिससे कि 1962 तक रोपित तथा रबड़ बोर्ड में पंजीयित सभी कम उपज वाले तथा अलाभकारी क्षेत्रों को समाविष्ट किया जा सके। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुनरोपण का वार्षिक लक्ष्य 5000 हैक्टार निर्धारित किया गया है। इस समय किये जा रहे लागत अध्ययन के आधार पर उपदान को बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

Imports through S.T.C. during 1972 and 1973

5711. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the commodities, together with the value thereof, imported by India through the State Trading Corporation of India in 1972 and 1973; and

(b) the time by which Government will be in a position to stop the import thereof in each case?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) A statement is attached. [*Placed in Library. See No. LT*-6632/74.]

(b) Import policy is reviewed annually and the items which become available from indigenous production are dropped from the import list.

Tax Evasion by Foreign concerns

5712. Shri Jagannathrao Joshi:

Dr. Laxminarayan Pandiya:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of those industrial and commercial foreign companies, their branches and associate institutions which have been charged with tax-evasion or other similar malpractices during each of the last three years; and

(b) the full facts in this regard and the action taken in each case?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) and (b) There are 533 branches of Foreign Companies (as on 31-3-1972) and 217 subsidiaries of these companies (as on 31-3-1971) in India as per information compiled by the Department of Company Affairs. They are scattered all over the country and assessed by different Income-tax Officers. Collection of information as called for will involve enormous time and labour.

भारत और बंगलादेश के बीच सीमित भुगतान करार

5713. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किये गये सीमित भुगतान करारों की मुख्य बातें क्या है ;

(ख) इन करारों का वास्तव में क्या परिणाम निकला है; और

(ग) बंगला देश के साथ व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने और विकास करने के लिये सरकार ने क्या विशेष उपाय किये है या कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत बंगला देश व्यापार करार के अन्तर्गत जो 28 मार्च, 1972 को सम्पन्न किया गया था, निम्नलिखित की व्यवस्था की गई :—

(1) भूमि सीमा शुल्क सीमाओं के दोनों ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोजाना उपयोग में आने वाली वस्तुओं के आदान प्रदान को सुकर बनाने के लिए सीमावर्ती व्यापार अथवा सीमान्त यातायात;

(2) दोनों ओर से 25 करोड रु० तक विशेष हित की वस्तुओं के संतुलित व्यापार के लिए सीमित भुगतान प्रबन्ध; तथा

(3) सामान्य विश्व व्यापी आयात तथा निर्यात नीतियों और परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान करने की शर्तों के अनुसार सीमित भुगतान प्रबन्ध के बाहर व्यापार।

2. व्यापार करार के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि सीमावर्ती व्यापार अथवा सीमान्त व्यापार संबंधी उपबंध का पुनर्विलोकन, यह निर्णय करने के लिए कि क्या इसे बढाया जाना चाहिए या इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए, छः मास की अवधि के पश्चात किया जाएगा। मध्यवर्ती पुनर्विलोकन के दौरान भारत ने बंगला देश की इच्छाओं के अनुसार, इस प्रबन्ध को तब तक के लिए अस्थगित करना स्वीकार कर लिया है जब तक कि सीमा पर अच्छी तरह से नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाता और भारत बंगलादेश की संपूर्ण सीमा पर अर्थपूर्ण रोकथाम करने के लिए प्रशासन में तीव्रता नहीं लाई जाती।

(ख) सीमित भुगतान प्रबंन्ध के अन्तर्गत बंगला देश की निर्यातों और उससे आयातों हेतु खोले गए साख-पत्रों का कुल मूल्य क्रमश: 20.61 करोड़ रु० तथा 19.39 करोड़ रु० था।

(ग) जुलाई, 1973 में ढाका में आयोजित विचार विमर्शों के परिणाम स्वरूप बंगला देश के साथ एक नया व्यापार करार 5 जुलाई, 1973 को सम्पन्न किया गया। यह करार भी, जो कि 28 सितंबर, 1973 से लागू हुआ, दो प्रकार के व्यापार की व्यवस्था प्रदान करता है :

(1) प्रत्येक की ओर से 30.5 करोड रु० तक दोनों देशों के विशेष हित की विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में संन्तुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबंध; और

(2) संन्तुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबन्ध के बाहर व्यापार, जिसका विनियमन सामान्य आयात निर्यात तथा विदेशी मद्रा विनियमों के अनुसार होता है।

यद्यपि संन्तुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबन्ध 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहना है, फिर भी दोनों सरकारे एक समय पर एक वर्ष के लिए आयातों तथा निर्यातों हेतू व्यापार योजनाएं तैयार करने के लिए सहमत हो गई है। दोनों सरकारें इस बात के लिए भी सहमत हो गई है कि वे तथा उनके नियंत्रण अधीन संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे कि प्रत्येक व्यापार योजना वर्ष की समाप्ति पर दोनों देशों के बीच व्यापार सन्तुलित रहे और असन्तुलन की कम से कम गुंजाईश रहे।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम द्वारा श्री दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड और जयश्री कैमिकल्स लिमिटेड को दिया गया ऋण

5714. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री राम प्रकाश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम ने बांगूर ग्रुप से संबंधित श्री दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड और जयश्री कैमिकल्स लिमिटेड को मार्च 1973 के अन्त तक कुल कितना ऋण दिया था;

(ख) कितने ऋण का भुगतान किया गया और उपरोक्त प्रत्येक कम्पनी की ओर मार्च 1973 के अन्त में कितनी राशि बकाया थी;

(ग) क्या उपरोक्त दोनो कम्पनियों पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी पर लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कंपनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न अनुबन्धों में दी गयी है।

(ग) जी, नहीं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने यह सूचित किया है कि उन्होनें श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड और जयश्री केमिकल्स लिमिटेड को जो वित्तीय सहायता दी थी उसका इन दोनों कम्पनियों ने कोई दुरुपयोग नहीं किया है।

(घ) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

विवरण

31 मार्च 1973 की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगक विकास बैंक तथा भारतीय-औद्योगिक वित्त निगम द्वारा श्री दिग्वीजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड और जयश्री कैमिकल्स लिमिटेड के ऋण तथा ऋणपत्रों की हामीदारी के रूप में मंजूर की गयी सहायता और भुगतान तथा उसके सम्बन्ध में चुकायी गयी और बकाया राशियों का विवरण।

संस्था		मंजूर की गयी सहायता	भुगतान की गयी/दी गयी सहायता	लाख रुपयों में कंपनी के नाम: चुकायी गयी रकम	बकाया रकम
		1. श्री दिग्वीजय सीमेंट कं० लि०			
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक		50.00	49.82	44.82 (1969 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के हाथ बेच दिये गये)	..
	ऋण	40.00	40.00	8.00	32.00
औद्योगिक वित्त निगम	ऋणपत्रों की हामीदारी	30.00	29.89	28.40†	1.49
	रुपया ऋण	50.00	50.00	50.00	..
	विदेशी मुद्रा ऋण (अमरीकी डालरों में)	42.83	42.83	21.27	21.56
		212.83	212.54	152.49	55.05
		२. जयश्री केमिकल्स लि०			
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	ऋणपत्रों की हामीदारी	10.00	9.98	..	9.98
औद्योगिक वित्त निगम	तदैव	10.00	9.98	..	9.98
	विदेशी मुद्रा ऋण (अमरीकी डालरों में)	14.29	14.29	10.26	4.03
		34.29	34.25	10.26	23.99

†25 लाख रुपये के मूल्य के ऋण पत्र बेच दिये गये थे तथा शेष 3.40 लाख रुपये के ऋण पत्र छुडा लिये गये।

वर्ष 1973 में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का निलंबन और बरखास्तगी

5715. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में जोनवार जीवन बीमा निगम के कितने कर्मचारियों को निलंबित अथवा बरखास्त किया गया था ; और

(ख) प्रत्येक निलंबित अथवा बरखास्त किये गये कर्मचारी के खिलाफ विशिष्ट आरोप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

हवाई अड्डों पर पर्यटक यातायात का बन्दोबस्त केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा करने का प्रस्ताव

5716. **श्री राम प्रकाश** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों पर पर्यटक यातायात का बन्दोबस्त केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी):(क) और (ख) पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पहले ही पर्यटक काउंटर कार्य कर रहेहैं जिन के मुख्य कार्य ये है : पर्यटकों का स्वागत, पर्यटक सूचना का प्रसार तथा होटल बुकिंग, परिवहन आदि की व्यवस्था करनें में पर्यटको की सहायता ।

हवाई अड्डों पर स्थित पर्यटन कार्यालय के कर्मचारी स्वास्थ्य आव्रजन तथा सीमा शुल्क संबंधी औपचारीकताओं को भी तुरंत पूरा करवाने का प्रयन्न करते हैं जो कि भारत सरकार के संबंधित विभागों/ मंत्रालयों का उत्तरदायित्व है जिनके कि हवाई अड्डों पर अपने संगठन कार्य करते हैं ।

भारत के व्यापार पर फ्रैंक के अवमूल्यन का प्रभाव

5717. **श्री राम प्रकाश** :
श्री राम भगत पासवान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने अपने फ्रैंक का अवमूल्यन किया है ; और यदि हां, तो कितना ; और

(ख) उस देश के साथ भारत के व्यापार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने, जिनमें फ्रांस शामिल है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को सूचित किया था कि उनकी मुद्राएं 19 मार्च 1973 से संयुक्त रुप से विनिमय दर से मुक्त होगी और वे उनके देशो तथा समूह के रूप में अन्य देशो के बीच अधिकृत बाजार में लेनदेनो में विनिमय दरों के लिये आपस में 2.25 प्रतिशत के अधिकतम मार्जिन को बनाए रखेंगे । 19 जनवरी, 1974 को, फ्रांस ने निधि को सूचित कर दिया कि यह जरूरी नहीं है कि अगले छ महिनों के लिए, तथा अनन्तिम आधार पर, फ्रांसीसी फ्रान्क तथा कतिपय अन्य देशो के बीच अधिकृत बाजार के लिए विनिमय दरें, अब तक अपनाए गए मार्जिन के अन्दर-अन्दर ही बनी रहें । फ्रांसीसी फ्रांक तथा पौण्ड स्टर्लिंग के बीच विनिमय दर, जो 15 जनवरी, 1974 को एक पौण्ड स्टर्लिंग के मुकाबले में 10.925 फ्रांसीसी फ्रांक थी, मार्च 1974 के अन्त में बदल कर एक पौण्ड स्टर्लिग के मुकाबले 11.185 फ्रांसीसी फ्रांक हो गयी है । चूंकी भारतीय रुपया तथा अन्य

किसी मुद्रा के बीच विनिमय दर का हिसाब किताब पौंड स्टर्लिंग के माध्यम से फ्रांस दर के रूप में किया जाता है। इस लिए इससे भारतीय रुपय के मुकाबले में फ्रांसीसी फ्रांक के मूल्य में लगभग 2.4 प्रतिशत की कमी का पता चलता है।

(ख) ऐसी व्यवस्था जिसमें विश्व की मुख्य मुद्राएं विनिमय दर से मुक्त हों ऐसे छोटे मोटे अस्थाई परिवर्तनों का फ्रांस के साथ भारतीय व्यापार पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पडने की संभावना नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में काफी बागानों का विकास

5718. **श्री धामनकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, उडीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आसाम के आदिवासी क्षेत्रों में 8 करोड रुपये की लागत से काफी बागानों का विकास करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) देश के उपयुक्त पहाडी/आदिवासी क्षेत्रों में काफी बागानों के विकास के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है। तथापि, अभी यह बताना संभव नहीं है कि इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब लिया जाएगा।

सफदरजंग हवाई अड्डे का स्थान बदलने का निर्णय

5719. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सफदरजंग हवाई अड्डे का स्थान बदलने के बारे में अब कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बदला जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार ने सफदरजंग विमानक्षेत्र को बनाये रखने का निर्णय किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर विमान इंधन सप्लाई करने का निर्णय

5720. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री तरुण गोगोई :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि केवल विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर विमान ईंधन सप्लाई किया जायेगा;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने सभी हवाई अड्डों के प्राधिकारियों को कोई निदेश जारी किया है;

(ग) क्या इसका मुख्य कारण ईंधन संकट को देखते हुए विदेशी मुद्रा की आय बढाना है; और

(घ) क्या उपरोक्त निर्णय विदेशों को की जाने वाली केवल गैर अनुसूचित उडानों पर लागू होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (घ) यह शर्त केवल अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा की जाने वाली अननुसूचित उडानों पर लागू होती है ।

(ख) अननुसूचित उडान पहले 'क्लीयरेंस' प्राप्त कर लेने पर ही की जा सकती है जब कोई अननुसूचित उडान क्लीयर कर दी जाती है तभी उस के लिए ईंधन प्राधिकार दिया जाता है, बशर्ते कि प्रभार विदेशी मुद्रा में अदा किये जायें।

(ग) जी, हां। इसका आशय केवल विदशी मुद्रा अर्जित करना ही नहीं है अपितु ईंधन लेने को निरुत्साहित करना भी है ।

चाय के विपणन के लिये उत्पादक देशों द्वारा समान नीति

5721. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**

श्री तरुण गोगोई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के चाय उत्पादकों का एक प्रतिनिधिमण्डल चाय विपणन के लिये समान नीति निर्धारित किये जाने के विचार से पूर्वी अफ्रीका के देशों के दौरे पर जाएगा;

(ख) यदि हां, तो यह दल उन देशों का कब तक दौरा करेगा;

(ग) क्या इन विषयों पर हाल में श्रीलंका सरकार से भी विचार विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इनके प्रतिनिधि भी इन देशों का दौरा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) बागान एसोसिएशनों की परामर्श समिति ने भारतीय चाय उत्पादकों का एक प्रतिनिधिमण्डल पूर्वी अफ्रीका के देशों में भेजने के सम्बन्ध में सरकार के आगे प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है ।

(ग) फरवरी, 1974 में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के श्रीलंका के दौरे के दौरान भारत तथा श्रीलंका की चुनी हुई चाय के पैकटों के संयुक्त विपणन की संभावनाओं के बारे में बातचीत हुई ।

(घ) इन देशों के दौरे पर जाने वाले श्रीलंका के किसी प्रतिनिधिमंडल के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

भारत और अमरीका के बीच कपड़ा सम्बन्धी करार

5722. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 के कपडा संबंधी करार पर भारत और अमरीका में बातचीत आरम्भ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो 1970 के करार में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में कब तक अंतिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) दोनों पक्षों के बीच वस्त्रों के बारे में वर्तमान द्विपक्षीय करार संशोधित करने के लिए सं० रा० अमेरीका के साथ पहले ही प्रारंभिक बातचीत हो चुकी है। आगे बातचीत शीघ्र ही होने की संभावना है।

मुख्य रूप से द्विपक्षीय करार की वस्त्रों के नये अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिए तथा सं० रा० अमरीका के बाजार में भारतीय सूती वस्त्रों के लिए और अधिक स्थान बनाने के लिए वर्तमान करार में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

भारतीय व्यापार के प्रति यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रवैये में परिवर्तन

5723. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

श्री निहार लास्कर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की नई 'लेबर' सरकार यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ पुनः बात चीत करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बारे में ब्रिटेन की नई सरकार के रवैये में परिवर्तन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो भारत में इसका कितना स्वागत हुआ है; और

(घ) युरोपीय आर्थिक समुदाय के रवैये में परिवर्तन से भारतीय व्यापार को कितना लाभ होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) ऐसी सूचना मिली है कि ब्रिटेन की लेबर सरकार युरोपीय आर्थिक समुदाय की ब्रिटेन की सदस्यता की शर्तों के बारे में पुनः बातचीत करने की कोशिश कर रही है। इन पुनर्वार्ताओं की शर्तों के ब्योरे में अभी पता नहीं चला है। इस लिए, भारत के व्यापार के लिए उनके फलितार्थी का अनुमान लगाना संभन्व नहीं है।

विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग न किया जाना

5724. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने कितना ऋण मंजूर किया था और वह किस प्रयोजन के लिये मंजूर किया गया था; और

(ख) ऋण का पूरा उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विश्व बैंक के शुरू होने से अब तक इसमें भारत को कुल मिलाकर 626.15 करोड रुपये के बराबर ऋण प्राप्त हुए है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 1395 करोड रुपये के ऋण दिये है। विश्व बैंक के ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण के ऋण रेलों के विकास, बिजली पैदा करने प्रेषण, कृषि, सिंचाई, जलपूर्ति शहरी विकास और उद्योग जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिये दिये गये है। ऋणों का इस्तेमाल न्यूनाधिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। विश्व बैंक से मिलने वाले ऋणों में से अब तक 555 करोड रुपये की रकम और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलने वाले ऋणों में से 750 करोड रुपये की रकम इस्तेमाल की जा चुकी है।

गोमांस और पशुओं का निर्यात

5725. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :**

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमांस तथा पशुओं के निर्यात करने की अनुमति देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गोमांस तथा ढोरों के निर्यात की अनुमति देने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेपल कपड़े के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन [प्रस्तुत किया जाना

5726. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैरिफ आयोग ने स्टेपल कपड़े के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारत से रियायती दरों पर चार्टर्ड उडानों की सुविधा के लिये एयर इण्डिया द्वारा व्यक्तियों का वर्गीकरण

5727. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने भारत से रिसायती दरों पर चार्टर्ड उडानों की सुविधा का लाभ लेने के लिये व्यक्तियों का कोई वर्गीकरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन वर्गों के संबंध में मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस वर्गीकरण का आधार क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) एयर इण्डिया चार्टर्स लि० सस्ते किरायों पर चार्टरों का परिचालन करने के लिए बनाई गयी जो कि कुछ विदेशी एयरलाइनों द्वारा किए जा रहे कदाचारों का निराकरण करने का एक उपाय है ।

निम्नलिखित वर्गों के व्यक्ति, जो कदाचार में रत अन्य वाहनों द्वारा यात्रा किया करते थे, सामान्यतया: एयर इण्डया चार्टर्स द्वारा यात्रा करने के पात्र हैं :—

(i) भारतीय जाति के यूरोप में बसे व्यक्ति ;

(ii) यू० के०/यू० एस० ए०/कनाडा में गए उत्प्रवासी ;

(iii) विद्यार्थी तथा प्रचारक (मिशनरी)।

जाली नोटों का पकड़ा जाना

5728. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल कितनी राशि के जाली नोट पकड़े गये ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 1973-74 के वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में अलग अलग मूल्यों के कुल 7,40,535 रुपये के जाली करेंसी नोट पकड गये।

(ख) 197 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

(ग) देश के कानून में पहले ही जाली करेंसी नोट और बैंक नोट बनाने के अपराधों के लिए कडी सजा देने की व्यवस्था है। इस प्रकार के अपराधों के बारे में राज्यों के पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है जो इस संबंध में लगातार नजर रखते है, और किसि व्यक्ति द्वारा जाली नोट आदि बनाये जाने की सूचना मिलने पर छापे मारते है। केन्द्रीय जांच कार्यालय जाली भारतीय करेंसी बनाने की समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है, इस संबंध में अपनायी जाने वाली विभिन्न तकनीकों का रिकार्ड रखता है, और जाली भारतीय करेंसी के चलन की घटनाओं की समय-समय पर समीक्षा करता है। इस कार्यालय ने अपने आर्थिक अपराध प्रभाग में एक 'कक्ष' की भी स्थापना की है जो जाली करेंसी के गम्भीर अपराधों की जांच करता है और राज्यों में किये जाने वाले जांच कार्यों में तालमेल बिताने का काम करता है।

अंदमान-निकोबार द्वीप समूह में पर्यटकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध में ढील देने का प्रस्ताव

5729. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान-निकोबार द्वीपसमुह जैसे द्वीपों में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन प्रतिबन्धों में ढील देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी] : (क) से (ग) भारतीय नागरिक अंडेमान निकोबार द्वीपसमूह की यात्रा कर सकते है लेकिन इस द्वीपसमूह के कुछ ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञापत्रों (परमिटों) की आवश्यकता होती है जो कि अंडेमान निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जातियों का संरक्षण) विनियम 1956 के अन्तर्गत "सुरक्षित क्षेत्र" घोषित किये गये हैं।

विदेशियों को फिलहाल इस द्वीपसमूह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। उत्तरी ग्रुप के द्वीपसमूह, अर्थात् उत्तरी, मध्यवर्ती तथा दक्षिणी अंडेमान को विदेशी पर्यटकों के लिए चयन के आधार पर अनुज्ञापत्र जारी करके खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

देश में विमान-टैक्सी सेवा

5730. **श्री डी० जी० जवेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विमान टैक्सी सेवा आरंभ करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या विमान टैक्सी सेवा आरम्भ करने के लिये किन्ही प्राइवेट कंपनियों ने अनुमति के लिये आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) निजी परिचालकों द्वारा राष्ट्रीय विमान परिचालकों द्वारा परिचालित मार्गों से इतर मार्गों पर विमान सेवाओं का (जिस में एयर टैक्सी सेवायें भी सम्मिलित है) परिचालन वायुयान नियम, 1937 के नियम 134 तथा अनुसूची XI के अन्तर्गत किया जाता है । इच्छुक पार्टियां नागर विमानन के महानिदेशक को अपना आवेदन दे सकती है जिसमें मार्गों, विमानों की राष्ट्रिकता तथा पंजीकरण चिन्हों संधारण संगठन के ब्यौरों, सुदृढ वित्तीय स्थिति के प्रमाण, आदि के बारे में विस्तृत सूचना सम्मिलित की जानी चाहिये। ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र पर नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है ।

कुछ निजी पार्टियां ने इस सम्बन्ध में पूछताछ की थी, जिन्हें निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार नागर विमानन के महानिदेशक को आवेदन-पत्र भेजने का परामर्श दिया गया ।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

5731. **श्री वनमाली बाबू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा में चालू वर्ष में राष्ट्रीकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है, और

(ख) इनमें से कितनी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और कितनी नगरीय क्षेत्रों में खोली जायेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की हिदायतों के अनुसार वाणिज्यिक बैंक शाखाओं के विस्तार के लिये तीन-वर्षीय आवर्ती आयोजनाएं तैयार करते हैं । पहले वर्ष की आयोजना विस्तृत होती है जबकि बाद के दो वर्षों की आयोजनाएं सामान्यतः इकट्ठी होती है । इस समय बैंक 1974–76 के तीन वर्षों के लिए अपनी शाखा विस्तार आयोजनाओं को तैयार करने के काम में लगे हुए है। जनवरी, 1974 के अन्त में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास उडीसा राज्य में नयी शाखाएं खोलने के लिए 37 लाइसेंस/आबंटन थे। उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि तब से शाखाएं खोलने के लिए इन बैंकों को 15 और लाइसेंस जारी किये गये हैं। इन 52 लाइसेंसों/आबंटनों में से 34 का सम्बन्ध ग्रामीण केन्द्रों, 2 का सम्बन्ध अर्ध शहरी केन्द्रों तथा 7 का सम्बन्ध शहरी क्षेत्रों/पत्तन नगरों से है।

पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा में पर्यटक होटलों की स्थापना

5732. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में उड़ीसा में कितने पर्यटन होटल स्थापित करने का लक्ष्य है; और

(ख) योजना के प्रथम वर्ष का लक्ष्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, पुरी में 75 कमरे के एक 3–स्टार होटल के निर्माण के लिए 60 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम के भुवनेश्वर स्थित यात्री लाज में 25 कमरे जोड़ कर उस का विस्तार करने के लिए, 15 लाख रुपये की व्यवस्था भी सम्मिलित की गयी है ।

पुरी में पर्यटन विभाग के एक युवा होस्टल जिसकी अनुमानित लागत 5.54 लाख रुपये है, का निर्माण कार्य चल रहा है ।

पर्यटन विभाग ने भुवनेश्वर में निजी क्षेत्र में 29 कमरों की एक होटल प्रायोजना का, विदेशी पर्यटकों के लिए उसकी उपयुक्तता की दृष्टि से, अनुमोदन कर दिया है।

हमारे आयात निर्यात में व्यापारिक असन्तुलन

5733. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध में आयात एवं निर्यात के रुख से व्यापारिक असन्तुलन का संकेत मिलता है और यह असन्तुलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में हमारे निर्यातों और आयातों की प्रवृत्तियों से 36.9 करोड रु० का व्यापार-घाटा प्रकट होता है जबकि गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान 65.5 का लाभ रहा था जो निम्नलिखित तालिका से प्रकट है :–

(करोड रु०)

	अप्रैल—सितम्बर	
	1973-74	1972-73
निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	1074.8	916.3
आयात . .	1111.7	850.8
व्यापार संतुलन	—36.9	+65.5

हालांकि निर्यातों में 17.3 प्रतिशत वृद्धि हुई, लेकिन 1973-74 की पहली छमाही में आयातों में हुई 30.7 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि के फलस्वरूप यह घाटा रहा। आयातों में हुई यह वृद्धि इन प्रमुख मदों के कारण हुई : खाद्यान्न, मशीनें और उपस्कर, उर्वरक, इस्पात, अलोह धातुएं और पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद।

चांगदेव शूगर मिल्स

5734. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री चांगदेव शूगर मिल्स लिमिटेड, बम्बई, के जिसका प्रबंध आयकर विभाग द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया है, वर्तमान कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का ऐसी अन्य फर्मों के प्रबंध को भी नियंत्रण में लेने का विचार है जो करों का भुगतान न करने के दोषी है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) श्री चांगदेव शूगर मिल्स लि० के व्यापार का प्रबंध, आयकर विभाग द्वारा नियुक्त प्रापक द्वारा अपने हाथ में लिए जाने से पूर्व, मोरारका समूह जिसने मई 1964 में इस कंपनी का प्रबंध प्राप्त कर लिया था इसकी निधियों का अपव्यय कर रहा था और उन्हें यह कंपनियों में लगा रहा था और उन पर प्राप्त होने वाले व्याज की वसूली की ओर ध्यान तक नहीं दे रहा था, जबकि कंपनी को एक करोड रु० से भी अधिक के निर्विवाद भारी कर दायित्वों को पूरा करना था। दूसरे मोरारका बंधुओंने, अनियमित अदायगियां करके गन्ना उत्पादकों तथा परिवहन चालकों के सद्‌भाव को खो दिया था। कंपनी के प्रबंध को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत भारी और परिहार्य व्यय उठाने पड रहे थे जो कि कंपनी के व्यापार के प्रसंग में भी नहीं थे। खाते सही तौर पर नहीं रखे गये थे और पिछले तीन वर्षों से लाभ-हानि खाते तथा तलपट तैयार नहीं किये गये थे। प्रबंध-व्यवस्था की ओर से बकाया को समाप्त करने के कार्य में अनुरूप प्रयास नहीं किये जाने के कारण, करों की बकाया भी बढ़ती जा रही थी।

आयकर विभाग द्वारा नियुक्त प्रापक ने 16-1-74 से कंपनी का कारोबार अपने हाथ में लिया। कारोबार अपने हाथ में लेने की तारीख से अब तक उसने निधियों का अपवर्तन पूर्ण रूप से बन्द कर दिया है। कंपनी के कानूनी सलाहकार, ऋणों और सह-कंपनियों को अपवर्तित रकमों की वसूली के लिए की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में चार्टर प्राप्त लेखाकारों के साथ परामर्श करके सक्रिय रूप से विचार कर रहे है। पिछले प्रबंध द्वारा इस कंपनी के नाम से सट्टा बाजार में किये गये सभी लेन-देनों को प्रापक ने बन्द कर दिया है। उसने एक ओर गन्ना उत्पादकों और कंपनी के बीच और दूसरी ओर परिवहन चालकों के बीच सभी विवादों का निपटान कर दिया है और अब उन्हे नियमित रूप से अदायगियां की जा रही है जिसके फलत: उन्होंने कंपनी का पूरा सहयोग देना शुरू कर दिया है। ईंधन (भट्टी-तेल), गन्ने, तथा परिवहन ठेकेदारों की सेवाओं और फसल काटने तथा श्रमिक लाने-ले जाने इत्यादि की अपेक्षित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समुचित योजना बनाई गई है।

प्रापक ने विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत व्ययों में किफायत की है। उसने विभिन्न न्यायालयों में सभी कष्टप्रद और निष्फल मुकदमों को वापस ले लिया है, जो कारें कंपनी की नहीं हैं उनके संबंध में खर्च की गई रकम की भुगतान करने से इनकार करके परिवहन, पेट्रोल तथा बीमा व्यय को कम कर दिया है और पिछले प्रबंध द्वारा कंपनी के कारोबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये गये बंगले के संबंध में किराया संबंधी व्यय कम कर दिया है। उसने गन्ना पेशगी-ऋणों की वसूली और समायोजन कर दिया है जिसके परिणामत: गन्ने की खरीद पर व्यय कम हो गया है।

पिछले तीन वर्षों का खातों का बकाया काम बहुत तेजी से कम कर दिया गया है और खाते लगभग अद्यतन बना दिये गये हैं। पिछले वर्षों की चार्टर प्राप्त लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा भी पूरी होने को है। अब खाते तरतीव बार और नियमित रूप से रखे जा रहे हैं तथा लखा पद्धति को युक्तिसंगत बना दिया गया है। स्टाक की सामान-सूचियों और बेकार पड़े फालतू पुर्जों के निपटान पर नियंत्रण रखने के उपाय किये गये है।

प्रापक ने आयकर की बकाया की ओर 5 लाख रु० की अदायगी भी कर दी है।

प्रापक नियुक्त किये जाने के बाद कंपनी के कार्यों में उल्लेखनोय सुधार हुआ है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि जब अन्य चीनी कारखानों ने 1973-74 के मौसम का काम लगभग बंद कर दिया है, इस कंपनी के पुनटावा स्थित कारखाने में उत्पादन अभी भी जारी है। प्रापक द्वारा किये गये सभी उपायों का पूर्ण लाभ अगले पेराई के मौसम पर प्राप्त होगा।

(ख) किसी अन्य मामले के संबंध में सरकार के सामने इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु यदि किसी मामले की परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता हुई तो प्रापक नियुक्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सूती धागे के निर्यात की नई नीति की घोषणा

5735. **श्री एम० ए० मुरुगनन्तम : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूती धागे के निर्यात के लिये नई नीति की घोषणा करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) पंचांग वर्ष 1974 के लिए धागा निर्यात नीति की मुख्य बातें निम्नोक्त होंगी :—

(1) वर्ष के लिए सूत की 240 लाख कि० ग्रा० की अधिक सीमा होगी जो प्रत्येक 60 लाख कि० ग्रा० के हिसाब से चार समान तिमाही अधिकतम सीमाओं में विभक्त होगी।

(2) निर्यात हेतु विभिन्न काउण्ट समूहों में धागे की मात्रा संबंधी विनिश्चय उत्पादन, घरेलू मांग और निर्यात हेतु प्राप्यता आदि को ध्यान में रखते हुए वस्त्र आयुक्त द्वारा किया जाएगा। यह आबंटन तिमाही आधार पर किये जा सकते है और सभी संबंद्धो की सूचना के लिए काफी समय रहते घोषित किये जा सकते है।

(3) निर्यात हेतु कोटे पूर्णत: अनुमत काउण्ट समूहों में से प्रत्येक के अन्तर्गत उच्च मूल्य प्राप्तियों के आधार पर किये जाएंगे।

(4) प्रत्येक काउण्ट समूह के लिए निम्नतम कीमतें घोषित की जाएंगी और ये कीमतें पिछले वर्ष उस काउण्ट समूह विशष के लिए औसत निर्यात प्राप्ति की अपेक्षा कम से कम पचास प्रतिशत अधिक होंगी।

(5) ऐसी निम्नतम कीमतें आगामी आदेशों तक के लिए घोषित की जानी है, परन्तु प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पूर्व पुनरीक्षण किया जा सकता है ताकि आगामी तिमाही के लिए आवश्यक समायोजन किये जा सकें।

(6) संविदाओं के पंजीकरण तथा निर्यात कोटाओं के आबंटन के लिए एतत्पूर्व रूप में सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

(7) यह भी विनिश्चिय किया गया है कि 1974 हेतु अनुमोदित 240 लाख कि०ग्रा० के अलावा धागे की 10 लाख कि०ग्रा० की अधिकतम सीमा को शत के अधीन भुगतान की सामान्य अनुमत शर्तों के आधार पर 1973 में सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत उन संविदाओं के अन्तर्गत शामिल धागे के निर्यात की भी अनुमति दी जानी चाहिए जिनके संबंध में माल निर्यात किये जाने के तैयार है।

आशा है कि यह नीति व्यापारी वर्ग के लिए शीघ्र ही घोषित कर दी जाएगी।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र द्वारा कच्चे माल का आयात

5736. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र के माध्यम से निर्माताओं/निर्यातकों को उनके निर्यात को बढावा देने के लिये दुर्लभ (क्रिटिकल) आयातित कच्चा माल सप्लाई करने का है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये निर्यात सहायता योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम के औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र ने प्राथमिकता के आधार पर आयातित कच्चे माल की सप्लाई करके राज्य व्यापार निगम के विनिर्माता/निर्यातक सहयोगियों की सहायता करने के लिए एक निर्यात सहायता योजना तैयार की है। योजना के अन्तर्गत सहयोगी को पक्की निर्यात संविदाओं के आधार पर निर्यात उत्पादन के लिए पहले से आयातित कच्चा माल ही सप्लाई किया जाएगा। पहले से डिलिवर किये गये ऐसे माल पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा की पूर्ति उन निर्यातों पर अर्जित की गई उतने ही मूल्य की अग्रिम आर० ई० पी० हकदारियों को छोड़ कर की जाएगी।

समान प्रकृति की नौकरियों के लिये एक समान राष्ट्रीय वेतनमान

5737. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय समान प्रकृति की नौकरियों के लिये एक समान राष्ट्रीय वेतनमान बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम रूप से निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सभी सरकारी उपक्रमों के लिये भी एक समान वेतन-मान लागू किये जाने की आशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) तृतीय वेतन आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकार को कुशल और प्रभावपूर्ण समन्वयकारी तंत्र बनाने की ओर ध्यान देना चाहिये, और उस तंत्र को यह दायित्व सौंपा जाय कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की वेतन-दरें, सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों और सरकारी कर्मचारियों की वेतन-दरों पर संभाव्य प्रभाव को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाय। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के लिये भारतीय पर्यटन विकास निगम का प्रस्ताव

5738. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों को सम्बद्ध करने के लिये एवरो विमान सेवा आरंभ की जायेगी;

(ग) अन्य कौन सी सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी और 1974-75 में इस के लिए क्या उपलब्ध किया गया है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स पर्यटक रुचि के अनेक स्थानों के लिये विमान सेवाएं परिचालित करती है । तथापि, भविष्य में पर्यटकों तथा अन्य यात्रियों की सुविधा के लिये इंडियन एयरलाईंस के सेवा जाल (नेट-वर्क) से बाहर भी कुछ सेवायें परिचालित करना आवश्यक हो सकता है ।

(ग) और (घ) नये होटलों के निर्माण तथा वर्तमान होटलों के नवीकरण द्वारा अतिरिक्त आवास की व्यवस्था के लिये, तथा परिवहन सुविधाओं के विस्तार, कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि के लिये 400 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

वर्ष 1974-75 में हाथ में ली जाने वाली परियोजना में से अधिकांश परियोजनायें क्योंकि उसके अगले वर्ष ही परिचालन प्रारंभ करेंगी, अतः अभी से कुल आय में से विदेशी मुद्रा की आय के अंश का प्रतिशत बता सकना संभव नहीं होगा ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जनता को उपभोक्ता ऋण दिया जाना

5739. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जनता को उनके प्रयोग के लिये वस्तुओं की खरीदने हेतु उपभोक्ता ऋण देने बन्द कर दिये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार को इसके परिणामस्वरूप जन साधारण को हो रही अनेक कठिनाइयों का पता है और क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस आशय के निदेश देने का विचार है कि वे जनता को पहले की तरह उपभोक्ता ऋण देते रहे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) यद्यपि रिजर्व बेंक की ओर से ऐसे कोई विशेष निदेश नहीं है जिसमें बेंकों को सुझाव दिया गया हो कि वे उपभोक्ता ऋणों की मंजूरी न दें फिर भी वाणिज्यिक बैंकों की यह सामान्य नीति है कि इस प्रकार के ऋणों को प्राथमिकता न दी जाय, मौजूदा हालात में जबकि ऋण पर सामान्य नियंत्रण की आवश्यकता है, बैंक उत्पादन और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ऋणों की आवश्यकताओं पर अपने आप ही अधिक ध्यान दे रहे हैं।

रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने हेतु श्रम प्रधान उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देना

5740. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **वित्त** मंत्री रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने हेतु श्रम प्रधान उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के बारे में 23 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1863 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम प्रधान उद्योगों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) उद्योगों में उत्पादन के श्रम प्रधान तरीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय प्रोत्साहन मंजूर करने के लिए व्यावहारिक योजना तैयार करने की दृष्टि से आर्थिक कार्य विभाग में अन्य मंत्रालयों तथा विभागों और योजना आयोग के साथ विचार विमर्श से कुछ मामलों के बारे में गहराई से जांच की गयी थी। लेकिन अभी तक रोजगार प्रधान उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की सन्तोषजनक योजना तैयार किया जाना संभव नहीं हुआ है।

चाय के उत्पादन में कमी

5741. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद आदि की कमी के फलस्वरूप चालू वर्ष में चाय के उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कमी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) तेल संकट तथा कोयले के संबंध में यदाकदा अनियमित वैगन संचलन के बावजूद भी उर्वरकों, मट्टी तेल, कोयला, कीटनाशी/घासपातनाशी दवाओं जैसी मदों के लिए चाय उद्योग की अन्तर्निविष्ट साधनों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि इस उद्योग के उत्पादन स्तर को बनाये रखा जा सके।

हस्तनिर्मित ऊनी गलीचों के निर्यात के लिये लाइसेंस

5742. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तनिर्मित उनी गलीचों के निर्यातकर्त्ताओं ने समुद्रपार के आर्डरों को क्रियान्वित करने से पूर्व ही निर्यात लाइसेंस प्राप्त कर लिये है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से चल रही है और तत्सम्बधीं मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या हस्तनिर्मित ऊनी गलीचों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये इस योजना की समीक्षा की गई है या करने का विचार है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में इन गलींचो के निर्यात से विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी आय हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 1 जुलाई, 1965 से हाथ से बुने उनी क़ालीनों का नियति निर्यात नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत लाया गया। फिलहाल हाथ से बुने विभिन्न किस्मों के उनी कालीनों के निर्यात के लिए लाइसेंस पूर्ण बिक्री के आधार पर कतिपय निम्नतम कीमत संबंधी प्रतिबंधों तथा उद्भव प्रमाणपत्र की शर्तो के अधीन निर्बाध रूप से दिये जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कालीनों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है:

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपये में
1971—72	18.69
1972—73	31.44
1973—74 (अप्रैल—जनवरी) . . .	18.32

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋणों में कटौती लागू करने के फलस्वरूप छोटे पैमाने के एककों को हो रही कठिनाइयां

5743. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देने संबंधी स्थायी समिति ने बताया है कि रिजर्व बैंक द्वारा ऋणों में कटौती लागू किये जाने के फलस्वरुप बहुत से लघु उद्योग एककों को कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कठिनाइयाँ किस प्रकार की है ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य लघु उद्योग मंडल द्वारा स्थापित ऋण सुविधा सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा हाल की बैठक में दिये गये सुझावों का उल्लेख कर रहे है। ऐसा पता चला है कि समिति ने कच्चे माल के मूल्यों में तथा श्रम लागत में हुई वृध्दि के सन्दर्भ

में, लघु औद्योगिक एकको के संबंध में, अधिक कामकाज के चालू मौसम के लिये लागू ऋण-प्रतिबन्धों में कुछ छूट देने की सिफारिश की है ।

(ग) रिजर्व बैंक इस बात की सुनीश्चित व्यवस्था करने के लिए कि ऋण प्रतिबन्धों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं के, जिनमें लघु औद्योगिक एकक भी शामिल है, हितों पर प्रभाव न पड़े समय समय पर अपनी ऋण नोती की लगातार समीक्षा करता रहता है और जहां जरुरी होता है इस प्रकार की छूट दे दी जाती है । इस प्रकार, उन सभी लघु औद्योगिक एककों की, जिनकी बैंकों से ऋण लेने की सीमा अधिक से अधिक 2 लाख रुपये है, 11 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज-दर से तथा पहले निर्धारित अतिरिक्त मार्जिन के प्रवर्तन से छूट दी गयी थी । बढ़े हुए मार्जिनों से मिलने वाली छूट का, 24 दिसम्बर 1973 को और विस्तार कर दिया गया ताकि ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी औद्योगिक एकको इस के अन्तर्गत आ जाये ।

लघु औद्योगिक एकको को दी गयी रियायतों में किसी प्रकार की और वृध्दि करने से पहले यह जरुरी है कि इस पर सावधानी से तथा इस उद्देश को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाय कि इन रियायतों का लाभ उन अपेक्षाकृत छोटे और कमजोर ऋणकर्ताओं को प्राप्त हो जो इस सहायता के पात्र हैं ।

लघु उद्योगों के कारखानों के लिये विदेशी मुद्रा

5744. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रेडिट गारंटी ऐशोयोरेंस कारपोरेशन ने इस वर्ष के आरंभ में लघु उद्योगों से प्राप्त कितने आवदन पत्र स्वीकार किये है;

(ख) इस प्रकार के आवेदन पत्रों में कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अन्तर्गस्त है; और

(ग) लघु उद्योगों द्वारा विदेशी मुद्रा का उपयोग न किये जाने के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) सम्भवतः प्रश्न का आशय ऋण गारण्टी बीमा निगम (क्रेडिट गारण्टी एश्योरेंस कारपोरेशन) से नहीं बल्कि सी० जी० ए० सी० अर्थात पूंजीगत वस्तु तदर्थ समिति के कार्य चालन से है।

जनवरी, 1974 के आरम्भ से पूंजीगत वस्तु तदर्थ समिति ने लघु औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में 4.38 करोड रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा के 231 आवेदन पत्र निपटाये है ।

लघु और मध्यम एकको द्वारा उपकरणों का वास्तविक आयात, मशीनों की तत्काल प्राप्यता, उनके निर्माण जहाजों में उन मशीनों के लिए उपलब्ध स्थान, रुपयों में किये जाने वाले व्यय की प्रगति आदि जैसी अनेक बातो पर निर्भर करता है । कहा जाता है कि इस्पात तथा सीमेन्ट जैसी उद्योगों के काम आने वाली प्रमुख वस्तुओं की कमी का रुपयों में किये जाने वाले व्यय पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

विश्व व्यापार मेला, 1974 की दृष्टि से व्यापार नीति को उदार बनाना

5745. श्री ई० वी० विखे पाटिल :

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार मेले की दृष्टि से व्यापार नीति को उदार बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) प्रदर्शित वस्तुओं को खरीदने के लिये कपड़ा उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों को कितनी राशि की विदेशी मुद्रा आबंटित करने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व्यापार नीति के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का प्रभाव निम्नलिखित पर पड़ेगा :—

(क) आन्तरिक व्यापार,

(ख) भारत के निर्यात, और

(ग) अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आयात।

इन तीनों विषयों से सम्बन्धित हमारी मौजूदा नीतियों के ढांचे के भीतर ही भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संगत नीतियों के कार्यान्वयन का एक साधन होगा।

(ख) एशिया 72 के पैटर्न पर विदेशी मुद्रा में मेले के लिए कोटे का एलान किया जा रहा है। मेले के लिए कोटा उन सभी पात्र मदों के लिए उपलब्ध है जिनका भारत में आयात करने की अनुमति है जिसमें वस्त्र तथा कृषि क्षत्र शामिल हैं। भाग लेने वाले प्रत्येक विदेशी की हकदारी निम्नलिखित होगी :

(1) राष्ट्रीय स्तर पर मेले में भाग लेने वाले प्रत्येक देश द्वारा बुक कराये गये स्थल के सम्बन्ध में 2500 रु० प्रति वर्ग मीटर परन्तु इसकी अधिकतम राशि 25,00,000 रु० होगी

(2) मेले में भाग लेने वाली प्रत्येक विदेशी वाणिज्यिक फर्म द्वारा बुक कराये गये स्थल के सम्बन्ध में 750 रु० प्रति वर्ग मीटर परन्तु इसकी अधिकतम राशि 7,50,000 रु० होगी।

जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी होल्डरों के लिये घोषित बोनस

5746. श्री शशि भूषण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले दो वर्षों के लिये पालिसी होल्डरों के लिये बोनस घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है;

(ग) क्या गत अवसर पर घोषित बोनस की राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है विशेषकर जब जीवन बीमा निगम ने इस दो वर्षों में अभूतपूर्व व्यापार (रिकार्ड बिजनेस) किया है; और

(ङ) क्या सरकार को इस के परिणाम स्वरूप पालिसीधारियों में व्याप्त असंतोष का पता है और पालिसीधारियो को अधिक लाभ देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय म उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) 31 मार्च, 1973 को समाप्त दो वर्षों के लिए घोषित बोनस की दरें इस प्रकार है :–

निश्चित अवधिवाली पालिसियां : बीमें की कुल रकम का 17.60 रु० प्रति हजार प्रति वर्ष ।

सम्पर्ण जीवन पालिसियां : बीमें की कुल रकम का 22 ० प्रति हजार प्रति वर्ष ।

बोनस की ये दरें वे ही है जो पूर्ववर्ती द्विवर्षी मूल्यांकन में घोषित की गयों थीं।

(घ) तथा (ङ) जीवन बीमा में नये व्यापार में वृद्धि की दर लाभप्रदता की सूचक नहीं है। बोनस बीमा सम्बन्धी द्विवर्षीय मूल्यांकनो से प्रकट अधिशेष पर निर्भर करता है और ऐसे अधिशेष का 95 प्रतिशत पालिसीधारियों को बांटा जाता है । मुद्रास्फिति के कारण उपर उठत हुए मूल्यों से, बोनस की दर बढाने में रुकावट आई है। फिर भी, जीवन बीमा निगम व्यापार की लाभप्रदता बढाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और एतदर्थ कई उपाय कर रहा है।

Financial difficulties faced by Journalists and Small Newspapers

5747. Shri Atal Bihari Vajpayee: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Governments attention has been drawn to the financial difficulties faced by the journalists and small newspapers recently;

(b) whether there is any proposal to help them through the nationalised banks; and

(c) if so, the salient features thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) While there is no proposal to formulate any special scheme exclusively for journalists and small newspapers, bank can even now extend necessary assistance in individual cases on merits. Banks can also, after due and proper assessment of the merits of the cases, approach Reserve Bank of India for suitable exemptions from the current credit restrictions.

Solving difficulties of Small Traders as a result of Credit Squeeze Policy

5748. Shri Phool Chand Verma:

Shrimati Bhargavi Thankappan:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether an assurance was given by Government to solve the difficulties of small traders, farmers and producers caused by the Central credit squeeze policy; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken in this regard?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) and (b) It has been the objective of Government and of the Reserve Bank of India to ensure that the policy of credit restraint does not adversely affect the interests of the small borrowers in the priority sectors. Towards this end, Reserve Bank has advised all the scheduled commercial banks to have due regard to the credit requirements of the borrowers in the priority sectors, including small traders, farmers and small producers, etc. In the operation of Selective Credit Controls also the Reserve Bank has been giving a preferential treatment to small scale industrial units in respect of margins and ceilings.

गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में कपड़ा मिलों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

5749. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिस्त्र से आयातित लंबे रेशे वाली रुई से तैयार कपड़े के निर्यात से हुई कुल आय में विदेशी मुद्रा कितने प्रतिशत है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता मिस्त्र की रुई से तयार किए गए कपड के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखता।

अधिक भूमि में अलाभप्रद चाय बागानों का लगाया जाना

5750. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औसत लाभ वाले तथा अलाभप्रद चाय बागान लगाने के लिये 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में अधिक भूमि का उपयोग किया गया है ;

(ख) इन तीन वर्षों में चाय का राज्यवार उत्पादन क्या है ; और

(ग) चाय के उत्पादन में कमी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) किसी वर्ष कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक कारणों से गिरावट आने के अलावा, भारत में चाय का उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 3 प्रतिशत बढ़ रहा है और पांचवीं पंचबर्षीय योजना के दौरान और अधिक बढने का विचार है। तथापि, चाय बोर्ड चाय क्षेत्र का विस्तार करने तथा पुराने चाय क्षेत्रों में उच्च उपज देने वाली रोपण सामग्री लगाने के लिये ऋण तथा उपदान देकर और साथ ही चाय फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए किराया-खरीद प्रणाली के आधार पर चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर सप्लाई करके चाय उद्योग की सहायता करता रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार उत्पादित चाय की मात्रा

(आंकड़े हजार कि०ग्राम में)

राज्य	1970	1971	1972†	1973†
त्रिपुरा	2,547	2,736	3,358	उपलब्ध नाहीं
बिहार	36	42	28	,,
उत्तर प्रदेश	566	614	657	,,
हिमाचल प्रदेश	975	888	1,116	,,
प० बंगाल	101,197	102,859	106,251	,,
असम	212,027	224,053	240,005	,,
योग : उत्तरी भारत	317,348	331,192	351,415	365,950

†आंकड़े अनन्तिम हैं।

(आंकडे हजार कि०ग्राम में)

राज्य	1970	1971	1972†	1973†
तमिल नाडु . . .	55,557	56,301	52,303	उपलब्ध नाहीं
मैसूर . .	2,848	2,817	3,085	,,
केरल . . .	42,764	43,012	43,069	,,
योग : दक्षिण भारत .	101,169	102,130	98,457	101,769
योग : अखिल भारत .	418,517	433,322	449,872	467,719

पी० एल०-480 निधि से वित्त पोषित होने वाली परियोजनाएं

5751. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किन विकास परियोजनाओं का पी० एल० 480 निधि से वित्त पोषण किया जाएगा ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक परियोजना को कितनी - कितनी सहायता ही दी जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 18 फरवरी 1974 को हस्ताक्षरित पी० एल० 480 और अन्य निधियों सम्बन्धी करार की शर्तों के अनुसार अमरीका की सरकार ने भारत सरकार को 1664 करोड़ रुपये का एक अनुदान दिया था । भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में चुनी गई परियोजनाओं के लिए उनके सामने दी गई रकमों के अनुसार किया जायेगा ।

		करोड़ रुपये
(i)	**कृषि** जिसमें ये शामिल हैं : कृषि अनुसन्धान और शिक्षा, लघु सिंचाई; पशु पालन और डेरी; ग्रामीण विकास और नियोजन की विशिष्ट परियोजनाएं और कार्यक्रम ; भूमि संरक्षण और भूमि विकास	1,000
(ii)	आवासन	180
(iii)	**परिवार नियोजन**, जिसमें ये शामिल हैं : सेवाए और पूर्तियां (ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र, उप केन्द्र, परिवार नियोजन कार्यालय, जोरदार जिला कार्यक्रम और परिवहन की व्यवस्था)	105
(iv)	**स्वास्थ्य** राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन और चेचक, योजनाएं .	40
(v)	**तकनीकी शिक्षा**, जिसमें ये शामिल हैं : भारतीय औद्योगिक संस्थान भारतीय प्रबन्ध संस्थान ; क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	35
(vi)	**बिजली/केन्द्रीय क्षेत्र**, जिसमें ये शामिल हैं : क्षेत्रीय भार परिषण केन्द्र और अन्तर्राज्यीय कड़ियां	70
(vii)	**बिजली/राज्य क्षेत्र**, जिसमें ये शामिल हैं : 10 पन-बिजली और तापीय परियोजनाएं	180
(viii)	ग्रामीण विद्युतीकरण	54
	जोड़ .	1,664

अनुदान का उपयोग, आयोजना में शामिल विभिन्न क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा रकमों को निर्धारण करके, पहली अप्रैल, 1974 से लेकर पांच वर्ष तक की अवधि के अन्दर किया जायेगा ।

महाराष्ट्र में पांचवी योजना के दौरान होटल बनाने का प्रस्ताव

5752. **श्री शंकर राव सावन्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में पर्यटक केन्द्रों के निकट कोई होटल चला रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना अवधि में उक्त राज्य में कोई होटल बनाने का और यदि हां, तो कहां ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम, जोकि एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है, औरंगाबाद में 2 स्टार श्रेणी का 23 कमरों वाला एक होटल चला रहा है ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 60 कमरे जोड़ कर उक्त औरंगाबाद होटल की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

पर्यटन विभाग के एक युवा होस्टल का 2.96 लाख रुपये की अनुमानित लागत से औरंगाबाद में निर्माणकार्य चल रहा है ।

एयर-इण्डिया की भी बम्बई में दो होटल बनाने की योजना है, एक बम्बई हवाई अड्डे पर तथा दूसरा जूहू बीच पर एयरपोर्ट होटल का पहले ही निर्माणकार्य चल रहा है तथा इस वर्ष अगस्त / सितम्बर तक 300 कमरों की क्षमता के साथ चालू हो जाने की आशा है । जूहू बीच के होटल का निर्माणकार्य, जिसमें पहले चरण में 350 कमरे होंगे, वर्ष के अन्त तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है ।

पटसन के व्यापार में बिचौलियों को हटाने का प्रस्ताव

5753. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटसन के व्यापार से बिचौलियों को हटा देने का है ; और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां । भारतीय पटसन निगम, जो अप्रैल, 1971 में स्थापित हुआ था, देश में कच्चे पटसन के बल्क व्यापार को धीरे-धीरे अपने हाथ में ले लेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात के लिये बढ़िया चाय का अभाव

5754. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिए बढ़िया चाय के अभाव से देश की विदेशी मुद्रा की आय में भारी कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कंट्रोल क्लाथ तथा बिना कंट्रोल के क्लाथ का उत्पादन

5755. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और वर्ष 1973 में कपड़ा मिलों के कंट्रोल क्लाथ तथा बिना कंट्रोल के क्लाथ उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में वास्तविक सप्लाई सहित, कंट्रोल क्लाथ की वास्तविक मांग क्या है ; और

(ग) वर्ष 1972 के मुकाबले 1973 में, कंट्रोल क्लाथ विशेष रूप से मोटी किस्म की धोतियों तथा साड़ियों के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान वस्त्र मिलों द्वारा सूती कपड़े तथा नियंत्रित कपड़े के कुल उत्पादन के अलग अलग आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रत्येक राज्य में नियंत्रित कपड़े की वास्तविक मांग के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। वितरण के लिए वस्त्र आयुक्त को मिलों द्वारा बताया गया नियंत्रित कपड़े का स्टाक हर महीने अलग-अलग रहता है। नियंत्रित कपड़े के आबंटन के लिए प्रत्येक राज्य की पात्रता नियंत्रित कपड़े की उपलब्धता तथा राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। अक्तूबर, 1972 से फरवरी, 1974 की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को किये गये आबंटन के बारे में जानकारी संलग्न है।

(ग) मई, 1968 से मार्च, 1974 तक नियंत्रित कपड़े की कीमतों में किसी वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई है।

विवरण

(1) **वस्त्र मिलों द्वारा सूती कपड़े का उत्पादन दर्शाने वाला विवरण**

वर्ष	कुल उत्पादन (लाख मीटरों में)
1972	42460
1973 . . .	41440

(2) नियंत्रित कपड़े का उत्पादन

अवधि	उत्पादन (लाख वर्ग मीटरों में)
दिसम्बर 71/फरवरी 1972 . . .	1010.0
मार्च/मई 1972	970.9
जून 1972 . . .	
जुलाई/दिसम्बर 1972	1640.0
जनवरी/मार्च 1973	640.0
अप्रैल/जून 1973 . .	1460.0
जुलाई/सितम्बर 1973	1000.4
अक्तूबर/दिसम्बर 1973	666.5

मेंढ़क की टांगों का निर्यात

5756. डा० कर्णी सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेंढक की टांगों के निर्यात से वर्ष 1971–72, 1972–73 में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा 1973–74 में कितनी आय होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान बर्फ में मेंढक की जमाई हुई टांगों के निर्यातों का मूल्य 1.25 करोड़ रुपये तथा 2.97 करोड़ रुपये था। अप्रैल-सितम्बर, 1973 की अवधि के दौरान 1.89 करोड़ रुपये के निर्यात पहले ही किये जा चुके हैं और 1973–74 के दौरान कुल निर्यात 4 करोड़ रुपये से भी अधिक होने की आशा है।

इण्डियन एयरलाइंस में कर्मचारियों की कर-मुक्त परिलब्धियां

5757. डा० कर्णी सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस के विमान चालकों, विमान परिचारिकाओं और कुछ अन्य कर्मचारियों की परिलब्धियों का पर्याप्त भाग कर-मुक्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की परिलब्धियां भी कर-मुक्त हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइंस के विमान चालकों, विमान परिचारिकाओं आदि को कोई विशेष छूट नहीं दी गई है और किसी भी अन्य व्यक्ति की भांति उन पर भी आय-कर कानून लागू होता है। तथापि उन्हें कुछ ऐसी सुविधायें प्राप्त हैं जिन पर आय-कर की कटौती लागू नहीं होती है।

कारकास (वेनेज्युएला) में व्यापार मेला आयोजित करने का प्रस्ताव

5758. श्री वीरभद्र सिंह :

श्री इसहाक सम्भली :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कारकास (वैनेज्युएला) में एक व्यापार-मेला आयोजित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां ।

व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद् द्वारा लगाई जाने वाली प्रस्तावित प्रदर्शनी 26 मार्च, 1974 से शुरू हुई और 14 अप्रैल, 1974 तक चलेगी ।

प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के भारी तथा हल्के इंजीनियरी उपस्कर , कृषि उपस्कर, औजार, घरेलू सामान, वस्त्र हस्तशिल्प की वस्तुएं, चाय आदि का प्रदर्शन किया गया है ।

प्रदर्शन के साथ-साथ व्यावसायिक बातचीत के लिए भाग लेने वाली फर्मों के 20 व्यवसाय-प्रतिनिधि भी वहां मौजूद हैं ।

इंडियन एयरलाइन्स के वायुयान बेड़े का भारतीय-करण करने का चरणबद्ध कार्यक्रम

5759. श्री वीरभद्र सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने अपने वायुमान बेड़े के पूरी तरह से भारतीय-करण के संबंध में चरणबद्ध कार्यक्रम लागू करने के लिये कोई दीर्घावधि अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर लिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इस समय सही सही यह नहीं कहा जा सकता कि क्या इंडियन एयरलाइंस के लिये अपने विमान बेड़े का पूर्ण रूप से भारतीयकरण करना संभव होगा और किस समय । तथापि इंडियन एयरलाइंस के वर्तमान विमान बेड़े में एच एस-748 विमान सम्मिलित हैं जिसका निर्माण स्वदेश में ही किया जाता है ।

'एड इंडिया कंसोर्टियम' (भारत सहायता सार्त संघ) से सहायता

5760. श्री वीरभद्र सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता सार्त संघ द्वारा पांचवीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के लिये दी जाने वाली सहायता की राशि के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के लिये लक्ष्य

5761. **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972–73 में चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा उक्त अवधि में वास्तव में कितने मूल्य की ये वस्तूएं निर्यात की गई ; और

(ख) 1973–74 के लिये इन के निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चमड़े के जुतों सहित चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुओं के संबंध में 1972–73 के लिए लक्ष्य 97.50 करोड़ रुपये का था। उस वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात 187.12 करोड़ रुपये मूल्य के थे।

(ख) 180 करोड़ रुपये।

राज्य व्यापार निगम द्वारा एक नयी उत्पाद निर्यात संवर्धन संस्था स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

5762. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार एक नयी उत्पाद निर्यात संवर्धन संस्था स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संख्या का मुख्य उद्देश्य क्या होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

देश में 'सिक्योरिटी पेपर' की कमी

5763. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'सिक्योरिटी पेपर' की कमी है जिसके कारण परिचालन में फटे-पुराने नोटों की बाढ़ आ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) होशंगाबाद की सिक्योरिटी पेपर मिल मजदूरों की लगातार गड़बड़ के कारण 1973 के वर्ष के दौरान करन्सी नोट छापने के कागज की सप्लाई में कुछ कमी रही। हाल में गन्दे नोटों के चलन में हुई वृद्धि का एक कारण यह भी है।

(ख) बैंक नोट का कुछ कागज बाहर से मंगाया जाता है। सिक्योरिटी पेपर मिल में मजदूरों सम्बन्धी स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है और 1974–75 के लिए उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के काउन्टर से नये नोटों को स्टाक की स्थिति के अनुरुप जारी किया जा रहा है और इन में होने वाली कमी को, उन नोटों को दोबारा चला कर पूरा किया जाता है जो अभी चलाये जाने के योग्य हों।

कनाडा के साथ प्रतिकूल व्यापार-संतुलन

5764. श्री राम भगत पासवान : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश का कनाडा के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने निर्यातों के संवर्धन के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं यथा निर्यातकों को सहायता, प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेना तथा आयोजन करना, बिक्री-सह-अध्ययन दल/प्रतिनिधि मंडल प्रायोजित करना, बाजार सर्वेक्षण करना, आदि । व्यापार विकास प्राधिकरण ने कनाड़ा में अनेक फर्मों के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किये हैं और अपने न्यूयार्क कार्यालय के माध्यम से इन फर्मों के साथ सम्पर्क बनाया हुआ है ।

असिस्टेंट फ्लाइट पर्सर के पदों के लिए जनवरी, 1974 में हुई परीक्षा एवं साक्षात्कार

5765. श्री अम्बेश : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असिस्टेंट फ्लाइट पर्सरों के कुछ पद भरने के लिए जनवरी, 1974 में प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कुल रिक्त स्थान कितने थे और कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी लिखित परीक्षा में सफल हुए और कितने साक्षात्कार में अन्ततः पास किए गए ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो क्यों ; और

(घ) चयन करने में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को भी सम्बद्ध किया गया था और यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) (ख) और (घ) असिस्टेंट फ्लाइट पर्सरों की रिक्तियों को भविष्य में भरने के लिये उम्मीदवारों की एक प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) तैयार करने के लिए एयर इण्डिया द्वारा दिल्ली में जनवरी 1974 तथा बम्बई, बंगलोर, कलकत्ता एवं मद्रास में नवम्बर 1973 से फरवरी 1974 के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों का आयोजन किया था । इन परीक्षाओं में अनुसूचित जाति के 303 उम्मीदवार बैठे जिनमें से 73 ने परीक्षा पास की तथा अन्तिम साक्षात्कार के लिए प्रारंभिक चयन पेनल ने चार की शिफारिश की थी । अनुसूचित जनजाति के 25 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे जिन में से 9 ने परीक्षा पास की तथा अन्तिम साक्षात्कार के लिए पेनल ने एक की सिफारिश की । इन उम्मीदवारों का अन्तिम चयन यथासमय वरिष्ठ चयन पेनल द्वारा किया जाएगा ।

कारपोरेशन के कार्मिक निदेशालय के भर्ती तथा प्रबंध अनुभाग से सम्बद्ध अनुसूचित जाति के अधिकारी को वर्तमान चयन के साथ सम्बन्धित नहीं किया जा सका क्योंकि वह किसी अन्य पेनल पर व्यस्त था ।

(ग) 1-1-74 को पिछले वर्षों से आगे लाई गयी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 1 तथा 9 आरक्षित रिक्तियां थीं । एयर इण्डिया की प्रतिक्षा सूची में अनुसूचित जाति के 5 उम्मीदवार हैं जिन्हें असिस्टेंट फ्लाइट पर्सर के पद के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए एप्रेंटिसशिप स्कीम के अन्तर्गत चुना गया था । इन में से एक को आगे लाई गयी रिक्ति पर नियुक्त किया जाएगा । अनुसूचित जनजाति, के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 9 रिक्तियों को उसी जाति के उम्मीदवारों से नियुक्तियां कर के भरने का प्रयत्न किया जाएगा । 1974 के दौरान अनुसूचित

जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने की हालत में तीसरे भर्ती वर्ष में भी बनी रहने वाली रिक्तियों में से तीन रिक्तियां वर्तमान निर्देशों के अनुसार, प्रतीक्षासूची में रखे गये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्रस्तुत की जाएंगी ।

तमिलनाडु से वस्तुओं के निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

5766. श्री एम० कतामुतु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान तमिलनाडु से रबड़, चाय, काफी हथकरघे की वस्तुओं तथा अन्य उत्पादों के निर्यात से सरकार को कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इन वस्तुओं के निर्यातों के आंकडे राज्यवार नही रखे जाते है ।

किसी विशेष राज्य के उत्पादन के निर्यात बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट कदम नहीं उठाये जाते हैं किन्तु देश से निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वे ही राष्ट्रीय स्तर पर चाय, काफी, रबड़ तथा हथकरधा वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिए भी हैं, जो इस प्रकार हैं :

चाय : विदेशों में चाय संवर्धन का कार्य सामान्य तथा एक राष्ट्रीय दोनो ही प्रकार के संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है जिसमें भारत की चाय, यथा नीलगीरी, दार्जिलिंग तथा असम चाय का संवर्धन शामिल है ।

काफी : 1973–74 काफी फसल से निर्यात के लिए एक परिवर्धित कोटा निर्धारित किया गया है । विदेशों में भारतीय काफी को लोकप्रिय बनाने के लिए काफी बोर्ड विदेशों मे होने वाली प्रदर्शनिय तथा व्यापार मेलों में भाग लेता है ।

रबड़ : प्राकृतिक रबड़ के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया है । राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रबड़ का निर्यात करने के लिए 5000 मे० टन की मात्रा निर्धारित की गई है ।

हथकरघा माल : (1) बाजार संभाव्यता तथा उपभोक्ता की पसन्द का अध्ययन करने के लिए विदेशों को प्रतिनिधिमंडल तथा अध्ययन दल भेजना, (2) भारतीय हथकरधा वस्तुओं का व्यापक प्रचार करने के लिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, (3) हथकरधा निर्यातकोंको रंजक पदार्थ तथा रासायनिक पदार्थों के निर्यात के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस देना, तथा (4) गवेषणा तथा प्रयोग करना और हथकरधा बुनकरों आदि को उनकी आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता देना ।

अण्डमान रबड़ बागान निगम की स्थापना

5767. श्री एम० कतामुतु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान रबड़ विकास कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या रबड़ बोर्ड ने अन्दमान में रबड़ बागान लगाना जारी रखने के लिए अण्डमान रबड़ बागान निगम की स्थापना का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कच्चा रबड़ बागान अब तक पुनर्वास विभाग द्वारा चलाया जाता रहा है। चूंकी इन बागानों में नियुक्त किए गए श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों की संख्या नगण्य रही है इसलिए यह प्रस्थापना की गई है कि इस परियोजनाको किसी दूसरे अभिकरण अर्थात् बागान निगम को हस्तांतरित कर दिया जाए जिसकी स्थापना तथा देख-भाल कृषि मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

सूती कपड़ों के निर्यात को बढ़ाने के लिये निर्यातकों की रियायतें

5768. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात प्रोत्साहनों के रुप में कपड़ा उद्योगों को दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) निर्यात प्रोत्साहन से लाभान्वित वस्त्र उद्योग के एकक कौन-कौन से हैं और इससे कितनी राशि का लाभ हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यातक सूती वस्त्रों मिलों को निम्नलिखित सुविधाएं उमलब्ध हैं (i) गैर-कोरे माल के निर्यातों के आधारपर रंजक और रसायन सामग्री के आयात के लिए प्रतिपूरक हकदारी जो निर्यातों के एफ. ओ. बी. मूल्य के 6-1/2 प्रतिशत की दर से दी जाती है, और

(ii) सूती वस्त्र निर्यातक भारतीय सूती मिल फैडरेशन द्वारा उनकी निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत दी जा रही नकद सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) भारत से सूती वस्त्रों की मदों के सभी पात्र निर्यातकों को दिये जा सकने वाले इन निर्यात प्रोत्साहनों से लाभ पहुंचा है। वर्ष 1973 के दौरान मिल निर्मित सूती वस्त्रों के लगभग 175 करोड़ रु० के कुल निर्यातों के आधार पर दिये गये प्रतिपूरक लाइसेंसों का मूल्य लगभग 4 करोड़ रु० होगा।

पेय पदार्थों के कन्सेंट्रेटों और मूल तत्वों का निर्यात

5769. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970, 1971 और 1972 में सोडे आदि जसे पेय पदार्थो के उत्पादन मेंकाम आने वाले कन्सेंट्रेटों और मूलतत्वों का कितना और कितने मूल्य का निर्यात किया गया और इसके कम्पनीवार आंकडे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1970, 1971 तथा 1972 के दौरान पेय पदार्थों के मूलतत्वों तथा कंसेंट्रेटों के कंपनी-वार निर्यात निम्नोक्त प्रकार है :

(मात्रा मे० टन में)
(मूल्य लाख रुपये में)

	1970		1971		1972	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. कोका कोला एक्सपोर्ट कारर्पोरेशन, नई दिल्ली	148	88.85	284	159.17	290	134.62
2. पार्ले बाटलिंग कंपनी, बम्बई	--	--	--	--	उपलब्ध नहीं	0.19

पर्यटन संस्थान द्वारा पांचवी योजना के दौरान पर्यटन, यात्रा प्रबंध और होटल प्रबंध में प्रशिक्षण

5770. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षित कर्मचारियों की बढती आवश्यकता को पूर्ति के लिये पांचवी योजनावधि में होटल प्रबंध पर्यटन और यात्रा प्रबंध में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने का कोई योजना तैयार की है,

(ख) क्या निजी क्षेत्र में भी उक्त प्रशिक्षण के प्रबंध किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है और बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) से (ग) यात्रा उद्योग प्रबंध में व्यावसायिकता का संचार करने तथा यात्रा उद्योग के विभिन्न अंगों में समुचित सेवा व्यवस्था करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने को दृष्टि से पांचवी योजना के दौरान एक पर्यटन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संस्थान सार्वजनिक तथा निज़ी दोनों ही क्षेत्रों में संपूर्ण यात्रा उद्योग, अर्थात होटलों, यात्रा अभिकर्ताओं, एयरलाइनों, परिवहन परिचारिकों, गाइडों तथा सरकारी पर्यटन संगठन, के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। संस्थान की परियोजना का प्रस्ताव एक संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया है। इसके आधार पर, तया इसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गठित किए गए कार्यवालेख दल (वर्किग ग्रुम) द्वारा की गयी सिफारशों के आधारपर, संस्थान की स्थापना करने लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भारत पर्यटन विकास निगम के तथा नीजी क्षेत्र में कुछ अन्य होटल शुंखलाओं के अपने-अपने होटलों में नियुक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अपने-अपने सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं।

पूर्वोत्तर भारत के चाय बागानों में खाद-बीज आदि की कमी

5771. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वोत्तर भारत के चाय बागानों के लिए खाद-बीज आदि की भारी कमी के कारण चाय बागानों के मालिकों को भारी चिन्ता हो रही है तथा उन्हे आशंका है कि इस मोसम में चाय उत्पादन में कमी होगी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस उद्योग की सहायता के लिये शीघ्र खाद-बीज आदि उपलब्ध कराने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क)तथा (ख) तेल संकट तथा कभी कभी कोयले के लिए वैगनों के अनियमित संचलन से उत्पन्न समस्याओं के बावजूद चाय उद्योग के उत्पादन स्तर को बनाये रखने के लिए इस उद्योग की उर्वरकों, भट्टी तेल, कोयला, कीटनाशक/घासपात नाशक दवाइयों जैसी वस्तुओं की अन्तर्निविष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

भारतीय रुई निगम के क्रय कार्यक्रमों की गति बढ़ाना

5772. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रुई निगम के क्रय कार्यक्रमों को गति प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने निगम द्वारा अपने क्रय कार्यक्रमों को अधिक दक्षता से चलाने हेतु अगले वित्तिय वर्ष के दौरान निगम की वर्तमान चुकता पूंजी को दो-गुना करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो विशेष रुप से पश्चिमी तथा दक्षिणी रुई उत्पादन राज्यों से रूई की गांठ खरीदने संबंधी योजना क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सरकारने भारतीय रुई निगम को सलाह दी है कि उसकी नीति का लक्ष्य रुई उगाने वाले विभिन्न राज्यों से उचित मात्रा में खरीद करना और खरिद का समय मंडियों में रूई की आवक के अनुसार तय करना तथा उपलब्ध वित्तिय साधनों के अनुरुप खरीद करना होना चाहिये। वर्ष 1974-75 के दौरान निगम की प्रदत्त पूंजी 1 करोड रु० से बढ़ाकर दो करोड़ रु० किये जाने का विचार है।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को सवारी भत्ता देना

5773. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों के बढ़ने के कारण सवारी की बढ़ती लागत को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने केन्द्रिय सरकारी कर्मचारियों को सवारी भत्ता देने अथवा उन्हें मिलनेवाले नगर प्रतिपूर्ति भत्ते में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि होने के संदर्भ में केन्द्रिय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर महगाई-भता मंजूर किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ परिवहन-व्यय की वृद्धी को भी ध्यान में रखा जाता है इसलिए, इस प्रयोजन के लिए, नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ते में वृद्धिकरना अथवा अलग सवारी भत्ता देना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और खपत

5774. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और उसकी खपत में लगभग ठीक संतुलन है;

(ख) क्या यदि प्राकृतिक रबड़ की निर्यात नीति जारी रखी गई, तो इससे कृत्रिम रबड़ के आयात पर अनावश्यक रूप से विदेशी मुद्रा खर्च होगी क्योंकि माल संबंधी अथवा अन्य संकटों से देश में उसके उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती ;

(ग) क्या सरकार प्राकृतिक रबड़ के निर्यात की नीति में परिवर्तन करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन तथा खपत का हिसाब लगाते हुए सरकार ने फिलहाल राज्य व्यापार निगम को देश से केवल 5000 मैं० टन प्राकृतिक रबड़ निर्यात करने की अनुमति दी है। इसमें से 28 मार्च, 1974 तक 147 लाख रु० मूल्य का 2600 मे०टन निर्यात किया गया है। 1973-74 के अंत में रबड़ (प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट) का अनुमानित स्टाक रबड़ उत्पादक उद्योग की 5 महिनों की

आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। सरकार स्थिति का निरन्तर अवलोकन कर रही है और केवल उतनी ही मात्रा में रबड़ के निर्यात की अनुमति दी जाएगी, जो कि देश इस उद्योग की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात बचा सकता है।

प्राकृतिक रबड़ की मूल्य नीति

5775. **श्री समर गुह : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में कमी तथा प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के नीति से प्राकृतिक रबड़ के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ;

(ख) क्या इस मूल्य वृद्धि से रबड़ के जूतों सहित रबड़ से बनी अन्य वस्तुओं के मूल्यों में अधिक वृद्धि होने की संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो इससे निम्न आय वर्ग की जनता पर प्रभाव पड़ेगा जो अधिकतर रबड़ से बनी वस्तुओं, विशेषकर रबड़ के जूतों का उपयोग करते हैं ;

(घ) क्या सरकार विचार प्राकृतिक रबड़के अधिकतम तथा निम्नतम मूल्यों में संतुलन रखने की नीति अपनाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्राकृतिक रबड़ की मूल्य नीति के बारे में तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमत मामूली बढ़ गई है जो पूरी तरह से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 5000 मे० टन के निर्यात कार्यक्रम के फलस्वरूप नहीं हुई है, ऐसी संभावना है कि कच्चे रबड़ की नई आवक से कीमतें कम होकर स्थिर हो जायेगी लेकिन न्यूनतम समर्थन कीमत से अधिक रहेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) सरकार ने विभिन्न ग्रेडों के रबड़ की केवल न्यूनतम कीमतें ही निर्धारित की हैं और उनके लिए कोई अधिकतम कीमत निर्धारित नहीं की है। फिलहाल इस मद के लिए कोई अधिकतम कीमत तय करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

रुपए में भुगतान से व्यापार

5776. **श्री समर गुह : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ तथा पूर्व यूरोपीय देशों के साथ रुपया व्यापार करार से भारत में विदेशी मुद्रा की वृद्धि क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त साम्यावादी देशों के साथ इस प्रकार के रुपया व्यापार की रिश्वत बैंक के कुछ अर्थ-शास्त्रियों तथा विशेषज्ञों ने आलोचना की हैं तथा इसे उन देशों से (नैगेटिव एन्ड ट्रान्सफर) प्रतिकुल सहायता-अंतरण बताया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

7—11 LSS/74

(ख) भारत रुपया भुगतान देशों के उर्वरकों, अलौह-धातुओं, इस्पात से बने उत्पादों, पेट्रोलियम उत्पादों, अखबारी कागज, औद्योगिक कच्चा माल जैसे कि एस्बेस्टोस, कैप्रोलैक्टम आदि जैसी आवश्यकता वस्तुओं का काफी बड़ी मात्रा में आयात कर सकता है जिसके लिए अन्यथा मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होता है। इसके अलावा, रुपया भुगतान देशों ने हमें परम्परागत तथा अपरम्परागत माल के हमारे निर्यातों का विविधीकरण करने के लिए बाजार प्रदान किया है जहां इकाई मूल्य प्राप्ति शेष विश्व में प्रचलित कीमतों के साथ मेल खाती रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल द्वारा पेरिस का दौरा

5777. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में पेरिस के दौरे पर गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि, फरवरी 1974 में पेरिस में अधिकारियों के अध्ययन दल की जो बैठक हुई थी उसके संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस की यात्रा की। अध्ययन दल ने अपने विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में भारत-फ्रांस आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग की गुंजाइश का अध्ययन किया।

अलाभप्रद निर्यात

5778. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :
श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष देश से किये गये निर्यात से कच्चे माल की लागत भी वसूल नहीं हो सकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हमारी बहुत सी वस्तुओं के निर्यात मूल्य उनकी लागत से बहुत ऊंचे हैं। तथापि, कुछ उत्पाद हैं जिनका निर्यात मूल्य उनकी लागत से कम है।

(ख) अन्य बातों के साथ साथ इसके कारण हैं : उत्पादन स्तर, न वापस होने वाली लेवी तथा कर, विदेशों में भेदमूलक भाड़ा दरें तथा लेवियां व कर, कच्चे माल की लागत में अस्थायी वृद्धि तथा ऐसी अन्य बंदिशें।

(ग) ऐसी निर्यात वस्तुओं के संबंध में, जिनसे यथा समय लागत पूरी होने और विदेशी मुद्रा आय में कास्टिंग तथा एफ० ओ० बी० मूल्य सहित निवल वृद्धि की संभाव्यता है, प्रत्येक मामले के गुण-अवगुणों के आधार पर जांच की जाती है और संवर्धनात्मक सहायता देने के अलावा ऐसी जांच के आधार पर उपयुक्त मआवजा सहायता दी जाती है।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान को अमरीकी सहायता

5779. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने पी० एल० 480 निधी में से केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) स्थिति का पता लगाया जा रहा है और इसकी सूचना सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Upgradation of Jamshedpur and Tatanagar, Bihar

5780. Shri Ramavtar Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Jamshedpur city of Bihar has fulfilled the condition for being declared class B-2 city;

(b) whether Government have decided to upgrade Tata Nagar; and

(c) if so, the nature of the decision taken in this regard and the reasons for the delay in announcing the upgradation?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) to (c) In terms of Government's decision on the recommendations of the Third Pay Commission, Jamshedpur Urban Agglomeration, as shown in the 1971 Census Report (which comprises Jamshedpur Notified Area and the Railway Colony) qualifies for upgradation to 'B-2' class for the purpose of grant of Compensatory (city) allowance. Orders giving effect to the decisions taken by Government on the Third Pay Commission's recommendations on city compensatory and house rent allowances have not as yet issued, as representations were received from certain staff associations regarding the date of effect and for making certain other changes of a procedural nature. The matter was also raised by the Staff Side in the National Council set up under the Joint Consultative Machinery and, on their request, the matter was referred to a Committee of the National Council for consideration. In the light of the discussions in the Committee the various issues are being examined.

Demand of Central Excise and Customs Ministerial Officers Union, Patna

5781. Shri Ramavtar Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Central Excise and Customs Ministerial Officers Union, Patna sent a Memorandum on 12th February, 1974 to the Chairman of the Central Board of Excise and Customs, New Delhi;

(b) if so, their main demands; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) Yes, Sir.

(b) The Union demanded that before 14th March, 1974, land at Patna for construction of residential units negotiated by the Collector of Central Excise, Patna with the private owners should be purchased and satisfactory progress in respect of construction on the land opposite Sinha Library, Patna and outside Patna should

be made. Otherwise the General Secretary of the Union would start fasting unto death from 15th March, 1974 followed, if necessary, by the President, Vice President and other members of the Union.

(c) In consideration of the fact that the efforts to secure land at Patna in the past had failed and now the Collector of Central Excise, Patna has been able to negotiate for suitable land with the private owners and also there is large concentration of staff at Patna of both Income-tax and Central Excise Departments, the Government have, as a very special case in relaxation of the recent economy instructions, approved the purchase of land at Patna and construction of quarters opposite Sinha Library at Patna.

As regards construction outside Patna, against the background of the present financial stringency, there is a general ban imposed by the Government of India on constructions which have not yet started or proceeded beyond the plinth level due to which it has not been possible to process the construction programme at these places.

रूस से आयातित रुई की गांठों पर मंत्रालयों का परस्पर झगड़ा

5782. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों के परस्पर के झगड़े के कारण रूस से आयातित रूई की लगभग 35,000 गांठों का निपटान रुका पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई का आयात

5783. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी और कितने मूल्यकी अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रूई का आयात करने का विचार है;

(ख) इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन, बम्बई द्वारा उस पर कितना अधिभार वसूल किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का निर्णय इस देश में "फाइन और सुपरफाइन" कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिये विदेशी मुद्रा खर्च करते रहना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 20 करोड़ रुपये के मूल्य की 1.5 लाख गांठे ।

(ख) इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन अपनी निर्यात संवर्धन निधि बढ़ाने हेतु निर्यातित रुई की प्रति गांठ पर 475 रुपये का एक प्रीमियम लेता है ।

(ग) पिछले दो वर्ष में लम्बे/अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रूई के आयात में तीव्र गिरावट आई है । कई कारणों से जिनमें मिस्र तथा सूडान को हमारा निर्यात व्यापार कायम रखना शामिल है, निकट-भविष्य में इन देशों से रूई के कुछ आयात जारी रखना होगा ।

दमदम हवाई अड्डे पर अन्तर्देशीय उड़ानों के लिये अड्डों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किया गया खर्च

5784. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमदम हवाई अड्डे पर अन्तर्देशीय उड़ानों के लिये बने अड्डे के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर आज तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या उक्त अड्डे को साथ ही में बने अन्तर्राष्ट्रीय अड्डों को हस्तांतरित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय का उद्देश्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय अड्डे पर पर्याप्त आवागमन दिखाई देता रहे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) दमदम विमानक्षेत्र पर अंतर्देशीय टर्मिनल भवन के सुधार पर आज तक हुआ व्यय 5.47 लाख रुपए बनता है ।

(ख) और (ग) अंतर्देशीय टर्मिनल भवन का, यातायात अनुमानों के आधार पर, काफी विस्तार एवं सुधार करने की आवश्यकता होगी । वित्तीय परिसीमाओं (पाबंदियों) के कारण अंतर्देशीय कार्य-कलाप को अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन में, जहां स्थान उपलब्ध है, स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया है ।

विभिन्न जूट उत्पादों के मूल्य

5785. श्री इन्द्रजीत गुप्त :क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रो-रसायनों पर आधारित संश्लिष्ट उत्पादों के उत्पादन में गिरावट के कारण जूट के विभिन्न उत्पादों के वर्तमान मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है;

(ख) टाट हैसियन और कालीन के अस्तर की मानक किस्मों के मूल्यों के संबंध में नवीनतम आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या जूट मिलों को 1974-75 के दौरान तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग में वृद्धि के कारण अभी हाल ही में पटसन माल की कीमतें बढ़ गई हैं । बिजली की बार बार कमी, उद्योग में हड़ताल आदि से मांग तथा सप्लाई के बीच असंतुलन पंदा होने से कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है ।

(ख)	एफ० ए० एस०/100 गज/ बोरे
(1) हैशियन	173।– रुपये
(2) कालीन अस्तर	5200।– (निश्चित)
(3) **सैकिंग**	
(1) बी० ट्विल्स	342।– रुपये
(2) एच० सी० सीमेंट	347।– रुपये

(ग) उद्योग की समग्र लाभकारिता में सुधार होने की संभावना है हालांकि उंची कीमतों का लाभ सरकार द्वारा अभी हाल ही में लगाये गये बढ़े हुए शुल्कों से काफी कम हो जाएगा।

Income from entry tickets at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras Airports

5786. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of income earned during the last one year from entry tickets at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras airports;

(b) whether Government propose to increase the entry fee at airports also keeping in view the increased rate of railway platform tickets; and

(c) if so, the salient features thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) The income earned by International Airports Authority of India from entry tickets during 1972-73 and from 1-4-73 to 31-1-74 is as follows :—

Airport	Income during 1972-73	Income during 1-4-73 to 31-1-74	Total (Rupees in lakhs)
	(Rs. in lakhs)		
Bombay .	11.76	10.49	22.25
Calcutta .	4.97	4.30	9.27
Delhi . .	7.78	6.34	14.12
Madras . . .	4.31	3.75	8.06
Total .	28.82	24.88	53.70

(b) No, Sir, not for the present.

(c) Does not arise.

जीवन बीमा निगम द्वारा अपने पालिसीधारियों को दिया गया बोनस

5787. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1971 से अपने पालिसीधारियों को जो बोनस अ द किया जा रहा है उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) क्या प्रीमियम दर में 25 प्रतिशत तक की कमी करने की प्रशासनिक सुधार आयोग की एक समिति की सिफारिश के बावजूद, जीवन बीमा निगम पालिसीधारियों को ये लाभ नहीं दे सका है;

(ग) क्या पालिसीधारियों को सब से अधिक हानि हो रही है और जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित लाभ सिब्बन्दी पर खर्च किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो बोनस की दर में वृद्धि न करने के क्या कारण हैं और पालिसीधारियों को लाभ का पर्याप्त हिस्सा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, हां । 31 मार्च 1973 को समाप्त दो वर्षों के लिये घोषित बोनस की दर वही है जो तत् पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिये थी।

(ख) और (ग) विस्तृत समीक्षा करने के बाद जीवन बीमा निगम ने बीमा की कुछ अलाभ योजनाओं के अंतर्गत प्रीमियम की दरें 1970 में कम की थीं और कुछ अन्य योजनाओं के अंतर्गत अपनी प्रीमियम की दरें 1971 में कम की थीं। तथापि, विस्तृत समीक्षा से पता चला कि भविष्य के व्यय की प्रवृत्ति की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुये व्यय में स्थिरता आने तक सलाभ योजना के अंतर्गत दरों में किसी प्रकार के संशोधन का विचार स्थगित रखना ही वांछनीय होगा, विशेषतः इसलिये की अधिशेष का 95 प्रतिशत भाग में से सलाभ पालिसीधारियों को बोनस देकर न्याय किया जा सकता है।

(घ) बोनस की दरें, समय समय पर होने वाले बीमांकिक मूल्यांकन से प्रकट अधिशेष की मात्रा पर निर्भर करती है। मुद्रास्फीती के कारण प्रशासनिक व्यय में वृद्धि ने बोनस की दर बढ़ाने के मार्ग में रुकावट डाली है। फिर भी, जीवन बीमा निगम कारोबार के लाभों में सुधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और तदर्थ विभिन्न प्रयास कर रहा है।

जीवन बीमा निगम के कारोबार की वृद्धि की दर

5788. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से भारतीय जीवन बीमा निगम के कारोबार की वृद्धि की दर क्या रही है;

(ख) इन वर्षों में राष्ट्रीय आय की तुलना में जीवन बीमा निगम के कारोबार की प्रतिशतता क्या रही; और

(ग) क्या जीवन बीमा निगम के कारोबार को इसकी वर्तमान अवस्था से काफी आगे बढ़ाने के अवसर विद्यमान है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किये जा रहे है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारत में नये बीमा कारोबार में वर्ष 1965–66 से प्रत्येक वर्ष की वृद्धि की दर और राष्ट्रीय आय के प्रति भारत में चालू कारोबार का अनुपात नीचे लिखे अनुसार है :—

वर्ष	भारत में नये कारोबार में वृद्धि की प्रतिशत दर	राष्ट्रीय आय के प्रति भारत में चालू कारोबार का अनुपान
1	2	3
1965–66	+14.38	20.77
1966–67 . .	— 3.97	19.22
1967–68 .	+10.22	18.03
1968–69 . . .	+10.20	19.54
1969–70 .	+ 1.42	20.22
1970–71 . . .	+26.20	21.04
1971–72 . . .	+25.85	22.01
1972–73	+26.58	22.40

(ग) जी, हां। जीवन बीमा निगम ने अपने कार्यालयों का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे आसपास के क्षेत्रों के निवासियों की बीमा सेवा सरलता से की जा सके। जिन क्षेत्रों में कारोबार अभी तक पूरी तरह नहीं फैल पाया हैं उन में, कारोबार बढ़ाने के लिये, जीवन बीमा निगम ने एक सुगठित और कुशल विक्रय दल बनाने का उपाय भी किया है।

पुन: कटौती के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कपड़ा उद्योग को दी गई सहायता के स्तर में वृद्धि

5789. श्री वी० मयावन :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास बैंक से इसके द्वारा कपड़ा उद्योग को बिल पुन: कटौती योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता के स्तर में वृद्धि किए जाने की पुन: मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर औद्योगिक विकास बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भी कपड़ा उद्योग को अधिक सहायता तत्काल दिए जाने की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करने के लिए हाल में बैठक की थी जिससे कपड़ के निर्यात में वृद्धि हो सके ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) हुंडियों को फिर से भुनाने की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजना के अन्तर्गत, कपड़ा मशीन क्रेता एकक के लिए सीमित वर्ष (पहली अक्टूबर–30 सितम्बर) के लिए अन्य बातों के साथ साथ, 50 लाख रुपये की उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी है। पिछले वर्ष भारी उद्योग मंत्रालय ने विकास बैंक से अनुरोध किया था कि वह इस योजना के अन्तर्गत, कपड़ा बनाने की मशीनों की खरीद करने वाले उन एककों के लिए, जिनके पास 50,000 से अधिक तकुए अथवा 500 करघे की क्षमता हो, वार्षिक ऋण सीमा को एक करोड़ रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करे। कपड़ा मशीन निर्माता संघ ने भी सरकार के पास इसी आशय का प्रत्यावेदन दिया था। भारी उद्योग मंत्रालय ने भी विकास बैंक को यह सुझाव दिया था कि वह अलग से एक ऐसी योजना तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार करे जिसके अन्तर्गत, विकास बैंक द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किये जाने के बाद एक करोड़ रुपये तक की सहायता दी जा सके। किन्तु मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से इन प्रस्तावों को अमली रूप देना बैंक के लिए सम्भव नहीं था :—

(i) चूंकि, इस योजना के अन्तर्गत, सम्बद्ध परियोजनाओं की सक्षमता का कोई विस्तृत मूल्यांकन किये बिना ही सहायता दी जाती है इसलिए सहायता की राशि बहुत बड़ी नहीं हो सकती;

(ii) यद्यपि छोट और मध्यम दर्जे के एकक आधुनिकरण करने के लिए आवश्यक मशीनों की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, किन्तु बड़े एककों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के अनुपूरक साधनों के रूप में ही इन सुविधाओं से लाभ उठायेंगे न कि सम्पूर्ण परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए;

(iii) इस योजना के अन्तर्गत निश्चित ऋण सीमा से अधिक रकमों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़े एककों को अन्य स्रोतों से सहायता प्राप्त हो सकती है जैसे विकास बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋणों तथा हामीदारी के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता ;

(iv) परिवर्तनीयता की शर्तों को देखते हुए, जो अब प्रत्यक्ष सहायता से संबंद्ध की जा रही है गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों की यह प्रवृत्ति हो सकती है कि वे अखिल भारतीय सावधि वित्तीय संस्थाओं से प्रत्यक्ष सहायता लेने से बचने लगें; और

(v) विकास बैंक की साधनों की सीमित स्थिति।

जनवरी, 1974 में, वस्त्र मशीनरी निर्माता संघ ने फिर से विकास बैंक से, हुंडिया भुनाने वाले बैंकों की सीमाओं को उपयुक्त रूप से बढ़ाने के लिये अनुरोध किया था ताकि ये बैंक योजना के अन्तर्गत इनको अधिक सुविधाएं दे सके। संघ को सूचित किया गया है कि (i) योजना के अंतर्गत स्वदेशी मशीनरी की बिक्री के लिए उपयुक्त ऋण देने के सम्बन्ध में हुंडिया भुनाने वाले बैंकों के पास, स्वीकृत सीमाओं का उपयोग में न लाया गया काफी भाग उपलब्ध था; और

(ii) विकास बैंक हुंडिया भुनाने वाले बैंकों को अतिरिक्त सीमाओं की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए हमेशा तैयार हैं बशर्ते कि पहले से स्वीकृत की गई सीमाओं का काफी हद तक उपयोग किया गया हो।

(ग) जी, नहीं।

भारतीय वस्तुओं में रूस की रूचि

5790. श्री एम० एस० पुरती :
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने बुनी हुई वस्तुओं और तम्बाकु, सिले-सिलाये कपड़े और जूते जैसे अन्य सामान के व्यापार के प्रति रूचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां।

(ख) 1974 के भारत-सोवियत व्यापार संलेख में जिसपर 21 जनवरी, 1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे, निर्यात स्तर लगभग 320 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है और इस वर्ष सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली मदों में बुना हुआ माल (निटवीयर), तम्बाकू, सिले-सिलाए परिधान, जूते आदि शामिल हैं।

गुजरात को वित्तीय सहायता

5792. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, क्या उक्त राज्य के राज्यपाल के सलाहकार द्वारा यह तथ्य केन्द्र सरकार के सामने लाया गया था;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय संकट का सामना करने के लिये राज्य सरकार को क्या सहायता दी गई है; और

(घ) क्या उक्त धनराशि अन्य राज्यों से खाद्यान्न खरीदने के लिये भी पर्याप्त नहीं है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राज्यपाल के सलाहकार ने समय समय पर भारत सरकार से वित्तीय सहायता के लिये अनुरोध किया है। इन अनुरोधों के आधार पर, 1973–74 में, भारत सरकार ने दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत व्यय के लिए 56.25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। कडना परियोजना

के लिये भी 3.50 करोड़ रुपये तथा साबरमती तापीय बिजली परियोजना के लिये 2.80 करोड़ रुपये दिये गये जो आयोजना के लिये दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता के अलावा है।

(घ) राज्य सरकार के पास अनाज की खरीद के लिये पर्याप्त धन है।

मूंगफलीं का निर्यात

5793. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री निहार लास्कर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा मुंगफली के अपने उत्पादन का केवल 2 प्रतिशत भाग ही निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) इसके निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज):(क) भारत मुंगफली के अपने कुल उत्पादन का केवल लगभग 0.5 प्रतिशत मात्र निर्यात करता है।

(ख) खाने के काम के लिए केवल अधिक मोटे किस्म की मुंगफली जिसे एच० पी० एस० (हाथ से चुनी हुई व छंटी हुई) मुंगफली कहा जाता है, के निर्यात की अनुमति दी जाती है विदेशी बाजारों से मांग को देखते हुए निर्यात कम है।

(ग) निर्यातों में कोई भी और वृद्धि अधिक उत्पादन तथा निर्यात के लिए प्रतियोगी कीमतोंपर उसकी उपलब्धता पर निर्भर करेगी। मुंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

भारत और अमरीका के बीच कपड़ा करार का संशोधन

5794. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 के कपड़ा करार में संशोधन करने के बारे में भारत और अमरिका के बीच वार्ता शुरु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका सरकार से कुछ प्रारुप प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष 1970 के कपड़ा करार में संशोधन करने के बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (घ) दिसम्बर, 1973 में हुई बातचीत के बाद वस्त्रों से संबंधीत वर्तमान पक्षीय करार में संशोधन के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ कतिपय व्यापक समझौते कर लिये गये हैं। इन समझौतों के बाद अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा करार के संशोधन से संबंधित प्रस्तावों का मसौदा हमें दें दिया गया है। ये छोटे के परिणा, करार की कालावधि आदि के बारे में हैं। प्रस्तावों के मसौदे का अध्ययन किया जा रहा है और करार में किये जाने वाले संशोधनों को अन्तिमरूप देने के लिए शीघ्र ही आगे बातचीत होने की संभावना है।

भारतीय निर्यात संगठनों का पुनर्गठन

5795. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री निहार लास्कर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बी० नेहरु की अध्यक्षता में गठित द्वि-सदस्यीय पेनल ने सुझाव दिया है कि देश के निर्यात प्रयासों में पूरक रूप में भारतीय निर्यात संगठनों को राष्ट्रीय फोरम में बदलने के लिये विभिन्न चरणों में इनका पुर्नगठन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सुझाव की कहां तक जांच की है; और

(ग) पैनल की अन्य मुख्य शिफारिशें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ पहले ही देश के निर्यात संवर्धन सम्बन्धी निकायों का शीर्ष संगठन है जो उनके निर्यात प्रयत्नों का समन्वय करता है। अतः भा० नि० सं० परिसंघ को बदल कर उसे राष्ट्रीय मंच बनाने के बारे में किसी और सुझाव का प्रश्न नहीं उठता ।

भा० नि० सं० परिसंघ के प्रबंधकों ने दो सदस्यों के पैनता द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर परिसंघ के कार्यचालन की पुनर्गठन की योजना बनाई है। परिधान की योजना कई वस्तु और क्षेत्रीय पैनलों का सृजन करने के सम्बन्ध में है। निर्दिष्ट वस्तुओं के वस्तु पैनल सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करेंगे जबकि क्षेत्रीय पैनल लक्ष्य वाले क्षत्रों को निर्यात बढ़ाने की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रीत करेंगे ।

वर्ष 1973 में भारत का दौरा करने आये विदेशी पर्यटकों की राष्ट्रीयता-वार संख्या

5796. श्री नारायण चन्द पराशर :

श्री त्रिदिब चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में भारत का दौरा करने आये विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन पर्यटकों की राष्ट्रीयता वार संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त पर्यटन के फलस्वरूप उक्त अवधि में कुल कितना विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 409, 897।

(ख) 1973 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के राष्ट्रीयतावार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 6633/74]

(ग) वर्ष 1973 के दौरान अर्जित की गयी कुल विदेशी मुद्रा का अनुमान 67.5 करोड़ रुपए लगाया जाता है ।

भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम द्वारा संकटग्रस्त मिलों को सहायता

5797. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम द्वारा वर्ष, 1971, 1972 और 1973 में राज्यवार सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की कितनी संकटग्रस्त मिलों को सहायता प्रदान की गई; और

(ख) इन वर्षों में वर्ष-वार उन्हें कुल कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा 1971-1972 और 1973 के वर्षों में संकटग्रस्त मिलों को दी गई पुनर्निर्माण सहायता का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	अप्रैल, 1971 से दिसम्बर 1971 तक	जनवरी, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक	जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक	जोड़
आन्ध्र प्रदेश . .		1	..	1
बिहार .	..	..	1	1
दिल्ली . .	..	1	..	1
केरल		..	1	1
महाराष्ट्र .	..	1	..	1
तमिलनाडु .	..	1	..	1
पश्चिम बंगाल	28	27	11	66
जोड़ .	28	31	13	72

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम प्रायः सरकारी क्षेत्रों के एककों को सहायता नहीं देती है। किन्तु एक कोयला एकक का, जिसे 1971 में निगम द्वारा सहायता की मंजूरी दी गई थी, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। उपर्युक्त राज्यवार ब्यौरे में 7 ए से संकटग्रस्त/बंद औद्योगिक एककों को दी गई सहायता शामिल है जिनका प्रबंध सरकार द्वारा औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत, अपने हाथ में ले लिया गया है।

(ख) निगम द्वारा स्वीकृत और संवितरित कुल सहायता रकम का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाखों में रुपये)

	स्वीकृत	संवितरित
अप्रैल, 1971 से दिसम्बर, 1971 तक . .	371.70+	99.17
जनवरी, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक	792.42*	333.79@
जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक .	590.74	468.53@
जोड़ .	1754.86	901.49†

@संवितरित रकमों का सम्बन्ध पिछले वर्षों में दी गयी स्वीकृतियों से भी है।

+एक एकक को 13.94 लाख रुपये का एक ऋण दिया गया जो बाद में रद्द कर दिया गया।

*एक एकक को 18.00 लाख रुपये का ऋण दिया गया जो बाद में रद्द कर दिया गया।

†52 एककों को वास्तव में रकमें दी गयी जबकि 72 एककों को सहायता मंजूर की गयी थी।

आयकर अदा न करने वाले व्यक्ति

5798. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों और दिल्ली तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1973-74 में कितने लोगों ने आयकर अदा नहीं किया;

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने आयकर अदा करने वाले ऐसे लोगों को सुविधाएं देने हेतु पर्याप्त कार्यवाही की है जो निश्चित तिथियों में अपने विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके हों ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) मांगी गयी सूचना, जैसी कि वह 28-2-74 31-3-73 और 31-3-72 को थी, एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) जिन निर्धारितियों की कुल आय 15,000 रु० से अधिक नहीं है, उन की सहायता करने के लिए, सरकार ने 1-9-72 से "मौके पर कर निर्धारण योजना" लागू की । इस योजना के अन्तर्गत जिन निर्धारितियों ने विगत समय में अपनी आयकर विवरणियां दाखिल नहीं की थीं, वे स्वेच्छा से आय की विवरणियां भर कर अपना आयकर निर्धारित करा सकते थे । यह योजना 28-2-1973 तक विद्यमान थी और इसमें दंड से मुक्ति की व्यवस्था थी ।

इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (पए०), आयकर आयुक्त को अपने विवेक पर ऐसे मामलों में किसी निर्धारिती पर लगने वाले दंड को माफ अथवा कम करने का अधिकार देता है, जिनमें निर्धारिती नियत समय में आय अथवा धन की विवरणी दाखिल करने में असमर्थ रहता है बशर्ते कि निर्धारिती, उसे कोई नोटिस जारी किये जाने से पूर्व, ऐसी विवरणी प्रस्तुत कर देता है । ऐसे मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही माफ करने की भी कानून में व्यवस्था है बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी की गयी हों ।

अन्य देशों को मांस का निर्यात

5799. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री सी० के० चन्द्रापन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांस की अन्तर्राष्ट्रीय कमी को देखते हुए भारत के द्वारा मांस को निर्यात करने की बड़ी सम्भावना है;

(ख) क्या अनेक राज्यों में गोहत्या विरोधी कानून मांस परिष्करण उद्योग के विकास में बाधा बने हूये हैं ;

(ग) क्या सरकार मांस की निर्यात आवश्यकता को पूरा करने के लिये केरल में एक बड़ा मांस परिष्करण संयंत्र स्थापित करने के बारे में बिचार कर रही है जहां गौ-हत्या विरोधी कानून नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) जी नहीं । तथापि, केरल कृषि उद्योग निगम भैसोंका वध करने के लिए एक मांस प्रोसेसिंग संयंत्र लगा रहा है ।

नारियल जटा उत्पादों के निर्यात में कमी

5800. श्री सी० जनार्दनन :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों के निर्यात की मात्रा में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आयात करने वाले उन देशों के नाम क्या हैं जहां इसके निर्यात में कमी हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल फरवरी 1973-74 के दौरान कयर उत्पादों के निर्यातों में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 3,637 मे० टन की गिरावट रही। निर्यात की मात्रा में गिरावट का मुख्य कारण यह था कि कयर धागे की कुल खरीद कम हुई और साथ ही, यह भी कारण था कि 1974 में कोचीन पत्तन पर श्रमिकों ने हड़ताल कर दी है।

(ग) प्रमुख आयातक देश ये हैं :—पश्चिम जर्मनी, युगोस्लाविया, जापान, बर्मा, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, सोवियत संघ, रूमानिया तथा सं० राज्य अमरिका।

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के अनुचित कार्यों की जांच करना

5801. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डियाने, जिसे सरकार द्वारा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के कुछ अनुचित कार्यों के बारे में जांच करने के लिये कहा गया था, इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्यों का इशारा नेशनल एण्ड ग्रण्डलज बैंक लिमिटेड के खिलाफ लगाये गये कुछ आरोपों की ओर है जिनकी जांच पड़ताल भारतीय रिजर्व बैंक कर रहा है। चूंकि जो सामग्री अभी तक रिजर्व बैंक को प्राप्त हुई है वह कुछ आरोपों के बारे में किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिये काफी नहीं है इसलिये रिजर्व बैंक ने इस बैंक से सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में पूरी सूचना देने के लिये कहा है।

कमर्शियल बैंकों से राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट लेना

5802. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्य सरकारें कमर्शियल बैंकों से ओवर ड्राफ्ट ले रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इन ओवरड्राफ्टों का भुगतान ऋण संबंधी रियायतों में बदल दिया गया है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और 1972-73 और 1973-74 के वर्षों में, राज्यवार, ओवरड्राफ्टों की कुल कितनी राशि ऋणों के रुप में बदली गयी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सामान्यत: राज्य सरकारें अन्न वसूली कार्यों, उर्वरकों और हानिकर कीटों का नाश करने वाली दवाओं के वितरण जैसी विशिष्ट योजनाओं और विभागीय रूप से चलाए जाने वाले उद्यमों आदि के लिए ही वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती हैं।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

ट्रेड एण्ड टैरिफ कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा व्यापार प्रक्रियाएं प्रारम्भ करने में विलम्ब

5803. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेड एण्ड टैरिफ कौंसिल आफ इंडिया द्वारा व्यापार प्रक्रियाएं प्रारम्भ करने में विलम्ब का मुख्य कारण सरकार द्वारा धनराशियां देने में विलम्ब ही है; और

(ख) यदि नहीं, तो गत 12 मास में सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की और निर्मुक्त की तथा निगम की इस सम्बंध में मागें क्या थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्ष 1973-74 में निगम द्वारा की गई 8.14 लाख रुपये की मांग के आधार पर 6 लाख रुपये रिलीज किय गए थे ।

Rules for Opium cultivation

5804. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether opium cultivators are not allowed to sow any other crop that ripens before the opium crop or several months after it (*e.g.* onion, sugarcane etc.) in the opium fields; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) Licences for cultivation of poppy are issued to those cultivators who agree that no other crops will be sown or grown in opium poppy fields in terms of the conditions of the licences granted to them. But many poppy cultivators grow onions or garlic or coriander on ridges of poppy fields which in practice is permitted. However, as a special case, mixed cultivation of opium poppy and sugarcane is allowed in 15 miles' belt on either side of railway line from Ratlam to Mandsaur.

(b) General permission for mixed cultivation of opium poppy with other crops is not given as some crops have been found to harm poppy crop resulting into lesser yield of opium. This also might result in illicit cultivation of opium poppy under the cover of other crops.

Capital invested in Joint Ventures Abroad

5806. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri B. S. Bhaura :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the present joint ventures and the countries in which Indian industrialists or the Government of India have invested capital; and

(b) the particulars about the total capital invested in each such venture?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) and (b) A statement is enclosed. [*Placed in the Library. See No. LT*-6634/74.]

Government of India have not invested capital in any of our industrial joint ventures abroad.

विमानन टरबाइन ईंधन में उत्पादन शुल्क तथा कर संबंधी रियायतें देने के लिये इंडियन एयरलाइन का अभ्यावेदन

5807. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन टरबाइन ईंधन में कुछ उत्पादन शुल्क तथा कर सम्बन्धी रियायतें देने के लिये इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है ;और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

5808. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974-75 जिलावार बिहार में वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां बैंक शाखायें खोली जायेंगी; और

(ख) देश के प्रत्येक राज्य और विहार के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शाखा कुल कितनी जनसंख्या की सेवा करती है और अत्यन्त पिछड़े जिलों के अखिल भारतीय स्तर की औसत पर लानेके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश के अनुसरण में वाणिज्यिक बैंक शाखा विस्तार के लिए तीन वर्षीय आवर्ती आयोजनाएं बनाते हैं। बैंक इस समय 1974-76 के तीन वर्ष के लिए आयोजना बनाने में व्यस्त हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि जनवरी, 1974 के अन्त में वाणिज्यिक बैंकों के पास बिहार में कार्यालय खोलने के लिए 146 लाइसेंस/आबंटन थे । उन केन्द्रों के नाम जिनके सम्बन्ध में ये लाइसेंस/आबंटन हैं अनुबन्ध i में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6635/74]**

(ख) बैंक सुविधाओं के मामले में जो प्रादेशिक असंतुलन है वह पहले से चली आ रही कमियों के परिणामस्वरुप है। पिछले साढ़े चार वर्षोंकी की अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंक जिनमें उन क्षेत्रों में, बिहार राज्य भी शामिल है, अधिक कार्यालय खोलने की आवश्यकता की ओर ज्यादा ध्यान दे रहेहै, जिनमें बैंकों की संख्या अब तक कम थी। शीर्ष बैंक योजना क्रियान्वयन ; बैंक कार्यालय खोलने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों में बैंक रहित क्षमता विकास केन्द्रों का आबंटन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित विशेष सम्मेलन शाखा विस्तार के कार्य के लिए आयोजित दृष्टिकोण अपनाने आदि से उन राज्यों में कुल शाखा संख्या के बढाने में काफी मदद मिली है, जिनमें बैंकों की संख्या कम थी। परिणामस्वरुप बिहार में कार्यालयों की संख्या जो 19 जुलाई, 1969 को 274 थी बढ़कर 1973 के अन्त में 626 हो गई अर्थात सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में, वृद्धि 832 से 16503 थी अर्थात 100 प्रतिशत से कुछ कम वृद्धि की तुलना में 128 प्रतिशत रही। विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्र तथा बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या संबंधी ब्यौरे अनुबन्ध II और III में दिये गये हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों से शाखा विस्तार के लिए तीन वर्षीय आयोजनाएं बनाते समय, उन राज्यों में, विशेष रूप से उन जिलों में, जिनमे प्रति बैंक कार्यालय जन-संख्या बहुत अधिक है, अधिक कार्यालय खोलने की आवश्यकता को ध्यान में रखने की सलाह दी है।

निर्यात के लिए मार्गदर्शन सेल

5809. कुमारी कमला कुमारी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में ऐसा कोई सैल है जो अन्य देशों को ट्रान्जिस्टरों के निर्यात के लिये इनके छोटे निर्माताओं का मार्ग दर्शन कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली कुल बकाया राशि का भुगतान

5810. श्री राम सहाय पांडे :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अधीन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली कुल बकाया राशि का भुगतान आस्थगित कर दिया गया है और इसके बदले मात्र तदर्थ भुगतान ही किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के अनुसार देय वेतन और भत्तों की बकाया का भुगतान स्थगित नहीं किया गया है। परंतु संशोधित वेतन नियमों के अंतर्गत विकल्प प्राप्त करने/देने में, संशोधित वेतनमानों में वेतन का नियतन करने में और बकाया का हिसाब लगाने और उसका भुगतान करने में, कुछ मामलों में समय लग सकने के कारण, कर्मचारियों को तत्काल राहत देने के विचार से निर्णय किया गया था कि 'खाते नामे' भुगतान कर दिया जाय, जिसका समायोजन अंतिम हकदारी में कर लिया जायगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में द्वीपों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास

5811. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान द्वीपों को पर्यटक-केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिये कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये किन-किन द्वीपों को चुना गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

8—11 LSS/74

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में विशिष्ट रूप से कोई निधी निर्धारित नही की गयी है। तथापि, पर्यटन सुविधाओं, यथा (i) पर्यटन तथा प्रचार निदेशालय की स्थापना, (ii) एक पर्यटक गृह का निर्माण, (iii) पिकनिक स्थलों का विकास, तथा (iv) पर्यटन परिवहन का सुधार, के विकास के लिए केन्द्रशासित अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह की पाँचवी पंचवर्षीय योजना में 9 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है।

यदि विदेशी पर्यटकों को उक्त द्वीपसमूहों की यात्रा करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया जाये तो आगे और विकास कार्य हाथ में लिया जा सकता है।

डेजर्ट सैंक्चुएरी, मेरिन सैंक्चुएरी तथा माउन्टेन सैंक्चुएरी संबंधी प्रस्ताव

5812. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री बेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में 'डेजर्ट सैंक्चूएरी', 'मेरिन सैंक्चूएरी' तथा 'माउंटेन सैंक्चुअरी' शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के वन्य जीव पर्यटन कायक्रम के अंतर्गत एक 'डेजर्ट पार्क', एक 'मेरिन पार्क' और एक 'माउन्टेन पार्क' के स्थापना की संभावना के प्रश्न की जाँच निधियों की उपलब्धता की स्थितिमें तकनीकी व्यवहार्यता की दृष्टि से और की जायेगी।

पश्चिम बंगाल में होजरी उद्योग को धागे का आबंटन

5813. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पश्चिम बंगाल में होजरी उद्योग में उपयोग के लिये मिलों को कितने धागें का नियतन किया है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल में होजरी की कुल कितनी मिलें है और वहां प्रत्येक होजरी मिल में कितने कर्मचारी काम करते है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सूत अब वितरण नियंत्रण के अधीन नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल में होजरी उद्योग को ऐसे धागे का सरकार द्वारा आबंटन करने का प्रश्न नहीं उठता। पहले भी होजरी कोन्स, होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोशियशन की फेडरेशन आबंटित किये जाते थे तथा होजरी एककों में इन कोन्स का वितरण फेडरेशन पर छोड़ दिया गया था।

(ख) होजरी उद्योग अत्यन्त विकेन्द्रीकृत उद्योग होने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं है।

19 मार्च, 1974 को मानट्रेक्स (स्विटजरलैंड) में विमान कम्पनियों के प्रतिनिधियों की बैठक

5814. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की विमान कम्पनियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 19 मार्च, 1974 को मानट्रेक्स (स्विटजरलैंड) में होनी थी ;

(ख) क्या भारत को इस बैठक में आमंत्रित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो वहां किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ ; और

(घ) इसमें भाग लेने वाले देश कौन-कौन से हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां । अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन की एक बैठक 19 मार्च, 1974 से मानट्रेक्स (स्विटजरलैंड) में हुई ।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन सम्मेलनों की बैठकों में केवल सदस्य-विमान कम्पनियां ही भाग ले सकती हैं । एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों ही संगठन की सदस्य हैं व उन्होंने बैठक में भाग लिया ।

(ग) बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया :—

(i) अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन द्वारा सहमत यात्री किरायों एवं दरों को निरूपित करने के लिये प्रयोग में लाये जाने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-यूनिट का चयन ।

(ii) सदस्य-विमान कम्पनियों द्वारा परिचालित सेवाओं पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अनुमत निःशुल्क ले जाये जाने वाले सामान की मात्रा ।

(iii) विमान ईंधन के मूल्य में वृद्धि के कारण संसार-भर में किरायों तथा दरों में वृद्धि ।

(घ) बैठक में भाग लेने वाली सदस्य विमान कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

अनुबंध

1. एयर सीलोन
2. एयर फ्रांस
3. एयर इण्डिया
4. एयर न्यूज़ीलैंड
5. अलीतालिया
6. आस्ट्रीयन एयरलाइंस
7. ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज कारपोरेशन
8. सी० पी० एयर
9. चैकोस्लावाक एयरलाइंस
10. लुफ्तांजा जर्मन एयरलाइंस
11. इस्ट अफ्रीकन एयरवेज़
12. इथोपिअन एयरलाइंस
13. आईबेरिया एयरलाइंस
14. इण्डियन एयरलाइंस
15. इरान नेशनल एयरलाइंस कारपोरेशन

16. जापान एयरलाइंस
17. जूगोस्लाव एयर ट्रांसपोर्ट
18. के० एल० एम० रायल डच एयरलाइंस
19. कुवैत एयरवेज़ कारपोरेशन
20. लीबयन अरब एयरलाइंस
21. मिडल ईस्ट एयरलाइंस एयर लीबान
22. ओलम्पिक एयरवेज़
23. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस
24. पान अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज़
25. फिलिपीन एयर लाइंस
26. पोलिश एयरलाइंस "लोट"
27. क्वांटास एयरवेज़ लिमिटेड
28. सउदी अरेबियन एयरलाइंस
29. स्कैन्डिनेवियन एयरलाइंस सिस्टम
30. साबिना—बेल्जियन एयरलाइंस
31. साउथ अफ्रीकन एयरवेज़
32. सूडान एयरवेज़
33. स्विस एयर
34. सीरीयन अरब एयरलाइंस
35. ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस
36. टर्किश एयरलाइंस
37. यूनियन डी ट्रांसपोर्टस ऐरियंस (यू० टी० ए०)

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के नियम

5815. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवाओं के भर्ती नियम समान नहीं हैं ; और

(ख) इन नियमों को कब समान बना दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बकों में, मोटे तौर पर, तीन प्रकार के कर्मचारी हैं—अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ कमचारी । बैंकों में अधिकारियों की भर्ती, समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन-पत्र मांग कर की जाती है और उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और इन्टर्व्यू के बाद चुना जाता है । लिपिकों की भर्ती, प्रायः नियोजन कार्यालयों में रिक्त स्थानों की सूचना देकर साथ ही भर्ती के लिये स्थानीय विज्ञापन देकर, प्रादेशिक आधार पर की जाती है । लिपिक पदों के

लिये उम्मीदवारों का चयन, लिखित परीक्षा और इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों के इन्टर्व्यू करने के बाद किया जाता है। अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती प्राय: स्थानीय आधार पर और नियोजन कार्यालयों के माध्यम से की जाती है। यद्यपि बैंकों में भर्ती की प्रक्रिया आम तौर पर समान हैं किन्तु आयु योग्यता और अर्हता संबंधी स्तरों और भर्ती के लिये चुनाव प्रक्रिया भिन्न भिन्न है।

बैंक आयोग ने, जिसे अन्य बातों के अलावा बैंकिंग उद्योग में भर्ती और जनशक्ति आयोजन की वर्तमान व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा करने के लिये कहा गया था, अपनी रिपोर्ट में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में, लिपिकीय और कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को भर्ती के लिये एक सांविधिक सामान्य भर्ती अधिकरण जिसे "राष्ट्रीय बैंक सेवा आयोग" कहा जाय स्थापित करने की सिफारिश की थी जिसके सदस्य, कार्य आदि संघ लोक सेवा आयोग के अनुरूप हों। इस ने भर्ती के स्रोतों, योग्यता जिसमें आयु और अन्य पात्रता संबंधी माप दंडों सहित योग्यता और चुनाव की प्रक्रिया भी शामिल हैं, के संबंध में कुछ समान प्रक्रियाओं के अपनाये जाने की सिफारिश भी की है।

सरकार ने एक समान्य भर्ती अधिकरण की स्थापना की सिफारिश को स्वीकार करते हुये यह भी निर्णय किया है कि इस अभिकरण की स्थापना कानून बना कर की जाय और शुरू में अभिकरण को राष्ट्रीय-कृत बैंकों में गैर विशेषज्ञ कनिष्ठ अधिकारियों की भर्ती का काम सौंपा जाय। जहां तक भर्ती प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने के संबंध में बैंकिंग आयोग की अन्य सिफारिशों का संबंध है सरकार मोटे तौर पर इनसे सहमत है और भर्ती की प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने के तरीके के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह कर रही है।

काजू तथा मसालों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय

5816. श्री पी० आर० शिनाय :

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान काजू तथा मसालों के निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है ; और

(ख) गत दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष विदेशी मुद्रा की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) 1973–74 के दौरान निम्नोक्त विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है :—

(1) काजू . . . 76 करोड़ रुपये

(2) मसाले . 40 करोड़ रुपये

(ख) काजू

(1) 1971-72 की तुलना में 24 प्रतिशत

(2) 1972-73 की तुलना में 11 प्रतिशत

मसाले

(1) 1971-72 की तुलना में 10.6 प्रतिशत

(2) 1972-73 की तुलना में 37.7 प्रतिशत

हस्तशिल्प की वस्तुओं से अर्जित विदेशी मुद्रा

5817. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात से गत वर्ष इससे पहले के दो वर्षों की अपेक्षा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) गत तीन वर्षों में हस्तशिल्प की वस्तुओं (कालीनों को शामिल करते हुए किन्तु रत्नों व आभूषणों को शामिल न करते हुए) के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :

वर्ष	रु० (करोड़ रु० में)
1970-71	37.54
1971-72	38.24
1972-73	51.80

तेल उत्पादक देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाना

5818. **श्री वसन्त साठ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार संस्थान ने सरकार को तेल उत्पादक देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों की प्रमुख फर्मों का अन्तर्राष्ट्रीय करण करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) फारस की खाड़ी के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये इस संस्थान ने अन्य क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिश का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) संस्थान द्वारा दिये गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

(1) खाड़ी के कुछ देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक सहयोग का विकास करने के लिए संयुक्त कार्यकरण दलों का स्थापित किया जाना।

(2) चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययनों का प्रायोजित किया जाना।

(3) आशाजनक क्षेत्रों में परामर्शी सेवाओं के निर्यात का संवर्धन।

(4) खाड़ी के देशों में सरकारी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत उपस्कर, मशीनरी और तकनीकी जानकारी की सप्लाई के लिए दीर्घकालिक प्रबंध।

(5) खाड़ी के देशों में भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व का सुदृढ़ीकरण ।

(6) खाड़ी के देशों में प्रदर्शनियों, भारत सप्ताह और गोष्टियों का आयोजन।

(7) प्रतिवेदन के अन्तर्गत अनेक उत्पादों का पता लगाया गया है और इन उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए बिक्री सहअध्ययन दलों के प्रायोजित किये जाने का सुझाव भी दिया गया है।

नागर विमानन महानिदेशालय की संचार शाखाओं में समयोपरि कार्य

5819. श्री बसन्त साठे : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय की संचार शाखा (बम्बई) तथा अन्य संचार शाखाओं में समयोपरि कार्य करने के लिये बड़ी कोशिश की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) वैमानिक संचार स्टेशन बम्बई के कर्मचारियों के एक वर्ग ने उसी स्टेशन पर कर्मचारियों के एक दूसरे वर्ग को समयोपरि भत्ता दिए जाने के विरुद्ध प्रतिवेदन दिया है। नागर विमानन विभाग के परिचालन/तकनीकी संधारण पक्षों में समयोपरि भत्ता जब कभी विभिन्न संवर्गों (कॉडरों) में उपलब्ध कर्मचारियों की वस्तुतः कमी होती है तभी दिया जाता है ताकि वैमानिक संचार सुविधाओं के निरवरोध परिचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अनुदेश दिए जा चुके हैं कि जहां कहीं सम्भव हो समयोपरि भत्ते में कमी की जाए।

Meeting in Paris for long-term aid to India

5820. Shri Shrikrishna Agarwal: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether a meeting of the countries giving aid to India is scheduled to be held in Paris from the 9th to the 11th April, 1974;

(b) if so, whether the question of giving long term aid to India and particularly for the Fifth Five Year Plan would be considered therein; and

(c) the broad features of the efforts made by Government for getting long term aid from these countries?

The Minister of Finance (Shri Yashvantrao Chavan): (a) A working Party meeting of the members of India Consortium is scheduled to be held in Paris from 9th to 11th April, 1974.

(b) The meeting would consider a paper prepared by the World Bank suggesting that a proportion of the aid to be provided by the members be made available in a freely usable form.

(c) Normally, members of the Consortium make aid commitments on an annual basis subject to necessary Parliamentary approvals etc. However, some countries have been able to indicate commitments on a somewhat longer-term basis.

रूस के साथ आमों के व्यापार में कमी

5821. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के कुछ महीनों में रूस के साथ आम तथा आम के जूस के व्यापार में कुछ कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सोवियत संघ को आमों का कोई वाणिज्यिक निर्यात नहीं हुआ है। 1973-74 के दौरान सोवियत संघ को आम के जूस का निर्यात, विगत वर्षों की तुलना में कम रहा।

(ख) यह कमी कम माल खरीदने की वजह से हुई।

(ग) आम के जूस का निर्यात का विविधीकरण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 1971-74 के दौरान केरल से निर्यात

5822. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73, 1973-74 में केरल से समुद्री उत्पादों, रबड़, चाय, काफी, काजू, नारियल जटा वस्तुओं, हथकरघा वस्तुओं, इलायची तथा अन्य सामान के निर्यात से सरकार को वस्तुवार कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात में और वृद्धि करने तथा उक्त राज्य में इन उद्योगों को विकसित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यात के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते। प्रश्नगत वस्तुओं के कुल निर्यात निम्नलिखित हैं :—

	1971-72	1972-73	1973-74 (अनन्तिम)
समुद्री उत्पाद	44.55	59.72	70.99 अप्रैल-जनवरी
रबड़ .	0.0011	0.0043	1.47 अप्रैल-1973 से 28-3-74
चाय .	164.55	153.09	79.04 अप्रैल-अक्तूबर
काजू . . .	61.33	68.54	70.00 अप्रैल-जनवरी
कयर का सामान .	14.86	14.94	13.58 अप्रैल-फरवरी
हथकरघा सामान .	30.08	48.46	38.65 अप्रैल-जनवरी
काफी . .	22.07	32.93	41.18 अप्रैल-फरवरी
इलायची . . .	8.03	6.85	6.26 अप्रैल-दिसम्बर

(ख) प्रश्न में पूछी गई मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए आयात प्रतिपूर्ति, शुल्क वापसी, नकद मुआवजा, भत्ता, जो लागत के आंकड़े तथा प्राप्त हुए एफ० ओ० बी० मूल्य की जांच पर देय होता है, आदि के रुप में प्रोत्साहन दिये जाते हैं। निर्यात बढ़ाने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए विदेशों में बिक्रीसह अध्ययन दल भेजे जाते हैं। प्रचार के उपाय किये जाते हैं, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना भी शामिल है। इन मदों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

नारियल जटा का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात व्यापार

5823. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा के निर्यात व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लिये जाने तथा इसका निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या नारियल जटा बोर्ड ने इस प्रस्ताव के समर्थन में कोई संकल्प स्वीकार किया है ;

(ग) क्या केरल सरकार तथा नारियल जटा परामर्शदात्री बोर्ड की कार्यकारी समिति ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और इसके क्रियान्वयन के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं और यदि हां, तो केरल सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) नारियल जटा के निर्यात को सरकारी नियंत्रण में लिये जाने तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से इसका निर्यात करने के सम्बंध में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति अब किस स्थिति में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) कयर तथा कयर उत्पादों के निर्यात के मार्गीकरण से सम्बंधित प्रस्ताव पर विचार किया गया था। कयर बोर्ड ने मार्गीकरण की सिफारिश नहीं की है और न केरल सरकार ने उसका समर्थन ही किया है।

इंडिया एशोरेंस कंपनी के विभिन्न कार्यालयों का इस कंपनी के बंगलोर यूनिट के साथ विलय

5824. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम ने केरल में न्यू इंडिया एशोरेन्स कंपनी के विभिन्न कार्यालयों का इस कंपनी के दक्षिणी क्षेत्र के निर्माण के लिए, बंगलोर यूनिट के साथ विलय करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या न्यू इंडिया एशोरेंस कंपनी लिमिटेड केरल के कर्मचारियों ने साधारण बीमा निगम से अनुरोध किया था कि उक्त कंपनी के केरल यूनिट को एक स्वतंत्र क्षेत्र कार्यालय और दक्षिणी क्षेत्र के रूप में माना जाये ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विविध बीमा निगम ने केरल में काम कर रहे न्यू इंडिया एशोरेंस कंपनी के विभिन्न मंडलीय और शाखा कार्यालयों को बंगलोर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलाने का कोई निर्णय नहीं किया है। कंपनी के केरल स्थित मंडल कार्यालय अपने अधिकार-क्षेत्र की सभी शाखाओं पर नियंत्रण रखते हैं तथा उनकी, बीमा करने संबंधी, दावों संबंधी, लेखों और प्रशासन वगैरा से संबंधित सभी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों का मुख्य कार्य यह है कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र में स्थित मंडलीय कार्यालयों के विकास और तकनीकी मामलों में सहायता देते हैं। यह कार्य संचालन एकक नहीं है। अतः कर्मचारियों की बहुत ही सीमित संख्या से काम करता है। बंगलोर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का अधिकार-क्षेत्र का विस्तार केरल, कर्नाटक और गोवा के मंडलीय कार्यालयों तक है।

(ग) जी, हां।

(घ) निगम ने निर्णय किया है कि केवल केरल के लिए अलग क्षेत्रीय कार्यालय नहीं खोला जाय।

लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड के निदेशकों द्वारा विदेश भेजा गया धन

5825. श्री राम सहाय पांडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड के विदेशी निदेशकों को 150 पौंड प्रति मास डेनमार्क भेजने की अनुमति है ;

(ख) क्या वे वास्तव में इसका उपयोग नियमित रूप से करते हैं ;

(ग) क्या इसका उनकी कुल परिलब्धियों से कोई संबंध है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत आवर्तक प्रेषणाओं और मैसर्स लारसन एण्ड टूब्रो के विदेशी निदेशकों द्वारा प्रेषित रकमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	निवल मासिक आय	प्रति मास प्रेषित राशि	प्रति मास प्रेषित राशि का प्रतिशत
	रुपये	रुपये	
1. श्री एच० एच० लारसन .	5287.00	3150.00	59.58
2. श्री जे० होवर .	2711.00	2025.00	74.70
3. श्री जी० हानसेन	2958.00	2015.00	68.12
4. श्री एस० के० टूब्रो .	10101.00†	3150.00	31.19

2. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा रकमें भेजने की जो सुविधाएं दी गई हैं वे मौजूदा विनियमों के अन्तर्गत दी जा सकती हैं ।

आय-कर अधिकारी

5826. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक आय कर कार्यालय में काम करने वाले आय कर अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) देश के आय कर विभाग के विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे आय-कर आयुक्तों की संख्या कितनी है ;

(ग) तीन वर्षों से अधिक समय से एक पद पर काम करने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

(†इस में उनकी पत्नी की आय भी शामिल है जो कम्पनी की निदेशक नहीं हैं)

विभिन्न क्षेत्रों के लिये ऋण प्रतिबन्धों में ढील

5827. श्री राम सहाय पांडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महीने तक पूर्ण ऋण प्रतिबंध लगाने के बाद हाल ही में कुछ क्षेत्रों के लिये इसमें ढील दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह ढील किन-किन क्षेत्रों के लिये दी गई है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे पैमाने के उद्योगों और निर्यात वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में मौजूदा ऋण नियंत्रणों में कुछ छूटें दी हैं । ये छूटें इसलिए दी गयी हैं ताकि छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देने में वृद्धि करने की गति को बनाये रखा जा सके और निर्यात प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके ।

चाय बोर्ड का बिना चेयरमैन के कार्य करना

5828. श्री भान सिंह भौरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड और भारतीय चाय व्यापार निगम गत छः मास से बिना चैयरमेन के कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री टी० एस० ब्रोका, को 11-9-1973 से चाय बोर्ड के अध्यक्ष के पद का वर्तमान कार्यभार संभालने तथा उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त चाय बोर्ड के अध्यक्ष की पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के अध्यक्ष श्री वी० वी० पारिख 12-9-73 से भारतीय चाय व्यापार निगम लि० के अंशकालिक अध्यक्ष-सह-निदेशक हैं ।

पटसन उत्पादकों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित समिति की सिफारिशें

5829. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन उत्पादकों के हितों का ध्यान रखने तथा रेशा व्यापार के सुचारू कार्यकरण के लिए उपाय सुझाने के लिए गठित समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) समिति ने भारतीय पटसन निगम की अवस्थापना को मजबूत बनाने के लिए और ऋण, विपणन एवं भाण्डागार सुविधाओं के विकास के लिए तथा साथ ही कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उपाय बताये हैं ।

(ख) पटसन निगम तथा अन्य संबंधित अभिकरण इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठा रहे हैं ।

सेंचुरी रेयन द्वारा स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन

5830. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्चुरी रेयन द्वारा अपनी स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन की स्वीकृति दे दी गई है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसी प्रकार की स्वीकृति अन्य उन मिलों को भी दी जा रही है जिन्होंने पुर्वानुमति के बिना अपने उत्पादन का विस्तार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

रिजर्व बैंक की ऋण नीति का जूट के सामान के निर्यात व्यापार का प्रभाव

5831. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक की ऋण नीति का जूट वस्तुओं के व्यापार पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिए क्या उपचारी उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के साथ इस मामले पर विचार विमर्श किया और निर्यात क्षेत्र को मात्रा संबंधी प्रतिबंधों से छूट, कुछ बढ़ी हुई मात्रा में पुर्नवित की सुविधा की व्यवस्था आदि के रूप में राहत प्रदान की गई हैं।

पश्चिमी बंगाल से पटसन और चाय निर्यात करने से अर्जित विदेशी मुद्रा

5832. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 में पश्चिम बंगाल से पटसन और चाय का निर्यात करने से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ख) वहां इस व्यापार को और बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पश्चिम बंगाल से चाय तथा पटसन के निर्यात के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भारत से निर्यातों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	चाय		पटसन	
	मात्रा लाख कि०ग्रा० में	मूल्य (लाख रु०में)	मात्रा हजार टनों में	मूल्य (लाख रु०में)
1971–72	2195.0	16455	669.6	26471
1972–73 . .	2013.5	15309	578.4	24906
1973–74 . . (अप्रैल–अक्तूबर)	1001.5	7904	324.8	13139

(ख) पटसन माल के निर्यात बढ़ाने के विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जिन में मिलों को कच्चे पटसन ी सुनिश्चित सप्लाई, लागत घटाने तथा विविधिकरण व आधुनिकीकरण से सम्बन्धीत गवेषणा तथा कास कार्यक्रम, विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण, विदेशों में प्रचार आदि शामिल है। विदेशों में चाय र्धन सामान्य तथा साथ ही एक राष्ट्रीय दोनों प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है जिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों की चाय का संवर्धन करना भी शामिल है।

नारियल का आयात

5833. श्री बी० वी० नायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी नारियल को उंची कीमतों को स्थिर करने के लिए वर्ष 1974-75 में श्रीलंका से पड़ौसी देशों से नारियल के आयात की अनुमति दी जाएगी; और

(ख) क्या प्रसाधन सामग्री के निर्माण में गोले के तेल के प्रयोग पर लगाई रोक के लिए यह एक वकल्प है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) फिलहाल कोई प्रस्थापना विचाराधीन हीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाइन्स में ठेके पर किये जाने वाले कार्य

5834. श्री वी० बी० नायक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कार्य कौन से हैं जो छः महिने पूर्व इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा किये जाते थे और अब ठेके पर किये जा रहे हैं ;

(ख) इससे कितने व्यक्तियों के रोजगार की हानि हुई है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी बचत हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नगर कार्यालय और टर्मिनल के बीच पैसे ले कर सामान लाने ले जाने व परिवहन उपलब्ध कराने का काम किया जाता था। चार अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों तथा कुछ अन्य स्टेशनों पर ये सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। इस आधार पर किसी स्थायी कर्मचारी-वर्ग की छंटनी नहीं की गई। अभी से तद्विषयक परिणामी बचत का मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा ।

मशीनों के आयात के अधिकारों का वापिस लिया जाना

5835. श्री गजाधर मांझी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से लौटने वाले अथवा विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा 25 लाख रुपयों के 'सी० आई० एफ०' मूल्य तक के कुछ कोयला तथा कोक उत्पादों तक के लिए मशीनों के आयात की रियायत सरकार ने वापिस ले ली है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और क्या आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गई नवीनतम अधिसूचना में सम्मिलित न होने वाले अन्य श्रेणी के उद्योगों के लिए यह रियायत जारी रहेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विदेशों से आने वाले/में रह रहे भारतीयों द्वारा मशीनों और कच्चे माल के आयात की नीति अप्रैल, 74—मार्च, 75 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक भाग 1) के खण्ड 1 के पैरा 163 में दी गई है और उसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

पक्षियों और पशुओं का निर्यात

5836. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान पक्षियों और पशुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ख) कौन-कौन से पशु और पक्षी निर्यात किये गये तथा किन-किन देशों को ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6636/74 ।]**

पूंजीनिवेश गारन्टी योजना बनाने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार मंडल द्वारा किया गया अनुरोध

5837. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय पूंजी निवेश की सुरक्षा के लिए पूंजी निवेश गारन्टी योजना बनाने हेतु भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार मंडल ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचारार्थ दिये गये अन्य सुझावों का सारांश क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत-अफ्रीका विकास संघ तथा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल फेडरेशन द्वारा गठित एक समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया कि सरकार को विदेशों में भारतीय निवेशों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक गारंटी स्कीम बनानी चाहिए ।

(ख) समिति द्वारा दिये गए अन्य मुख्य सुझाव ये थे :—

(i) स्कीम को संचालन भारत सरकार की ओर से निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम द्वारा किया जाना चाहिए ।

(ii) गारंटी के अन्तर्गत बीमाकर्ता का अधिकतम दायित्व हानि का 90 प्रतिशत होनी चाहिए ।

(iii) स्कीम के अन्तर्गत राजनीतिक जोखिम शामिल होनी चाहिए । स्कीम के अन्तर्गत विनिमय समानता में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम भी शामिल होने चाहिए परन्तु वाणिज्यिक जोखिम शामिल नहीं होने चाहिए ।

(iv) इस स्कीम को देखे बिना ही लागू किया जाना चाहिए कि क्या भारत और किसी अन्य देश के बीच अन्तः सरकारी करार है जिसके अन्तर्गत ऐसा निवश आता हो ।

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में दिये गए सुझावों के हक में नहीं था ।

इंडियन एयरलाइंस को मद्रास तथा त्रिवेन्द्रम के बीच सेवा से प्रतिदिन हानि

5838. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंडियन एयरलाइंस को मद्रास तथा त्रिवेन्द्रम के बीच प्रत्येक उड़ान से प्रतिदिन कई हजार रुपये की हानि होती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : अप्रैल 1973 से नवम्बर 1973 तक की अवधि के दौरान, मद्रास तथा त्रिवेन्द्रम के बीच की सेवा का परिचालन अंशत: बोइंग 737 विमान द्वारा तथा अंशत: एच० एस० 748 विमान द्वारा किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रति ट्रिप लगभग 5000 रुपए की हानि हुई। यह हानि मुख्यतया इस कारण हुई कि यातायात की मांग आशा के अनुरूप नहीं बढ़ी जिससे कि एक बोइंग सेवा का औचित्य सिद्ध हो सकता। 18 मार्च, 1974 से यह सेवा एच० एस०-748 विमान से परिचालित की जा रही है तथा आशा है कि हानि में कुछ कमी होगी।

जमशेदपुर-कलकत्ता, रांची-दिल्ली-रांची और रांची-कलकत्ता-रांची के बीच विमान सेवाओं का बंद किया जाना

5839. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर-कलकत्ता, रांची-दिल्ली-रांची और रांची-कलकत्ता-रांची के बीच विमान सेवाओं को बंद कर दिया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली-आगरा-दिल्ली और दिल्ली-जयपुर-दिल्ली के बीच विमान सेवाओं को बंद नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) विमान ईंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण, इंडियन एयरलाइंस अपने विमान बेड़े से वाइकाउंट तथा डकोटा विमानों को क्रमश: समाप्त कर देने पर मजबूर हो गयी है। उनकी समयावलि को 18 मार्च 1974 से पुन: बदल दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ शहरों के लिए सेवाएं बंद कर दी गयी हैं तथा कुछ अन्य शहरों के लिए सेवाओं की आवृत्तियों में कटौती की गयी है।

दिल्ली और रांची तथा जमशेदपुर और कलकत्ता के बीच की विमान सेवाओं को बंद कर दिया गया है। पुनरीक्षित समयावलि में रांची के मार्ग से कलकत्ता तथा पटना के बीच की सेवा दैनिक है।

आगरा तथा जयपुर के लिए उनके पर्यटन तथा यातायात की दृष्टि से महत्व के कारण सेवाएं चालू हैं।

नैशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक के प्रबन्धकों द्वारा फर्स्ट नैशनल सिटी बैंकों को बहुत अधिक धन राशि हस्तान्तरित करना

5840. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक के प्रबन्धकों द्वारा फर्स्ट नैशनल सिटी बैंक को तकनीकी फीस के रूप में दी गई बहुत अधिक धनराशि, जो विदेश भेज दी जाती है, के बारे में सरकार ने इस बीच जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक एम्लाईज फेडरेशन ने भी बैंक प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में कोई ज्ञापन भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सम्भवतय: माननीय सदस्य का अभिप्राय अखिल भारतिय नैशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक एम्पलाइज फेडरेशन कलकत्ता से प्राप्त 18 जुलाई 1973 के एक ज्ञापन से है कि जिस में उठाये गये मामलों में से एक मामले का सम्बन्ध नैशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड द्वारा फर्स्ट नैशनल सिटी बैंक को तकनीकी फीस दिये जाने से है। इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की गई है जिसने रिपोर्ट दी है कि नैशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड के फर्स्ट नैशनल सिटी बैंक के साथ किये गये एक तकनीकी सेवा के अनुसार जो कि पहली अप्रैल, 1969 से पांच वर्ष की अवधि के लिये मान्य है, फर्स्ट नैशनल सिटी बैंक ने नैशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक की प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन पद्धति, ऋण नीति, प्रशासन विस्तार और कारबार में वृद्धि के सम्बन्ध में तकनीकी सेवायें प्रदान करना मान लिया था। इस करार की शर्तों के अनुसार नैशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड को फर्स्ट नैशनल सिटी बैंक को रुपयों में अदायगी की जाती है और इसलिए इस प्रयोजन के लिये विदेशों में राशि भेजे जाने का प्रश्न ही उपस्थित ही नहीं होता। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि चूंकि करार का सम्बन्ध एक भारतवासी द्वारा दूसरे भारतवासी को अदायगी करने से हैं, इसलिए यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की किसी परन्तुक के अन्तर्गत नहीं आता। किन्तु यह एक ऐसा मामला था जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक का यह विचार था कि इस पर उनका नियंत्रण होना चाहिए, इसलिए बैंक ने नवम्बर 1972 में एक निर्देश जारी किया जिस के अनुसार यह निदेश दिया गया कि कोई बैंकिग संस्था या कम्पनी रिजर्व बक की मंजूरी के बिना, भारत से बाहर नियमित किसी भी बैंकिग संस्था या कम्पनी या ऐसी बैंकिग संस्था या कम्पनी की भारत में स्थित किसी शाखा अथवा कार्यालय को ऐसी बैंकिग कम्पनी के भारत में कारबार के सम्बन्ध में अथवा ऐसे कारबार के किसी भाग के सम्बन्ध में कोई तकनीकी अथवा प्रबन्धकीय सलाह देने के लिए अपना सलाहकार नियुक्त न करे। इस निदेश के अनुसार विदेशी बैंको की भारतीय शाखाओं की और भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों को अपने लाभों को बाहर भेजते समय एक प्रमाणपत्र देना पड़ता हैं जिस में यह प्रमाणित किया जाता हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया की मंजूरी के बिना, भारत में किसी बैंकींग कम्पनी के तकनीकी/प्रबन्धकीय सलाहकार के रूप में नियुक्ति से होनेवाली आय के किसी भाग को भेजे जाने वाले लाभों में शामिल नहीं किया गया हें।

कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद बने-बनाये वस्त्रों का निर्यात

5841. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बने-बनाये वस्त्रों के निर्माताओं ने विदेशी मंडियों में हांगकांग, ताइवान, जापान तथा दक्षिण कोरिया की ओर से कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद गत तीन वर्षों में अपने वस्त्रों की मांग काफ़ी बढ़ा ली है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बने-बनाये वस्त्रों के निर्यात से औसतन कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) इस उद्योग के संवर्धनहेतु सहायता देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां

(ख) 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के वर्षों के दौरान भारत से सभी फैब्रिक्स के परिधानों के निर्यात क्रमश: 17.85 करोड़ रु० , 35.56 करोड़ रु० और 51.00 करोड़ रु० के हुए थे।

(ग) हमारे परिधान उद्योग के विकासहेतु उठाये गए कुछ कदम नीचे दिये गए हैं :

(i) परिधानों के निर्यात उत्पादन हेतु अतिरिक्त अथवा तथा मशीनरी के आयात के लाइसेंस देना।

(ii) सीमाशुल्क बाण्ड के अन्तर्गत परिधानों के निर्यात उत्पादन के लिए फैब्रिक्स के आयात की अनुमति दी जा रही है।

(iii) जहां आवश्यक होता है अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परिधान विनिर्माताओं के साथ तकनीकी सहयोग के संबंध में अनुकूल रुप में विचार किया जाता है ।

भारतीय हथकरघा साड़ियों की विदेशों में लोकप्रियता

5842. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हथकरघा साड़ियां विदेशों में लोकप्रिय हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए और बूनकर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) जिन देशों को भारतीय हथकरघा साड़ियां निर्यात की जाती हैं वे हैं : बंगला देश, सूडान, मारिशस, मलेशिया, नेपाल, ब्रिटेन, सिंगापुर, कीनियां, फ्रांस तथा पश्चिम जर्मनी ।

(2) 1973–74 के दौरान तीन बूनकर सेवा केन्द्र आरंभ किए गए हैं जबकि 1974–75 में दो केन्द्र तथा दो उप-केन्द्र आरंभ करने का विचार है ।

रेशमकीट अण्डे पर आयात शुल्क में छूट

5843. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर सरकार केन्द्र सरकार द्वारा रेशमकीट अण्डे पर आयात शुल्क में दी गई 25 लाख रुपये की छूट का लाभ उठाने में असफल रही है ;

(ख) क्या कश्मीर राज्य अब तक जापान से 2,000 औंस रेशमकीट अण्डे तथा गत वर्ष इटली से 10,000 औंस की तुलना में 1,200 औंस अण्डे प्राप्त कर सका है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की भविष्य में नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है ।

चमड़े के निर्यात में वृद्धि

5844. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े के निर्यात में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) भारत में कौन-कौन से राज्य चमड़े के निर्यात में वृद्धि करने में सरकार की सहायता कर रहे हैं ;

(ग) क्या उन राज्यों में चमड़ा निगम का कार्य अभी भी सीमित हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जाज) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रमुख राज्य ये हैं ; तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश ।

(ग) इन राज्यों में कोई भी चमड़ा निगम कार्य नहीं कर रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

9—11 LSS/74

वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों को इक्विटी शेयरों में बदलना

5845. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, बैंक तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम सहित सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों को बड़े उद्यमों और उपक्रमों में इक्विटी शेयरों में नहीं बदला गया है, तथा प्रबन्ध में इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तन नहीं किए गए; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों और बाद में वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निदेश निगम, जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सरकार द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय संस्थाओं ने 1970 से ऋण / ऋणपत्र सम्बन्धी करारों के सभी उपयुक्त मामलों में परिवर्तन सम्बन्धी धारा लिखना शुरू कर दिया है। इन संस्थाओं ने अब तक ऐसे 445 मामलों में से केवल 11 मामलों में ऋण / ऋण पत्रों के एक मांग को सामान्य शेयरों में बदलने के अपने विकल्प का उपयोग किया है क्योंकि परिवर्तन करने के अधिकार का उपयोग करने के लिए करार में दी गयी अवधि केवल 11 मामलों में ही पूरी हुई है। परिवर्तन करने के विकल्प का उपयोग केवल उस समय किया जा सकता है जब परियोजना में वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन होने लगे और वह लाभ कमाने की स्थिति में पहुंच जाय और यह स्थिति आमतौर से परियोजना के चलने के 4 या 5 वर्ष बाद पैदा होती है।

परिवर्तन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त बैंकों और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर लागू नहीं होते।

रुपया भुगतान क्षेत्रों में आयात/निर्यात व्यापार करना

5846. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को कम करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) रुपये के रूप में अदायगी स्वीकार करने वाले अथवा वस्तु विनिमय करने वाले देशों के साथ आयात/निर्यात व्यापार करने की दिशा में क्या प्रयास किए गये हैं और किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या अमरिका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों से किये जाने वाले आयात के अनुपात में उन्हें निर्यात किया जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) देश की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को दृश्य तथा अदृश्य निर्यातों द्वारा होने वाली विदेशी मुद्रा आयों में वृद्धि करके और आयातित मदों के अधिकाधिक घरेलू उत्पादन द्वारा आयात प्रतिस्थापन करने के जरिये विदेशी मुद्रा व्यय को घटा कर, अनावश्यक आयातों को खत्म करके और साथ ही अदृश्यों के लेखे में व्यय को कम करके नियंत्रण में रखा जाता है।

(ख) सरकार की यह नीति है कि सभी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाया जाए, इन देशों में वे देश शामिल हैं जिनके साथ व्यापार रुपया भुगतान आधार पर होता है। परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए वस्तु विनिमय सौदे भी उनके लाभदायक होने पर किये जाने हैं।

(ग) जी, नहीं। यद्यपि, रुपया भुगतान देशों के साथ व्यापार वार्षिक व्यापार योजनाओं के माध्यम से विनियमित होता है, परन्तु संयुक्त राज्य अमरिका, ब्रिटेन तथा अन्य मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य को नियंत्रित करने वाली बातों के आधार पर किया जाता है।

दिल्ली के कर अपवंचकों के विरुद्ध शिकायतें

5847. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या वित्त मंत्री दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा करों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के बारे में 17 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 358 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी शिकायतों के बारे में निर्णय कर लिया गया है और प्रत्येक व्यक्ति/फर्मपर कितना आयकर लगाया गया है और यदि कोई जुर्माना किया गया हो तो प्रत्यक पर कितना ;

(ख) कितने मामलों में फर्मों/व्यक्तियों पर जांच-पड़ताल के बाद आयकर नहीं लगाया गया है; और

(ग) कितने मामलों में अभी जांच जारी है और उन्हें अन्तिम रूप से कब तक निपटाये जाने की संभावना हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जिन 399 शिकायतों का उल्लेख किया गया है उन में से 50 शिकायतें अन्य आयकर आयुक्तों के कार्यक्षेत्रों को भेज दी गयी हैं क्योंकि वे आयकर आयुक्त दिल्ली के कार्यक्षेत्रोंसे संबन्धित नहीं हैं। थोड़े से मामले फाईल कर दिये गये हैं क्योंकि शिकायत निराधार थी। जहां तक बाकी शिकायतों का संबंध है, वे जांच की विभिन्न अवस्थाओं परहैं । इन मामलों में अन्तर्गत कर की रकम के बारे में अभी बताना समयपूर्व होगा। इन मामलों में जब और जैसे ही जांच पड़ताल पूरी होगी तो विधि सम्मत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

यदि माननीय संसद सदस्य किसी विशिष्ट मामले के बारे में सूचना चाहते हैं तो वह एकत्रित करके की जा सकती है ।

आयकर विभाग, दिल्ली को कर अपवंचकों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतें

5848. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या वित्त मंत्री दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा करों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के बारे में 17 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ फर्मों/व्यक्तियों ने अपने विरुद्ध कर अपवंचन की शिकायत कर दिये जाने पर वित्तीय वर्ष 1973–74 से राष्ट्रीयकृत बकों स अपने खाते बन्द कर दिय ह ;

(ख) क्या सिण्डीकेट बैंक की रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-55 स्थित शाखा से भी कुछ ऐसी फर्मों/व्यक्तियों ने अपने खाते बन्द कराय हैं ; और यदि हां, तो ऐसे फर्मों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या बैंकों को ऐसे आदेश दिये जायेंगे कि वे पूछे जाने पर आयकर अधिकारियों को ऐसी फर्मों/व्यक्तियों के बक खातों के बारे में विस्तृत जानकारी तत्काल दें ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धाराएं 131 और 133 के अधीन, कोई भी आयकर प्राधिकारी, अलग-अलग निर्धारितियों के मामलों को छोड़कर, बैंकों से सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है । इसलिये, यदि माननीय सदस्य किसी खास फर्म अथवा व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते ह तो उसे प्राप्त किया जायेगा और प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बचत की दर

5849. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित बचत की ऊंची दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कायवाही करन का है ; और

(ख) क्या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बैंकों और डाकघरों में जमा राशियों पर ब्याज की दर में वृद्धि करने, लाभांशों तथा उन पर ब्याज की छूट-सीमा में वृद्धि करने और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा स्वीकृत सावधि जमा राशियों पर ब्याज के लिये भी वही नियम लागू करने की संभाव्यता पर विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पांचवी पंचवर्षीय आयोजना के मसौदे में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की बचतों को बढाने के लिए विभिन्न नीतियों और उपायों का संकेत दिया गया है । इन नीतियों और उपायों का कर्यान्वियन समय समय पर विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर होगा ।

(ख) बैंकों के पास जमा रकमों और विभिन्न अल्प बचत प्रतिभूतियों के व्याज की दर पहली अप्रैल 1974 से बढ़ा दी गई है। परन्तु, सरकार ने हाल ही में लाभाशों और ब्याज के संबंध में छूट सीमाओं को बढ़ाने या बैंकिंग कम्पनियों से भिन्न पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के पास सावधि जमा रकमों के ब्याज के संबंध में छूट की सीमाओं को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है ।

कोचीन को निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाना

5850. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन को 'निर्बंध व्यापार क्षेत्र' बनाने के बारे में केरल राज्य ने केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) कोचीन सहित अनेक स्थानों पर मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए है। इस समय एक कार्यकारी दल इन पर विचार कर रहा है ।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल डिवीजन को अदा किया गया कमीशन

5851. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अमेरिकन एक्सप्रेस (ट्रेवल डिवीजन) जो कि इण्डियन एयरलाईंस का एजेंट है, अपने कोटे के अलावा भी यात्री बुक कर लेता है जिसके फलस्वरूप यात्रियों को वास्तव में ही असुविधायें होती हैं;

(ख) क्या इस कंपनी के कुछ कर्मचारी जो कि यात्रियों को बुक करने तथा अदायगी वापस करने का काम करते हैं, अपने मुवाक्किलों से वापस अदायगी के लिये उतनी ही राशि की मांग करते हैं; और

(ग) वर्ष 1973 के दौरान इण्डियन एयरलाईन्स द्वारा उक्त एजेन्सी को कमीशन के रूप में कुल कितनी धनराशि अदा की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) यात्रा अभिकर्ताओं के पास सीट आरक्षण का कोई आवंटित कोटा नहीं होता है। सभी आरक्षण 'केन्द्रीय स्थान नियंत्रण बुकिंग कार्यालयों' के साथ 'पहले आया पहले पाया' के आधार पर किया जाता है ।

(ख) उपलब्ध रिकार्डों की जांच-पडताल के अनुसार ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कारपोरेशन इस मामले की जांच करेगी।

(ग) केलेण्डर वर्ष 1973 में अभिकर्ता द्वारा अर्जित कमीशन की कुल राशि इस प्रकार है :—

बम्बई	1,17,517.80
कलकत्ता	1,79,190.15
दिल्ली	2,21,504.46
योग .	5,18,212.41

केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा एक दिन की प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल

5852. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संगठन के राष्ट्रीय संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में, 9 अप्रैल को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उनकी मांगों में आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मंजूरी महंगाई की पूरी क्षतिपूर्ति, बोनस, शोषण को रोकना तथा कर्मचारी संघीय अधिकार देने की मांगें भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) कुछ समाचार पत्रों में इस आशय की रिपोर्टें छपी हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारी इस प्रकार का कदम उठाने की सोच रहे है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित मामले मूलतः संबंधित राज्य सरकारों के विषय है। इस लिए ऐसे कर्मचारियों के किसी वर्ग द्वारा हडताल की धमकी से उत्पन्न किसी भी स्थिति का निपटान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही किया जायगा।

भारतीय रुई निगम का असंतोषजनक कार्यकरण

5853. **श्री मधु लिमये :**

श्री के० मालन्ना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है;

(ख) क्या यह निगम अपने कार्यों में भारी हानि उठा रहा है;

(ग) 1971-72 और 1973-74 के मोसमों में इसने कितनी गांठें खरीदी थीं; और

(घ) निगम ने अपना कार्यकरण सुधारने के लिए क्या कदम उठाएं हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यह कहना सही नहीं है कि भारतीय रुई निगम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है या अपने कार्यों में हानि उठा रहा है ।

(ग) रुई वर्ष 1971-72 में निगम ने 58 करोड रुपये के मूल्य की लगभग 5.20 लाख रुई की गांठें खरीदीं। रुई वर्ष 1972-73 के दौरान निगम ने लगभग 45 करोड़ रुपये के मूल्य की 3.20 लाख रुई की गांठें खरीदीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीकी डालरों की सरकारी दरों से कम मूल्य पर बिक्री

5854. **श्री इसहाक संभली :**
श्री भानसिंह भौरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में बम्बई में अमरीकी डालरों की सरकारी दरों से काफ़ी कम दर पर बड़े पमान पर हुई बिक्री क बारे म पता है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) इस संबंध में सरकार को भी रिपोर्ट मिली है कि सरकारी विनिमय दरों से भिन्न दरों पर विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कुछ अनौपचारिक लेने-देन होते है । ये लेन-देन, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों क विरुद्ध है।

निर्यात नीति संबंधी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

5855. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लिये निर्यात नीति बनाने और उसका निर्धारण करने सम्बधी समिति नें अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब क्यों हो रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दल, उपयुक्त नीति बनाने के लिए बराबर विचार-विमर्श कर रहा है जिसमें तेल की कीमतों म वृद्धि स उत्पन्न हुई स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा।

विदेश पूंजी निवेश

5856. **श्री वसंत साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत आये अमरीकी कपडा मिल मशीनरी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने कहा है कि भारत में शीघ्र परिवर्तनशील नियमों से अमरीकी पूंजी निवेशकर्ताओं को चिंता रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा बातचीत के दौरान उठाए गए नुक्तों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश में अधिक विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, या उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं प्रतिनिधिमंडल ने ऐसी कोई बात नहीं उठाई थी ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्टेपल रुई के पुराने स्टाक को निर्यात करने की अनुमति

5857. श्री के० मालन्ना : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त ने भारतीय रुई निगम की स्टेपल रुई का पुराना स्टाक जापान, हांगकांग, कोरिया और फिलीपीन्स को निर्यात करने के लिये बिना शर्त अनुमति देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) क्या निगम श्रीलंका द्वारा मांगे गये 700 गांठों के टेण्डर भरना चाहता था जिसकी अनुमति नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो रुई सप्लाई करने की सरकारी नीति की मुख्य बातें क्या है, विशेषकर रुई की विश्वव्यापी कमी के सन्दर्भ में ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन श्रीलंका द्वारा जारी की गई निविदा के आधार पर भारतीय रुई निगम को स्टेपल काटन की 700 गांठों के कोटे के लिए अनुमति दी गयी थी । लेकिन भारतीय रुई निगम द्वारा दी गई आफर को नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन श्रीलंका ने मंजूर नहीं किया ।

(ग) असाधारण कारणों से की गई द्विपक्षीय विशिष्ट संविदाओं को छोड़कर सरकारी नीति में स्टेपल काटन के निर्यात के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

भारत में विदेशी स्वामित्व वाले बागान

5858. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी स्वामित्व वाले कुछ बागानों ने हाल में ही अपना स्वामित्व भारतीयों को हस्तांतरित किया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में किये गये सौदों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उन भारतीयों या भारतीय फर्मों अथवा कम्पनियों के नाम क्या है जिन्होंने ये बागान खरीदे हैं ; और

(घ) विदेशियों तथा भारतीयों के बीच इस प्रकार के सौदों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 6637/74]**

(घ) सरकार यदि इस बात से सन्तुष्ठ हो जाए कि अदा की गई कीमत न्या ोचित है और भावी खरीदार को बागानों की उत्पादिता क्षमता तथा निर्यात संभाव्यता बनाए रखने का अनुभव तथा विशेषज्ञता प्राप्त है तो वह एस सौंदों के संबंध में अनुकूल रूप से विचार करती है।

लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड के निदेशक के विरुद्ध जांच

5859. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के परामर्श पर लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड के तीन विदेशी निदेशकों के विरुद्ध आय कर की जांच आरंभ की गई है;

(ख) क्या इस कंपनी की एक सहायक कंपनी के विदेशी महाप्रबंधक के विरुद्ध ऐसी ही कार्यवाही चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो जांच की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

नई दिल्ली में निर्यात सम्बन्धी सम्मेलन

5860. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 फरवरी, 1974 को नई दिल्ली में निर्यात संबंधी एक सम्मेलन हुआ थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने उसमें भाग लिया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों क बारे में विचार-विमर्श किया गया उनकी मोटी-मोटी बातें निम्नलिखित विषयों से संबंधित थीं :—

(1) पांचवी योजना के लिए निर्यात नीति

(2) उत्पादन एवं मूल्य निर्धारण

(3) राज्य व्यापार तथा निर्यात सदन

(4) नौवहन तथा ट्रांसपोर्ट

(5) निर्यातों में ऋण तथा वित्त।

फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि

5861. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी मूल रूप से 20,000 रुपये थी जिसे प्रत्येक शेयर के ऐवज में 549 बोनस शेअर जारी करके 1,09,80,000 रुपये की राशि प्रतिधारित लाभों से लेकर 1,10,00,000 तक बढ़ा लिया गया था;

(ख) क्या ये भी बोनस शेयर अभिभावक अमरीकी कम्पनी को जारी किये गये थे; और

(ग) क्या इसके लिये सरकार ने अनुमति दी थी और यदि हां तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) 1961 में अनुमति बोनस निर्गम अर्थात प्रारक्षित निधि के पूंजीकरण पर होने वाली सभी कसोटियों पर उनके खरे उतरने क बाद दे दी गयी थी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लेखा-परीक्षकों (आडिटरों) के लिए सलेक्शन ग्रेड

5862. **श्री अम्बेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने भारत के सभी महालेखाकारों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लेखा परीक्षकों को, इन समुदायों के लिये आरक्षण के आधार पर, सिलेक्शन ग्रेड की मंजूरी देने के लिये दिनांक 25 जनवरी. 1973 को पत्र जारी किया था;

(ख) क्या उक्त समुदायों के लेखापरीक्षकों को मंजूर किया गया सलेक्शन ग्रेड उनके धर्म परिवर्तन के उपरान्त वापस ले लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 26 जनवरी, 1973 का पत्र, उन पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण के संबंध में लागू होता है जो पद योग्य होने की हालत में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने है । लेखा परीक्षकों के संवर्ग की चुनाव ग्रेड में पदोन्नति 'योग्यता और वरिष्ठता' के आधार पर की जाती है, और इन परवर्ती पदों में आरक्षण तो ऊपर उल्लिखित पत्र के जारी होने से पहले भी मौजूद था।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जाति का कोई कर्मचारी यदि हिन्दू अथवा सिक्ख धर्म से अपना धर्म परिवर्तन करे तो धर्म परिवर्तन की तारीख से उसे अनुसूचित जाति के कर्मचारी के रूप में प्राप्य विशेष लाभ पाने का हक नहीं रह जाता। इन पदों में आरक्षणों को, संविधान के एतद संबंधी उपबंधों के अनुरूप रखने के लिए, ऐसा करना आवश्यक समझा गया।

मध्य प्रदेश द्वारा जमाखातों से निकाली गई अधिक राशि

5863. **श्री मार्तंड सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, 1974 तक जमाखातों से निकाली गई अधिक राशि (ओवर ड्राफ्ट) की स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार ने राज्य स ओवर डाफ्ट की राशि वसूल करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) मध्य प्रदेश की सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से 1 मई, 1972 से जनवरी, 1974 तक की अवधि में ओवरड्राफ्ट नहीं लिया।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राज्य व्यापार निगम द्वारा बम्बई पत्तन से 40 लाख रुपये के मूल्य के अखबारी कागज को उठाने में विलम्ब का समाचार

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur): Sir, I call the attention of the Minister of Commerce to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon:

"Reported delay in the lifting of Rs. 40 lakhs worth of newsprint by the S.T.C. from the Bombay Port".

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डॉ० पी० चटोपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, राज्य व्यापार निगम द्वारा बम्बई पत्तन से 40 लाख रुपये के अखबारी कागज को उठाने में उल्लिखित विलम्ब के बारे में वास्तविक स्थिति इस प्रकार है :–

अखबारी कागज के आयात की व्यवस्था विदेशी संभरकों के साथ राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई भारी मात्रा में संविदाओं के माध्यम से की जाती है । अलग-अलग समाचारपत्र जिन्हें समाचार पत्र के पंजीयक द्वारा आयातित अखबारी कागजों का नियतन किया जाता है, उन्हें राज्य व्यापार निगम को जारी किए गए मुख्य लाइसेंस के मद्दे प्राधिकार पत्र के साथ उप-लाइसेंस स्वीकृत किए जाते हैं जिससे कि वे सीमाशुल्क के माध्यम से प्रेषण की निकासी कर सकें । लेकिन, यह क्रियाविधि इसलिए बोझिल और बेकार पाई गई है कि एक मुख्य लाइसेंस के मद्दे कई उप-लाइसेंस जारी किए जाने थे । इसलिए, क्रियाविधि को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा राज्य व्यापार निगम एवं समाचार पत्र के पंजीयक के साथ परामर्श कर संशोधित कर दिया गया था जिससे कि क्रियाविधि को सुगम बनाया जा सके और बेकार की बर्बादी से छुटकारा पाया जा सके :

तदनुसार, 1 फरवरी, 1974 को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा की गई बैठक में इस सम्बन्ध में एक निर्णय लिया गया कि केवल प्राधिकार पत्र ही जारी करने की जरूरत है जिससे कम से कम देर होगी ।

बम्बई सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अखबारी कागज के एक प्रेषण में कुछ स्पष्टीकरण अनिर्णीत पड़े रहने से निकासी में कुछ देर कर दी गई थी। चूंकि ये स्पष्टीकरण भेज दिए गए हैं और प्रेषण की निकासी हो चुकी है।

दो जहाज एक 'सेम्यूल मार्शक' जिन पर रूसी अखबारी कागज 1156 टन था और 'जलकेन्द्र' जिस पर अखबारी कागज 40 टन था, वे क्रमश: 3 मार्च और 13 मार्च को पहुंचे। जलकेन्द्र के प्रेषण की निकासी पूर्णत: सामान्य अवधि में हो गई थी। इसी अखबारी कागज के सम्बन्ध में प्रेषण के लिए जब पोत 3 मार्च को पहुंचा, **वास्तविक अवतरण** केवल 23 मार्च को हुआ था और प्रेषण की निकासी 28 मार्च को चालू हुई थी। इसलिए, आदरणीय सदस्य को इस बात की सरहाना करनी चाहिए कि विलम्ब अधिक से अधिक 5 दिनों का था। चूंकि पोत के वास्तविक अवतरण के बाद सामान्य स्वतंत्र निकासी का समय 4 दिनों का होता है, इसलिए, सामान पर केवल 28 मार्च से एक सप्ताह के लिए विलम्ब शुल्क लगाया गया था जिसके दौरान 2 दिनों की छुट्टी भी थी। यह भी उल्लेखनीय है कि इस अवधि के दौरान तीन अन्य पोत थे जिन में अखबारी कागज था जिन्हें निकासी की स्वीकृति दे दी गई थी और बम्बई पत्तन पर काफी भीड-भाड हो गई थी।

विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम ने विलम्ब शुल्क प्रभार की छूट देने के मामल पर सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ विचार किया है, और मैं आदरणीय सदस्यों को विश्वास दे सकता हूं कि यदि कोई विलम्ब शुल्क चुकाया जाएगा तो वह अखबारी कागज के उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।

Shri Yamuna Prasad Mandal: The hon. Minister has referred to the decision taken by the authorities of C.C.I.E. and the S.T.C. to the effect that for the clearance of consignment, authority letters would be sufficient. Even then certain clarifications are called for. In the meeting held on 1st February, the officers concerned did not decide as to what action would be taken in a particular situation. Everybody knows how much inconvenience is caused to the newspapers, especially, small newspapers due to the delay in the supply of newsprint. In this context, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Samastipur Paper Mills which is closed for the last 6 to 7 years.

According to the hon. Minister, there was considerable congestion at the Bombay Port. Here I would like to suggest that the Port Commissioner should be advised to fix priority for such consignments. The hon. Minister has given a hypothetical assurance regarding the burden of demurrage. I am totally against the idea that the amount of demurrage should be borne by the Government. May I know whether the officers responsible for this loss would be censured?

It would be much better if the demurrage is waived by the Port authorities. I also suggest that the delay in the movement of newsprint should be avoided.

Secondly, if the persons like me who know a little English, are provided with a translated version by the Lok Sabha Secretariat, it would be more convenient to them.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैं बता चका हूं, जहाज तीन तारीख को पहुंचा गया था और कि पत्तन पर स्थानाभाव के कारण माल उतारने का कार्य 23 तारीख को आरम्भ हुआ। अखबारी कागज उतारने का कार्य 28 तारीख को आरम्भ हुआ। अत: केवल पांच दिन का विलम्ब हुआ जिसमें दो दिन की छुट्टी थी।

प्रक्रिया को सरल बनाये जाने पर सहमति होते वे बावजूद, सीमाशुल्क अधिकारी कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे जिसमें तीन दिन की देरी हो गई। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में यह मामूली देरी भी नहीं होने जी जायगी।

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

विलम्ब शुल्क के बारे में भी मैंने आश्वासन दिया है कि अखबारों को इसका वहन नहीं करना पड़ेगा। सरकारी खजाने पर भी इसका भार नहीं पड़ने दिया जाएगा तथा आशा है यह भाफ हो जाएगा। अन्य पत्तनों पर कभी अखबारी कागज के बारे में विलम्ब नहीं होने दिया गया। यह ऐसा एकमात्र मामला है। भविष्य में इस बारे में पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi): May I know whether the decision taken in the meeting held on 1st February was conveyed to the Customs Department, Port Commissioner and the other concerned authorities?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मुझे अब यह मानने में कोई संदेह नहीं रहा कि सरकार उन समाचारपत्रों पर रोक लगाने के लिये ही यह हथकपड़े अपना रही है जो सरकार का विरोध करते हैं।

इस मंत्रालय के 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि 1971-72 में 27.6 करोड़ रुपये के अखबारी कागज का आयात किया गया किन्तु 1972-73 में केवल 20.5 करोड़ रुपये का कागज आयात किया गया। क्या मंत्री महोदय इस कमी के वास्तविक कारण बतायेंगे जबकि मूल्यों में 300 प्रतिशत वृद्धि हुई है? दिनांक 24 मार्च, 1974 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' के अनुसार 'फरवरी के अंतिम सप्ताह तक केवल 54,708 टन अखबारी कागज का आयात किया गया जब कि 1,26,700 टन अखबारी कागज के आयात की आशा थी। इससे स्थिति बहुत खराब हो गई है। इतने पर भी कागज पहुंचने पर बम्बई पत्तन पर उसे रोके रखा गया।

अखबारी कागज की वर्तमान कमी राज्य व्यापार निगम द्वारा उत्पन्न की गई है। गत वर्ष उसने 50,000 टन कम कागज खरीदा। यदि अखबारी कागज का संचित भण्डार बनाया गया होता तो यह स्थिति उत्पन्न न होती।

आश्चर्य की बात है कि स्कैंडीनेवियाई देशों के साथ 40,000 टन अखबारी कागज का ठेका किया गया था किन्तु उसमें से केवल 13,000 टन कागज का आयात किया गया जब कि मूल्य भी उचित थे।

मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति में अनापत्तिपत्र तथा वितरण की प्रक्रिया में सरकार क्यों परवर्तन करना चाहती है। आयात व्यापार नियंत्रण पुस्तिका के पृष्ट चार पर उल्लिखित उपबन्धों में मूलभूत परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं? जिस प्रक्रिया को आज जटिल समझा जा रहा है वहीं कब से लागू है तथा यह परिवर्तन अब ही क्यों किया जा रहा है?

यह भी बताया गया है कि राज्य व्यापार निगम तथा समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के परामर्श मे आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक ने इस प्रक्रिया में उपयुक्त संशोधन किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस बैठक में सीमा शुल्क अधिकारियों को क्यों नहीं बुलाया गया? यह संशोधन कब किया गया? मैं यह भी जनाना चाहता हूं कि उन्हें स्पष्टीकरण कब प्राप्त हुआ तथा सीमा शुल्क विभाग को वे कब भेजें गये?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि नई प्रक्रिया सभी प्राधिकारणों द्वारा स्वीकृत किये जाने से पूर्व लागू क्यों की गई? विलम्ब शुल्क की दर क्या है तथा यदि पत्तन अधिकारी इसे माफ नहीं करते तो इसका भार कौन वहन करेगा?

मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ निर्यातकर्ताओं ने मूल्य वृद्धि के कारण 1971 के अंत में किये गये ठेकों को अस्वीकार कर दिया है। यह कैसे सम्भव है? क्या खरीदार को भी यह अधिकार है कि वह ठेके को रद्द कर दे? क्या इस स्थिति में सप्लाई कर्ताओं से कोई जुर्माना लेने की व्यवस्था है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य की यह धारणा निर्मूल है कि सरकार समाचार पत्रों पर रोक लगाना चाहती है। यह आशा की जाती है कि इस वर्ष हमें कुल 1,60,000 टन अखबारी कागज प्राप्त होगा, कनाडा से 73,000 टन, रूस तथा अन्य समाजवादी देशों से 36,000 टन तथा बंगला देश से 7,000 टन। वर्ष 1974 के पूर्वार्ध में प्रति मास औसतन 12,000 टन कागज के आने की सम्भावना है।

जहां तक प्रक्रिया में संशोधन का प्रश्न है, इसका मूल उद्देश्य समाचारपत्रों का समय बचाना है तथा उनकी कठिनाइयां दूर करना है। यह प्रक्रिया गत वर्ष की थी जिसमें इस वर्ष संशोधन किया जाना था। सीमा शुल्क विभाग को भी उसकी सूचना दे दी गई थी (**व्यवधान**)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सीमा शुल्क अधिकारियों को बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं बता चुका हूं कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं था जिसके लिये सभी को बुलाया जाता, उन्हें इस पर कोई आपत्ति भी नहीं थी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1974

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं, श्री के० आर० गणेश की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 284 में प्रकाशित हुये थे, सभा-पटल पर रखती हूं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6619/74**]

1972-73 के लिये रेल संरक्षा आयोग के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं वर्ष 1972-73 के लिये रेल संरक्षा आयोग के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 66 20/74**]

सरकारी बचत बक अधिनियम, 1973, सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम 1941 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा अनुदानों की मांगें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) डाक घर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1974 में अधिसूचना सा० सां० नि० 156 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा० सां० नि० 157 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6621/74]

(2) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (चौथा निर्गम) (संशोधनों) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1974 में अधि सूचना संख्या सा० सां० नि० 158 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (पांचवा निर्गम) (संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 159 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सरकारी बचत प्रमाण पत्र (संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 160 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6622/74]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 144 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सां० नि० 153 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6623/74]

(4) 1974-75 के लिये निम्नलिखित मंत्रालयों के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रक्षा मंत्रालय।

(दो) इस्पात और खान मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6624/74]

(5) दिल्ली संघ राज्य में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विक्रय कर (चौथा संशोधन) नियम, 1974 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ० 4(53)/73 फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ-4 (84)/72-फिन (जनरल), जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 28 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 17 जनवरी, 1974 की अधिसूचना संख्या एफ० 4(84)/72-फिन (जी) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6625/74]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति
ASSENT TO BILLS

महासचिव : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गुजरात विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974

(2) विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1974

(3) विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1974

(4) विनियोग विधेयक, 1974

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
47 वां और 49 वां प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं प्राकल्लन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) औद्योगिक विकास मंत्रालय--लघु उद्योग के सम्बन्ध में समिति के 35 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)--कमजोर वर्गों और रोजगार के लिये विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में समिति के 36 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 49 वां प्रतिवेदन।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
99 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं आपूर्ति मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1970-71 के प्रतिवदन, संघ सरकार (सिविल) के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 91 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 99वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES
7 वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : मैं विशेषाधिकार समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) अल्पसंख्यक छात्रों पर असमिया भाषा को लागू करने का कथित निर्णय

श्री **नूरूल हुदा** (कचार) : असम के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल में नया पाठ्यक्रम स्वीकृत किया है जिसे 1974 के शैक्षिक वर्ष से लागू किया जाना है। उक्त पाठ्यक्रम से असम राज्य में रहने वाली विभिन्न भाषायी अल्पसंख्यकों में विद्वेष की भावना उत्पन्न होगी। यह पाठ्यक्रम असमिया मातृभाषा और गैर–असमिया मातृ भाषा वालों के बीच भेदभावपूर्ण है। असम में बोर्डो लोग मणीपुरी एवं बंगला भाषा बोलने वाले अनेक व्यक्ति रहते हैं। कचार जिले की जनसंख्या का 80 प्रतिशत व्यक्ति बंगला भाषी हैं। उन लोगों को असमिया भाषा सीखने को बाध्य होना पड़ेगा और वे हिन्दी भाषा नहीं सीख सकेंगे। माध्यमिक स्कूलों के आठवीं से 10वीं तक के भाषायी अल्पसंख्यक छात्रों को असमिया भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ना पड़ेगा। यह स्पष्ट रूप से भेदभाव है। इसी आशंका को लेकर असम के भाषायी अल्पसंख्यकों ने राज्य सरकार से मांगे की थी कि असमिया को सभी स्कूलों में अनिवार्य भाषा न बनाया जाये और इसे वकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाय। अभी तक असम सरकार ने भाषाई अल्पसंख्यकों की मांग के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। इसी कारण मैं यह विषय इस सभा में उठा रहा हूं और प्रधान मंत्री, गृह मंत्री एवं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और राज्य को इस बात से सहमत करायें कि असमिया भाषा को भाषायी अल्पसंख्यकों पर न लादा जाये और उन्हें हिन्दी भाषा पढ़ने के अवसरों से वंचित न किया जाय। इस बात को भी ध्यान में रखा जाये कि असम पूरी तरह से एक भाषायी राज्य नहीं है। इसकी जनसंख्या का केवल 60 प्रतिशत असमिया बोलते हैं जबकि 40% जनसंख्या अन्य विभिन्न भाषा–समहों की है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार की इस नीति को कार्यान्वित किया गया तो लोगों में कडुवाहट और विद्वेष की भावना फैलेगी और उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमें उस स्थिति से बचने के प्रयास करने चाहिय।

(दो) पश्चिम बंगाल में अनाज की भारी कमी का कथित समाचार

श्री **ए० के० एम० इसहाक** (बसिरहाट) : पश्चिम बंगाल में अनाज की भयंकर कमी है। पश्चिम बंगाल सरकार पर्याप्त खाद्यान्न की सप्लाई के लिये केन्द्र से अनरोध कर रही है। पश्चिमी बंगाल ने देश के हित के लिये बहुत कार्य किया है। स्वतन्त्रता के समय 2.31 लाख एकड़ भूमि में पटसन की खेती होती थी परंतु प्रयास करके इसे 11.77 लाख एकड़ तक बढ़ाया गया है। इस के परिणामस्वरूप धान की खेती प्रभावित हुई जबकि धान वहां का मुख्य भोजन है। परंतु इसके लिए पश्चिम बंगाल को कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल शरणार्थियों की भूमि है। यहां के 20 प्रतिशत निवासी भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से आए हुए हैं। 20% अन्य वासी भारत के अन्य भागों के हैं इन सब के लिये भोजन उपलब्ध करना केन्द्र का दायित्व होना चाहिये था परंतु केन्द्र ने इस दायित्व को स्वीकार नहीं किया है। पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में राशन व्यवस्था लागू है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन क्षेत्रों के लोगों के लिए खाद्यान्न की मांग की है परंतु उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। अनाज की इस कमी का राजनैतिक दल लाभ उठा रहे हैं। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आपातकालीन आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार को खाद्यान्न की सप्लाई की जाये।

अनुदानों की मांगें, 1974-75
DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

Shri Chandrika Prasad (Balia): This Ministry has not given proper treatment to neglected and backward regions, Hindi Language and poor people. Eastern part of U.P. is surrounded by rivers. The delimitation of Constituencies in this area has not been done properly. I would request that constituencies of backward areas should be properly delimited.

During the last elections reactionary forces did not allow poor people to cast their votes. No action is taken by the Election Commission even when specific complaints are made to it in this regard. Election Commission should be vested with more powers so that it could have control over the Government officials who are put on duty during Elections. Names of poor people are deleted from voters' list and then intimidation of voters also takes place. Such things should be stopped so that elections could be conducted freely.

Company Law Board is also neglecting poor people. They are not able to become directors of the Companies. A suitable provision should be made in the Company Law so that poor people could also become Directors.

Senior Advocates are earning enormous income whereas the income of junior advocates is very meagre. A ceiling should be put on the number of cases of senior Advocates, so that junior and young lawyers, who start practice after putting in good deal of labour, are able to get cases, to make their both ends meet. The Government should either give stipened to young lawyers or they should be attached to Senior lawyers so that they can gain experience.

Magistrates do not attend the courts regularly with the result that cases drag on for a long time. It causes a lot of difficulty for the poor people, particularly in rural areas who have to come to courts at district headquarters. Time-limit should therefore, be fixed for deciding a case, otherwise poor people may not be able to get justice.

Hindi is being neglected by Official Language Commissions. This Commission has failed to provide Hindi translations of English Law Books in Hindi Speaking States. Similarly the Constitution has not been translated in Bhojpuri language which is spoken by 8 crores of people. It should be provided. Representatives of all the languages have been given place in Official Language Commission but here also Bhojpuri language has been neglected. There are 5 representatives of Hindi Language. One of these should be from Bhojpuri language.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इस सभा में आश्वासन दिया गया था कि एकाधिकार एवं निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के सभी प्रशासकीय एवं व्यक्तिगत मामलों के प्रतिवेदन संसद् के दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जायेंगे परंतु इस बार भी केवल 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक का प्रशासकीय प्रतिवेदन ही प्रस्तुत किया जा रहा है। विशिष्ट आश्वासन के उपरान्त भी अनेक व्यक्तिगत मामलों संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यदि ये प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जाये तो सभा को देश में एकाधिकार समाप्त करने संबंधी नीति के मूल पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। मंत्री महोदय को सभा को बताना चाहिये कि इस प्रकार के कितने कितने प्रतिवेदन अभी प्राप्त होने हैं।

[प्रो० मधु दंडवते]

हिन्दुस्तान लीवर का मामला फक्त एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को निर्देशित किया गया था। हिन्दुस्तान लीवर ने सोडियम ट्रिपेली फास्फेट के उत्पादन के लिये लाइसेंस की मांग की थी। हमने इसका विरोध किया और बताया कि एकाधिकार की प्रवृत्ति को इससे प्रोत्साहन मिलेगा।यह स्पष्ट नहीं कि अभी तक कोई निर्णय किया गया है अथवा नहीं परन्तु समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि आयोग ने कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस देने की सिफ़ारिश की है। इसके उत्पादन के लाइसेंस के लिये अनेक उद्यमियों ने आवेदन पत्र दिये परंतु उनमें से एक को चुना गया जिसस एकाधिकार को प्रोत्साहन ही मिला है। यह ठीक है कि कुछ प्रतिबध लगाये जा रहे हैं परन्तु इसके बावजूद तथ्य यह है कि हिन्दुस्तान लीवर के साथ विशष व्यवहार किया गया है। हिन्दुस्तान लीवर के प्रबन्धकों के श्रमिकों के साथ सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नहीं है। श्रमिकों ने हड़ताल की नोटीस दे रखी है। माननीय मंत्री को इस स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहिये।

सरकार उच्चतम न्यायालय में अलग से श्रम बैंच की स्थापना में असफल रही है। यह ठीक है कि इसका निर्णय मुख्य न्यायाधीश को करना है परंतु उच्चतम न्यायालय में अनेक रिक्त पदों के कारण ही मुख्य न्यायाधीश ने अलग से श्रम बैंच की स्थापना को असंभव पाया है। देश के लगभग सभी मजदूर संगठनों द्वारा लगातार यह शिकायत की जाती है अलग से श्रम बैंच केन न होने के कारण अनेक श्रमिक मामले लम्बित पड़े हैं। अत: मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

हमारी चुनाव पद्धति इस प्रकार की है कि विभिन्न दलों को चुनावों के परिणामों के कारण जो सीटें प्राप्त होती हैं उनसे मतों के अनुपात में पार्टियों की शक्ति का पता नहीं चलता। 32 प्रतिशत मत प्राप्त करके भी दल निरन्तर सत्तारुढ़ है। मैं 1 सदस्यीय निर्वाचनक्षेत्र पद्धति को समाप्त नहीं करना चाहता। इस पद्धति को जारी रहना चाहिये। मैं देश में राजनैतिक अस्थिरता नहीं चाहता। परंतु फिर भी हमें आस्ट्रिया अथवा जर्मनी की तरह चुनाव का कोई ऐसा नया ढंग निकालना चाहिये कि कुछ उम्मीदवार प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा एक सदस्यीय निर्वचन क्षेत्रों से चुने जायें ओर उनके साथ राजनैतिक दलों को प्राप्त कुल वोटों के अनुसार उन्हें अनुपातीय प्रतिनिधित्व दिया जाय।

इस पद्धति के दो लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि किसी भी दल को प्राप्त मतोंको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा और दूसरे जब प्रतिनिधित्व दलों को प्राप्त होना है तो दल द्वारा अपने प्रतीनिधीत्व के रूप में अपने दल के योग्य प्रतिनिधियों को चुन कर ही संसद् में भेजा जाये ऐसा होने पर संसद् और राज्य विधान सभाओं का स्वरूप और अधिक लोक तन्त्रात्मक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है। आप अब अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो० मधु दण्डवते : : मैं कुछ अन्य सुझाव भी देना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इससे अच्छा सुझाव नहीं दे सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : पश्चिम बंगाल में मतदान केन्द्रों पर बंदूकों तथा हथगोलों से आक्रमण हुये और हमारे प्रत्याशी को गेगटा चुनाव क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। इन बातों पर शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये।

मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं। नेशनल रेयन कार्पोरेशन लिमिटेड के हिस्सेदारों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। मैंने तथा श्री मधु लिमये ने इस मामले को कई बार उठाया और इच्छा प्रकट की कि कम्पनी विधि बोर्ड इस बारे में दृढ़ निर्णय ले। हाईकोर्ट ने इस मामले में निगम के विरुद्ध निंदात्मक टिप्पणियां की जो एक तरह से कम्पनी विधि बोर्ड की आलोचना है।

श्री स्वर्णसिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की मांगों व समर्थन करता हूं। विधि मंत्रालय के विचाराधीन जो कानूनी सहायता देने संबंधी प्रस्ताव है, उ अविलम्ब अधिनियम का रूप दिया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ पिछड़े वर्गों तथा विश्वकर्मा लोगं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

जब हमारे पास महान्यायवादी, अधिवक्ता तथा सरकारी अधिवक्ता हैं तो सोलिसिटर तथ अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल के पदों की क्या आवश्यकता है। इन्हें समाप्त कर दिया जान चाहिये।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 को संशोधित किया जाना चाहिये। यह देश की बदलतं परिस्थितियों के अनुकुल नहीं है। इसे इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिये ताकि इसके अन्तर्गत वे सब हानियां आ सकें जो सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों के उच्चाधिकारियों की लापरवाही से या उनवे अधीनस्थ कर्मचारियों की गलत सलाह से अथवा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मुकदमें हारने से होती है।

इसके अतिरिक्त चुनाव विधि का भी इस तरह से संशोधन होना चाहिये ताकि विधान सभाओ तथा लोग सभा के चुनाव साथ साथ हो सकें।

कानून की सभी पुस्तकों का अनुवाद संविधान की आठवी अनुसूची में दी गई सभी भारतीय भाषाओं में होना चाहिये।

नौटैरी पब्लिक की संख्या बिहार में बहुत कम है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक न्यायालय, ब्लाक कार्यालिय तथा पंचायत कार्यालिय में एक नोटैरी होना चाहिए ताकि देश के लाखों शिक्षित युवकों को अवसर मिल सके जो इस समय गैर कानूनी कार्यों में लगे हुए हैं।

इस सभा ने दिसम्बर, 1971 में दिल्ली गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया था लेकिन वहां अब तक भी कोई चुनाव नहीं हुये और अकाली दल इसे सरकार के विरुद्ध एक राजनीतिक मामला बना रहे हैं। ये चुनाव शीध्र कराये जाने चाहिये।

नांदेड़ में भी अकाली उपद्रव कर रहे हैं। इसी सत्र में महाराष्ट्र के गुरुद्वारा बोर्ड तख्त सच खंड हुजूर साहेब अबचलनगर नांदेड़ के संबंध में एक अधिनियम पारित किया जाना चाहिये क्योंकि वहां अकालियों द्वारा सिक्खों के साथ छेड़खानी की जाती है। इसी प्रकार का अधिनियम पटना हरिमन्दर के संबंध में भी पारित किया जाना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो।

श्री राणबहादुर सिह (सिधी) : कानून राष्ट्र की आवश्यकता पर आधारित होने चाहिये। देश की आवश्यकताओं के कारण कानून की प्रगति होती है। पिछले वर्ष के दौरान देश में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई और अनुभव हुआ कि हमारा कानून स्थिति के अनुसार उपबंध नहीं बना सका। लगभग 400 डाकुओं ने अपनी इच्छा से प्राधिकारियों के सामने आत्म समर्पण कर दिया। इस बारे में हमारे कानून में कोई नीति नियम नहीं है। मनु ने कहा था कि न्यायाधीश तथा न्याय की इच्छा रखने वाला, सच्चाई की खोज के लिये तथा न्याय देने में दोनों ही की समान जिम्मेदारी है। समारे देश में एक विचित्र बात यह है कि जहां भी किसी व्यक्ति से न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाता है, वह सत्यता को झुठलाने लगता है और साक्ष्य को गलत रूप देने लगता है वह समझता है कि इस प्रकार वह कानून के शिकंजे से बच निकलेगा।

[श्री रणबहादुर सिंह]

मनु का यह भी नियम है कि प्रायाश्चित्त और पश्चाताप किया जाय। उनके इस नियम का आज के हमारे कानून में कोई स्थान नहीं है। पश्चाताप अथवा प्रायश्चित को यदि कानूनी आधार दिया जाय तो मानवीय स्वभाव की परस्पर विरोधी बातें समाप्त हो जायेंगी। इससे जांच करने के लिये एक अच्छी वैकल्पिक मशीनरी मिल जायेगी और पुलिस के विरुद्ध भावना समाप्त हो जायेगी, जिससे दंड संबंधी मामलों पर विचार करने के लिये सत्य को प्रोत्साहन मिलेगा और अभियुक्तों में सत्य को बढ़ावा देने के लिये ईमानदार वकीलों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे विचारण के दौरान और दोष सिद्धी के अच्छे व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। यह अपराधियों को अपने में नैतिक रूप में सुधार करने और सत्य बोलने को बढ़ावा देने और असत्यता के वातावरण, जिससे हमारी अदालतें कलुशित हैं, को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगा। इसे प्राप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में समुचित संशोधन किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : चुनाव आयुक्त एक सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी है। इनके कार्यों से लगता है जैसे कि यह सरकार के प्रवक्ता हों।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या निर्वाचन आयुक्त गृह मंत्रालय के अधीन है और क्या इसका मार्गप्रदर्शन सरकार करती है ? चुनाव आयुक्त केवल सत्तारुढ़ दल के हितों को देखता है, यह सचमुच लज्जाजनक बात है।

एकाधिकार आयोग ने कहा है कि सरकार उनके पास वह मामले भेजती है जो साधारण होते ह और जिन मामलों में सरकार को परेशानी होने का पत्र हो वे कमिशन के पास नहीं भेजे जाते। यदि यह बात ठीक है तो इस आयोग का क्या लाभ है ! हम जानते हैं कि सरकार किस प्रकार इजारेदारों की सहायता करती है और किस प्रकार इनका गत कुछ वर्षों में विस्तार हुआ है जब विकास दर एक या दो प्रतिशत हो तो एकाधिकार गृहों में अपने आस्तियों को 20 प्रतिशत तक कैसे बढ़ा लिया है? मैं मंत्री महोदय से हर प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। मैं मानना चाहता हूं कि इस प्रकार क सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त को कब तक रखा जायेगा। चुनाव आयोग एक शाही अथवा अर्ध-न्यायिक संस्था के रूप में काम कर रहा है मुझसे पूछा जाये तो यह **

उपाध्यक्ष महोदय : यह शब्द असंसदीय है और कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : जिन मानवीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। वर्तमान कम्पनी अधिनियम में व्यापक और आमूल संशोधन करन का प्रस्ताव है और उसे एक संयुक्त समिति को भेजा गया है। संयुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया विधेयक सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। सुझाव दिया गया है कि इसे इसी सत्र में लिया जाये।

संयुक्त समिति ने जो सिफारिशें की हैं, उस पर आधारित संशोधनों का एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कार्यकरण पर भी प्रस्ताव पड़ेगा। प्रस्तावित विधेयक में "उसी उपबंध" की परिभाषा पुन: की गई है। 'ग्रुप' की परिभाषा को कम्पनी अधिनियम क दायरे में लाया गया है और बड़ी संख्या में कम्पनियों को परस्पर सम्बध माना जायेगा। ये वर्तमान एकाधिकार कानून के अन्तर्गत ऐसे नहीं थी। परैफरेंस शेयरधारियों के बारे में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। ऐसे शेयरधारियों को किसी तारीख से पहिले के ऐसे होने के कारण विशेष मतदान का अधिकार था। अब यह विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया है।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

यह शिकायत भी की गयी है कि लाभांश की बहुत बड़ी राशि कम्पनियों के पास ही रहती है मोटे तौर पर ऐसा 10 करोड़ रुपया कम्पनियों के पास है। यह शिकायत भी की गयी है कि कम्पनी इस राशि को अपने व्यापार में लगाती है, जबकि यह राशि शेयरधारियों की है, जिन्होंने किसी कारणवश उसे लिया नहीं है। वर्तमान कानून के अनुसार 40 दिनों के भीतर लाभांश वारंट भेज दिया जाना चाहिये और यदि दावा इस अवधि में नही भेजा जाता तो यह कम्पनी के पास ही रहेगा।

ऐसा उपबंध भी किया गया है कि संविधिक परिसिमित समाप्त होने के 42 दिनों के बाद यह कम्पनी के पास नहीं रहेगा। इसे सरकार की विधि में हस्तांतरित कर दिया जायेगा। जिन शेयरधारियों का यह लाभांश है, उनकी देयता की सरकार जिम्मेदारी लेगी। जब इस विधेयक को अधिनियम बनाया था तब कम्पनी अधिनियम की त्रुटियां दूर की गई थीं।

इस बात से मैं समहत हूं कि एकाधिकार अवरोधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये। सरकार एकाधिकार अवरोधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को पुनः तैयार करने का विचार कर रही है ताकि एकाधिकार आयोग का कार्यकरण और अधिक कारगर हो सके। अधिनियम में ऐसे मार्गदर्शी सिधान्त भी हैं कि सरकार किस आधार पर यह निर्णय दे कि क्या इस मामले को एकाधिकार आयोग को सौंपा जाए या नहीं। यदि किसी मामले में तथ्य स्पष्ट होते हैं, तो आगे जांच की आवश्यकता ही नही होती है। ऐसे मामलों को एकाधिकार निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को सौंपे बिना हीं रद्द कर दिया जाता है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि यह आलोचना एकदम गलत है कि आयोग को ऐसे मामले सौंपे जाते है जिनका उसे सौंपा जाना आसान होता है और उन मामलों को नहीं सौंपा जाता जिनका सौंपा जाना कठिन होता है। अतः मैं इस आरोप का जोर-शोर से खंडन करता हूं कि आयोग को मामले सौंपने का काम सरकार सुगमता या दुर्गमता के आधार पर करती है। वस्तुतः बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित अधिकांश मामले आयोग को सौपे जाते है। हा, आयोग को सौंपते समय तात्कालिक उत्पादन की आवश्यकता को, सरकार ध्यान में रखती है और वह इस बात को भी ध्यान में रखती है कि कोई लाइसेंस मंजूर किया जाना चाहिए अथवा नहीं, इस प्रश्न की आगे जांच किये बिना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना क्या राज्य सरकार के लिए सम्भव है या नहीं। जहां तक इस आरोप का संबंध है कि सरकार आयोग को सौंपे गये मामले वापस ले लेती है, मैं इसका खंडन करना चाहुंगा कि एक भी मामला ऐसा नहीं है जो सरकार ने सौंपने के बाद आयोग से वापस लिया हो। जो मामले वापस लिए गये हैं, मैं उनके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कोई पार्टी किसी लाइसेंस के लिए आवेदन करती है और सरकार उसे वह लाइसेंस देना नहीं चाहती। ऐसे मामले को सरकार उस आयोग को सिफारिश के लिए सौंपती है और संबंधित पार्टी को आयोग के सामने पेश होना पड़ता है। यदि वह पार्टी आयोग के सामने जाकर स्वयं यह कहती है कि 'मुझे वह लाइसेंस नहीं चाहिए और मेरे मामले में जांच बंद कर दी जायें' तो ऐसे कुछ मामलों को वापस ले लिया जाता है। यह मैं मानता हूं कि ऐसे मामलों में आयोग का काफी समय और धन खर्च हो जाता है। और बाद आकर संबंधित फर्म मामले को आगे जारी न रखने का अनुरोध कर लेती है। ऐसे मामलों में, मैं चाहूंगा कि संबंधित पार्टी से हर्जाना लिया जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि सरकार ने लाइसेंस देने के मामले में हिन्दुस्तान लिवर्स का पक्षपात किया है। मैं इसका खंडन करता हूं हिन्दुस्तान लिव्हर का मामला आयोग को सौंपा गया था। आयोग ऐसे मामलों में न केवल उस पार्टी की बात सुनता है जिसका मामला सौंपा जाता है बल्कि उनकी बात भी सुनता है जो ऐसी ही परियोजनाओं को शुरु करना चाहती हैं। अतः हिन्दुस्तान लिवर्स के साथ ही दिल्ली क्लाथ मिल्स, बल्लारपुर्स और अल्बर्ट मोरारजी को भी सुना गया, क्योंकि वे भी एस० टी० पी० पी० के उत्पादन के लिए लाइसेंस लेना चाहते थे। इस समय इसके उत्पादन पर हिन्दुतान लिवर्स का एकाधिकार है। इसलिए उपरोक्त दोनों फर्में हिन्दुस्तान लिवर्स को लाइसेंस दिये जाने का विरोध कर रही थीं। मुझे जहां तक याद है, इस

[श्री एच० आर० गोखले]

संबंध में डी० सी० एम० और बल्लारपुर्स के मामलों में मंजूरी दे दी गई है। इससे हिन्दुस्तान लिवर्स की 43 प्रतिशत वर्तमान क्षमता धीरे-धीरे कम हो जायेगी।

जहां तक एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करने का संबंध है इसमें कठिनाई सामने आती है क्योंकि आयोग का प्रतिवेदन प्राय: एकमत नहीं होता है। यदि सरकार आयोग की बहुमत राय मानती है तो कहा जाता है कि उसे अल्पमत की राय माननी चाहिए थी। यदि सरकार अल्पमत की सिफारिश मानती है तो कहा जाता है कि राय बहुमत की मानी जानी चाहिए थी। हिन्दुस्तान लिवर्स के मामले में सरकार ने बहुमत की सिफारिश मानी थी। साथ ही आयोग द्वारा सुझायी गयी शर्तें भी उसके साथ जुड़ी थी। यहां मैं यह स्पष्ट करना उचित समझता हूं कि अल्पमत वहीं माना जाता है जहां ऐसा करना लोकहित में होता है। अन्यथा, अधिकांशत: आयोग की बहुमत सिफारिशें मानी जाती है।

अनियमितताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। कुछ शिकायतें मिली हैं जो एस० टी० पी० पी० परियोजना के संबंध में नहीं हैं बल्कि वे साबुन का भार घटाने, उसकी मूल्यनिती बनाने आदि के बारे में है। इन शिकायतों के बारे में कम्पनी अधिनियम के अधीन निरीक्षण किया जा रहा है। मेट्रो सिनेमा के बारे में भी उल्लेख किया गया है। किन्तु उसके बारे में उल्लंघन का कोई मामला नहीं है। किन्तु इसके संबंध में आगे जांच की जायेगी। कलकत्ते के ग्रेट इस्टर्न होटल्स के बारे में उल्लेख किया गया है। वैसे तो इस कम्पनी पर सरकार के दो डायरेक्टर हैं पर उन पर शक प्रकट किया जा रहा है और सरकार इस मामले की जांच कर रही है और तत्पश्चात् उचित कार्यवाही करेगी। जहां तक मोरारका कम्पनियों का संबंध है, उनके संबंध में कार्यवाही की जा चुकी है। उनकी खातों की जांच के बाद सरकार ने धारा 408 के अन्तर्गत निदेशक नियुक्त कर दिये हैं।

जहां तक एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की कमियों का संबंध है, उसकी धारा 27 को अपर्याप्त बताया गया है—यह बड़े गृहों से कम्पनियों को पृथक करने के बारे में है। उसे मैं भी मानता हूं और सभा को आश्वासन देता हूं कि धारा 27 क जोड़कर इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। धारा 408 के बारे में सामान्यत: यह कहा जाता है कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत जो शक्ति प्राप्त है उसका सद-उपयोग नहीं किया जा रहा है। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि इस उपबंध का उपयोग बहुत से मामलों में किया गया है और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकार की ओर से निदेशक नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सरकार दो से अधिक निर्देशक नियुक्त करने की शक्ति भी लेने जा रही है और ऐसा किया जाना अधिक कारगर सिद्ध होगा। केवल दो सरकारी निदेशक नियुक्त करने पर यदि कम्पनी निदेशकमंडल के सदस्यों की संख्या बढा लेती है तो सरकारी निदेशक अल्पमत में हो जाने पर निष्प्रभावी हो जाते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि जब किसी कम्पनी में दो सरकारी निदेशक नियुक्त कर दिये जाते हैं, तो वह कम्पनी निदेशक मंडल में निदेश कों की संख्या कम्पनी कानून बोर्ड की अनुमति के बिना नही बढ़ा सकती। कपाडिया बन्धूओं ने नेशनल रेयन के मामले में कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा निर्णय लिये जाने से पूर्व ही बम्बई उच्च न्यायालय में कम्पनी कानून के संबंधित उपबंध को चुनौति दी थी और उच्च न्यायालय ने निर्णय सरकार के पक्ष में दिया है। अब कम्पनी कानून बोर्ड भी नेशनल रेयन के निदेशक-मंडल में कम्पनी द्वारा चार निदेशक बढ़ाये जाने के मामले पर शीघ्र ही निर्णय करेगा और आशा है कि उसका निर्णय सरकार के पक्ष में ही होगा।

न्याय विभाग के बारे में चर्चा काफी लम्बी चली है। यह कहा गया है कि न्यायालयों में, विशेषकर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में मुकदमें निर्णयाधीन हैं। हम इसके कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं और ऐसे उपाय खोज रहे हैं जिससे न्यायालयों में मुकदमों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। न्याय का विषय राज्य सरकारों का है इसलिए हमने राज्य सरकारों को कहा है कि वे न्यायालयों में निर्णयाधीन मामलों की संख्या को देखते हुए और

अधिक न्यायाधीश नियुक्त किये जाने की सिफारिश करें। केन्द्रीय सरकार को जहां से ऐसी सिफारिश मिली है वहां जजों की संख्या बढ़ा दी गई है। 1 जनवरी 1967 को सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या 245 थी, जो 1-1-1974 को बढ़कर 335 हो गई है। सरकार इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे० सी० शाह की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित कर रही है। जहां आवश्यक होगा सरकार इस संबंध में कानून भी बनायेगी। प्रक्रिया संबंधी मामलों के कारण भी न्यायालयों में मुकदमों के तय होने में समय अधिक लगता है। इस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है और सिविल प्रक्रिया संहिता में विधि आयोग की सिफारिश पर तदनुरुप संशोधन शीघ्र ही किया जाने वाला है। दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन पहले ही किया जा चुका है। नयी संहिता के अनुसार 'कमीटल प्रोसिडिंग्स' समाप्त कर दी गई है, जिससे मुकदम की सुनवाई में विलम्ब होता था। निधन लोगों को कानूनी सहायता देने का उपबंध भी किया गया है। नयी सामान्य प्रक्रिया संहिता में भी 'पापर' (निर्धन) की परिभाषा बदली जा रही है। पुरानी परिभाषा के अनुसार 'पापर' वह है जिसके पास 800 रुपये से कम की संपत्ति हो।

कई माननीय सदस्यों ने सेवानिवृत्त जजों की सेवाओं का उपयोग किये जाने की आलोचना की है। कुछ आयोग या न्यायाधिकरण न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य करते है जिनमें वर्तमान न्यायाधीश या सेवा-निवृत्त न्यायाधीश का होना अनिवार्य हो जाता है। चूंकि न्यायालयों में मुकदमें अधिक होते हैं, इसलिए वर्तमान जजों के स्थान पर सेवा-निवृत्त जजों को ऐसे आयोगों में नियुक्त कर दिया जाता है और उन्हें वह वेतन दिया जाता है जो उन्हें सेवा में रहत हुए मिल रहा था। हमारी नयी नीति यह है कि न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक जांच आयोगों में वर्तमान जजों को नियुक्त किया जाये। फिर भी हम यह नही कह सकते कि भविष्य में सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जायेगा। जहां आवश्यक होगा, वहां ऐसा किया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव भी दिया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों और वेतन आदि पर पुनः विचार किया जाये और उनमें सुधार किया जाये। सामान्यतः मैं इस बात से सहमत हूं। उनकी सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। उनके वेतन बढ़ाने आदि के लिए संविधान में संशोधन करने का सरकार का अभी विचार नहीं है। हम चाहते है कि उन्हें पहले आवास और परिवहन की सुविधा प्राप्त हो। उनकी पेंशन में वृद्धि का प्रश्न भी विचाराधीन है। उन प्रश्नों पर निर्णय शीघ्र ही किया जायेगा।

जयपूर में उच्च न्यायालय की शाखा खोले जाने के प्रश्न पर भी चर्चा ने जोर पकड़ा। कुछ ने वहा शाखा खोले जाने की वकालत की और कुछ ने खिलाफ। इस सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा ने भी एक संकल्प पास किया है परन्तु उसने यह मामला केन्द्र पर ही छोड़ दिया है। इस बारे में हम राज्य सरकार के विचार भी जानना चाहेंगे। अभी मैं यही कह सकता हूं कि इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। सामान्यतः सरकार चाहती है कि राज्य में एक ही उच्च न्यायालय हो और उसकी उप-शाखाएं न हो। किन्तु बड़े राज्यों में जहां न्यायालय जाने के लिए लोगों को लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है, वहां उच्च न्यायालय की शाखा खोलना उचित होगा।

न्यायालय शुल्क घटाने के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यह विषय राज्य सरकारों का है। इस प्रश्न पर कुछ वर्ष पूर्व राज्य सरकारों से बातचीत की गई थी और उस समय न्यायालय-शुल्क में कमी करना सम्भव न हो सका था। इस प्रश्न पर राज्य सरकारों से पुनः बातचीत की जाएगी।

श्रम बैंच बनाने का भी उल्लेख किया गया है। वस्तुतः नयी बैंच बनाने का कार्य उच्चतम न्यायालय करता है और ऐसा वह मुकदमों की संख्या परिस्थितियों की अनिवार्यता और औचित्य एवं उपयोगिता

[श्री एच० आर० गोखले]

को ध्यान में रखकर करता है। इस बारे में सरकार उच्चतम न्यायालय न तो निर्देश देती है और न दे सकती है। हां, यह मैं बताना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यह जानते हैं कि श्रम मामलों को शीघ्र निपटाने जाने की आवश्यकता है। सरकार इस आर सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान दिला सकती है। यह हम कर चूके है और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : आपने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में विलम्ब का तो जिक्र किया है किन्तु छोटी अदालतों का जिक्र ही नहीं किया जहां दिवानी का मामला तय होने में 7 से 10 साल और फौजदारी का मामला तय होने में 2 से 3 साल लगते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : विभिन्न अधिनियमों में संशोधन करके प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। इससे अधिनस्थ न्यायालयों में समय भी कम लगेगा और खर्च भी कम होगा। इसी उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर दिया गया है और सामान्य प्रक्रियां संहिता में संशोधन किया जाने वाला है। यहां यह स्पष्ट करना भी उचित है कि विलम्ब के लिए केवल न्यायाधीश जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वकील भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं।

जहां तक एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा जाने का प्रश्न है, वे ग्रंथालय में रख दिए गए थे जैसे ही हमे यह बताया गया कि वे सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं, हमने उन्हें शीघ्र ही सभा पटल पर रखे जाने का आदेश दिया। प्रशासनिक प्रतिवेदन सहित बडी संख्या में ये प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिए गए हैं।

माननीय सदस्यों ने निर्वाचन आयोग का जीक्र भी किया है। यह कहा गया है कि प्रत्येक शिकायत की जांच की जानी चाहिए। वास्तम में स्थिति यह है कि व्यवहारिक तौर पर चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। जहां कहीं भी पता लगा कि मतपत्रों में गड़बड़ की गई हैं, वहां तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाओं के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त सब प्रकार की शिकायतों की जांच की जा रही है। इन मामलों के बारे में वास्तविकता क्या है, चुनाव आयोग इस बारे में पता लगाने के लिए जांच करने का विचार कर रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चुनाव आयोग संसद् सदस्यों के पत्रों का महीनों तक उत्तर नहीं देता, यह उचित नहीं है।

श्री एच० आर० गोखले : यह कहा गया है कि निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र नहीं है। मैं इस कथन का खण्डन करता हूं। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हुए चुनाओं में गड़बड़ी होने के बारे में कुछ कहा गया है। उस बारे में मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में लेखी कोई शिकायत निर्वाचन आयोग के ध्यान में नहीं लाई गई है जिसकी जांच न की गई हों।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम इस बात को जानते है कि अधिसूचना जारी होने के बाद अर्थात 17 जनवरी के बाद प्रधान मंत्री ने अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है।

श्री एच० आर० गोखले : प्रधान मंत्री द्वारा रखे गए शिलान्यासों के बारे में वक्तव्य हम पूरी जांच करने के बाद तथा सावधानी से देते हैं। आप हमें यथार्थ स्थिति बतायें तो हम इसकी जांच करेंगे।

श्री एस० एम० बानर्जी (कानपूर) : उन शिलान्यासों को अब नहीं उठाया जाना चाहिए क्योंकि आपने कहा है कि आप उनकी जांच आदि करेंगे।

श्री एच० आर० गोखले : चुनाओं में सुधार करने की चर्चा भी हुई है। चुनाव सम्बन्धी विधि का संशोधन करने के लिए संयुक्त समिति है। उस समिति ने अपनी सिफारिश पेश की हैं और इन सिफारिशों पर आधारित एक विधेयक इस सदन में पहले ही पेश कर दिया गया है।

मतदान की आयु के बारे में भी चर्चा हुई है। इस मामले को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। सरकार इस पर ध्यानपूर्वक विचार कर रही है। जहां तक कानून की सहायता देने का सम्बन्ध है इस बारे में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। उस प्रतिवेदन के आधार पर हम कानून बना रहे हैं। न्याय प्रशासन राज्य का विषय है और उसके अनेक पहलू हैं जो कानून की सहायता के बारे में अतिव्याप्त हो गए हैं। कुछ मामलों में हमें राज्य सरकारों के पास जाना पडता है। आदिवासियों को भी कानून की सहायता दिये जाने की योजना के अन्तर्गत लाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अनेक कटौती प्रस्ताव है। अब मैं उन सब को मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut-motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Ministry of Law, Justice and Company Affairs were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
68 . .	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	6,04,32,000
69 . . .	न्याय प्रशासन	19,04,000

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS

वाणिज्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वाणिज्य मंत्रालय की मांग संख्या 11 तथा 12 पर चर्चा तथा मतदान करेगी जिसके लिए सात घंटे का समय रखा गया है।

वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1974-75 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
11 . .	वाणिज्य मंत्रालय	89,99,000
12 . .	विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	1,40,18,81,000 (राजस्व) 11,62,52,91,000 (पूंजी)

वाणिज्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—

(1) मांग संख्या	(2) कटौती प्रस्ताव संख्या	(3) प्रास्ताविक का नाम	(4) कटौती का आकार	(5) कटौती की राशि
11.	86.	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
,,	87.	,,	सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता।	
,,	88.	,,	भारतीय राज्य व्यापार निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में विफलता।	,,
,,	89.	,,	विदेशी चाय एवं रबड़ बागानों का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता।	,,
,,	90.	,,	जूट व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता।	,,
,,	91.	,,	मोटे कपड़े के मूल्यों में वृद्धि कर इजारेदारों की मदद करने तथा गरीब जनता पर चोट करने की जन-विरोधी नीति।	,,
,,	92.	,,	समाजवादी देशों के साथ व्यापार सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	93.	,,	हथकरघा उद्योग को संकट से उबारने में असफलता।	100 रुपये।
,,	94.	,,	बुनकारों को सूत की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
,,	95.	,,	बुनकरों की बड़े पैमाने पर बेकारी को दूर करने में असफलता।	,,
,,	96.	,,	बुनकरों के बीच सूत के बटवारे में पक्षपात एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	97.	,,	सूत के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में विफलता।	,,

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वर्ष 1964 के दौरान हमारा निर्यात विश्व के निर्यात व्यापार का डालर मूल्य का 1.7 प्रतिशत था और वह 1.1 बिल्येन अमरीकी था। वर्ष 1971 में यह कम होकर 0.7 प्रतिशत रह गया है। एशिया के मामले में यह बढ़ रहा है परन्तु भारत का निर्यात-व्यापार कम हो रहा है। एशिया की वार्षिक विकास दर 1971 में 7.6 प्रतिशत थी, परन्तु भारत इसके कहीं भी निकट नहीं है।

पत्र की फोटो कापी मेरे पास हैं जिनको मैं सभा-पटल पर रखना चाहूंगा* जिससे पता चलता है कि किस प्रकार अनुसंधान और विश्लेषण निदेशक ने टी० डी० ए० को अच्छी स्थिति दिखाने को कहा है। टी० डी० ए० टाटा और फोर्ड प्रतिष्ठान के संयुक्त संरक्षण में है। टाटा वाले 5 लाख रूपया फीस के रूप में लेते हैं। वैसे इसे मध्यम और छोटे दर्जे के निर्यातकों की सहायतार्थ बनाया गया था। टी० डी० ए० आर्डर प्राप्त करने के लिए शत-प्रतिशत श्रेय का दावा करता है परन्तु यह उनकी अपनी कोशिश का नतीजा नहीं है।

पीछले 15 वर्षों में अभ्रक का औसत उत्पादन 22,000 टन प्रतिवर्ष था। प्रतिवर्ष निर्यात 25,000 से 26,000 टन था और आंतरिक खपत 4,000 से 5,000 टन की थी। जब उत्पादन में प्रतिवर्ष 22,000 टन की वृद्धि नहीं हुई, मैं समझा नहीं पाया कि खपत और निर्यात दोनों 29,000 से 31,000 टन कैसे हो गया।

जहां तक कपड़े के उत्पादन का सम्बन्ध है, उसमें वृद्धि हुई है। तीन वर्ष की अवधि में कुल वृद्धि 60 प्रतिशत का इसके अधिक की है। इसी प्रकार मध्यम और अन्य प्रकार के कपड़े के मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ हो रही है और सरकार लूटने वालों के साथ मिली हुई है।

सूती कपड़े के साधारण शेयर का मूल्य 1972 (दिसम्बर) में 108.1 था, 1973 में यह 152.7 हो गया। इस प्रकार एक वर्ष में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जूट के मामले में एक वर्ष पूर्व यह 84.6 प्रतिशत था और दिसम्बर 1973 में यह 123.9 हो गया। सभी कपड़ा कम्पनियों ने बहुत अधिक लाभ कमाया है। सेन्चुरी और न्यूशारक्स के शेयरों के मूल्यों में एक वर्ष में 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वैसे रंगीन साड़ियों के शक्तिचालित करघों में बनाने पर रोक लगी हुई है परन्तु इस पर कभी अमल नहीं हुआ।

सूत के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मई 1971 में 34 काउंट के लिये एक बंडल (5 किलोग्राम) 56 रुपये का था, 44 काउंट के लिये मई 1972 में यह 71 रुपये का था और अक्तूबर, 1973 में यह 120 का था।

गत वर्ष एक वर्ष में सूत में चोर बाजारी से 100 करोड़ रुपये का काला धन कमाया गया है। कपड़ा निगम एक और घोटाला है। यह आरोप है कि उसके एक भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक भ्रष्टाचार के दोषी थे और सी० बी० आई० द्वारा उनके विरुद्ध जांच की गई थी। क्या यह भी सच है कि इस व्यक्ति के पास इसकी आय की अनुपात से बहुत अधिक सम्पत्ति है जिसमें कुल क्षेत्र में सेव का बगीचा भी सम्मिलित है?

सरकार ने इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन को भी लूट मचाने की छुट्टी दे रखी है। कपड़ा निर्यातकर्ताओं ने यह शिकायत की हैं कि इस फैडरेशन ने उन्हें तबाह कर दिया है। प्रोत्साहन के रूप में 150 से 160 करोड़ रुपयों में से फैडरेशन ने उन्हें केवल 125 करोड़ रुपया दिया है।

नायलान की कताई करने वाली मिलों से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए लगभग 8 करोड़ रुपया लिया है। यह लेख 'करेंट' नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके वास्तविक मालिक श्री उमा शंकर दीक्षित हैं।

---

* बाद में माननीय सदस्य द्वारा सूचित किया गया कि दस्तावेज को सभा-पटल पर रखा गया न माना जाये।

The hor. Member later informed that the document need not be treated as laid on the Table.

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालें।

जहां तक पटसन उद्योग का सम्बन्ध है यह उद्योग मुट्ठी भर आदमियों के हाथों में है जो श्रमिकों और किसानों की खाल खींचते हैं। 'इकानामिक एंड पालीटिकल वीकली' ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पटसन उद्योग के मालिकों को प्रतिदिन लगभग एक करोड़ रुपयों का लाभ होता है। जूट उद्योग में बहुत समय से हड़ताल चल रही है। किन्तु मंत्री महोदय गोयंका को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह अनुचित है।

1960 को आधार मानकर 1972 में पटसन के थोक मूल्य सूचक अंक 236.1 थे। नवम्बर 1963 में यह घटकर 190.4 रह गये तथा एक माह पश्चात् केवल 180.2 रह गये। इस प्रकार जूट उत्पादकों को ठगा गया है। भारतीय पटसन निगम पर भारी धनराशि खर्च की गई है किन्तु उसने देश की कोई सेवा नहीं की। यदि यह निगम चाहता तो किसानों को इस शोषण से बचा सकता था। मैं इसका दोष मंत्री महोदय को देता हूं जिन्होंने चुनावों के लिये धनराशि जुटाने के उद्देश्य से गरीब किसानों का शोषण होने दिया।

शुल्क में कमी किये जाने का कारण यह बताया गया है कि सरकार विदेशी मंडियों में पटसन के सामान को अधिक सस्ता करना चाहती है। इससे कुछ ही महीनों में सरकार को 72 करोड़ रुपये की हानि हुई। विदेशी मण्डियों में वास्तव में मूल्य बहुत अधिक थे तथा इन लोगोंन मूल्य ने भारी विदेशी मुद्रा अर्जित करके उसे विदेशों में जमा कर दिया। सरकार इस प्रकार उन्हें कम मूल्य के बीजक बनाने आदि की पूरी सुविधा दे रही है।

जहां तक टी० टी० सी० आई० का सम्बन्ध है उसे बने लगभग 2 1/2 वर्ष बीत गये किन्तु उसने अभी तक मेरे विचार से चाय का कोई निर्यात नहीं किया। इसके क्या कारण हैं? ब्रुक बांड तथा लिप्टन अपने उद्देश्य में सफल रही है और अब सरकार ने उनसे समझौता कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि टी० टी० सी० आई० के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेश कौन हैं।

अब यह कहा जा रहा है कि टी० टी० सी० आई० संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने हाथ में ले। क्या इसकी स्थापना इसीलिये की गई थी? क्या सरकार यह चाहती है कि ब्रुक बांड और लिप्टंन को कोई खतरा उत्पन्न न हो क्योंकि मुझे ज्ञात है वे बहुत से व्यक्तियों को उदारता से धनराशि देते हैं?

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

(नई धारा 101-क का अन्तःस्थापन)

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मुरासोली मारु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION AMENDMENT BILL
(अष्टम अनुसूची का संशोधन)

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मनीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एन० टोम्बी सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

संसदीय सन्निष्ठा आयोग विधेयक
PARLIAMENTARY INTEGRITY COMMISSION BILL

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संसदीय सन्निष्ठा आयोग का गठन तथा उसके अनुषंगी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसदीय सन्निष्ठा आयोग का गठन तथा उसके अनुषंगी विषयों का उपबंध करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

बिडी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक
BIDI AND CIGAR WORKERS (CONDITIONS OF EMPLOYMENT) AMENDMENT BILL
(धारा 1, 2 आदि का संशोधन)

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री ए० के० गोपालन : मैं विधयक पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 124, 125 आदि का संशोधन)

Shri Madhu Limaye: Sir, I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हुकम चन्द कछवाय–अनुपस्थित।

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक

ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMENDMENT) BILL

(नई धारा 20क का अन्तःस्थापन)

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लोर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का और संशोधन करनेवाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय! मेरे इस विधेयक के कारण तथा उद्देश्य सम्बन्धी विवरण में यह कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में बहुत से प्राचीन स्मारक हैं जिनका ऐतिहासिक पुरुषों से सम्बन्ध है। जनता ने कई बार यह मांग की है कि महान पुरुषों की यादगार में स्मारकों की स्थापना की जाए। इस मांग को स्वीकार करने का अधिकार राज्यों के विधान सभाओं को दिया जाए। भारत में स्थित अनेक स्मारकों आदि की देख-रेख का कार्य भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के अधीन है जिसकी स्थापना 72 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान संवैधानिक उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों के बारे

में ही नहीं वरन् अन्य स्मारकों या स्थलों आदि के बारे में कानून बनाने का अधिकार है। संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की मद संख्या 40 इसका प्रमाण है। इस प्रकार राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व से इतर महत्व वाले स्मारकों आदि के बारे में भी कोई कानून बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार उन राज्यों को जहाँ विपक्षी दल की सरकार हैं सम्बन्ध में कोई कानून बनाने से रोक सकती है। तमिलनाडु में भी ऐसी ही सरकार है। अत: मेरी मांग है कि राज्य सरकारों को प्राचीन स्मारकों की देखरेख तथा उनके सम्बन्ध में केवल उन्हीं के द्वारा कानून बनाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

स्वाभाविक है कि राज्यों में स्थित होने के कारण स्मारकों की देखरेख जितनी कुशलता से राज्य सरकारें कर सकती हैं उतनी कुशलता से केन्द्रीय सरकार नहीं कर सकती। इसका प्रमाण यह है कि 1952 से 1971 तक की अवधि में केन्द्र द्वारा आरक्षित स्मारकों से लगभग 1300 प्राचीन कलाकृतियों की चोरी हुई जिनको करोड़ो रुपयों के मूल्य का बताया गया है। नालंदा संग्रहालय आदि स्थानों से चुराई गई ऐसी कलाकृतियों को भुलाया नहीं जा सकता। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव ने सदन में स्वीकार किया था कि एक सप्ताह में हजारों मूर्तियों की चोरी हुई थी। देश में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे तस्करी करने वाले लोग सीमा शुल्क विभागों की आंख में धूल झोंक कर निकल जाते हैं।

भारत के विभिन्न भागों में लगभग 15,000 स्मारक हैं। भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के कार्यकरण की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने 1965 में मुख्य रूप से 21 सिफारिशें की थी किन्तु सरकार ने अभी तक उसकी सभी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है। इतना ही नहीं भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के रवैये से असंतुष्ट होकर विश्व विख्यात पुरातत्वशास्त्री प्रो० बी० बी० जाल ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया।

दिनांक 24 मार्च के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार आगरा स्थित जैन मंदिर से कई मूल्यवान मूर्तियों की चोरी हो गई। नटराज की मूर्ति की चोरी की घटना सम्भवत: अभी सभा को स्मरण होगी। हमारे मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से अपील भी की थी। भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण की अकार्यकुशलता के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इसी के फलस्वरूप डा०कर्ण सिंह के नेतृत्व मे एक समिति बनी जिसके सदस्य श्री नरुल हसन हैं। वास्तव में प्राचीन स्मारकों की देखरेख तथा उन्हें सुरक्षित रखने के लिये मास्टर प्लान बनाने सम्बन्धी कार्य सरकार को राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुये किया जाना चाहिये था किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

यह ज्ञात हुआ है कि मास्टर प्लान केवल उत्तर भारत और मध्य भारत स्थित स्मारकों के लिये ही बनाया जा रहा है। क्या दक्षिण भारत के भारतीय संस्कृति के लिये कुछ नहीं किया? सरकार की ऐसी नीतियों के कारण ही क्षेत्रीय भावना पनपती है।

सर मोरटिमर व्हीलर ने, जो 1943 से 1948 तक पुरातत्वीय सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे, 1969 में तमिलनाडु का दौरा किया था तथा यह टिप्पणी की कि तंजौर जिले में उत्खनन कार्य के लिये अधिक धनराशि दी जाए। किन्तु सरकार ने उनके विचारों को कोई महत्व नहीं दिया।

तमिलनाडु में 118 मंदिरों तथा स्थलों की स्थिति खराब होती जा रही है। केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु के प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिय कोई कदम नहीं उठा रही। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि चोरी रोकने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की सहायता करनी चाहिये। किन्तु केन्द्रीय सरकार को ऐसे उपाय अवश्य करने चाहिये थे जिससे प्राचीन स्मारक प्राकृतिक कारणों से नष्ट न हों। जब तक पर्यावरण में सुधार नहीं होगा स्थानीय पुलिस वहाँ कैसे पहुँच सकती है?

[श्री आर० पी० उलगनम्बी]

यदि केन्द्रीय सरकार यह कार्य करने में असमर्थ है तो उसे राज्य सरकारों को सौंपने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। राज्य सरकार भी राष्ट्रीय महत्व को समझती हैं। वेल्लोर फोर्ट स्थित मंदिर खंडहर होता जा रहा है चूंकि इसे राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया गया है तथा इसकी देखभाल केन्द्रीय सरकार करती है। दूसरी ओर मदुरै मंदिर हैं जिनकी देखरेख राज्य करता है। इनकी स्थिति बहुत अच्छी है।

तमिलनाडु की जनता ब्रहदेश्वर मंदिर में मन्दिर के निर्माता राजाराजा चोल की स्मृति में उनकी प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे। हमारे मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से ब्रहदेश्वर मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने मंदिर से बाहर भी प्रतिमा लगाने की अनुमति नहीं दी। केन्द्रीय सरकार के इस रवैये के कारण तमिलनाडु की जनता ने यह मांग करनी आरम्भ कर दी है कि केन्द्रीय सरकार उन सभी स्मारकों को राज्य सरकार को सौंप दें जिनकी राज्य सरकार ने मांग की है।

वेल्लूर के किले तथा उसमें बने मंदिर के बारे में मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में वहां 1806 में विद्रोह किया गया था। किले के आस पास की 10 एकड़ भूमि की खराब स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उसके विकास की अनुमति मांगी जिसे प्राप्त करने में राज्य सरकार को काफी कठिनाई हुई। दिनांक 17 मार्च, 1974 को मुख्य मंत्री ने उसके विकास कार्य का उद्घाटन किया। राज्य सरकार इसी प्रकार वहां के अन्य स्मारकों की देख भाल करने के लिये तैयार है किन्तु केन्द्रीय सरकार पर इसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। यदि यह विधेयक पास कर दिया जाय तो अन्य राज्य सरकारों को भी इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार मिल जायेगा।

तामिलनाडु स्थित कावेरीपट्टनम के महान चोल राजा करीकलन की राजधानी था जहां देश की विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व किया जाता था। वहां शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन सभी प्रेमपूर्वक रहते थे। हमारे मुख्य मंत्री ने इस पवित्र स्थान पर 2,000 वर्ष पुरानी तमिल संस्कृति की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिये एक आर्ट गैलरी खोली। उन्होंने कारीकलम की तथा सिलपाँडिकरम के महान लेखक एलेंगो एडिगल की प्रतिमाएं भी स्थापित कराई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1961 में यहां खुदाई कार्य आरंभ किया था किन्तु बाद में उसे बन्द कर दिया गया।

तमिलनाडु में पुडुकोट्टई के समीप सिथन्नवसल नामक स्थान है जहां गुफाओं पर 9वीं शताब्दी की चित्रकारी है। भारतीय पुरातत्वीय विभाग को इस मनोरम स्थल की देखरेख का कार्य सौंपा गया था किन्तु तमिलनाडु की जनता के अतिरिक्त किसी व्युक्ति को इस सुन्दर भवनों का पता तक नहीं है। शिक्षा मंत्री ने संभवतः इस स्थान को देखा भी नहीं होगा यद्यपि इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल माना गया है। इन सभी कारणों से मुझे यह विधेयक लाना पड़ा है।

तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिलनाडु स्थित मंदिरों की अद्भुत् कलाकृतियों के बारे में गहन सर्वेक्षण आरम्भ किया है जिससे उनकी चोरी रोकी जा सके। तमिलनाडु सरकार ने एक शिलालेख संस्थान भी स्थापित किया है जिससे शिलालेखों का अध्ययन किया जा सके।

अन्त में मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक का समर्थन किया जाये जिससे विभिन्न राज्यों की जनता की इच्छाओं को पूरा किया जा सके। केन्द्रीय सरकार प्राचीन स्मारकों तथा स्थलों की सुरक्षा करने में असफल रही है अतः यह अनिवार्य हो गया है कि केन्द्रीय सरकार यह कार्य राज्य सरकारों को सौंप दे। केन्द्रीय सरकार इस मामले को मान-अपमान का प्रश्न न बनाये तथा यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन भी किया जाये।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : यह उचित ही होगा कि इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करने के प्रश्न पर राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चर्चा की जाये। ये राज्यों में स्थित सुरक्षित स्मारक हैं। जो व्यक्ति इन स्मारकों से सम्बद्ध है, उन्हें भी इनकी सुरक्षा करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। 1904 में कर्जन ने इस बारे में विधान बनावाया था। अब श्री उलानम्बी अपने विधेयक के माध्यम से राज्य की स्वायत्तता के प्रश्न का भी समर्थन कर रहे हैं। कुछ मामलों में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करना अपरिहार्य है। संस्कृति चाहे कर्नाटक की हो, चाहे तमिलनाडु की, उसका संवर्धन किया जाना चाहिये। उदाहरण के तौर पर मदुरै स्थित मन्दिर दक्षिण भारत ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिये वस्तुकला की गौरवपूर्ण धरोहर है।

दक्षिण भारत में अनेकों स्मारक हैं, परन्तु वे सभी स्मारक पुरातत्वीय स्मारकों की कोटि में नहीं आते। बेलूर और हरधी की शान्तला देवी ने इन मन्दिरों का निर्माण किया, जिनमें हजारों नारी-चित्र खुदे हुए हैं। हमारी संस्कृति के इन गौरवपूर्ण अवशेषों को चोरी छिपे विदेशों में ले जाया जा रहा है। दक्षिण भारत में बाघ नदी और प्रकृति की शक्तियों की पूजा होती है और इन्हें भित्ति-चित्रों के रूप में अंकित किया गया है। वास्तुकला के इन अनुपम नमूनों के संरक्षण के लिये केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिये। इसलिये इस विधेयक के स्वरूप के बजाय विधेयक की भावना से मैं सहमत हूं। द्रमुक पार्टी हर बात में केन्द्र बनाम राज्य की स्वायत्तता का सवाल खड़ा कर देती है।

बड़े मन्दिरों के साथ साथ वास्तुकला के छोटे छोटे नमूनों का भी संरक्षण किया जाना चाहिये, अन्यथा भूमि हथियाने वाले लोगों और प्रकृति के हाथों ये वास्तुकला के स्मारक नष्ट हो जायेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : यह विधेयक कुछ गलतफहमियों से भरा हुआ प्रतीत होता है। मुझे इस विचार से पूर्ण सहानुभूति है कि प्रत्येक प्रकार के पुरातत्वीय स्मारकों के संरक्षण के लिये राज्य सरकारों और लोकप्रिय भावनाओं को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिये। अगर केन्द्रीय सरकार पुरातत्वीय स्मारकों का भली भांति संरक्षण नहीं करती है, तो राज्यों को उनका संरक्षण करने का अधिकार होना चाहिये; परन्तु विधेयक पेश करने वाले सदस्य की इस विचारधारा से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि विधान सभा में बहुमत वाली पार्टी को किसी विचारधारा के प्रवर्तक व्यक्ति का स्मारक स्थापित करने का अधिकार होना चाहिये। अगर किसी भी पुरातत्वीय स्मारक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है अथवा नवीकरण किया जाता है, तो इससे उस पुरातत्वीय स्मारक की ऐतिहासिकता नष्ट हो जाएगी। पुरातत्वीय स्मारक का संरक्षण विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार किया जाना चाहिये।

हम सभी लोग इन स्मारकों और विशेष रूप से तमिलनाडु के स्मारकों का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये स्मारक तमिलनाडु के पुनर्जागरण आन्दोलन के प्रतीक हैं।

माननीय सदस्य तन्जावूर स्थित वृहदीश्वर मन्दिर के बारे में चिन्तित हैं और उन्होंने चोल शासकों का भी उल्लेख किया। माननीय सदस्यों को उत्तर भारत और दक्षिण भारत का भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिये। मैं स्वयं इस पक्ष में हूं कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार के सहयोग से इन मन्दिरों का संरक्षण करे। गाईकोण्डा चोलापुरम् मन्दिर चोल शासक की उत्तर भारत पर विजय का प्रतीक है।

उत्तर भारत और दक्षिण भारत में वस्तुत: कोई विवाद है ही नहीं। दक्षिण भारत के प्रत्येक मन्दिर में उत्तर भारत के व्यक्ति मिलेंगे। मेरे जैसे नास्तिक व्यक्ति और अन्य धर्म के लोग भी इन मन्दिरों की कलात्मकता की सराहना करेंगे। मदुरै स्थित गोपुरम् मन्दिर के द्वार पर हर प्रकार के भड़कीले रंगों से चित्रकारी करके और उसका नवीकरण करके उसके सौन्दर्य को नष्ट कर दिया गया है। ऐसा करने का सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है।

मुझे यह पता चलता है कि तन्जावूर स्थित वृहदीश्वर मन्दिर के आंगन में किसी आधुनिक शिल्पकार द्वारा निर्मित कोई मूर्ति स्थापित करने का विचार है। ऐसा कार्य कलात्मकता, परम्परा और विश्वास के प्रतिकूल है। इस प्रकार के कार्य को विधान सभा की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता।

11—11 LSS/74

[श्री. एच. एन. मुखर्जी]

कन्याकुमारी का दृश्य पहले बहुत शानदार था। लगभग 15 वर्ष पहले वहां गांधी मण्डप का निर्माण कर दिया गया। इससे समुद्र-तट की शोभा नष्ट हो गई है। पहले उस स्थान पर तीर्थ यात्री स्नान करने के बाद विश्राम किया करते थे। विवेकानन्द शिला पर विशाल निर्माण किया गया है, जिससे वहां का प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हो गया है।

इन के संरक्षण का उचित ढंग यह है कि इस काम को उन लोगों पर छोड़ दिया जाये जिन पर विश्वास किया जा सकता है और जिन को राष्ट्रीय सभ्यता पर विश्वास है। इसी कारण से यह कार्य पुरातत्ववेत्ताओं और विद्वानों द्वारा देखभाल के लिये छोड़ दिया गया है।

अत: यदि इस विधेयक के पीछे भावना यह है कि राज्य के युवा व्यक्तियों को इन स्मारकों आदि के संरक्षण के कार्य से और प्रभावी ढंग से सम्बद्ध किया जाये तो मैं इस का समर्थन करता हूं परन्तु यदि इस के पीछे भावना यह है, जैसी कि प्रतीत होती है कि राज्य विधान सभाओं व संसद् को इन स्मारकों के रूप परिवर्तन का अधिकार हो तो मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकता। इस प्रकार के विधेयक से हमें पुरातत्वीय संरक्षण के विचारों को त्यागना पड़ेगा। इस प्रकार के रूप परिवर्तनों को कभी सहन भी नहीं किया जायेगा।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : तमिलनाडू की भूमि ऐसे स्मारकों, प्राचीन भग्नावशेषों आदि से भरी पड़ी है जिन पर सारे देश को गर्व हो सकता है। राष्ट्रीय महत्व के ऐसे अनेक स्मारक हैं जिन्हें पुरातत्व विभाग का संरक्षण प्राप्त है और बहुत से ऐसे स्मारक भी हैं जिन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं। परंतु ऐसे अनेक स्मारक हैं जिनका संरक्षण उचित ढंग से नहीं किया जाता। इनका संरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है परन्तु वे भी नहीं करतीं। हमने गैर संरक्षण प्राप्त कुछ प्राचीन स्मारकों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए केन्द्रीय पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है परंतु उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। केन्द्र सरकार को इस कार्य को सुचारु ढंग से चलाने के लिये केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के लिये और अधिक राशियों का उपबन्ध करना चाहिये। इसके साथ ही इनके संरक्षण, रखरखाव आदि की ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिये।

इन स्मारकों में मरम्मत कार्य दक्ष व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये जिससे कि इन का मूल रूप संरक्षित रह सके। इस काम के लिये पुरातत्व विभाग में अधिक कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिये। ये व्यक्ति प्राचीन स्मारकों के निर्माण के बारे में ऐतिहासिक ज्ञान भी रखते हों।

यदि इन स्मारकों में कोई नया निर्माण किया गया तो इससे उनका स्वरूप बदल जायेगा। और उससे उनका सौन्दर्य भी कम हो जायेगा इसके साथ ही उनका ऐतिहासिक महत्व भी नहीं रहेगा। अत: इन स्मारकों आदि के भीतर कोई अन्य नया निर्माण करने का विचार उचित नहीं। कोई भी इतिहास प्रेमी इसका समर्थन नहीं कर सकता।

असम व अन्य पूर्वी राज्य पुरातत्व के विषय में कलकत्ता के अधीन है। अधीक्षक का कार्यालय कलकत्ता में स्थित है और वहीं से सारा नियन्त्रण होता है। असम में काफी संख्या में प्राचीन स्मारक आदि हैं और उनकी निगरानी के लिये कलकत्ता के अधीक्षक के अधीन एक सेक्शनल अधिकारी असम में नियुक्त है। उसके पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं रहती। अत: मेरा अनुरोध है कि पूर्वी प्रदेश के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का अधीक्षक के अधीन एक अलग पुरातत्व जोन बनाया जाये जो वहां के प्राचीन स्मारकों के समुचित संरक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान दे सकें। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव का कार्य पर्यटन के विकास से सम्बद्ध है और इसे पर्यटन मंत्रालय को हस्तान्तरित किया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Bankura): It has been my experience that preservation and maintenance of ancient monuments is not being properly done by the Archaeological Department and in fact it is being neglected. The Minister should pay due attention towards this and he should ask for a report from the Archaeological Department every year in regard to the conditions of ancient monuments under its charge.

There are many such monuments in the country which have not been taken over by the Archaeological Department but they have their own cultural importance. If the Central Government is unable to take them over, the work should be entrusted to the State Governments. If there is any Constitutional difficulty in it the same can be overcome.

The Government had passed Antiquities and Art Treasures Act. This Act contained very good provisions. We would like to know whether these provisions are being implemented and used to check the thefts and pilferages of Art objects? I would also like to know in how many cases any action had been taken against offenders and how many statues, etc. could be saved? I would also like to know the number of people who have registered the ancient objects of Art and statues etc. in their possession as required under Sec. 14 of the above Act? Whether Sec. 17 has also been implemented which implies that sale, transfer and exchange of objects of Act should be registered with the Government.

[SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the Chair.*
श्री नवल किशोर सिन्हा पीठासीन हुए।]

These objects of Art are heritage of the future generations. But for the last 10-15 years their destruction is taking place.

I am not opposing this Bill, but supporting it. I also want that powers can be given to the Legislative Assembly. I would also suggest that a Central Committee should be set up to look after the work of installing statues at suitable sites so that their grace not marred.

I want that the states should be given Constitutional rights to protect those monuments, which have not been taken over by the Centre. I think that all the states will protect the monuments with full responsibility.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhuna): Mr. Speaker, Sir, there are many places of archaeological importance, many temples, various kinds of statues in our country. So it is but natural that they attract the attention of the people of the country.

The Bill is intended to erect statues of those persons who have their contribution for the construction of ancient monuments; to perpetuate their memory. We should not object to this in principle. But we would have to ensure that while putting up such statues the beauty of those monuments is not destroyed. If you don't give powers through the Legislative Assembly, you can't stop any body to erect any monument.

These monuments are not being looked after properly and several idols have been stolen from them and sold abroad. High Government Officials and police officers are involved in this rachet. In Rajasthan such activities are going on on a very large scale and the State Government have not been able to stop them. Instructions should be issued to the State Governments in this regard and the Central Government so should pay attention to it.

[Shri Shivnath Singh]

I would request the Ministry of Home Affairs at the Centre to take note of this matter and see that these monuments are well protected so that our cultural heritage is preserved and they are not stolen.

Shri M. C. Daga (Pali): I support this Bill. If any State Government wants to build or erect a suitable memorial in or near the vicinity of a protected monument to perpetuate the memory of the person who constructed that monument, there should be no objection to it.

It is doubtful that the Department of Archaeology has got adequate budget. It is almost impossible to look after a large number of historical monuments in the country with the present meagre amendment. The Department of Archaeology is an old Department and the people there are also old. You would find the guide available there as philosopher as well as friend. These people tell strange stories. . . (*Interruptions*) . . . They tell such strange stories which we have not read in history and which is not even known to the historian. If you get the budget of this Department examined, even its Director would say that it has got no budget . . . (*Interruptions*).

I want to say one thing more. There are a large number of monuments under the Department of Archaeology which have lost their importance. It is better that such monuments are disposed off and the money obtained therefrom is utilised for some constructive purpose. It should be ensured that none should write anything on these monuments . . . *Interruption* . . .

I would say that the working of the Department of Archaeology should be improved and the monuments should be properly maintained so that the visitors to those places can get some inspiration from them and we may get peace of mind there.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (नेतुल) : इस विधेयक की प्रस्तावित धारा 20(क) पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। राष्ट्रीय महत्व की किसी प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक को संसद् के द्वारा बनाये गये कानून के अन्तर्गत 'स्मारक' घोषित करने का अधिकार केवल संसद् को ही है। दो बातों से मुझे बहुत दुख हुआ है। पहली बात इसकी संवैधानिक वैधता है और दूसरी बात है कि श्री मधु लिमये ने, जो इस सभा के संविधान विज्ञ हैं, बार बार यह कहा है कि वह इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

मैं भी अन्य सदस्यों की तरह चिन्तित हूं कि कई पुरातत्वीय स्मारकों की बुरी तरह उपेक्षा की जा रही है और हमारे द्वारा बड़े उत्साह और जोश से उनकी देख-रेख किये जाने की आवश्यकता है।

इस प्रस्तावित परिवर्तन को देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि क्या सब राज्य विधान मंडल इन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की ऐतिहासिकता में कभी कुछ जोड़ते हैं अथवा नहीं। यदि यह विधेयक कभी पारित हो जाता है, तो हम एक ऐसी नयी परम्परा को स्थापित कर देंगे जिससे पृथकतावादी तथा विघटनकारी परि- वृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

राष्ट्रीय महत्व के मामलों में निर्णय लेने में यह सभा किस प्रकार विधान सभा की अपेक्षा कम समर्थ है, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

मैंने महाबलीपुरम् स्थित सुंदर मंदिर को देखा है। वहां का सूर्यास्त मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मैं नहीं जानता कि इस मंदिर को किस राजा ने बनवाया था और इससे फर्क भी क्या पड़ता है। माना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम उस राजा का स्मारक बनाती है और जब उसका मंच बन कर तैयार होता है तब इतने

में अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम सत्तारूढ़ होता है। उस मंच पर आगे काम रुक जाता है। इस प्रकार महाबलीपुरम् स्थित मंदिर राजनैतिक विवाद का केन्द्र बन जायेगा, परन्तु जब यह प्रश्न संसद् में आयेगा तब माननीय सदस्य इस पर निष्पक्ष रूप से विचार विमर्श कर सकेंगे। यह सभा ही ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर सकती है। इसलिये मैं इस विधेयक का जोरदार रूप से विरोध करता हूं।

श्री मोहन एन० कलिंगारायर (पोलाची) : क्या उनका यह कहना है कि वे इस मामले में राज्य सरकार द्वारा भाग लेने के विरुद्ध हैं ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरा इससे कोई विरोध नहीं है। परन्तु मुझे किसी स्मारक के साथ इस प्रकार का हस्तक्षेप करना स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई स्मारक पुरातत्वीय महत्व का है तो ऐसे स्मारक के निर्माता की याद को बनाए रखने की क्या आवश्यकता है। ताज महल पवित्र मानवीय प्रेम का प्रतीक है और इसी संदर्भ में शाहजहां और मुमताज महल को याद किया जाता है। परन्तु यदि कोई ताजमहल के सामने उनकी प्रतिमाएं बनाना चाहता है तो उसमें क्या तुक है, मेरे विचार में प्रत्येक पुरातत्वीय स्मारक किसी दार्शनिक विचार का प्रतिबिंब होता है। मैं श्री नायक के इस कथन से सहमत हूं कि हमारे स्मारक केवल तमिलनाडु की ही नहीं अपितु समूची मानव जाति की विरासत हैं, इसलिये इन स्मारकों के संरक्षण का दायित्व भारत सरकार को इस सभा के द्वारा करना चाहिये।

यदि हमारे शिक्षा मंत्री देश का भ्रमण करें तब उन्हें पता चलेगा कि ये पुरातत्वीय स्मारक कितनी क्षीण दशा में हैं। हमें इन स्मारकों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ही स्मारक संपूर्ण मानव जाति की अमूल्य विरासत है। इन स्मारकों में हमारे बहुमूल्य निधियां छिपी हुई हैं। जो कुछ हमारे पास है, वे बहुत बुरी दशा में हैं। इसके अतिरिक्त तस्कर इन्हें अन्य देशों तथा स्थानों में चोरी-छिपे भेजते रहते हैं। मुझे आशा है कि इस विधेयक के प्रस्तावक विधेयक को वापिस ले लेंगे और मंत्री महोदय से यह आश्वासन लेंगे कि देश की इन अमूल्य निधियों की ओर सरकार ध्यान देगी।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): Various archaeological monuments are being ruined for want of proper maintenance by the Central Government. I think these can be preserved only when State Governments take over such monuments. The Government is spending the money, which is coming from donations, on secular activities. Why such donations of particular religion is spent on other activities like running schools, colleges etc? This should be spent on monuments of particular religion from where the donations come. The Wakf Board should be given free hand in spending the money. Why the Government have control over such money ?

In matter of appointment of persons having no knowledge of archaeology are given jobs on recommendations. My suggestion is that only those persons should be appointed in this department who have good knowledge of Sculpture and then history and having interest in religion.

The bill brought in this connection has good objectives but there is no need to raise dispute between north and south. It should be conceded or some other bill of this nature may be brought.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): From the Himalayas to Kanyakumari, old monuments are situated in abundance. We should preserve them without destroying or changing their original character. These monuments are our historical heritage from which we are acquainted with our ancient history. Taking this into consideration, the Government should give proper attention towards these monuments so that mischievous elements may not take advantage by instigating religious sentiments. I am talking about this bill in this spirit.

[Shri Ramavatar Shastri]

Unfortunately the archaeological department has not discharged its duty properly. I will cite an example relating to some years back. These was a golden dome in an ancient monument of Maner Sheriff. It had many pounds of gold plated. One night it was stolen away. Till now the Government have not been able to trace out the theft. This is question of minority community and their sentiments are instigated over this issue. But the Government have not paid any attention.

Rajgir, Nalanda and other historical monuments are in a very bad condition. The Government should preserve all monuments pertaining to any religion, so that we may be able to know about our past history. I hope the hon. Minister will understand me and do the needful.

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : देश के प्राचीन स्मारकों के रख रखाव के संबंध में माननीय सदस्य ने इस विधेयक के द्वारा जो रूचि दिखाई है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि उडीसा में प्राचीन मन्दिर तथा स्मारक काफी संख्या में है। परन्तु दुर्भाग्यवश वे उचित देखभाल के बिना जीर्णावस्था में हैं। कोणार्क में जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, उन्हे इन स्मारकों के रखरखाव के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, उस संग्रहालय के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध अनेक शिकायतें की गई थी परन्तु उन पर कोई कार्य वाही नहीं की गई है।

कुछ समय पूर्व कोणार्क मंदिर के दर्शन के दौरान हमें वहां एक चौकीदार के सिवाय और कोई नहीं दिखाई दिया जब हमनें जानकारी लेनी चाही तब चौकीदार ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि संग्रहाध्यक्ष अथवा अधिकारी कब आयेंगे, यह हाल अन्य स्थानों का भी है, उडीसा 'मन्दिरों की भूमि' के नाम से विख्यात है परन्तु बिना उचित देखभाल के ये नष्ट होते जा रहे है, सरकार को उडीसा में अद्वितीय मंदिरों तथा स्मारकों की देखभाल का प्रबंध करना चाहिए, इसलिए हमने सरकार से अनुरोध किया था कि वहां एक पुरातत्वीय मंडल की स्थापना की जाये ताकि उस मंडल का अधीक्षक अथवा प्रभारी व्यक्ति उडीसा में इन स्मारकों के परिरक्षण में अपना पूरा ध्यान दे सके। कुछ समय पूर्व कोणार्क मंदिर में गाइड रखे गए थे परन्तु उन्हे हटा दिया गया है, अब वहां मंदिर में आने वाले लोगों को जानकारी देने के लिए कोई गाईड नहीं है, अंत में मेरा यह कहना है कि एक पुरातत्वीय मंडल की स्थापना की जाये, जो उडीसा में इन मंदिरों का परीक्षण कर सके।

Dr. Govind Das Richhariya (Jhanshi): Although I do not support the bill but taking into consideration its spirit, I want to draw the attention of the hon. Minister to the Bundelkhand division of Uttar Pradesh which is a historic place and having a cultural heritage. Here the palace, fort and temple of Maharani Laxmibai are wearing a deserted look. Despite numerous representation, these have not been repaired. Similarly many sculptures are lying in Jain temples of Deogarh, Sironkala and Pavadi. No one is there to preserve them. Theft of these sculptures take place and these are smuggled out of the country. This situation demands immediate attention of your department. There are also various places where priceless monuments and temples are lying uncared. All these need proper attention and maintenance by the Government.

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : It is my request that the bill may be withdrawn and the hon. Minister may bring some other legislation or see himself the pitiable condition of our temples. Our various temples, mosques, idols are lying in a very dilapidated condition. These need repairing. Priests should be appointed in these temples. In south big temples are lying desolate. Thefts of idols are taking place. What is being done with the donation of Tirupati which comes to Rs. 3 lakhs per

year. Sadhus pass their time in temples doing nothing. The Government should look into this aspect. Dharamsalas and temples are less visited. People prefer to go to cinema houses instead to temples. Temples of any religion should be properly looked after. Similarly there are big temples in South which need attention of the Government. You should do such work which may immortalise you.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या किसी स्मारक का महत्व उस राज्य के लिए है जहां कि वह स्थित है, अथवा समूचे एक के लिए है, हम इस विचार का पूरी तरह समर्थन करते है कि इस प्रकार के स्मारकों के लिए देश की जनता को गर्व करना चाहिए, ये स्मारक समूची मानवता की विरासत है, इस संदर्भ में यह विधेयक इस मूल भावना के विरुद्ध जाता है, मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे मित्र इस पर पुनर्विचार करें।

मैं उन माननीय सदस्यों के साथ एकमत हूं कि जिन्होने कहा है कि किसी स्मारक की ऐतिहासिकता की रक्षा करना ही उन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि है जिन्होने इसका निर्माण किया था न कि वहां कोई ऐसा नया निर्माण किया जाये जो उस काल से संबंध न रखता हो, इस प्रश्न को व्यापक सदर्भ में देखा जाना चाहिए। क्या कोई नया निर्माण उस अवधि की ऐतिहासिकता का प्रतिनिधित्व कर सकता है जब स्मारक निर्मित किया गया था? क्या हम उन व्यक्तियों द्वारा बनाए गए स्मारकों आदि में हस्तक्षेप करके उनके प्रति आदर व्यक्त कर रहे है? जिसनें किसी बडे मन्दिर का निर्माण किया है उसने ऐसे भक्ति भावना से प्रेरित हो कर किया है, न कि अपनी यादगार को बनाए रखने के लिए किया है। यदि कोई राज्य सरकार किसी महान भारतीय की स्मृति के प्रति आदर व्यक्त करना चाहती है तो वह ऐसा अन्य स्थानों में उसका स्मारक बनाकर कर सकती है, यह आवश्यक नहीं है कि उसी प्राचीन स्मारक के परिसर में नवनिर्माण किया जाए।

श्री लिमये ने प्रत्येक स्मारक के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन मांगने का सुझाव दिया है इस संबंध में मैने पहिले ही अनुदेश जारी कर रखे है, राज्य द्वारा छोटे स्मारकों की देखभाल और इस बारे में संविधान का संशोधन करने की जो बात कही गई है, इसके लिए समवर्ती सूची की 40 वी प्रविष्टि में ऐसी व्यवस्था है कि राज्य सरकारें इस कार्य को कर सकती हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकार इन स्मारकों के परिरक्षण तथा देखभाल की और ध्यान देगी, बीजापुर जिले में उन प्राचीन मंदिरों, जिसका मामला उन्होने उठाया है, का मरम्मत कार्य आरम्भ हो चुका है, मैं इस बात में सहमत हूं कि विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही प्रतिमा का निर्माण करने के बारे में निर्णय किया जाना चाहिए, इस के लिए केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री बोर्ड है, जिसमें राज्य सरकारों आदि का प्रतिनिधित्व है।

दो मंदिरों के बारे में उल्लेख किया गया है, एक बरहदिश्वर मंदिर है और दूसरा वेल्लोर फोर्ट में स्थित मंदिर है, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण और केन्द्रीय सरकार ने जो रुख अपनाया है वह केन्द्रीय पुरातत्व बोर्ड के परामर्श पर आधारित है। जहां तक बरहदिश्वर मंदिर का संबंध है, इस संबंध में मैंने तामिलनाडु के शिक्षा मंत्री को सुझाव दिया था कि इस मामले को विवादग्रस्त बनाने की बजाए इसको एक समिति को हल करने के लिए सौंप देना चाहिए, समस्या यह है कि प्रतिमा की स्थापना कहां की जानी चाहिए, हम विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय का आदर करते है। हमें इस प्रकार के मामलों में राजनीतिक विवाद नहीं लाने चाहियें।

माननीय सदस्य श्री उलगनम्बी ने पुरालेख विद्या का उल्लेख किया है। सरकारी पुरालेख विद और उसके अधीन दो शाखाओं ने जो काम किया है वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। उन्होनें व्हीलर समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया था। मैं स्वयं उस समिति का सदस्य

[प्रो० एस० नूरूल हसन]

था और मैं उसकी सिफारिशों का महत्व समझता हूं। उनमें से अधिकांश सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु मैं धन जुटाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि स्मारकों की और अच्छी प्रकार से देखभाल की जानी चाहिये। मैं स्वयं स्मारकों की वर्तमान संरक्षण व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। परन्तु इसका प्रमुख कारण धन का अभाव है। गत वर्ष स्मारकों की सुरक्षा के लिये 2,000 स्मारक अनुचर नियुक्त किये गये थे ताकि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। इसके साथ ही स्मारकों में बडे पैमाने पर मरम्मत का कार्य भी आरम्भ हो गया है। इस काम के लिये बजट में धन की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मेरे विचार में संस्थापन और मरम्मत के लिये संयुक्त रूप से 1.20 करोड रुपये के अनुदानों की व्यवस्था की गई है। इससे पता चलता है कि पिछले 4–5 वर्षों की अपेक्षा स्थिति में काफी सुधार किया गया है। मुझे आशा है कि इस आश्वासन का ध्यान में रखते हुए कि सरकार स्मारकों के संरक्षण के बारे में सजग है और वह उनकी स्थिति में सुधार करने के लिये ठोस कार्यवाही कर रही है, माननीय सदस्य अपना विधेयक वापस ले लेंगे।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : (वैल्लोर) : मैं ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें किसी संकीर्ण विचार से किसी राजनीतिक मामले को प्रश्रय नहीं दिया गया है। इस विधेयक में किसी दल या किसी व्यक्तित्व का भी उल्लेख नहीं किया गया है, मैं ने केवल संबंधित अधिनियम की धारा 20 में संशोधन करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इसमें कोई असंवैधानिक बात नहीं है। राज्य सरकार मदुरै मन्दिर की देखभाल करती है इसी लिये उसकी स्थिति इतनी अच्छी है।

सभापति महोदय : क्या आप विधेयक को वापस लेना चाहते है या नहीं ?

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं इस विधेयक को वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि श्री आर० पी० उलगनम्बी को प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 1972 को वापस लेने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

मातृवंश परम्परा विधेयक

MOTHERS' LINEAGE BILL

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, there are seven revolutions which are enveloping the entire world today. Our country has been a pioneer in some of these revolutions and it is, therefore, we should give a serious consideration to all these factors. We are struggling to abolish economic and social inequalities to abolish aparthied policy and colonialism perpetrated by certain powers, to abolish capitalism and the growing differences between advanced, industrially developed and the backward nations. The cast of these revolutions is the transformation of man-woman relationship and establishment of equality between the two sexes.

Sir, our Constitution guarantees equality before law for all. The fact is that in our society all do not get equal protection. Certain Children in our society are considered illegitimate and they are insulted at every step. The result is that these innocent children do not prosper. We have to start a movement to bring about a change in the obsolete and traditional thinking in our society.

Today we have money conscious and male-dominated society. In such a Society unmarried mothers and their children get maltreatment through this bill an effort is being made to establish a new liberal tradition.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी कर सकते है । अब हम आधे घंटे की चर्चा लेंगे ।

---

*भारी इंजीनियरींग निगम रांची को मशीनों की सप्लाई
SUPPLY OF MACHINERY TO H. E. C. RANCHI

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं 7 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2231 के उत्तर के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्न पर चर्चा उठाने जा रहा हूं।

मेरा प्रश्न पूरी भारी इंजीनियरिंग निगम से सम्बन्धित है परन्तु उत्तर केवल एच० एम० बी० पी० के बारे में दिया गया है जो भारी इंजीनियरिंग निगम का एक विभाग है। भारी इंजीनियरिंग निगम गत दो शताब्दियों में आधे दर्जन प्रबन्ध निदेशकों के हाथों में रहा है। वर्तमान इस्पात और खान मंत्री श्री के० डी० मालवीय भी इस निगम के अध्यक्ष रहे है। प्रबन्ध के सर्वोच्च अधिकारियों के बदलते रहने से किसी ने भी वहां रुचि से कार्य नहीं किया। अब तक लगभग 50 प्रतिशत पूंजी उडा दी गयी है । भारी इंजीनियरिंग निगम ने कोई बात नहीं उठायी परन्तु रिकार्ड से यह बात स्पष्ट हो जाती है। भारी उद्योग मंत्री श्री टी० ए० पाई ने भी इस वर्ष इस निगम में घाटे की बात स्वीकार की है । इसके लिये दोषी कौन है ?

कुछ समय पूर्व श्रमिक असंतोष, राजनैतिक तनाव तथा झगडों को दोषी ठहरा गया, हाल ही में विद्युत की कमी घाटे का कारण बताया गया है। परन्तु इसका अभी तक ठीक-ठीक पता नही चला है । उत्पादन की कमी के कुछ बडे कारण है इनका पता अभी तक कोई नहीं लगा सका।

भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों ने बडी बहिमजा से मेरे प्रश्न का उत्तर तैयार किया। प्रश्न के तीनों भाग (क) से (ग) का एक ही उत्तर देना चाहा। अधिकारी लोग घटना का अनुचित लाभ उठाकर भ्रमात्मक उत्तर देने का प्रयास करते है। सभी मंत्रालय इसी रोग से पीडित है।

यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग रांची में कभी भी लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन नहीं हुआ। सप्लाई की गयी मशीनों की कमी के बारे में सुनकर बडा आश्चर्य हुआ। उत्तर के इन शब्दों का "मशीन कम प्रमाणित होने की आशा है" क्या तात्पर्य है? यह उत्तर भ्रमात्मक ही नहीं अपितु संसद को गुमराह करने करने का गम्भीर प्रयास भी है ।

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

Half-an-hour Discussion.

[श्री स्वर्णसिंह सोखी]

संसद के उत्पाद मिश्र में इस समय संशोधन की क्या आवश्यकता है ? इतने विलम्ब से यह आवश्यकता क्यों महसूस की गई ? क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम में मशीनों की कमी है ? यदि हां, तो कितनी और मशीनों की आवश्यकता है ? इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक है ? विशेषज्ञों से युक्त रुसी निर्यात कंपनी और विदेशी सहयोग कम्पनियों की पहले मंजूरी क्यों नहीं की गई ? क्या राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम, इंडियन डिजाईन ब्यूरों की सहायता से स्वयं इस मामले को सुलझा सकता है क्योंकि हम उनके डिजाइन तैयार किये हुये बडे-बडे प्लांट देश में स्वदेशी रूप से लगाने में सक्षम है ?

मशीनों की कमी की बात कब ध्यान में आयी ? भारी इंजीनियरिंग निगम रांची के प्रबन्ध निदेशक श्री किनीरो, जिन्होंने गत वर्ष अगस्त में कार्यभार सम्भाला था हटा गया। अप्रैल, 1974 को श्री वारिअर को क्यों नियुक्त किया गया है ? उनको इतना शीघ्र हटाया जाना मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न करता है।

क्या इसका डिजाइन दोषपूर्ण था और परियोजना प्रतिवेदन के सम्बन्ध में गलत आयोजन तथा योजना बनाई गयी ? क्या इतने बडे घाटे को डिजाइन निर्माताओं से तथा विदेशी सहयोगी कम्पनियों से पूरा किया जायेगा, जिन्होंने परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया ?

अतिरिक्त मशीनें लगाने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण है ? भारी इंजीनियरिंग निगम के महाप्रबंधक को रुस भेजने का क्या कारण है और उन्होंने रुसी विशेषज्ञों से क्या क्या बातचीत की तथा डिजाईन बनाने वालों तथा विदेशी सहयोगियों से हुई उनकी बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

मुझे आशा है मंत्री महोदय सदन की संतुष्टि के लिये उपयुक्त स्पष्ट उत्तर देंगे।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Sir, so far as I have come to know Soviet Union have supplied all the machines according to the agreement. But anti-Russian lobby and the supporters of Private Capitalists are trying to malign Soviet Russia.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : धींटाकशीं मत कीजिये।

श्री रामावतार शास्त्री : वह बहुतसी** . . . कहते है

श्री बी० वी० नायक : मुझे पता है आप किस प्रकारकी ** बातें कर रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : मैं अनुरोध करता हूं कि ** शब्द कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाये। क्या यह संसदीय है ?

सभापति महोदय : इस पर ध्यान दिया जायेगा।

Shri Ramavatar Shastri: Sir, these things have impression on our friendship.

Is it a fact that a team of Soviet experts visited India to study the question of adequacy of machines in HEC Ranchi and if so, whether the team submitted their report to the government, if so, the recommendation therein and the action taken by the Government on those recommendations?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

Is it also a fact that all the Soviet machines are not being utilized still and if so the reason therefor?

Is it also a fact that certain officers are sabotaging the work there just to provide an opportunity to the vested interests to malign Soviet Union, if so, what remedial measures have been taken by the Government?

श्री बी० वी० नायक : हम भी उन्हे रुसी एजेन्ट बना सकते है।... **(व्यवधान)** क्या यहां संसदीय स्वतंत्रता नही है? वह किसी को एजेन्ट नहीं कह सकते।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने किसी भी माननीय सदस्य पर कोई आरोप नहीं लगाया है। यदि कोई किसी बात को अपने ढंग से व्याख्या करता है तो उसे इसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अतः माननीय सदस्य श्री शास्त्री जी की बात का संदर्भ न दे कर अपना प्रश्न पूछे।

श्री बी० वी० नायक : प्रश्न बडा सीधा साधा जिसकी स्पष्ट उत्तर 'नही' कहकर दिया जा सकता था। मंत्रालय ने प्रश्न के तीनों भागों को मिला कर उत्तर दिया है और इस प्रकार अपनी चतुराई दिखाने का प्रयास किया है जब कि मंत्रालय को ईमानदारी और निष्ठा का परिचय देना चाहिये था।

'पैट्रियट' नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बहुत बडी सफलता से कार्य निष्पादन कर सकते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके इस प्रकार कार्य करने के मार्ग में क्या बाधायें है। किन कारणों वश इस उपक्रम में क्षमतानुकूल उत्पादन नहीं हो रहा है? इन कारणों को दूर करके हमें पूरा उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : श्री सोखी ने सदन में भारी इंजीनियरिंग निगम के कार्य के बारे में जो कुछ बताया है वह स्थिति के ठीक विपरित है।

प्रश्न में यह बात पूछी गयी कि क्या रुसी कम्पनी ने करार की वे सब चीजें पूरी कर दी है जो उन्हें पूरी करनी थी। हमने उत्तर में यह बताया है कि रूसी सहयोगकर्ताओं ने विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन के अनुसार एच० एम० बी० पी० के लिये समस्त मशीनें सप्लाई कर दी है। एच० एम० बी० पी० के बारे में हमने इसलिये बताया कि भारी इंजीनियरिंग निगम की तीन यूनिटों में रूस की सहायता इसी यूनिट में ली जा रही है शेष दो में चैकोस्लोवाकिया की सहायता ली जा रही है। अतः मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया है। भारी इंजीनियरिंग निगम के कार्य के बारे में भी हमने स्पष्ट उत्तर दिया है।

दूसरा प्रश्न यह था कि क्या हम रूस से घाटे का कोई दावा करेंगे। जब उन्होनें पूरे उपकरण सप्लाई कर दिये है तो घाटे के दावे का प्रश्न ही कहां रह जाता है। तीसरा प्रश्न यह था कि यदि नहीं, तो क्यों? जब रुस घाटे के लिये उत्तरदायी है ही नहीं तो हम उनसे घाटे को पूरा करने के लिये किस प्रकार कह सकते है।

80,000 मीटरी टन क्षमता सुनिश्चित कराने के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था। उत्पाद-मिश्र में बहुत सी चीजें आती हैं। परन्तु बाद में उत्पादन कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया। यह परिवर्तन मात्रा सभी प्रकार की दृष्टि में रखकर किया गया।

जब संयंत्र लगाया गया था तब उससे समय की इस्पात उद्योग की आवश्यकताएं पूरी होती थीं। यदि इस्पात उद्योग का विकास हो गया है तो स्वाभाविक है कि मशीन बनाने वाले भी परिवर्तन करेंगे।

[श्री टी० ए० पाई]

आरम्भ में हमारा विचार 10 लाख मीटरी टन क्षमता के इस्पात संयंत्रों का था। विदेशों में उद्योग के विकास के साथ हमने अपने विचार में परिवर्तन कर दिया। अत: उत्पाद मिश्र के कार्यक्रम में भी परिवर्तन हुआ। इन परिस्थितियों में, इस समय की निर्धारित क्षमता को दोषी कहना उचित नहीं है। यह संभव है कि इन मशीनों को अन्य चीजों के लिये प्रयोग किया जाये। हाल ही में नये प्रबन्धकों के आने पर हमने क्षमता का उपयोग न किये जाने के कारणों की जांच की और यह देखा कि क्या भारी इंजीनियरिंग निगम का कार्य निष्पाद अच्छा हो सकता है। अब दो पारियों में कार्य चल रहा है, इससे मशीनों पर कार्य के लिये 18 लाख घन्टे उपलब्ध होते है। 80,000 मीटरी टन मशीनी उपकरणों के लक्ष्य के लिये मशीनों पर कार्य के लिये 27 लाख घन्टों की आवश्यकता है। इसके लिये हमें 39 मशीनें और लगानी पडेगी। 14 मशीनें एच० एम० टी० पी० द्वारा बनायी जायेंगी, दो अन्य यूनिटों से तीन मशीनें यहां लाई जायेंगी तथा 22 मशीनें आयात करनी पडेगी। भारी इंजीनियरिंग निगम के अधिकारी इन मशीनों की सप्लाई के लिये रूस से बातचीत कर रहे हैं।

यह ठीक है कि भारी इंजीनियरिंग निगम के प्रबन्ध में आरम्भ से अब तक बहुत से परिवर्तन किये गये है। यह बहुत बडा उद्योग समूह है। कहा गया है कि इसे अब तक 108 करोड का घाटा हुआ है। गत वर्ष का घाटा 16 करोड है। इससे कोई प्रसन्न नहीं है। हम इस बात के लिये प्रयास कर रहे है कि दो वर्ष में हम न हानि न लाभ की स्थिति में आ जाय। इस संयंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिये हमें बडा प्रयत्न करना होगा।

श्री बी० वी० नायक : क्षमता के उपयोग के बारे में बताइये।

श्री टी० ए० पाई . भारी इंजीनियरिंग कारखानों में सब कुछ क्षमता के उपयोग पर ही निर्भर है। यदि इन कारखानों में 65 से 70 प्रतिशत तक भी उपयोग होता है तो स्थिति ठीक ही समझनी चाहिये क्योंकि क्रमादेश प्राप्त होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। यदि इस्पात उद्यम का इच्छित विकास नहीं होता है तो धमन भट्टी निष्प्रभ हो जाती है। हमारा विचार निर्यात की संभाव्यता का पता लगाने का है।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि जनरल किनो वहीं पर है और अभी भी प्रबन्ध निदेशक है। माननीय सदस्य ने जो समाचारपत्रों में पढा है वह श्री वारिअर के निदेशक मंडल का सदस्य होने के बारे में है। अत: इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को चिंता नहीं करनी चाहिये।

श्री स्वर्णसिंह सोखी : क्या राष्ट्रीय उद्योग निगम भविष्य में लगाये जाने वाले संयंत्रो के डिजाइन तैयार कर सकता है ?

श्री टी० ए० पाई : इस देश में बडी क्षमता है। विभिन्न क्षेत्रों से हमें जो परामर्श उपलब्ध होता है हम उसका निरन्तर लाभ उठा रहे है। परन्तु यह परामर्श काम का होना चाहिये।

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 8 अप्रैल, 1974/18 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Loksabha then adjourned till 11 *AM on Monday, the* 8*th April*, 1974/ *Chaitra* 18, 1896, *Saka*.

GIPN—S3—11 L. S. S./74—5-8-74—490